दशम माला, खंड 2 अंक 17

गुरुवार, 1 अगस्त, 1991
10 श्रावण, 1913 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

# विषय-सूची

दशम माला, खंड 2, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 17, गुरुवार, 1 अगस्त, 1991/10 श्रावण, 1913 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | ... ... | 1—20 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 245 से 250 | ... | 1—20 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | ... ... | 20—169 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 251 से 265 | ... | 20—41 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 1210 से 1251, 1253 से 1278, 1280 से 1284, 1286 से 1341 और 1343 से 1357 | ... | 41—169 |
| बैंक आफ कामर्स एण्ड क्रेडिट इन्टरनेशनल की भारत में गतिविधियों के बारे में | ... | 175—185 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | ... ... | 186—187 |
| मंत्री द्वारा वक्तव्य | | |
| देश में सूखे की स्थिति | ... ... | 188—191 |
| नियम 377 के अधीन मामले | ... ... | 191—194 |
| (एक) महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता | | |
| श्री विलास मुत्तेमवार | ... ... | 191—192 |
| (दो) मध्य प्रदेश में सतपुड़ा छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने तथा सिवानी और जबलपुर के बीच एक्सप्रेस डीजल रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता | | |
| कु० विमला वर्मा | ... ... | 192 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

| विषय | | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| (तीन) नेदुमालाक्कुन्नु, केरल में नाविका प्रशिक्षण परियोजना की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता | | | |
| श्री के० मुरलीधरण | ... | ... | 192—193 |
| (चार) मुम्बई में सरकारी भूमि पर गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किए जाने की आवश्यकता | | | |
| श्री राम नाईक | ... | ... | 193 |
| (पांच) दिल्ली-सहारनपुर रेल लाइन को दोहरा किए जाने तथा इस सेक्शन पर चलने वाली रेल-गाड़ियों के पुराने इंजनों और डिब्बों को बदले जाने की आवश्यकता | | | |
| श्री हरपाल पंवार | ... | ... | 193 |
| (छ) तमिलनाडु में त्रिची जिले के जयमकोण्डम क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं लगाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता | | | |
| डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम | ... | ... | 193—194 |
| (सात) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सलेमपुर में जे० के० पेट्रो-रसायन परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता | | | |
| डा० लाल बहादुर रावल | ... | ... | 194 |
| बजट (सामान्य), 1991-92—सामान्य चर्चा | ... | ... | 194—265 |
| श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा | ... | ... | 195—198 |
| श्री सूर्य नारायण यादव | ... | ... | 198—203 |
| श्री एच० डी० देवगोडा | ... | ... | 203— |
| राव राम सिंह | ... | ... | 211—215 |
| श्री मुरली देवरा | ... | ... | 216—225 |
| श्री कड़िया मुण्डा | ... | ... | 225—230 |
| श्री वी० एस० विजयराघवन | ... | ... | 230—233 |
| श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह | ... | ... | 233—236 |
| श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति | ... | ... | 237—239 |
| श्री याइमा सिंह युमनाम | ... | ... | 239—242 |

| विषय | | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|


| | | | |
|---|---|---|---|
| कुमारी शैलजा | ... | ... | 242—243 |
| श्री मोहन सिंह | ... | ... | 243—246 |
| श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी | ... | ... | 246—248 |
| श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी | ... | ... | 248—250 |
| श्री द्वारका नाथ दास | ... | ... | 251—253 |
| श्री अमर राय प्रधान | ... | ... | 253—255 |
| डा० जयन्त रंगपी | ... | ... | 255—257 |
| श्री नूरुल इस्लाम | ... | ... | 257—260 |
| श्री भाग्ये गोबर्धन | ... | ... | 260—262 |
| श्री भगवान शंकर रावत | ... | ... | 262—265 |

# लोक सभा

गुरुवार, 1 अगस्त, 1991/10 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को वापस भेजना

[अनुवाद]

*245. श्री जे० चोक्का राव :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका के उन तमिलों को वापस भेजने का निर्णय लिया है, जिन्होंने भारत आने पर यहां अपना पंजीकरण नहीं कराया है;

(ख) इस समय भारत में श्रीलंका के कितने तमिल रह रहे हैं और इनमें से कितने पंजीकृत नहीं हैं; और

(ग) अपंजीकृत तमिलों को भारत भूमि से वापस भेजने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय भारत में रह रहे श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की संख्या 2,10,951 है इनमें से लगभग 75,000 शरणार्थी राज्य प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं हैं।

श्री जे० चोक्का राव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने तमिल शरणार्थियों की संख्या जो रजिस्टर्ड हैं और जो नॉन-रजिस्टर्ड हैं का उल्लेख किया है, मैं जानना चाहता हूं कि रजिस्टर्ड किए हैं और जो नॉन-रजिस्टर्ड हैं उनमें से कितने लोग टैरोरिस्ट एक्टीविटि से संबंध रखते हैं और कितने लोग स्मगलर हैं ? सरकार इनको आइडैंटीफाई किस तरीके से कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जेकब : तमिलनाडु राज्य से मिली सूचना के अनुसार शिविरों में जो संदिग्ध आतंकवादी हैं उनकी संख्या 1928 है। किन्तु कई शिविरों के बाहर भी हैं और तमिलनाडु में रह रहे श्रीलंका के सभी लोगों के पंजीकरण के प्रयास चल रहे हैं। इस प्रक्रिया में यदि राज्य सरकार किसी को खोजने में सफल हो, तो हम जान पाएंगे।

[हिन्दी]

**श्री जे० चोक्का राव :** अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के "ए" और "बी" भाग के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मेरा कहना यह है कि कम से कम टैरोरिस्टस और स्मगलर्स जो आइडैंटीफाई हो गए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी क्यों निर्णय नहीं लेती ? दूसरी बात, नैक्सेलाइटस और उल्फा, जो टैरोरिस्ट एक्टीविटि कर रहे हैं क्या उनसे इनका कोई संबंध है ? अगर संबंध है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है ?

[अनुवाद]

**गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :** तथाकथित संदिग्ध शरणार्थी, जिनका उग्रवादियों से चाहे वे नक्सलवादी हों या लिट्टे के—किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है, यदि इस बारे में हमें कोई प्रमाण मिल जाए तो सरकार उन्हें भारत से बाहर निकालने में अपनी बुद्धि लगाएगी।

**श्री दिग्विजय सिंह :** यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रीलंका के तमिलों के बारे में कोई निर्णय लेने में भारत सरकार की लापरवाही का नतीजा इस देश को माननीय राजीव जी की नृशंस हत्या के रूप में भुगतना पड़ा है। महोदय, सरकार यह निर्णय लेने में कितनी देर लगाएगी कि श्रीलंका के सभी अपंजीकृत तमिलों को भारत से बाहर भेज दिया जाए ? दूसरे, मैं जानना चाहूंगा कि वे 75,000 की संख्या तक कैसे पहुंच गए, जब कि पंजीकरण नहीं हुआ है ?

**श्री एम० एम० जैकब :** यह तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा दी गई संख्या है। पंजीकरण पिछले कुछ हफ्तों से हो रहा था और अन्तिम तिथि निकल गई है। उन्होंने पाया है कि उन लोगों की संख्या जो पहले आए थे और शिविरों में थे उनकी संख्या में विभिन्नता है। उन 75,000 का अभी पंजीकरण होना है। तमिलनाडु सरकार इन लोगों के स्थान और परिचय ढूंढने के लिए प्रत्येक घर की जांच कर रही है।

फिर उन्हें भारत से भेजने का प्रश्न आता है। यदि वे वास्तव में शरणार्थी हैं जो कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अन्तर्गत आते हैं, यह हमें अभी पता लगाना है।

**श्री एस० बी० चव्हाण :** मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगा। यदि वे शरणार्थी भी है और उनका उग्रवादियों से कोई संबंध है, तो वे भारत के बाहर भेजे जाने योग्य है।

**श्री एम० रमन्ना राय :** गृह मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े और उत्तर सिर्फ तमिलनाडु के बारे में है। ये आंकड़े तमिलनाडु की सरकार द्वारा दिए गए है। तमिल सारे भारत में फैले हुए है। श्रीलंका के तमिल भी सारे भारत में हैं। आप लिट्टे सिंघल तमिल तथा अन्य तमिलों के बीच फर्क कैसे करेंगे ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या लिट्टे तमिलनाडु के बाहर भी हैं और यदि हैं तो वह प्रणाली क्या है ?

**श्री एस० बी० चव्हाण :** यह बताना जनहित में नहीं होगा कि हम एक दूसरे में कैसे फर्क करेंगे।

**श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :** महोदय, सभा यह जानती है कि हमारे प्रिय नेता, श्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या के लिए "लिट्टे" उत्तरदायी हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि लिट्टे के क्रियाकलापों को अनधिकृत रूप से तमिलनाडु में तथा देश के अन्य भागों में रह रहे सैकड़ों उग्रवादियों से सहयोग मिलता था।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि श्रीलंका के अपंजीकृत तमिलों, विशेषकर उन आतंकवादियों को जो भारत में घुस आए हैं और जिनकी संख्या माननीय राज्य मंत्री के अनुसार 1982 है, उन्हें भारत से निकालने में देरी के क्या कारण हैं।

दूसरे, श्री चन्द्रशेखर के शासन काल में, तमिलनाडु में द्रमुक सरकार को हटा दिया गया। इसका कारण यह था कि द्रमुक सरकार या द्रमुक के नेता तमिलनाडु मे लिट्टे के कार्यकलापों में सहयोग कर रहे थे। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार ने उन द्रमुक नेताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो तमिलनाडु मे लिट्टे' के कार्यकलापों से सहयोग कर रहे थे।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** यह कांग्रेस सरकार ही थी जिसने लिट्टे की सहायता की थी। उस समय केन्द्र में कांग्रेस सरकार थी।

**श्री एम० एम० जैकब :** प्रश्न का पहला भाग है कि क्या उग्रवादी वहां हैं और क्या वे खुले घूम रहे है।

महोदय, उग्रवादी चार शिविरों में हैं उनकी संख्या 1928 है, जो मैं कह चुका हूं। यह चार शिविरों में हैं। सरकार उनकी उपस्थिति और उनकी गतिविधियों से अवगत है। उन्हें इस तरह बाहर घूमने की अनुमति नहीं है। हम जानते हैं कि वे कहां हैं।

दूसरे प्रश्न, द्रमुक और उग्रवादियों के बीच में संबंध के बारे में, मैं कहूंगा कि यह एक व्यापक प्रश्न है। कई बातों की जांच हो रही है और मैं इस स्थिति में देश की सुरक्षा के हित में सब कुछ प्रकट करने में असमर्थ हूं।

**श्री वी० धनंजय कुमार :** अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि श्रीलंका से आए इन भारतीय मूल के तामिलों को बसाने की किसी परियोजना पर सरकार ने विचार किया है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक अच्छा प्रश्न है, इसकी उपेक्षा न करें।

**श्री वी० धनंजय कुमार :** उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंगलौर के सुलया में, रबड़ वृक्षारोपण की एक परियोजना पहले ही शुरू हो गई है। समस्या इस प्रकार है। एक परिवार में सिर्फ दो लोगों को नौकरी दी जाती है। बाकी लोग बेरोजगार हैं। इसी कारण, मेरे अनुसार, आतंकवाद फैल रहा है। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसी किसी परियोजना पर विचार किया है जिससे यहां के सभी शरणार्थियों को किसी प्रकार का काम मिल सके।

**श्री एम० एम० जैकब :** इस समय, श्रीलंका के वे लोग जिनके पास प्रमाणित दस्तावेज हैं और जिन्हें हमने कभी शरणार्थी माना था, उन्हें यह सुविधा दी गई है कि वे नौकरी प्राप्त करने के लिए स्वयं को पंजीकृत करा सकें।

**श्री वी० धनंजय कुमार :** वे सब के लिए नहीं हैं।

**श्री एम० एम० जैकब :** शिविर में अन्य लोगों को दूसरी सहायता दी गई है। सुविधाओं पर आए व्यय को राज्य सरकार भारत सरकार की आर्थिक सहायता द्वारा वहन करती हैं।

## राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

***246. श्री राम नारायण बैरवा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न राज्यों को, राज्यवार, कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए उन राज्यों को विशेष अनुदान देने का कोई प्रस्ताव है जहां बार-बार साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

विवरण

(रुपए लाख में)

| राज्य का नाम | जारी की गई राशि 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 |
|---|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 63.76 | 40.00 | 63.76 |
| 2. असम | 50.91 | 35.00 | 120.00 |
| 3. बिहार | 63.65 | 30.00 | 63.65 |
| 4. गुजरात | * | 48.34 | 40.50 |
| 5. हिमाचल प्रदेश | 9.30 | 17.43 | 12.80 |
| 6. हरियाणा | 50.00 | 25.83 | 21.70 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | ** | 21.00 | 21.80 |
| 8. कर्नाटक | 54.34 | 26.70 | 33.60 |
| 9. केरल | 47.08 | 44.36 | 37.60 |
| 10. मध्य प्रदेश | 79.56 | 50.00 | 63.60 |
| 11. महाराष्ट्र | 86.95 | 54.93 | 75.28 |
| 12. मणिपुर | 10.08 | 10.08 | 08.00 |
| 13. मेघालय | 11.31 | 10.74 | 09.30 |
| 14. नागालैंड | 10.78 | 9.00 | 08.00 |
| 15. उड़ीसा | 46.96 | 44.60 | 37.00 |
| 16. पंजाब | 37.38 | 41.51 | 28.40 |
| 17. राजस्थान | 124.19 | 66.86 | 70.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18. | सिक्किम | 4.20 | 4.00 | 03.40 |
| 19. | तमिलनाडु | 86.95 | 63.47 | 72.97 |
| 20. | त्रिपुरा | 12.56 | 10.28 | 10.00 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 90.00 | 170 00 | 104.06 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 71.13 | 67.57 | 57.00 |
| 23. | गोवा | 10.40 | 18.48 | ** |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 7.00 | ** | 12.00 |
| 25. | मिजोरम | 7 00 | 25.00 | 19.20 |

*गुजरात सरकार को 1988-89 के दौरान, पिछले वर्षों में खर्च न की गई राशि जो उनके पास थी, में से 25.30 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई।

**संबंधित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

**श्री राम नारायण बैरवा :** मान्यवर, मंत्री महोदय ने जो बताया है कि साम्प्रदायिक दृष्टि से जो कम्यूनलीसेंसीटिव स्टेट्स हैं उनके बारे में अधिक ग्रान्ट देने का कोई विचार नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान मे आतंकवाद की स्थिति, तस्करी की बढ़ती हुई घटनाएं, रेगिस्तानी सीमा सुरक्षा, इन चारों बातों को देखते हुए और कम्यूनली सेंसीटिव होने के अतिरिक्त आपने क्या क्राइटेरिया बना रखा है कि और ग्रांट दी जाए ?

[अनुवाद]

**श्री एम० एम० जैकब :** जो विवरण दिया गया है उसमें सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कुछ राज्यों को दी गई सहायता को भी सम्मिलित किया गया है। हमने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि उन चुने हुए क्षेत्रों में साम्प्रदायिक समस्या से निबटने के लिए एक शीघ्र कार्यवाही बल गठित किया जाए और इससे संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करके एक योजना तैयार की जा रही है और सरकार जल्द ही शीघ्र कार्यवाही बल के गठन का प्रस्ताव रखेगी।

[हिन्दी]

**श्री राम नारायण बैरवा :** मान्यवर, जब मैं डायरेक्टर, स्टेट पुलिस कम्यूनिकेशन में था, तत्कालीन गृह मंत्री बूटासिंह जी दो साल पहले वहां आए थे। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि राजस्थान की इस समय की हालत को देखते हुए विशेष अनुदान दिया जाएगा, लेकिन दो साल हो गए, वह विशेष अनुदान नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ?

[अनुवाद]

**गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :** मेरे पूर्ववर्ती, श्री बूटा सिंह, ने जो इस बारे में कहा था हमें उसकी सत्यता की जांच करनी होगी। किन्तु जहां तक नीति का प्रश्न है, हम उन राज्यों को अनुदान नहीं देते हैं जो सांप्रदायिक रूप से सवेदनशील हों। राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील हैं पूरा राज्य नहीं। किन्तु जो कुछ जिले सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील हैं, हम पुलिस बल को आधुनिक बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें अति-

रिक्त अनुदान राशि दी जाएगी। हम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में करीब दस बटालियन बढ़ा रहे हैं ताकि यदि राज्य सरकार को आवश्यकता हो तो इस प्रकार के कार्य के लिए ये उपलब्ध हो सकें। किन्तु इस कार्य के लिए अतिरिक्त अनुदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मंत्री महोदय शायद माननीय सदस्य का आशय नहीं समझ पाए हैं माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या केन्द्र राजस्थान की ओर विशेष ध्यान देगा क्योंकि यह एक सीमावर्ती राज्य है।

**श्री एस० बी० चव्हाण :** यदि यह एक सीमावर्ती राज्य है तो यह एक अलग विषय है। किसी सीमावर्ती राज्य को कितनी धनराशि देनी है और किस स्रोत से देनी है इसका विचार सम्बद्ध मंत्रालय करेगा। अब हम सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष अनुदान देने के विषय पर विचार कर रहे हैं जो केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। यह एक भिन्न प्रश्न है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** यह केवल प्रश्न का एक हिस्सा है।

**श्री एस० बी० चव्हाण :** नहीं, नहीं, यह पूर्णतया एक भिन्न प्रश्न है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** उनका प्रश्न सीमावर्ती राज्य के पुलिस बल के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित है। क्या एक सीमावर्ती राज्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ?

**श्री एस० बी० चव्हाण :** सीमावर्ती राज्य का ध्यान निश्चित रूप से अर्द्ध-सैन्य बलों और सैन्य बलों द्वारा रखा जाएगा न कि पुलिस के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम से। अन्य बल भी हैं। किन्तु इसके लिए मुझे पूर्ण सूचना की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

**श्री सत्यपाल सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो सूची दी है, उसके अनुसार प्रत्येक प्रदेश के लिए कितनी-कितनी धनराशि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए दी गई है ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सूची दी है, उसके अनुसार आपने 1988-89 में 90 लाख रुपये, 1989-90 में 170 लाख और 1990-91 में केवल 104 लाख रु० दिया है जबकि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के अन्दर सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद बढ़ा है, फिर क्या कारण है कि 170 लाख से कम करके 104 लाख रुपये की राशि दी गई है ?

[अनुवाद]

**श्री एम० एम० जैकब :** भारत सरकार किसी भी राज्य को दी जाने वाली अनुदान राशि को जान बूझकर कम नहीं करती है। इसमें राज्य सरकार की भी भूमिका रहती है। राज्य सरकार को प्रस्ताव पेश करना पड़ता है कि वह कितना खर्च स्वयं वहन कर सकती है। दोनों को आधा-आधा खर्च वहन करना होता है। राज्य सरकार पचास प्रतिशत का प्रबन्ध करती है और भारत सरकार इसको शेष पचास प्रतिशत उपलब्ध कराती है। यदि राज्य वास्तव में और अधिक धन की मांग करते हैं तो हम उन्हें और अधिक धन दे पायेंगे।

**श्री उमा रेड्डी वेंकटेश्वरालु :** हमें प्रसन्नता है कि राज्यों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है। किन्तु चूंकि अब देश में काला धन हमारी मुद्रा पर हावी हो रहा है, इससे मुद्रास्फीति बढ़ रही है और इस देश में आधुनिक हथियार जैसे ए० के०—47 पुलिस बल पर हावी हो रहे हैं। क्या इस सरकार को इस का कुछ अनुमान है कि असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे गैर कानूनी हथियारों की शक्ति कितनी है ? जब तक हमारे पास कुछ अनुमान नहीं होगा हम उनसे लड़ने

**के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकते। वह अनुमान क्या है ? क्या हमारे पास ऐसा कुछ अनुमान है कि देश में उग्रवादियों और गैर-कानूनी बलों की संख्या कितनी है ?**

**श्री एम॰ एम॰ जैकब** : हमें इस सूचना के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहना होगा कि उग्रवादियों की संख्या कितनी है। यदि उनके पास इस की सूचना है तो हम वह एकत्र करने का प्रयत्न करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। देश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उसे चुस्त-दुरुस्त तथा प्रभावशाली बनाने के लिए क्या माननीय मंत्री जी भारतीय दण्ड संहिता में कोई परिवर्तन या संशोधन करने की सोच रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : छोटा सा क्वश्चन लेकिन गुड क्वशचन है।

[अनुवाद]

क्या आप भारतीय दण्ड संहिता को बदलने के बारे मे भी सोच रहे हैं ?

**श्री एम॰ एम॰ जैकब** : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सीमावर्ती राज्य है, उनको जो धन का बंटवारा किया जाता है, उसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश का जो बार्डर एरिया है, उसके लिए दो वर्ष पूर्व जब सरदार बूटा सिंह गृह मंत्री थे, गये थे और उन्होंने कहा था कि वे दो बटालियन हिमाचल प्रदेश के लिए देंगे और सारा खर्चा भारत सरकार देगी, तो हिमाचल प्रदेश जैसी बार्डर स्टेट के लिए जो पंजाब और जे॰ एण्ड के॰ के मिलिटेंट्स से घिरा हुआ है, को धन का प्रावधान कर रहे हैं या नहीं या पुलिस फोर्स बढ़ाने के लिए नये तरीके मुहैय्या करने का ख्याल है ?

[अनुवाद]

**श्री एम. एम. जैकब** : इन सभी सीमा राज्यों को अर्ध सैन्य बल, सीमा सुरक्षा बल, इत्यादि से भी सुरक्षा मिल रही है। इस प्रश्न का सम्बन्ध एक विशेष दिशा में पुलिस बल के आधुनिकीकरण से है। अभी जैसाकि मेरे वरिष्ठ साथी ने श्री राम नारायण बैरवा को अन्य राज्यों के सम्बन्ध में उत्तर दिया है वैसा ही हिमाचल प्रदेश के मामले में भी है और कुछ नया नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री रवि राय** : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इनका ध्यान उस वक्तव्य के प्रति गया है जहां डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि आर्मी को साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के लिए इस तरीके से जो हो रहा है, उसको नहीं करना चाहिये और उसके साथ साथ यह भी कहा कि जरूरी नहीं कि जब कोई जरूरत पड़े, आर्मी को नहीं बुलाया जायेगा लेकिन राज्य सरकार यदि बुलाने की जिम्मेदारी लेगी तो जो खर्चा होगा, उनसे वसूल किया जायेगा ? मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि इसलिए कि राज्य सरकार जिसको मंगा सकते हैं, वह तो फक्कड़ हैं, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है और ज्यादातर राज्य सरकारें फक्कड़ होती हैं ..(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि सांप्रदायिक दंगों को दबाने के लिए क्या...(व्यवधान)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : क्या यह संसदीय शब्द है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय : हां, हां, पूरा पार्लियामेंटरी है। फक्कड़ का मतलब होता है कड़का। आप तो हिन्दी के जानकार आदमी हैं। (व्यवधान) मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि पुलिस फोर्स बुलाई जाए लेकिन क्या गृह मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि जिस तरीके से एक राष्ट्रीय पुलिस फोर्स का वह गठन करना चाहते हैं वह दबाने के लिए काफी होगा, और दूसरे, कि जिस तरीके से डिफेन्स मिनिस्टर ने फरमाया है कि राज्य सरकारों से पैसा वसूल किया जाएगा इसलिए कि उन को आर्मी को बुलाना पड़े, इस बारे में मैं उनकी राय जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं माननीय रक्षा मन्त्री से पूर्ण रूप से सहमत हूं। सेना को बार-बार बुलाना ठीक नहीं है। किन्तु इससे यह सम्भावना समाप्त नहीं हो जाती कि सेना को कुछ क्षेत्रों में नहीं भेजा जा रहा है। ऐसा लगातार किया जा रहा है। जब सेना को बुलाया जाता है, तो उन्हें वह कार्य करना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, देश में नक्सल समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जितना हम कोशिश कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने की, उससे भी यह बढ़ती जा रही है और खासकर तीन स्टेट्स-आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां से गृह मंत्री जी आते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नक्सल की समस्या को और इफेक्टिव ढंग से रोकने के लिए क्या भारत सरकार के पास कोई स्कीम है ? वह इस बारे में क्या करने जा रही है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए तीन तारीख को मैंने चन्नमंड मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद हम इस बात का फैसला कर पाएंगे।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को इस की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के कई जिलों में नक्सलवादियों की हुकूमत चलती है न कि राज्य सरकार की। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन नक्सलवादियों को लिट्टे के लोगों और पंजाब के डाकुओं से आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, क्या सरकार राज्य सरकारों को अपने पुलिस बलों को नवीनतम हथियार उपलब्ध कराकर उनके आधुनिकीकरण के लिए मदद देगी जिससे आन्ध्र प्रदेश में इन नक्सलवादियों से सफलता पूर्वक निबटने के लिए उनका विश्वास बढ़े ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अधीन नहीं आयेगा। किन्तु जब हम पाते हैं कि उग्रवादियों के पास नवीनतम हथियार हैं जबकि पुलिस के पास पुराने हथियार हैं, तो हम उन्हें अवश्य आधुनिक हथियार उपलब्ध करायेंगे। हम जहां भी उग्रवाद देखेंगे और ऐसी स्थिति से निबटना है, तो हम उन्हें आधुनिक हथियार उपलब्ध कराएंगे।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष जी, यह जो रायट्स का मामला है जिस में पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है, सेना को इसलिए बुलाया जाता है कि लोगों को विश्वास होता है कि सेना जब आएगी तो निष्पक्ष रूप से काम करेगी और इसी निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए राज्य में बहुत सारी ऐसी फोर्सेज हैं जिनके संबंध में सीधा कहा जाता है कि वह एक धर्म विशेष से या कास्ट विशेष से जुड़ी रहती है। खासकर उत्तर प्रदेश में बार-बार यह चर्चा आती है। उस परिस्थिति में बार-बार सदन के भीतर और बाहर मांग की जाती है कि ऐन्टी कम्यूनल रॉयट्स फोर्स की स्थापना की जाए। भारत सरकार जब कभी राज्य सरकार को एड या पैसा देती है तब क्या इसके संबंध में भी सरकार विचार करती है और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि ऐसी फोर्स का निर्माण किया जाए जिसमें हर धर्म, हर जाति का प्रतिनिधित्व हो और जिससे कम्यूनल रॉयट्स के समय में कोई एकतरफा कार्रवाई नहीं की जा सके ?

**श्री एस० बी० चव्हाण** पहले तो जो इस किस्म की बटालियन्स रेज की जाती हैं वह किसी जाति के नाम पर अगर की जाती हैं तो वह बात ठीक नहीं है। सारी जाति के लोग उसके अन्दर आने चाहिए और इसमें कोई दो राय होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि एक जगह अगर उन्होंने विश्वास खो दिया है, इसके माने उस एरिया के अन्दर उनके ताल्लुकात पैदा हुए होंगे। उनको दूसरी तरफ भी हम भेज सकते हैं, दूसरी जगह की फोर्स वहां भेज सकते हैं। एक स्टेट से दूसरी जगह अगर फोर्स ऐक्सचैन्ज की जाए तो हो सकता है कि उस फोर्स से हम यह काम निभा सकेंगे, उसके लिए मिलिट्री बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगर सिचुएशन दूसरी फोर्स आने के बाद भी कन्ट्रोल नहीं हुई तो कलैक्टर को एक्ट के तहत अधिकार है कि वह जरूर बुला सकता है।

**श्री राम विलास पासवान** : मैंने पूछा था कि सरकार का विचार क्या एन्टी कम्यूनल फोर्सेज के गठन करने का है या नहीं।

**श्री एस० बी० चव्हाण** : मैंने तो उसका जवाब दिया है बिलअर कि दस सी० आर० पी० की बटालियनें इस काम के लिये हम रेज करने की कोशिश कर रहे है।

**प्रो० प्रेम धूमल** : मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब हम सीमा की बात करते हैं तो कुछ राज्यों की सीमाएं जहां दूसरे राज्यों से लगती हैं, वहीं कुछ राज्यों की सीमाएं दूसरे देशों के साथ भी लगती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है। तत्कालीन गृह मंत्री ने माननीय सुल्तानपुरी जी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि बी० एस० एफ० और फौज ऐसे स्टेटस का ध्यान रखेगी परन्तु प्रश्न इमदाद और जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली सीमा का है। माननीय बूटा सिंह जी ने अपने जवाब में आश्वासन दिया था कि दो बटालियनें हिमाचल प्रदेश में पुलिस की बनायी जायेंगी, जिसके लिये आवश्यक धन केन्द्रीय सरकार देगी, वह इसी कारण था...

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का रिप्लाई दिया जा चुका है।

**प्रो० प्रेम धूमल** : रिप्लाई कहां दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब भूतपूर्व मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था हिमाचल स्टेट के बारे में, क्या यह सरकार उसे पूरा करेगी और दो बटालियनें हिमाचल प्रदेश में, गठित करने के लिये आवश्यक धन देगी। मेरा सीधा सा प्रश्न है।

[हिन्दी]

**श्री एस० बी० चव्हाण** : मैं रिकार्ड को पूरा देखूंगा यदि गवर्नमेंट के पास इस बारे में कोई रिकार्ड होगा तो उसे देखने के बाद, अगर उसमें पौलिसी चेंजेज कन्टैम्प्लेट रहे होंगे, तो उसके बारे

में फिर से कोई पौलिसी डिसीजन में तबदीली लाने की जरूरत होगी तो सोचना पड़ेगा ।

[अनुवाद]

**श्री चन्द्रजीत यादव :** मैं सोचता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने से अभिप्राय केवल नवीनतम आधुनिक हथियार तथा उपकरण ही नहीं है । बल्कि उनका दृष्टिकोण भी आधुनिक होना चाहिए । विशेष रूप से जबकि साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हो रही हो तब अक्सर हमें इस प्रकार की शिकायत मिलती है कि हर एक मामले में तो नहीं परन्तु अधिकतर मामलों में पुलिस भी उसी का एक हिस्सा होता है । इसको ध्यान में रखते हुए नयी नीति बनाते समय क्या केन्द्रीय सरकार समय-समय पर पुलिस की नियुक्ति करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित कोई शैक्षिक नीति के लिए एक आम दृष्टिकोण अपनायेगी ताकि पुलिस एक कारगर धर्मनिरपेक्ष बल की भूमिका निभा सके ?

**श्री एस० बी० चव्हाण :** यह एक बहुत ही विस्तृत प्रश्न है जो कि विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित है। परन्तु इसी के साथ-साथ जब इन बलों को साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है तब उस स्थिति में केवल हथियारों का आधुनिकीकरण करना ही पर्याप्त नहीं है । इससे भी अधिक परिवर्तन किये जाने चाहिये । उन्हें संचार सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिये । इसी के साथ-साथ उन्हें उनकी सेवा के दौरान एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जबकि सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि इसके लिए एक नये प्रकार के दृष्टिकोण को उसे अपनाना होगा ।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :** माननीय श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा पूछे गये प्रश्न की शृंखला में ही मैं भी यह कहना चाहूंगी कि साम्प्रदायिक दंगों तथा अन्य हिंसात्मक घटनाओं के दौरान जब राज्य की पुलिस के खिलाफ कुछ विशिष्ट आरोप लगाये जाते हैं तब उनको देखकर ऐसा लगता है कि कानून की व्यवस्था की रक्षा करने वाले कानून ही अपने हाथों में ले रहे है। अतः मेरे विचार से आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ पुलिस की सोच-समझ को भी आधुनिक बनाया जाये । भागलपुर मलियाना तथा अभी हाल में पीलीभीत तथा त्रिपुरा की घटनाएं ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस के खिलाफ ऐसे आरोप लगाये गये हैं तथा जिनमें कि पुलिस बल का प्रयोग अपने राजनैतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए किया गया है। इन सभी मामलों में पुलिस बल द्वारा एक दूसरा नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसा कोई कार्यक्रम बनाने की सोच रही है जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा ऐसे आरोपों की तुरन्त छानबीन की जाए तथा कार्रवाई की जाये ।

**श्री एस० बी० चव्हाण :** महोदय, मैंने श्री चन्द्रजीत यादव के प्रश्न का उत्तर दे दिया है तथा माननीय महिला सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का भी वही उत्तर होगा । निश्चित रूप से इसमें कोई सन्देह नहीं है परन्तु जब आप अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण दें, उस समय इस पूर्ण समस्या का समाधान निकालने का तरीका एक ऐसा विषय है जो कि वास्तव में उन्हें सिखाना पड़ेगा ।

## बिहार की सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

*247. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ी बिहार की बड़ी और माध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) ये परियोजनायें कब से लंबित पड़ी हैं;

(ग) क्या बिहार के नालन्दा जिले में फाल्गु नदी के दोनों तरफ तटबंधों के निर्माण की भी कोई योजना केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तटबंधों की मरम्मत के लिए लगभग 23 लाख रुपए की लागत की यह स्कीम राज्य के राहत विभाग की स्कीम है।

**विवरण**

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (क) | बृहद स्कीमें | |
| I | तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया—राज्य सरकार द्वारा इसकी टिप्पणियों की अनुपालना के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया तथा स्वीकार्य पाया गया ; | |
| 1. | पुनासी जलाशय स्कीम | 10/89 |
| 2. | सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनी परियोजना | 7/89 |
| 3. | सिकितया बराज परियोजना | 1/88 |
| 4. | कोसी बराज की मरम्मत | 2/86 |
| 5. | सोन नहर आधुनिकीकरण | 8/83 |
| 6. | उत्तरी कोईल जलाशय परियोजना | 3/86 |
| II | तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है। परामर्शदात्री समिति ने अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल न किए जाने के कारण विचार आस्थगित कर दिया है ; | |
| 1. | कोनार सिंचाई | 77/1<br>——————<br>8/89 (अद्यतन अनुमान) |
| 2. | तिलैया धाधर | 10/74 |
| III | तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है ; | |
| 1. | सुखसेनाघाट पम्प नहर | 11/89 |
| 2. | कोसी परियोजना सोपान—II | 2/88 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | मंडक परियोजना सोपान—II | 1/88 |
| 4. | जमानिया पम्प नहर | 11/90 |
| 5. | बुरहई जलाशय | 10/90 |
| (ख) मध्यम स्कीमें | | |

I तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया—राज्य सरकार द्वारा इसकी टिप्पणियों की अनुपालना के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार की गयी तथा स्वीकार्य पायी गयी ;

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सलैया जलाशय स्कीम | 8/83 |
| 2. | रामरेखा जलाशय स्कीम | 8/88 |
| 3. | धनसिंह टोली जलाशय स्कीम | 8/88 |
| 4. | सतपोतवा जलाशय स्कीम | 8/88 |
| 5. | कात्री जलाशय स्कीम | 8/88 |
| 6. | कुन्दघाट जलाशय स्कीम | 11/82 |
| 7. | केसो जलाशय स्कीम | 8/88 |
| 8. | भैरवा जलाशय स्कीम | 8/88 |
| 9. | पंचखेरो जलाशय स्कीम | 5/87 |

II तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है ;

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सुआली जलाशय स्कीम | 2/89 |
| 2. | अमानत जलाशय स्कीम | 3/90 |
| 3. | सरजामहाटू जलाशय स्कीम | 9/88 |
| 4. | गोरखो जलाशय स्कीम | 9/88 |
| 5. | बरारी पम्प नहर | 12/90 |

**श्री विजय कुमार यादव** : अध्यक्ष महोदय, बिहार सिंचाई के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है और आल इण्डिया एवरेज सिंचाई का जो है, उसमें भी बिहार राज्य का सबसे नीचे स्थान है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कुल सिंचाई की लम्बित योजनाएं उन्होंने 27 बताई हैं और इन 27 योजनाओं में से एक योजना पुनासी जलाशय स्कीम है जो 1971 से लम्बित है और दूसरी सिकंया घाघरा 1974 से लम्बित है। इनके लम्बित होने का कारण बताया गया है कि कुछ अन्तर्राज्यीय मुद्दों को लेकर और कुछ राज्य सरकार को जो परामर्शदात्री समिति ने टिप्पणी दी हैं, उनके अनुपालन न होने की वजह है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र की ओर से पुनासी जलाशय स्कीम के लिए जो सवाल अन्तर्राज्यीय आते हैं, उनके हल के लिए क्या कार्रवाई की गई और दूसरा

सवाल यह है कि राज्य सरकार की ओर जो सुझाव भेजे गए और टिप्पणियां भेजी गई हैं, वे क्या हैं और केन्द्र सरकार की ओर से क्या कोशिश की गई है ताकि वे टिप्पणियां राज्य सरकार की ओर से अविलम्ब भेजी जा सकें।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिन अन्तर्राज्यीय समस्यों के बारे में कहा है, मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हू कि बहुत सी बैठकें आयोजित की गई जिनमें कि दोनों राज्यों से सम्बन्धित अधिकारी और इन्जीनियर सम्मिलित हुए। सर, यह दुख की बात है कि अभी तक समझौता नहीं हो सका है। हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है उनमें जब तक संबंधित राज्यों की तरफ से कोई बहुत विस्तृत समझदारी का एक दृष्टिकोण न अपनाया जाए, तब तक इन बहुत जटिल मामलों में समझौता नहीं हो पाता हैं। एक कारण अध्यक्ष महोदय यह भी है कि इस तरह की योजनाओं में समझौता करने का कभी-कभी राजनीतिक रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक रूप से चूंकि विपरीत प्रभाव होता है इसलिए भी समझौता नहीं हो पाता है। इसीलिए इतने दिनों से योजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं। हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है कि इन योजनाओं को बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि हम लोगों की तरफ से कौन सी ऐसी बातें कही गई हैं जिनका कि उत्तर राज्य सरकारों ने नहीं दिया है। जिसमें अधिकतर जो प्रश्न हैं, वे वित्तीय मामलों से सम्बन्धित हैं इनके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। वे उपलब्ध न होने के कारण ये योजनाएं लम्बित पड़ी हैं।

**श्री विजयकुमार यादव** : अध्यक्ष महोदय टैक्नीकल बात की जो चर्चा हुई है उसके जवाब में यह है कि तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है, बहरहाल उन्होंने जवाब दिया है। मैं दूसरा सप्लीमेन्ट्री यह कहना चाहता हू कि जो नालन्दा जिले की फाल्गु नदी के बारे में चर्चा की गई है, इसमें यह जवाब दिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन यह स्कीम है और 23 लाख रुपए लागत का अनुमान राज्य सरकार ने लगाया है। चूंकि यह हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है मैं ऐसा समझता हू कि इसमें 23 लाख नहीं बल्कि करोड़ रुपए से ऊपर लगेगा दोनों तरफ तटबन्ध को ठीक करने में। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार की ओर से टीम भेज करके, चूंकि यह कई अंचलों को प्रभावित करती है और पूरे अन्तर जिले को प्रभावित करती है, सरकार इसका तखमीना लगाएगी। अगर वह राज्य सरकार के मातहत स्कीम दी जा सकती है तो राज्य सरकार की जो स्थिति है उससे पूरा होने वाला नहीं है, क्या सरकार उसके बाद इस पर चर्चा करेगी और केन्द्र सरकार इसको अपने हाथ में लेकर पूरा करेगी ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : फल्गु नदी के बारे में जो प्रश्न माननीय सदस्य से पूछा है, बिहार सरकार ने स्वयं इसकी लागत के जो आंकड़े भेजे है उनसे यह स्पष्ट है कि 23 लाख रुपए उसमें लगेगा। वर्तमान नीति के अनुसार जब 60 लाख से ऊपर लागत होती हैं तो केन्द्र सरकार उसे देखती है और 60 लाख से नीचे लागत होती है तो राज्य सरकार देखती है। चूंकि माननीय सदस्य चाहते हैं इसलिए मैं केन्द्र की तरफ से टीम भेजकर जरूर जांच करवा लूंगा जिससे कि इस काम को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

**श्री छेदी पासवान** : अध्यक्ष महोदय, यह शताब्दी पुरानी सोन नहर प्रणाली मध्य बिहार के करीब छः जिलों में 23 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करती है और एक करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका इस पर निर्भर है। पर यह एक सुनिश्चित मरम्मत के अभाव में दम तोड़ रही हैं। इसके अलावा सोन नहर की पर्याप्त जल नियन्त्रित व्यवस्था हेतु सोन नदी की मुख्य धारा बिहार के पलामु

जिला गड़ोह नामक स्थान पर एक जलाशय योजना 1983 से लम्बित पड़ी हुई है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को शामिल करके इसे अधिक राशि देने की व्यवस्था करें, साथ-साथ सोन आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा और इसके बारे में लागत का जो अनुमान लगाया गया था वह पुराना हो चुका है। हमने राज्य सरकार के पास योजना भेजी है कि इसकी लागत का वर्तमान अनुमान लगाकर भेजे जिससे काम पूरा किया जा सके। यह अनुमान बिहार सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही अनुमान प्राप्त होगा उसके बारे में आगे कार्यवाही की जाएगी।

**श्री कड़िया मुण्डा :** सुवर्ण रेखा परियोजना बिहार में बहुत दिनों से लम्बित पड़ी हुई है। यह परियोजना 1978 में आरम्भ हुई थी। आज उसका काम आधा भी नहीं हुआ है। सुना है उसमें काफी घपले हुए हैं और इस घपले के कारण विश्व बैंक उसमें जो मदद देती थी वह बन्द कर दी है। क्या मंत्री जी को इसके संबंध में जानकारी है। यदि मदद बन्द है तो उस संबंध मे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं और यदि बन्द नहीं है तो यह काम कब तक पूरा किया जाएगा ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** यह सुवर्ण रेखा मल्टी-परपस प्रोजेक्ट का काम हम लोगों के पास बिहार सरकार ने भेजा था और जो इसकी परामर्शदात्री समिति है सैन्ट्रल वाटर कमीशन, उन्होंने इसके बारे में कुछ ऐसे सुझाव रखे जिसमें बिहार सरकार को अपनी राय देनी थी। वह राय हमको और प्लानिंग कमीशन को जुलाई 1989 में मिली। उसके बाद जो सेन्ट्रल वाटर कमीशन है उसने इसके बारे में इस योजना को पूरा करने के लिए कार्यवाही शुरू की। उसके बाद जो हम लोगों ने कुछ और अतिरिक्त सूचना राज्य सरकार से मांगी थी, दिसम्बर 1989 में जिसके जवाब के बिना इस योजना को पूरा नही किया जा सकता है। यह जवाब हमको अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही जवाब मिल जाएगा उसके बाद फिर पर्यावरण और जंगल विभाग की अनुमति लेनी होगी। वह हमें मिल जाएगी और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा।

**कोसी, कमला और बागमती नदियों पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं**

***248. श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बराक क्षेत्र, शीशापानी और नूनथेर में क्रमश: कोसी, कमला और बागमती नदियों पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी और उनकी बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा बिजली उत्पादन की क्षमताओं का ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** नेपाल में स्थित परियोजनाओं के ब्यौरे अभी तक हल नहीं हुए हैं।

**श्री भोगेन्द्र झा :** अध्यक्ष महोदय, इस तरह के जवाब की आशा मैं किसी केन्द्रीय मंत्री से नहीं कर सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 1981 में भारत सरकार की ओर से बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के बारे में प्रतिवेदन नेपाल सरकार को भेजा गया था ? क्या इस परियोजना के बारे में 1988 में सात साल बाद सचिव स्तर पर वार्ता हुई और वैसे ही कमला के लिए, शीशापानी परियोजना के लिए बहुत पहले एक प्रतिवेदन तैयार किया गया था। क्या बागमती नदी पर भारत सरकार ने रामनगर में परियोजना बनाने का जो प्रयास किया उसके बदले में खुद सामने आकर नेपाल

ने उसे अपने यहां राजमार्ग में कर लिया है जिसके चलते हमारी परियोजना बेकार हो जाएगी और नेपाल को पूरा फायदा नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह का जवाब जिससे हम दोनों मित्र देशों के सहोदर देशों के बीच में रिश्ते में कटुता आती है और दोनों देशों के जन-धन की बरबादी होती है··· (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप प्रश्न पर आइए।

**श्री भोगेन्द्र झा** : जवाब तो आपने सुना ही है कि कुछ नहीं है। मैं सारी बात इनके दिमाग में देना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा नहीं।

**श्री भोगेन्द्र झा** : आपको तो मालूम हो गया है कि स्पष्ट परियोजनाओं के बारे में अभी क्या स्थिति है ? आप राजनीतिक स्तर पर कोई वार्ता की पहल करने जा रहे है या नहीं ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : अध्यक्ष जी, जो मैंने सूचना दी है वह बिल्कुल सही है। हम लोग बहुत दिनों से इस बात का प्रयास कर रहे है कि नेपाल की समस्त नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश में आती हैं, उन पर किसी प्रकार का समझौता हो सके। 1962 के पहले दो समझौते हुए थ, वे लागू हैं और चल रहे हैं। इसके बाद जिन समझौतों के बारे में प्रयास किया गया कोई न कोई उसमे अड़चने आती रहीं। कभी तकनीकी अड़चन आई, कभी राजनैतिक अड़चन आई। 1977-78 में हमारे प्रधान मंत्री जी नेपाल गए। उससे कुछ प्रगति हुई। उसके बाद जब भी कोई राजनीतिक नेतागण या वे नेपाल से भारतवर्ष में आए या भारतवर्ष से नेपाल गए, कुछ न कुछ प्रगति हुई। लेकिन यह प्रगति हमेशा कोई न कोई मामले को लेकर अटक गई जिसका वास्तविकताओं से कोई विशेष संबंध नहीं हैं। मुझे लगता हैं कि इस प्रकार की इसमें कोई बाधा डाली जा रही है जिससे कि हिन्दुस्तान और नेपाल दोनों का नुकसान हो। यह बात कई बार समझाई गयी। कई कमीशन, सब-कमीशन बैठाए गए जो कि भोगेन्द्र जी को भी मालूम है। इनकी मीटिंग 1980 से 1988 तक प्रति वर्ष होती रही। उसके बावजूद भी इन सब परियोजनाओं पर एक खास बात जो कि सब माननीय सदस्यों को जाननी चाहिए वह यह है कि इन पर जो बांध बनने वाले है वे सब नेपाल की भूमि में बनने हैं, भारतवर्ष की भूमि पर बांध बनने की कोई जगह नहीं है। नदियां सब नेपाल से निकलती है इसलिए उनकी सहमति के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। जहां कहीं थोड़ा बहुत भाग भारतवर्ष या थोड़ा नेपाल का होता है वहां उनकी सहमति आवश्यक होती है क्योंकि यह बहुत नाजुक मामला है। मैं बहुत विस्तार से इसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं कि क्या-क्या कठिनाइयां है। माननीय सदस्य जानते हैं कि भारतवर्ष की तरफ से बहुत अधिक प्रयास किए गए। शायद अधिक आतुरता भारतवर्ष की तरफ से दिखायी गई उसमें लगता है कि नेपाल के लोगों या वहां के राजनीतिज्ञों को यह लगने लगा कि इसमें कुछ भारत का हित ज्यादा है और नेपाल का हित कम है। इस तरह की जो गलत भावनाएं वहां बढ़ती जा रही हैं उनमें सुधार कर इन परियोजनाओं में प्रगति लायी जा सकती है।

**श्री भोगेन्द्र झा** : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी मजबूरी भी है, सदस्यों की भी है लेकिन आपकी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न यह था कि जो परियोजनाएं (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप प्रश्न पूछिए, कमेंट्री नहीं करनी है।

**श्री भोगेन्द्र झा** : अध्यक्ष जी, प्रश्न आपके सामने भी है कि अनुमानित उसमें खर्चा क्या है ? और बाढ़ नियंत्रण सह-सिंचाई, सह-विद्युत उत्पादन की जो परियोजना है, उससे कितना लाभ होने

बाला है ? उसको आप छोड़कर आ रहे हैं। मेरा जो पहला प्रश्न था उसमें मैं इस बात को जानना चाह रहा हूं कि नेपाल की शिकायत में कुछ तथ्य है या नहीं ? मसलन कमला के लिए मुरबैया तक तटबन्ध बांधा है, क्या गुप्त आदेश देकर अधिकारियों को इसको बन्द कर दिया गया, ऐसी खबर नेपाल में है। उससे नेपाल को भी नुकसान होता है और वह पानी हमारे माथे पर भी आता है लेकिन गुप्त आदेश देकर उनको रोक दिया गया। अध्यक्ष जी, नेपाल की शिकायत निराधार नहीं है, साधार है। इसलिए मैं कहता हूं, राजनैतिक स्तर पर वार्ता हो, उदाहरण देने का तो अभी आप समय नहीं देंगे, सदन का भी समय जाएगा, नेपाल की शिकायत में चाहे जो तथ्य भी हो, उसका मैं साक्षी हूं, कहिए तो मैं उदाहरण दूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : अब यह भाषण हो रहा है।

**श्री भोगेन्द्र झा** : तो मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक स्तर पर वार्ता करने जा रहे हैं या नहीं ? दूसरा जो मैंने कहा, लागत और लाभदायक जो चीजें है, इससे कितना लाभ होगा, विद्युत में, बाढ़ नियन्त्रण में और सिंचाई में, जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर दें।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : अध्यक्ष जी, जब तक इसके विभिन्न पहलुओं पर समझौता नहीं हो कि वहां पर कितना पानी कौन लेगा, कितनी बिजली कौन लेगा, कितनी जमीन लगेगी, कितनी जमीन नहीं लगेगी, यह सब जो मूल तथ्य हैं, जब इसके बारे में समझौता होगा तभी हम लागत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं ··(**व्यवधान**)···जब तक मूल तथ्यों के ऊपर हम लोगों का विभेद है, आंकड़ों का विभेद है, हम लोगों की एप्रोच में भी विभेद है, दोनों देशों के बारे में तो जिन आधारों पर हम अनुमान लगाते हैं, लागत का और फायदे का, जब उस मूल आधार पर ही विभेद है और हम लोगों का समझौता नहीं हो पा रहा है, हम एक तरह की बात कहते हैं, वह दूसरी तरह की बात कहते हैं तो इसके फायदे नुकसान का आंकड़ा हम नहीं ले सकते जब तक कि मूल बातों पर, टैक्नीकल बातों पर और दूसरी जो बातें हैं, उनके ऊपर एग्रीमेंट न हो जाय।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि कोई गुप्त आदेश देने की बात है तो इस तरह का कोई गुप्त आदेश हम लोगों की तरफ से नहीं दिया गया है। जो कुछ किया गया है, पूरी तरह से दोनों पक्षों की जानकारी के तहत किया गया है।

तीसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूं। तीसरा प्रश्न आपका है कि इसका राजनैतिक स्तर पर हल करने का प्रयास किया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक स्तर पर इसको हल करने के प्रयास जारी हैं।

**श्री सूर्यनारायण यादव** : अध्यक्ष महोदय, हम लोग नेपाल बोर्डर पर ही नहीं पड़ते हैं बल्कि नेपाल में बीरपुर और मड़ौना, निर्मली जाते हैं, सहरसा से तो हमको नेपाल होकर जाना पड़ता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, क्या भारत और नेपाल सरकार के बीच वार्ता हुई थी और उसमें भारत सरकार से नेपाल सरकार ने साफ शब्दों में यह कहा था कि बिजली के उत्पादन का जो लागत मूल्य होगा, वह भारत सरकार हमें दे दे तो हम बांध बनाने के लिए तैयार हैं।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : नेपाल की तरफ से कई बातें कही गई। बाद में उन बातों को कहने के बाद और उन समस्याओं पर अपना प्रस्ताव देने के बाद उन्होंने प्रस्ताव बदल दिए। मैं इस बात की जांच करूंगा, जो माननीय सदस्य ने कही है कि इस दृष्टांत में ऐसी कोई बात हुई है। यदि उनके साथ इसमें हमारा समझौता हो सकता है तो इसको हम तत्काल लागू करने का प्रयास करेंगे।

## जलपाइगुड़ी में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

*249. श्री जीतेन्द्र नाथ दास :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में जलपाइगुड़ी नगर में लगे हस्तचालित टेली-फोन एक्सचेंज के स्थान पर वर्ष 1991 के अन्त तक आई. एल. टी. 2048 स्वदेशी उपकरणों से युक्त आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह एक्सचेंज कब से चालु हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) जलपाइगुड़ी स्थित हस्त-प्रचालित एक्सचेंज को 1991-92 के दौरान आई एल टी-.048 के देशी उपस्कर लगाकर आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की योजना है ।

(ख) एक्सचेंज भवन का निर्माण किया जा चुका है । बाह्य संयंत्र का उन्नयन किया जा रहा है । उपस्कर की सप्लाई सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) के अनुसार ।

श्री जितेन्द्र नाथ दास : माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से मैं सन्तुष्ट हूं । यह आशा करते हुए कि माननीय मंत्री जी अपना वादा निभायेंगे, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में इस प्रकार की और भी योजनायें हैं तथा यदि हैं तो उनके बारे में विस्तार से जानकारी दें ।

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, देश में दूर-संचार प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक योजना है । हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक योजना बनाई है तथा हम यह पता लगायेंगे कि हम इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की सहायता से अथवा उस स्थान पर जो भी आधुनिक उपकरण आवश्यक हो उसकी सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं ।

श्री जितेन्द्र नाथ दास : अब मैं अपना अलग प्रश्न पूछ रहा हूं । यह पाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधे घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था का शुल्क भी कई टेलीफोन नम्बरों में लगा दिया जाता है । मेरे पास मेरा अपना रिकार्ड है । क्या इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यहां पर मैं यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली में दो-तीन माह के दौरान टेलीफोन नम्बर 3782514 में 20,000-20,000 काल रिकार्ड की गई हैं । कार्यालय को इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है । यह एक हास्यास्पद बात है क्योंकि इस दो-तीन माह की अवधि के दौरान रिसीवर को ताले में बन्द करके रखा गया था । अतएव मैं मन्त्री जी से इस बारे में स्पष्ट करने का अनुरोध करुंगा ।

श्री राजेश पायलट : विभिन्न मंचों पर ऐसी समस्याओं को उठाया गया है । इस समस्या के कारण मुझे बताया गया है कि टेलीफोन बिल में बढ़ा-चढ़ाकर कालें रिकार्ड करके बिल भेजा जा रहा

है। हम इन सब बातों की पुनरीक्षा कर रहे हैं ताकि यह पता लग सके कि क्या हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं जहां कहीं भी हमें यह समस्या नजर आए। हमने यह कार्य अपने तकनीशियनों तथा तकनीकी व्यक्तियों को सौंपा है। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं।

## सोपस्टोन और बाक्साइट के लिए खनन पट्टे

*250. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में किन-किन कम्पनियों के पास सोपस्टोन और बाक्साइट के खनन पट्टे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार खनन पट्टे प्रदान करने की नीति की निकट भविष्य में समीक्षा करने का है ?

[हिन्दी]

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खनन पट्टों का अनुदान व्यक्तियों, साझेदार फर्मों और कम्पनियों को किया जाता है। 1.1.1990 को, देश में सोपस्टोन के लिए खनन पट्टा-धारकों की संख्या 648 और बाक्साइट के लिए 381 थी।

(ख) जी नहीं।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न "ख" भाग के संबंध में मन्त्री महोदय द्वारा कहा गया है—"नहीं"। इनको शायद यह पता नहीं है कि जो माइन्स मिनरल्स होते हैं, जंगलों में होते हैं। ये ठेकेदार जंगल काटकर माइनिंग करते हैं, दोहन करते हैं। नतीजा यह होता है कि पर्यावरण और वन की दृष्टि से उस इलाके में काफी क्षति होती है। इससे हवा और बारिश पर भी असर पड़ता है। इन्होंने कहा है कि हम कोई नीति परिवर्तन नहीं करेंगे, इनको शायद यह जानकारी नहीं है कि जिस क्षेत्र में सोपस्टोन होता है…

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए।

श्री कड़िया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने "नहीं" सीधे बोल दिया। इनको जानकारी होनी चाहिए कि माइनिंग करने वाले मिट्टी छोड़ देते हैं और जब ऊपर से पानी आता है तो वह खेतों में भर जाता है। यह कई दृष्टिकोण से बहुत खराब हो रहा है। मैं चाहूंगा, इस दृष्टिकोण से पर्यावरण और वन की दृष्टि से क्या नीति में परिवर्तन करके उन ठेकेदारों को, चाहे इसमें सरकारी एजेंसियां भी काम करती हैं, जंगल और पर्यावरण को देखते हुए कोई नई योजना बनाकर उसको लागू करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जो खनन एक्ट है, उसके अनुसार खनन पट्टे दिए जाते हैं। इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है, न ऐसी आवश्यकता समझी गई है कि इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है। जहां तक माननीय सदस्य का सुझाव है, उनकी शिकायतें हैं, अगर वे स्पैसिफिक तरीके से कुछ जानकारी करायें कि फलां क्षेत्र में खनन अनियमित हो रहा है, तो मैं उसकी जांच कर सकता हूं और कार्यवाही कर सकता हूं।

श्री कड़िया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, बाक्साइट का थोड़ा इलाका है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और

बिहार में हैं, चाहें तो इन तीन प्रांतों के माइनिंग डिपार्टमेंट से जांच करा सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री जी को यह पता है कि बहुत से बाक्साइट और सोपस्टोन के खदान को चोरी करके, इललिगल माइनिंग करके लोगों को बेच रहे हैं। क्या इस सम्बन्ध में मन्त्री जी को कोई जानकारी हैं और अगर जानकारी है तो क्या इसकी इन्क्वायरी करवाएंगे ?

**श्री बलराम सिंह यादव** : मान्यवर, हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि माननीय सदस्य को अगर इस संबंध में कोई जानकारी है, कोई स्पेसिफिक इनफोरमेशन वे देते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी भी कराई जा सकती है और उसके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है।

[अनुवाद]

**श्री ए० चार्ल्स** : अवैध खनन की समस्या न केवल वन क्षेत्रों में बल्कि लगभग हर क्षेत्र में है। त्रिवेन्द्रम में अरवीकरा जो कि त्रिवेन्द्रम से दस कि० मी० दूर है वहां पर बाहुध अवैध खनन की शिकायतें मिलती है तथा वहां से बहुमूल्य रत्नों की खुदाई करके निकाल लिया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कम से कम त्रिवेन्द्रम में इस बारे में उचित अध्ययन किया जायेगा ताकि इस भण्डार का पता लग सके तथा इस अवैध खनन को रोकने के लिए कदम भी उठाए जाएं।

[हिन्दी]

**श्री बलराम सिंह यादव** : मान्यवर, ये जो स्टोन्स हैं वह माइनर माइनिंग में आते हैं और यह सबजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का हैं। लेकिन मान्यवर माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि ऐसा देखा गया है हर स्टेट में अपने अलग-अलग नियम इन्होंने बना रखे हैं। यूनिफारमिटी नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है और इस पर विचार करके कोशिश की जा रही है और इस एक्ट में परिवर्तन लाया जाए, कुछ चेंजिस लाई जाएं और इस दिशा में कुछ आवश्यक कार्यवाही की जाए।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : मान्यवर, आपने जो खनन पट्टे इशू किए हैं ये अधिकतम कितनी भूमि पर हैं और कम से कम कितनी भूमि पर खनन पट्टे दे रखे हैं। क्या यह सही है कि अनेक लोगों को मीलों में खनन पट्टे इशू किए गए है और कुछ गरीब तबके के व्यक्तियों को स्कवेयर फुट में पट्टे इशू किए गए हैं ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप अपने नियमों में बदल करके खनन पट्टों की एक निश्चित सीमा निर्धारित करेंगे, जिससे समान स्तर पर खनन पट्टे मिल सकें।

**श्री बलराम सिंह यादव** : श्रीमान्, जहां तक खनन का प्रश्न है, ये जो मेजर माइन्स हैं इनके लिए पट्टे भारत सरकार देती है और जो माइनर माइन्स हैं, इसके लिए पट्टे स्टेट गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये पट्टे देती है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का जो वन अधिनियम है, वे जंगलों पर है, जो वन विभाग के अन्दर पत्थर की खदानें हैं और जिस पर यह कहना चाहिए कि पेड़ पौधे लग नहीं सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चोरी से खदानों से इस प्रकार से पत्थर निकाला जाता है, चोरी से बाजार में बेचा जाता है। यह प्रश्न राज्य सरकार का नहीं है, यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार का है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे अधिनियम में आप संशोधन करेंगे जहां वन विभाग के अन्दर पेड़-पौधे नहीं लग सकते हैं और वहां के पत्थरों को पट्टे या लीज में देने की व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** इसका जवाब हो चुका है।

**श्री छेदी पासवान :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक इन्फोरमेशन के तौर पर बताना चाहता हूं कि 1988 में केन्द्रीय सरकार ने एक जांच समिति बिहार के रोहतास जिला स्थित अधोरा, जो केमर पहाड़ के अन्तर्गत आता है। उसमें पर्याप्त मात्रा में कोयला और बाक्साइट खान के अन्दर होने की सम्भावना है और उसके लिए केन्द्रीय सरकार ने एक जांच समिति भी भेजी थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जांच समिति ने अब तक कौन सी रिपोर्ट आपको दी है ?

**श्री बलराम सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य की सूचना को आधार मानकर इसकी जानकारी मैं करवाऊंगा और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जाएगी।

[अनुवाद]

**श्री रामकृष्ण कोनाथाला :** महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1970 में भारतीय भू-सर्वेक्षण (विभाग) तथा आन्ध्र प्रदेश खनन निगम ने आन्ध्र प्रदेश में बाक्साइट के भण्डार होने का पता लगाया है जिसकी मात्रा 800 करोड़ टन तक है।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि आप उत्तर चाहते हैं तो आपको अपनी बात संक्षेप में कहनी होगी।

**श्री रामकृष्ण कोनाथाला :** भारत-सोवियत संयुक्त आयोग ने भी इसका दावा किया है। वे वहां पर एक परियोजना आरम्भ करना चाहते थे। परन्तु अज्ञात कारणों से इसमें विलम्ब किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से विलम्ब का कारण जानना चाहूंगा तथा यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वे निजी क्षेत्र में इस परियोजना को शुरू करने के बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री बलराम सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं जानकारी करके माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

———

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

**बांध और सिंचाई परियोजनाएं**

*251. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बांधों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण संबंधी कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, बांदा और हमीरपुर जिलों से सम्बन्धित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्र के पास परियोजनाओं की स्थिति

| निवेश स्वीकृति का स्तर | नई परियोजनाओं की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | वृहद बहुप्रयोजनी | मध्यम | जोड़ |
| 1. तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना के सम्यकीय सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया है। | 44 | 39 | 83 |
| 2. सलाहकार समिति के विचार हेतु तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है। | 11 | 3 | 14 |
| 3. केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। | 50 | 30 | 80 |
| कुल | 105 | 72 | 177 |

उपर्युक्त में से 2 वृहद तथा एक मध्यम सिंचाई परियोजनाएं झांसी, ललितपुर बांदा तथा हमीरपुर जिलों से सम्बन्धित हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा इस विवरण के अनुबन्ध में दिया गया है।

अनुबन्ध

उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, बांदा तथा हमीरपुर जिलों के सम्बन्ध में सिंचाई प्रस्तावों की स्थिति जो 30.6.1991 को केन्द्र में मूल्यांकनाधीन है।

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | लाभान्वित जिले | अनुमानित लागत करोड़ रु० में (वर्ष) | लाभ हजार हेक्टेयर में | केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख | मूल्यांकन की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (क) वृहद स्कीमें | | | | | | |
| 1. | राजघाट नहर | झांसी ललितपुर जालौन हमीरपुर | 78.28 (87) | 109.05 कुल | 9/88 | राज्य सरकार द्वारा सिंचाई आयोजना, लागत, निर्माण, मशीनरी, नहर अभिकल्प, संयुक्त प्रयोग पर टिप्पणियों की अनुपालना की जानी है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | मोवाहा बांध | हमीरपुर | 66.82 (89) | 27.70 | 3/90 | परामर्शदात्री समिति ने 2675.40 लाख रुपये के वास्ते 21.11.79 को अपनी बैठक में विचार किया तथा कुछ टिप्पणियों के अध्यधीन स्वीकार्य पाया। परियोजना 3/89 को राज्य सरकार को लौटा दी गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने के. ज. आ. को तकनीकी परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की अनुपालना तथा अद्यतन अनुमान मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए थे। अद्यतन अनुमान 3/90 में प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार द्वारा सिंचाई पहलुओं पर टिप्पणियों की अनुपालना की जानी है। परियोजना को पर्यावरण तथा वन दृष्टि से भी निर्बाधित किया जाना है। |
| (ख) मध्यम स्कीमें | | | | | | |
| 1. | पथराई | झांसी | 12.54 | 2.80 | 12/90 | तकनीकी आर्थिक विचार-विमर्श पूरा हो गया है तथा परियोजना परामर्शदात्री समिति के विचार हेतु तैयार हैं। |

## दिल्ली में परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखने सम्बन्धी समारोह

[अनुवाद]

*252. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1990 से मई, 1991 के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में किन-किन परियोजनाओं की आधारशिला रखने सम्बन्धी समारोह आयोजित किए गए;

(ख) ये समारोह किस-किस तिथि को और किसके द्वारा आयोजित किए गए और प्रत्येक परियोजना पर कितनी अनुमानित लागत आई;

(ग) क्या प्रत्येक समारोह के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से वित्तीय स्वीकृति तथा अनापत्ति ले ली गई थी : यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में नवम्बर, 1990 से मई, 1991 तक की अवधि के दौरान परियोजनाओं की आधारशिला रखने संबंधी दस समारोह आयोजित किए गए। इस संबंध में ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

1. (ख)

विवरण

| | उन परियोजनाओं के नाम जिनके लिए आधार शिलाएं रखने संबंधी समारोह आयोजित किए गए | आधार शिलाएं रखने की तारीख | उन व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आधार शिला रखी। | परियोजना की अनुमानित लागत | परियोजनाओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय अनुमोदन और स्वीकृति | परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | रघुवीर नगर दिल्ली में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण। | 29.1.1991 | श्री मार्कन्डे सिंह उपराज्यपाल, दिल्ली | 15.00 करोड़ रु० | परियोजना के लिए स्वीकृत व्यय की प्रतीक्षा है। | परियोजना की योजना तैयार की जा रही है। |
| 2. | आई. टी. ओ. के निकट यमुना नदी पर लोकनायक सेतु। | 25.3.1991 | श्री चन्द्रशेखर तत्कालीन प्रधानमन्त्री। | 22.00 करोड़ रु० | —तदैव— | अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। |
| 3. | अतिथि गृह चित्रकूट | 17.5.1991 | श्री के. सी. भट्टी निदेशक पश्चिमी-पूर्वी कमान। | 0.22 करोड़ रु० | वित्तीय अनुमोदन और स्वीकृत व्यय मंजूर किया गया। | 5% से 10% कार्य पूरा हुआ। |
| 4. | विनोभापुरी लाजपत नगर, में बाल उद्यान का विकास | 6.3.1991 | श्री एल. के. आडवाणी सांसद | 3,30,950/रु० | वित्तीय अनुमोदन मंजूर किया गया। | 90% कार्य पूरा हो चुका है। |
| 5. | रोहिणी में दि. न. नि. के कार्यालय भवन का निर्माण। | 14.4.1991 | श्री पी. पी. चौहान आयुक्त (दि. न. नि.) | 298.02 लाख रु० | —तदैव— | कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है। |
| 6. | नई दिल्ली के गोल मार्किट में उप-विभा व | 13.4.1991 | प्रशासक, न. दि. न. पालिका | 4.01 करोड़ रु० | स्वीकृत हुए व्यय नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अनुमोदन | कार्य चल रहा है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| सामुदायिक केन्द्र का निर्माण | | | | उपराज्यपाल के अनुमोदन की प्रतीक्षा | |
| 7. नेताजी नगर, नई दिल्ली में वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रम का निर्माण | 24.1.1991 | प्रशासक नई दिल्ली नगर पालिका | 0.46 करोड़ रुपये | परियोजना के लिए स्वीकृत व्यय का न. दि. न. पालिका द्वारा अनुमोदन उपराज्यपाल के अनुमोदन की प्रतीक्षा | कार्य चल रहा है। |
| 8. कनाट प्लेस के बाहरी घेरे तथा कस्तूरबा गांधी मार्ग के चौराहे पर भूमिगत रास्ते का निर्माण | 1.5.1991 | श्री मार्कण्डे सिंह, उपराज्यपाल, दिल्ली। | 1.00 करोड़ रुपये | परियोजना के लिए स्वीकृत हुए व्यय का न. दि. न. पालिका द्वारा अनुमोदन उपराज्यपाल के अनुमोदन/की प्रतीक्षा | कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है। |
| 9. पश्चिमी दिल्ली में आनन्द विहार में दूसरा अंतर्राज्य बस अड्डा | 18.3.1991 | श्री मार्कण्डे सिंह उपराज्यपाल दिल्ली। | 3.07 करोड़ रु० (प्रथम चरण) | प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति की प्रतीक्षा | कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। |
| 19. नरेला आवास परियोजना की आधार शिला रखना | 21.3.1991 | श्री डी. आर. सारन तत्कालीन शहरी विकास मंत्री। | 1,75,03,431/रु० | सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। | 15% कार्य पूरा हो चुका है। |

**इस्पात की मांग और उत्पादन**

*253. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में इस्पात की अनुमानित आवश्यकता और उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस्पात का उत्पादन आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :**

**विवरण**

(क) वर्ष 1990-91 में तैयार इस्पात का उत्पादन लगभग 134 लाख टन था जबकि अनुमानित मांग लगभग 155 लाख टन थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—वर्धित उत्पादकता प्राप्त करने के लिए इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और संयंत्र एवं उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण।

—इस्पात संयंत्रों को आदानों, विशेष रूप से कोयले और बिजली की सप्लाई का प्रबोधन, ताकि बिना व्यवधान के उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

—निजी विद्युत उत्पादन में वृद्धि।

—"सेल" के संयंत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी और जनशक्ति व्यवस्था को अपनाना।

—उन मामलों में कुछ शर्तों पर इस्पात क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करना जिनमें अत्यधिक विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त हो ताकि निजी क्षेत्र में नए संयंत्रों की स्थापना की अनुमति दी जा सके।

घरेलू उपलब्धता को विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की समग्र अड़चनों को मद्दे नजर रखते हुए यथा संभव आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

**उड़ीसा के कटक डाक डिवीजन का दो भागों में विभाजन**

*254. **श्री अनादि चरण दास :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा उत्तरी कटक डाक डिवीजन को दो पृथक-पृथक डाक डिवीजनों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये दोनों डाक डिवीजन स्वतंत्र रूप से कब से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :** (क) और (ख) जी हां। उत्तरी

डाक डिवीजन का दो पृथक-पृथक डाक डिवीजनों अर्थात जाजपुर और केन्द्र पाड़ा के रूप में द्विभाजन करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) आर्थिक और प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तरी कटक डाक डिवीजन का द्विभाजन न करने का निर्णय लिया गया है।

भारतीयों की खाड़ी के देशों को वापसी

[हिन्दी]

*255. श्री मोहन सिंह :

श्री विजय नवल पाटिल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध के समाप्त होने के पश्चात् कुवैत, इराक तथा खाड़ी के अन्य देशों को लौट कर चले गये भारतीयों की, देश-वार, संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीयों द्वारा खाड़ी देशों में छोड़ी गई परिसम्पत्तियों का सरकार ने मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुमान है कि लगभग 25,000 भारतीय राष्ट्रिक कुवैत वापिस चले गये हैं। हमारे जो राष्ट्रिक इराक छोड़कर आ गए थे, वे अभी नहीं लौटे हैं खाड़ी के यही दो ऐसे देश हैं जहां से हमारे राष्ट्रिकों को वापस आना पड़ा था।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 687 के अनुसरण में कुवैत और इराक में भारतीयों के खोने, उन्हें नुकसान पहुंचने अथवा चोट लगने के संबंध में सूचना एक फार्म में एकत्र की जा रही है, जिसे प्रभावित भारतीय राष्ट्रिकों में परिचालित किया गया है।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

[अनुवाद]

*256. श्री पी० सी० थामस :

श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) केरल के विभिन्न जिलों में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने और उन्हें इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने के संबंध में अब तक हुई प्रगति का, जिलावार ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 90-91 में नेटवर्क में 8.77 लाख लाइनें (कुल) और 5.52 लाख लाइनें (निवल) चालू की गई। वर्ष 91-92 में देश में 14.4 लाख लाइने (कुल) और 9.5 लाख लाइनें (निवल) क्षमता और 7 लाख लाइनों वाले (निवल) कनेक्शन चालू करने की योजनाएं हैं। सम्पूर्ण आठवीं पंचवर्षीय योजना में (90/91 से 94/95 तक) देश में स्विचिंग क्षमता की 73 लाख लाइनें (कुल) और 59 लाख लाइनें (निवल) चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) केरल में, वर्ष 90/91 के दौरान 77 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया और 1.4.91 से 30.6 91 तक की अवधि के दौरान 4 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया। वर्ष 90-91 के दौरान 104 टेलीफोन एक्सचेंजों को और 1.4.91 से 30.6.91 की अवधि के दौरान 9 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला गया। इन टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला वार ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विवरण

केरल राज्य में, विस्तार किए गए तथा इलेक्ट्रानिक में बदले गए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा।

| क्रम सं० | जिले का नाम | इलेक्ट्रॉनिक में बदले गए एक्सचेंजों की संख्या | | विस्तार किए गए एक्सचेंजों की सं० | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1990-91 | 1.4.91 से 30.6.1991 | 1990-91 | 1.4.91 से 30.6.91 |
| 1. | अलेप्पी | 6 | — | 4 | — |
| 2. | कालीकट | 4 | — | 5 | — |
| 3. | कन्नानूर | 5 | — | 4 | — |
| 4. | एर्नाकुलम | 14 | 2 | 12 | 1 |
| 5. | इडुकी | 15 | 2 | 2 | — |
| 6. | केसरागोड | 5 | — | 2 | 1 |
| 7. | कोट्टायम | 6 | 1 | 9 | — |
| 8. | मल्लापुरम | 3 | — | 2 | — |
| 9. | पालघाट | 14 | 1 | 6 | 1 |
| 10. | पटनमथिट्टा | 2 | 1 | 7 | — |
| 11. | क्विलोन | 20 | — | 8 | 1 |
| 12. | त्रिचुर | 9 | — | 10 | — |
| 13. | त्रिवेन्द्रम | 8 | 2 | 5 | — |
| 24. | वायनाड | 3 | — | 1 | — |
| | | 104 | 9 | 77 | 4 |

### खाद्यान्न उत्पादन

[हिन्दी]

*257. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के रबी मौसम के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ख) देश में गेहूं का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) क्या वर्तमान उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

कृषि मंत्री (डा० बलराम जाखड़) : (क) रबी 1990-91 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी कुछ राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, 1990-91 के दौरान देश में रबी खाद्यान्नों का उत्पादन 75.6 से 76.1 मिलियन मीटरी टन तक होने की आशा है।

(ख) देश में 1990-91 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 54.0 से 54.5 मिलियन मीटरी टन तक होने की आशा है।

(ग) जी, हां।

### पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाना

[अनुवाद]

*258. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे प्रशिक्षण कैम्पों, जिन्हें पाक सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिये जाने का समाचार है; आतंकवादियों की शस्त्रास्त्रों की सप्लाई और पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के साथ लगी सीमा से भारत में उनकी घुसपैठ से संबंधित मामलों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्रवाई करने का है;

(ग) क्या इन राज्यों की सुरक्षा हेतु सरकार का विचार कोई अन्य प्रभावी उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को खुले आम बढ़ावा दिये जाने की कार्यवाही का भण्डाफोड़ करने के लिए राजनयिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (घ) भारत ने पाकिस्तान को 28 मई, 1990 को विश्वास पैदा करने का जो एक समग्र प्रस्ताव दिया था उसमें दूसरी बातों के अलावा यह

भी कहा गया है कि आतंकवादियों के लिए सभी प्रशिक्षण शिविर बंद किए जाएं, अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटकों की आपूर्ति बंद की जाए, संभावित घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जाए और हथियार जब्त किए जाएं, आदि। इसके अनुसरण में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के चार दौर हो चुके हैं। पाकिस्तान को दृढ़ शब्दों में साफ-साफ यह भी बता दिया गया है कि आतंकवाद को वह जो समर्थन दे रहा है वह हमें स्वीकार्य नहीं है और वह शिमला समझौते तथा अन्तर्राज्यीय आचरण संहिता के सार्वभौम रूप से स्वीकार्य मानदण्डों का उल्लंघन है। इन मसलों पर और बातचीत सितम्बर, 1991 में विदेश सचिवों के बीच होने वाली बातचीत के पांचवें दौरे में की जाएगी।

(ङ) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बात बता दी है कि वर्तमान स्थिति पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों, अलगाववादियों तथा तोड़-फोड़ करने वालों को शस्त्र देकर, धन देकर तथा उन्हें प्रोत्साहित करके पैदा की गई है। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से जो खतरे पैदा हो गए हैं, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अब अधिक अच्छी तरह समझता है।

### बरेली, उत्तर प्रदेश में एक विदेश डाकघर खोलना

[हिन्दी]

*259. श्री राजवीर सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक विदेश डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस डाकघर द्वारा कब से कार्य आरम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*260. **श्री तेज नारायण सिंह** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान राजधानी में लूटपाट, डकैती और आतंकवादी हमलों इत्यादि की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं ;

(ग) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्ति/आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं : और

(घ) राजधानी में ऐसी घटनाओं एव आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) और (ख) दिल्ली में पिछले 6 महीनों के दौरान (अर्थात 1.1.1991 से 30.6.1991 तक) और 1990 में इसी अवधि के दौरान, डकैती, लूटपाट और आतंकवादी हमलों के अन्तर्गत दर्ज मामले निम्न प्रकार हैं :

| अवधि | डकैती | लूटपाट | बम विस्फोट/अन्य आतंकवाद गतिविधियां |
|---|---|---|---|
| 1990 (1.1.1990 से 30.6.1990) | 12 | 116 | 12 |
| 1991 (1.1.1991 से 30.6.1991) | 18 | 135 | 14 |

(ग) 1.1.1991 से 30.6.1991 तक की अवधि के दौरान इन मामलों में 14 आतंकवादियों सहित 277 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(घ) राजधानी में डकैती, लूटपाट आदि अपराधों तथा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में गहन गश्त, सामरिक महत्व के स्थानों पर टुकड़ियों की तैनाती, आसूचना को मजबूत करना, अपराधियों के छिपने के स्थानों पर कड़ी निगरानी रखना और वहां बार-बार छापे मारना, सतर्कता में बढ़ोत्तरी, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आधुनिक संचार तंत्र और प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवाद-विरोधी एकक का गठन करना शामिल है।

### पश्चिम बंगाल में कोण्टाई में एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

*261. श्री सुधीर गिरि :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कोण्टाई में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गये है;

(ख) वहां यह सुविधा प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) वहां यह सुविधा कब तक प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 360 लाइनों वाले मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज को एक विश्वसनीय माध्यम द्वारा कलकत्ता से जोड़ा जाएगा जिससे कोन्टाई से एसटीडी सुविधा उपलब्ध हो सके।

(ख) उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण यह सुविधा पहले प्रदान नहीं की जा सकी।

(ग) वर्ष 1992-93 तक प्रदान किए जाने की संभावना है।

### भारत-बर्मा सीमा पर तस्करी

*262. डा. ए. के पटेल :

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 1991 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "हैवन आफ स्मगलिंग आन बर्मा बार्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) तस्करी और देश द्रोही गतिविधियों के आरोप में कितने कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इन व्यक्तियों के पास से लगभग कितने मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया; और

(घ) भारत-बर्मा सीमा पर इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) सरकार ने अखबार में छपे समाचार को देख लिया है। उस क्षेत्र में तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कुछ कदम उठाए है :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल को तस्करी को रोकने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

(2) मणिपुर सरकार द्वारा तस्करी से निपटने के लिए एक पुलिस अधीक्षक के अधीन एक विशेष इकाई गठित की गई है।

(3) तस्करी के मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए मणिपुर सरकार ने विशेष न्यायालयों का गठन किया है।

(4) तस्करी की रोकथाम करने वाली विभिन्न एजेंसियों के मध्य बेहतर तालमेल बनाया रखा जा रहा है।

(5) जब्त की गई नशीली दवाओं के नमूनों का परीक्षण करने के लिए इम्फाल स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

(6) इम्फाल में स्वापक (नार्कोटिक) नियंत्रण ब्यूरो का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है।

1988 से तस्करी की गतिविधियों में लगे हुए 1690 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 1989 से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान उनसे बरामद किए गए निषिद्ध माल का अनुमानित मूल्य 10.61 करोड़ रु० है।

### जम्मू और कश्मीर में जनगणना कार्य

*263. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के सभी भागों में 1991 की जनगणना का कार्य मार्च, 1991 तक पूरा हो गया था;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर में जनगणना का कार्य इस बीच शुरू हो गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक शुरू किये जाने और पूरा किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या उन लाखों लोगों को जम्मू क्षेत्र के निवासी के रूप में जनगणना में गिना जायेगा, जो वर्ष 1989 के शुरू में कश्मीर घाटी से भागकर आये थे और अब जम्मू क्षेत्र में शरणार्थी शिविरों में अथवा मित्रों या रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं; और

(ङ) क्या ऐसे लोगों को कश्मीर घाटी के निवासियों के रूप में दर्शाया जायेगा, जिनके अपने मकान, भू-सम्पत्ति और व्यवसाय कश्मीर घाटी में है किन्तु जो वहां से निकल आये हैं और अब या तो जम्मू में अथवा देश के अन्य भागों रह रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) 1991 की जनगणना करने के लिए क्षेत्रीय स्थिति अनुकूल नहीं है। तथापि, जम्मू और कश्मीर में दस वार्षिक जनगणना के आधार पर 1986 में ही घर घर जाकर गणना कराई गई थी । परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से उनके नाम, परिवार के मुखिया से उनका संबंध लिंग, आयु, धर्म, पारम्परिक और वर्तमान व्यवसाय आदि के बारे में आंकड़े एकत्र किए गए । 1991 में जम्मू और कश्मीर की अनुमानित जनसंख्या तैयार करने के लिए इन आंकड़ों का प्रयोग करने का प्रस्ताव है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है ।

### राजस्थान में पाली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

*264. श्री गुमानमल लोढा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पाली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए आवश्यक धनराशि आबंटित कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो वहां जो सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं और जो स्थापित किये जाने हैं उनका क्षेत्र-वार तथा स्थान-वार ब्योरा क्या है ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) (i) संस्थापित किए गए :

लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शन— 64-विवरण-1 संलग्न है ।

स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन — 108-विवरण-2 संलग्न है ।

(ii) संस्थापित किए जाने वाले :

लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन—167-विवरण-3 संलग्न है ।

स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन—इन्हें साधारणतः अवस्थिति की उपयुक्तता और तकनीकी व्यवहार्यता होने पर उपलब्ध कराया जाता है ।

## विवरण-1

30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार पाली जिले में कार्य कर रहे लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन।

| क्रमांक | तहसील | लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन का नाम | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बाली | 1. | दुदानी |
| | | 2. | धानी |
| | | 3. | पालरी |
| | | 4. | पावा |
| | | 5. | मुकामपुरा |
| | | 6. | चामुण्डरी |
| | | 7. | भण्डार |
| | | 8. | कोथार |
| | | 9. | बिजोवा |
| | | 10. | सिम्दरू |
| | | 11. | बसन्त |
| 2. | देसुरी | 12. | डेलानकलां |
| | | 13. | दादई |
| | | 14. | कनकपुर |
| | | 15. | किशनपुरा |
| | | 16. | नारलई |
| | - | 17. | सिन्दारली |
| | | 18. | मगरतालाब |
| 3. | जेटारन | 19. | बालूंदा |
| | | 20. | बांजाकुरी |
| | | 21. | लम्बिया |
| | | 22. | निम्बोल |
| | | 23. | रास |
| | | 24. | झिमाला |
| | | 25. | आसरलई |
| | | 26. | फालका |
| | | 27. | संगवास |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | मारवाड़ जंक्शन | 28. | स्वारड |
| | | 29. | गुडा पामसिंह |
| | | 30. | दुदूर |
| | | 31. | इसाली |
| | | 32. | कान्तालिया |
| | | 33. | माण्डा |
| | | 34. | सूरीयाली |
| | | 35. | भिमालिया |
| | | 36. | कान्वालिया |
| | | 37. | खारदी |
| | | 38. | सिनला |
| | | 39. | सहबाज |
| 5. | पाली | 40. | भाकरीवाला |
| | | 41. | बूनाई |
| | | 42. | जीतरा |
| | | 43. | हामावास |
| | | 44. | मनीहारी |
| | | 45. | मारतिया |
| | | 46. | गिरादरा |
| | | 47. | दयालपुरा |
| | | 48. | वीनगाई |
| | | 49. | मण्डिया |
| 6. | रायपुर | 50. | गिरी |
| | | 51. | कलाब कलां |
| | | 52. | केलवाड |
| | | 53. | नीमखेरा कलां |
| | | 54. | बनसिया |
| | | 55. | झुंथा |
| | | 56. | सुमेल |
| 7. | सोजात | 57. | भाईसाना |
| | | 58. | खाखरा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 59. | रायरा कलां और खुर्द |
| | | 60. | शिवपुरा |
| | | 61. | धीगनवास |
| | | 62. | धाकरी |
| | | 63. | गुधाकलां |
| | | 64. | हरिया माली |

विवरण-2

पहले से संस्थापित स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोनों का ब्यौरा

| क्रम सं० | जिले का नाम/स्थिति | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आनन्दपुरकालू | 1 |
| 2. | अउआ | 1 |
| 3. | बवगा | 1 |
| 4. | बेवाल | 1 |
| 5. | बंशी | 1 |
| 6. | बगरी नगर | 2 |
| 7. | बसन्त | 1 |
| 8. | बाली | 3 |
| 9. | बंकली | 1 |
| 10. | बार | 3 |
| 11. | बीलावास | 3 |
| 12. | बीजलपुर | 1 |
| 13. | बीरा | 2 |
| 14. | भटोदा | 1 |
| 15. | चामुंदरी | 1 |
| 16. | चनोद | 1 |
| 17. | दोली | 1 |
| 18. | दोली अऊवा | 1 |
| 19. | देओली कालन | 1 |
| 20. | सुदेरी | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21. | धामली | 1 |
| 22. | धानला | 1 |
| 23. | गेनराओ | 1 |
| 24. | गुंनदोज | 2 |
| 25. | जेटारन | 1 |
| 26. | जवाली | 1 |
| 27. | जोजावर | 1 |
| 28. | केराला | 1 |
| 29. | खिरवा | 1 |
| 30. | खिवारा | 1 |
| 31. | खोद | 1 |
| 32. | कोसेलओ | 1 |
| 33. | कुशालपुरा | 1 |
| 34. | लाटादा | 1 |
| 35. | लूनावा | 1 |
| 36. | मण्डार | 1 |
| 37. | मारवाड़ जंक्शन | 1 |
| 38. | मुंडरी | 1 |
| 39. | मोदोल | 1 |
| 40. | माना | 1 |
| 41. | नेमबेरोटाला | 1 |
| 42. | निमाज | 1 |
| 43- | पिपलिया कालन | 1 |
| 44. | पाली सिटी | 30 |
| 45. | फालना | 2 |
| 46. | रायपुर | 2 |
| 47. | रनवास | 2 |
| 48. | रानी | 3 |
| 49. | रोहट | 1 |
| 50. | सावरी | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 51. | सेंडेराओब | 1 |
| 52. | संगवास | 1 |
| 53. | सेन्दरा | 1 |
| 54. | सेवारी | 1 |
| 55. | सेंडावाल | 1 |
| 56. | सियला | 1 |
| 57. | सिंदूरी | 1 |
| 58. | सोजत सिटी | 2 |
| 59. | सोजत रोड | 1 |
| 60. | सोमीसार | 1 |
| 61. | सुमेरपुर | 3 |
| 62. | तखतगढ़ | 1 |
| | योग | 108 |

विवरण-3

पाली जिले में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों के नाम

| क्र०सं० | तहसील | प्रस्तावित एलडीपीटी का नाम | क्र०सं० | तहसील | प्रस्तावित एलडीपीटी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बाली | 1. कुमतिया | | | 11. सेस्ली |
| | | 2. भीमाना | | | 12. खुडाला |
| | | 3. गुरिया | | | 13. खिमेल |
| | | 4. काकर्डी | | | 14. लुनावा |
| | | 5. पादारला | | | 15. बरवा |
| | | 6. अम्बलिया | | | 16. मिरगेसर |
| | | 7. मालनू | | | 17. पोरवा |
| | | 8. सेना | | | 18. पंचालवाओ |
| | | 9. कोयलवाओ | | | 19. भीटवारा |
| | | 10. बोया | | | 20. शिव तालाब |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 21. कोलीवारा | | | 55. बान्दर |
| | | 22. बालाना | | | 56. घारिया |
| | | 23. गोगरा | | | 57. जीवन्दकलां |
| | | 24. बालुपुरा | | | 58. नेओवाल |
| | | 25. दाना | | | 59. घानरी |
| | | 26. दूतारा | | | 60. पीलोवानी |
| | | 27. खीमारा | | | 61. सिवास |
| | | 28. सालोदरिया | | | 62. गजनीपुरा |
| | | 29. बामनेरा | 3. | जयतारन | 63. पटवा |
| | | 30. अन्नीपुर | | | 64. अगोवा |
| | | 31. नेत्रा | | | 65. स्वेवारिया |
| | | 32. पोमावा | | | 66. कुरकी |
| | | 33. | | | 67. कोकिन्दारा |
| 2. | देसुरी | 34. कोतरा | | | 68. भूम्बालिया |
| | | 35. अना | | | 69. बालारा |
| | | 36. माडा | | | 70. राबारीवास |
| | | 37. मोरखा | | | 71. टून्करा |
| | | 38. सिन्दरली | | | 72. फूलमाल |
| | | 39. बरोड | | | 73. देवरिया |
| | | 40. घापोल | | | 74. कारनिया |
| | | 41. दुडापुरा | | | 75. बिरोल |
| | | 42. मंडीगढ़ | | | 76. बोरवाड़ |
| | | 43. केसुली | | | 77. लोटाटी |
| | | 44. सुनेर | 4. | मारवाड जं. | 78. भगोरा |
| | | 45. पनोटा | | | 79. चोकारिया |
| | | 46. कोट सोलंकियन | | | 80. फूलाड |
| | | 47. बीजोवा | | | 81. आलसा बोरी |
| | | 48. बारकना | | | 82. चिरपालिया |
| | | 49. रानीकालन | | | 83. निमलीमांडा |
| | | 50. केरली | | | 84. सरन |
| | | 51. इन्दरवाडा | | | 85. बोरीमाला |
| | | 52. इटदारा चानन | | | 86. बापोरी |
| | | 53. इटदरामर्तीयान | | | 87. सोवावास |
| | | 54. भादरलू | | | 88. बेरमारो |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 91. चावाडिया | | | 121. दन्ड |
| | | 92. बारसा | | | 122. दरी |
| | | 89. मुसालिया | | | 123. कुरना |
| | | 90. गाधाना | | | 124. खगेसर |
| | | 93. हिंगोलाखुर्द | | | 125. बनियावास |
| | | 94. बिथोराकलां | | | 126. भोरी |
| | | 95. पंचोलिया | | | 127. बूमादरा |
| | | 96. गुड़ा केशरसिंह | 6. | रायपुर | 128. रामपुर कलां |
| | | 97. बन्सी जोजावर | | | 129. मोहरा कलां |
| | | 98. रेडवास | | | 130. सबालपुरा |
| | | 99. धुन्धाला | | | 131. लिलम्बा |
| | | 100. धान्ला | | | 132. झून्था |
| | | 101. हिमालियावास खुर्द | | | 133. हाजीवास |
| 5. | पाली | 102. मंडल | | | 134. सुमेल |
| | | 103. नन्दनाभाटन | | | 135. बूटेवास |
| | | 104. निम्बारा | | | 136. नंना |
| | | 105. सनवालटा | | | 137. रेलरा |
| | | 106. गडवारा | | | 138. बिराटिया खुर्द |
| | | 107. सोदारिया | | | 139. कोटीकरन |
| | | 108. बैथू | | | 140. कलालिया |
| | | 109. विवान्डी | | | 141. दीपवास |
| | | 110. गोलावास | | | 142. पंचपुरा |
| | | 111. चोन्डा | | | 143. चांग |
| | | 112. खातरी | | | 144. अमरपुरा |
| | | 113. मन्डवास | | | 145. चितार |
| | | 114. कुलथाना | 7. | सोजात | 146. सियात |
| | | 115. कलाली | | | 147. गुरहा पामसिंह |
| | | 116. चोटिला | | | 148. हिंगवास |
| | | 117. निम्बलीरन | | | 149. सोजात रोड |
| | | 118. सोनाई मंजी | | | 150. गुरहा बीजा |
| | | 119. सारावास | | | 151. खोरिया |
| | | 120. तिवाली खुर्द | | | 152. रूपवास |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 153. | रेपरावास | | 161. | बासना |
| | 154. | चारवास | | 162. | माण्डला |
| | 155. | चोपड़ा | | 163. | कर्मावाल |
| | 156. | राजोलकलां | | 164. | चान्दवाल रेलवे स्टेशन |
| | 157. | सरदार समन्द | | 165. | खरियानीओ |
| | 158. | रोंदारी | | 166. | मेओ |
| | 159. | खारियासोडा | | 167. | धीनावास |
| | 160. | सनरिया | | 168. | सुर्पाता |

### महाराष्ट्र के ठाणे जिले में "टेलेक्स" सुविधा

[अनुवाद]

*265. प्रो० राम कापसे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में किन-किन स्थानों पर टेलेक्स सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) इस जिले के उन शहरों का नाम क्या है, जहां टेलेक्स सुविधा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है तथा ये सुविधाएं किस तिथि से उपलब्ध हो जायेंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के इन स्थानों पर टेलेक्स एक्सचेंज है :

1. कल्याण
2. तारापुर

ठाणे नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की बम्बई स्थित टेलेक्स एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जाती है।

(ख) 1991-92 में ठाणे जिले के इन नगरों में टेलेक्स एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है :

1. पालघर
2. दहाणु
3. विरार
4. भिवण्डी

### गंगा नदी के जल के बंटवारे के सम्बंध में भारत बांगलादेश समझौते की पुनरीक्षा

1210 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फरक्का में गंगा नदी के जल के बंटवारे के संबंध में भारत और बांगलादेश के बीच हुए समझौते की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) और (ख) इस समय फरक्का पर गंगा जल की हिस्सेदारी के लिए भारत और बंगलादेश के बीच कोई करार नहीं है तथा इस मुद्दे पर बंगलादेश के साथ वार्ता पूरी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

**दिल्ली में सदर बाजार के बूचड़खाने का स्थानांतरण**

1211. **श्री कालका दास :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सदर बाजार क्षेत्र का बूचड़खाना घनी आबादी वाले क्षेत्र के बीच स्थित है;

(ख) क्या इस बूचड़खाने में व्याप्त अस्वस्थकर वातावरण के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का इस बूचड़खाने को दिल्ली के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने वधशालाओं मे पर्यावरण तथा सफाई संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये उपाय हैं : जल आपूर्ति में सुधार करना, कूड़ा करकट के समुचित निपटान के लिए फर्श सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार करना, आस पास के घने क्षत्रों से वधशालाओं को अलग करने के लिए बड़ी दीवार बनाकर गेरेज की व्यवस्था करना।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) दिल्ली नगर निगम द्वारा हंगरी के सहयोग से वर्तमान वधशालाओं का सुधार करने सम्बन्धी योजना तैयार की गई है। आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् इस योजना का कार्य निष्पादन शुरू किया जाएगा।

**सरकारी भवनों को आग के खतरे से बचाना**

[अनुवाद]

1212. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी भवनों को आग के खतरों से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में अग्नि सुरक्षा द्वारों एवं खिड़कियों का लगाना अनिवार्य किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस व्यवस्था के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री और गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) जिन गगन चुम्बी इमारतों का रखरखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिनमें आग से बचाव के प्रबंधों में खामियां हैं, उनमें दिल्ली अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अग्नि सुरक्षा के प्रबन्धों को बढ़ाने का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने हाथ मे लिया गया है। इसके अलावा, जिन भवनों में विभाग/कार्यालय हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि सावधिक निरीक्षण करके, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर जिनमें आग लगने की ज्यादा सम्भावना है और भवन की उचित देखभाल करके अग्नि सुरक्षा के प्रबन्धों को सुनिश्चित करें।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। दिल्ली अग्नि शमन सेवा, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले इस पहलू को सुनिश्चित कर रही है।

## मिर्चों का न्यूनतम मूल्य

1213. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसानों की काली मिर्चों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में लम्बे समय से चली आ रही मांग की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार काली मिर्चों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) चूंकि काली मिर्च के उत्पादन का प्रमुख भाग निर्यात किया जाता है, अतः इसके मूल्य स्थिरीकरण कार्यक्रम पर, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ-साथ उत्पादन और आन्तरिक मांग को ध्यान में रखकर ही विचार करना होगा। पहले ही काली मिर्च के प्रचलित घरेलू मूल्य, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। किसी भी प्रकार के मूल्य समर्थन कार्य से हमारी काली मिर्च की एफ. ओ. बी. लागत और अधिक बढ़ेगी जिससे वह और भी अप्रतिस्पर्धी हो जायेगी, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात में कमी आ सकती है।

## उड़ीसा में दामनजोड़ी के एल्यूमिना संयंत्र का उत्पादन

1214. **श्री के० प्रधानी** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दामनजोड़ी के एल्यूमिना संयंत्र का उत्पादन इस वर्ष लक्ष्य के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) वर्ष 1991 की अप्रैल-जून की तिमाही के दौरान, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के दामनजोड़ी स्थित एल्यूमिना संयंत्र से एल्यूमिना उत्पादन 1,80,000 टन के लक्ष्य का 95.88% रहा है।

(ख) और (ग) 7,400 टन की मामूली कमी इस अवधि के दौरान नियमित अनुरक्षण के लिए एक कैल्साइनर के बन्द रहने के कारण हुई है। यह कमी 1991 की जुलाई-सितम्बर की तिमाही में पूरी हो जाने की आशा है।

**महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत को टेलीफोन सुविधाएं**

1215. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक टेलीफोन मुहैया कराने की कोई योजना है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान की गई ?

**संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु)** : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में सातवीं योजना अवधि के दौरान 600 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

**पूर्वेक्षण लाइसेंस जारी किया जाना**

[हिन्दी]

1216. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वेक्षण लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किए गए क्षेत्र के स्थान पर केवल सीमित क्षेत्र में ही पूर्वेक्षण कराया जाता है और रिपोर्ट भी इसी आधार पर तैयार की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वेक्षण के लिए अपेक्षित क्षेत्र के अलावा इस क्षेत्र के भू-स्वामी की स्वीकृति भी अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या संघ सरकार का ऐसे प्रावधान करने का विचार है कि केवल उसी भू-स्वामी की स्वीकृति अनिवार्य होगी जिसकी भूमि की इस प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) पूर्वेक्षण लाइसेंस अनुदान के लिए पूर्व-पूर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) खनिज रियायत नियम, 1960 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, किसी आवेदक को केवल पूर्वेक्षण लाइसेंस में शामिल निजी भूमि के स्वामी की लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होती है।

उड़ीसा की जल संसाधन परियोजनाएं

[अनुवाद]

1217. श्री भाग्ये गोबर्धन : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की उन जल संसाधन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) उनको स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन स्कीमों की स्वीकृति का समय मुख्यतया केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर तत्काल संतोषजनक उत्तर भेजना, अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल करना तथा जहां कहीं आवश्यकता हो, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने पर निर्भर करता है।

## विवरण

### उड़ीसा की नई बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जांच की स्थिति

(24.7.1991 की स्थिति)

| क्र.सं | परियोजना का नाम | लाभान्वित जिले | अद्यतन अनुमानित लागत लाख रु० में | लाभ (हजार हेक्टे० में) | विद्यमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूर्ण हो गया है तथा राज्य द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गई हैं।** | | | | | |
| **(क) बृहद स्कीमें** | | | | | |
| 1. | सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना | बालेश्वर मयूरभंज | 71460.00 | 155.07 | राज्य को वन स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा सिंचाई परियोजना आयोजना और वित्तीय पहलुओं के संबंध में 9/90 में प्राप्त अद्यतन अनुमान पर टिप्पणियों की अनुपालना करना है। |
| 2. | कानूपुर सिंचाई परियोजना | क्योंझर | 26802.00 | 47.71 | अनुपालना के बाद, अद्यतन अनुमान हाल ही में जुलाई, 90 में प्राप्त हुआ है। |
| **(ख) मध्यम स्कीमें** | | | | | |
| 1. | बाघलती | गंजम | 1852.16 | 5.68 | राज्य सरकार द्वारा अद्यतन लागत अनुमान |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | तथा लाभ लागत अनुपात को अन्तिम रूप दिया जाना अपेक्षित है। |
| 2. | देव | कियोन्झर मयूरभंज | 5222.73 | 15.64 | राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास पहलुओं पर सामाजिक कल्याण विभाग से स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। |
| | **परियोजनाएं जिनके संबध में राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करना अपेक्षित है।** | | | | |
| | **(क) बृहद परियोजना** | | | | |
| 1. | ओंग बांध परियोजना | बोलनगीर | 8033.56 | 34.50 | राज्य सरकार द्वारा फसल पद्धति, फसल जल आवश्यकता भूजल तथा जल प्रबन्ध पहलुओं को अन्तिम रूप दिया जाना है। राज्य द्वारा पर्यावरण तथा वन दृष्टि से भी स्वीकृति प्राप्त की जानी है। |
| 2. | नाराज बराज | कटक पुरी | 9030.00 | पुरानी संरचना को बदलना | जलवैज्ञानिक, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण संयंत्र आयोजना लागत अनुमान तथा अभिकल्प पहलुओं को राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श से अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। |
| 3. | लोअर सकतल सिंचाई परियोजना | बोलनगीर | 10248.64 | 33.65 | राज्य सरकार को जलवैज्ञानिक तथा अन्य पहलुओं को निपटाना है। |
| | **(ख) मध्यम स्कीमें** | | | | |
| 1. | अपर लांथ | बोलनगीर | 1949.69 | 6.11 | केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अनुपालना के अतिरिक्त राज्य ने वन स्वीकृति भी प्राप्त करनी है। |
| 2. | तेलनगीर | कोरापुट | 3625.47 | 23.83 | —वही— |
| 3. | कटरा | मयूरभंज | 2922.95 | 11.44 | —वही— |
| 4. | कुतुलीसिंह | धनकनाल | 953.74 | 3.81 | —वही— |
| 5. | धीरागोष | —वही— | 938.43 | 3.01 | —वही— |
| 6. | बाघ बराज परियोजना | फुलबनी | 2877.08 | 12.42 | परियोजना हाल में 3/91 में प्राप्त हुई है। |

**केरल में अलापुझा जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र**

**1218. श्री टी० ए० मंजलोज :**

**क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार केरल के अलापुझा जिले में और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुविधा कब तक दे दी जायेगी ?

**संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान, अब तक 14 एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोन तथा 6 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन पहले ही प्रदान किए जा चुके है।

चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान एस० टी० डी० सहित 20 सार्वजनिक टेलीफोन और 10 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

**उड़ीसा के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति**

**1219. डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र :**

**क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति पुनर्गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समिति को कब तक पुनर्गठित कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उड़ीसा के लिए दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समिति पिछली बार कब गठित की गई थी ?

**संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :** (क) से (ग) उड़ीसा के लिए दूरसंचार सलाहकार समिति 23.9.1991 को गठित की गई थी और इसकी समीक्षा की जा रही है।

**महाराष्ट्र में डोम्बिवली में नया क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज**

[हिन्दी]

**1220. श्री गोविन्दराव निकम :**

**क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या महाराष्ट्र में डोम्बिवली में दस हजार लाइनो की क्षमता वाले एक नए क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :** (क) महाराष्ट्र में डोम्बिविली

में सात हजार लाइनों वाला एक नया क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जा रहा है।

(ख) इस एक्सचेंज को वर्ष 1991-92 में चालू करने की योजना है।

**हज शिष्टमण्डल का सऊदी अरब का दौरा**

[अनुवाद]

1221. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 में हज के अवसर पर सऊदी अरब के दौरे पर गए सरकारी शिष्टमण्डल के सदस्य कौन-कौन से हैं तथा इसके सदस्यों के चयन के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) शिष्टमण्डल के दौरे पर, रुपयों में तथा विदेशी मुद्रा में पृथक-पृथक रूप से, अनुमानतः अथवा वास्तव में कितना खर्च हुआ था;

(ग) शिष्टमण्डल का प्रयोजन, कार्यकलाप तथा उपलब्धि क्या रही;

(घ) शिष्टमण्डल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1989 तथा 1990 के हज शिष्टमण्डल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इनके कार्यान्वियन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी)** : (क) हज सद्‌भावना शिष्टमंडल, 1991 की संरचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। सदस्यो के चयन के लिए निर्धारित कोई विशिष्ट मानदण्ड नहीं है। तथापि, सरकार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त और हमारे हज यात्रियों के कल्याण में अलग-अलग लोगों द्वारा ली गई दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के रूप मे प्रख्यात मुसलमानों का चयन करती है।

(ख) खर्चे का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) इस शिष्टमंडल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सद्‌भावना बढ़ाना, हज प्रबंधों के लिए सऊदी प्राधिकारियों के प्रति हमारा आभार प्रकट करना तथा और सुधार करने के उद्देश्य से हमारे हज यात्रियों के लिए प्रबन्धों को देखना है। शिष्टमंडल कई सऊदी गणमान्य व्यक्तियों से मिला और इसके नेता किंग फाद के लिए प्रधानमंत्री का एक पत्र ले गए।

(घ) शिष्टमंडल, 1991 द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में है।

(ङ) आवश्यक ब्यौरा संलग्न विवरण 4 और 5 में दिया गया है।

**विवरण-1**

**1991 के लिए सद्‌भावना हज शिष्टमंडल**

| | |
|---|---|
| 1. श्री फारूख अब्दुल्ला<br>भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जम्मू एवं कश्मीर | प्रमुख |
| 2. श्री एम. ए. लैरी<br>पर्यटन मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार | सदस्य |

| | |
|---|---|
| 3. श्री सलीम जकारिया<br>अध्यक्ष, केन्द्रीय हज समिति, बम्बई | सदस्य |
| 4. प्रो. इस्तियाक अबीदी<br>भूतपूर्व संसद सदस्य और भूतपूर्व अध्यक्ष,<br>माडर्न फूड इंडस्ट्रीज | सदस्य |
| 5. श्री मोहम्मद अजमल<br>सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति,<br>34 बघारम लाइन, इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. श्री अब्दुल खय्युम अन्सारी<br>बिहार से सामाजिक कार्यकर्ता | सदस्य |
| 7. श्री सरवर हुसेन<br>भूतपूर्व खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मन्त्री,<br>भारत सरकार | सदस्य |
| 8. डा. एम. वली<br>राष्ट्रपति के चिकित्सक | सदस्य |
| 9. श्री मोहम्मद अफजल<br>संसद सदस्य (राज्य सभा)<br>95 साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली-110001 | सदस्य |
| 10. श्री सलामतुल्लाह,<br>उपाध्यक्ष, (हज समिति, बम्बई) | सदस्य |
| 11. श्री के. एम. सुल्तान<br>निदेशक, वित्त मन्त्रालय | सदस्य सचिव |

विवरण-2

**हज सद्भावना शिष्टमंडल, 1991 पर हुए वास्तविक व्यय का ब्यौरा**

| | | |
|---|---|---|
| हवाई यात्रा | ... | 1,86,000.00 रुपये |
| आवास | 4,56,923.00 सऊदी रियाल | 20,65,658.00 रुपये |
| सऊदी अरब में परिवहन व्यय | 1,14,675.00 सऊदी रियाल | 5,18,422.00 रुपये |
| दैनिक भत्ता | 65,000.00 सऊदी रियाल | 2,93,851.00 रुपये |
| कुल | 6,36,598.00 सऊदी रियाल | 30,63,931.00 रुपये |

## विवरण-3

## हज सद्भावना शिष्टमण्डल 1991 द्वारा की गई सिफारिशें

| क्र. सं० | सिफारिश |
|---|---|
| 1. | आवास की श्रेणी एक से अधिक इकाइयों का चयन किया जाना चाहिए । |
| 2. | चूंकि अधिकांश हज यात्री वृद्ध होते हैं, अतः यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो चयन की गई इमारतों में लिफ्टें हों । |
| 3. | इस समय 15 हज यात्रियों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था है । यह प्रस्ताव है कि अधिक से अधिक 10 हज यात्रियों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए । इस पहलु को मद्देनजर रखते हुए भवनों का चयन किया जाना चाहिए । यदि इसके लिए कुछ किराया अधिक भी देना पड़े तो शिष्टमण्डल यह महसूस करता है कि हज यात्री बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए अधिक किराया देना पसन्द करेंगे । |
| 4. | भवन किराए पर लेने संबंधी करार नवम्बर में ही सम्पन्न किया जाना चाहिए ताकि दूसरे देशों की प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके । |
| 5. | जिन भवनों के संबंध मे बार-बार शिकायतें मिली हों उन्हें भविष्य में किराए पर नहीं लेना चाहिए । भारतीय हज यात्रियों को जो पहचान ब्रैसलेट दिए जाते है उनमें वही ब्यौरा होना चाहिए जिसका उल्लेख स्टिकरों में होता है । हज यात्रियों को दिए जाने वाले पहचान पत्रों की परखबन्दी की जानी चाहिए ताकि वे टिकाऊ हों । |
| 6. | हमारे हज यात्रियों को धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में न के बराबर सूचना दी जाती है । एक मौलवी के पास लगभग 500 हज यात्री होते हैं इसलिए इस संबध में हज यात्रियों की सहायता कर न पाना मुमकिन नहीं है । |
| 7. | अधिकतर हजयात्री न तो मक्का, मदीना, मोना, अराफत और मुजदालीफाह की जलवायु से और न ही वहां के रहन-सहन को परिस्थितियों के बारे में जानते है और न ही वे यात्रा संबंधी प्रपत्रों, टीके लगवाने की आवश्यकताओं आदि के बारे में पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं से अवगत होते है । इसलिए यह जरूरी है कि हजयात्रियों के लिए देश से जाने से कुछ दिन पहले वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए । ये कार्यक्रम हज समिति द्वारा पेश देश से बाहर जाने वाले स्थानों जैसे दिल्ली बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में आयोजित किए जा सकते हैं । उन्हें वीडियो चित्र दिखाए जाने चाहिए और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा हजयात्रियों को धार्मिक अनुष्ठानों, रहन-सहन की परिस्थितियों के बारे में तथा साथ ही लू लगने से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों और बीमार पड़ जाने या गुम हो जाने की स्थिति में किए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए । एयर इंडिया से भी हज संबंधी उड़ानों के दौरान ऐसे चित्रों को दिखाने का अनुरोध किया जाना चाहिए । |
| 8. | हज के संबंध में आवेदन भेजने के बारे में पूरी की जाने वाली औपचारिकता के बारे में भारतीय हजयात्रियों को और अधिक जानकारी देने के उद्देश्य से दूरदर्शन और आकाश |

वाणी को, जब हज के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएं, उस अवधि के दौरान कुछ दिनों के लिए आधे घण्टे का कार्यक्रम प्रसारित करना चाहिए। इन कार्यक्रमों में हज के लिए पूरी की जाने वाली विभिन्न आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की जानकारी विस्तार से दी जानी चाहिए, ताकि हज समिति को आवेदन प्रस्तुत करने से पहले सम्भावित हजयात्रियों को हज के लिए पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं की पूरी जानकारी हो सके।

9. प्रतिनिधिमण्डल ने यह बात नोट की कि खुदाअल अहुज्जाज ने अपनी ड्यूटी इतनी दक्षता से नहीं निभाई जितनी दक्षता से उन्हें निभानी चाहिए थी। इसलिए सुझाव है है कि खद्दीम-उल-हुज्जाज को उन व्यक्तियों में से चुना जाना चाहिए जो भवन चयन दल के सदस्य रहे हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि खद्दीम-उल-हुज्जाज भवन की स्थिति और हज यात्रियों के समक्ष आने वाली सभावित समस्याओं से भलीभांति परिचित होंगे। खद्दीम-उल-हुज्जात को मक्का में सीधे कोंसलावास कार्यालय के अधीन काम करना चाहिए, जिसे उनके काम को सुपरवाइज करना चाहिए। खद्दीम-उल-हुज्ज के रूप में चुने गए व्यक्ति का नाम यथासमय केन्द्रीय हज समिति को सूचित कर दिया जाना चाहिए।

10. प्रतिनिधिमण्डल ने महसूस किया कि भवनों की देख-रेख पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या भवनों के निरीक्षण और शिकायतो को दूर करवाने के लिए काफी नहीं है। प्रतिनिधिमण्डल ने सिफारिश की कि भवन सुपरवाइजरों की संख्या 14 से बढ़ाकर 20 कर दी जाए।

11. आवास के आवंटन के बाद, कोंसलावास द्वारा उड़ान का आबंटन किया जाता है। उन भवनों, जहां हाजियों को ठहराया जाना है, के दूरभाष नम्बरों समेत हजयात्रियों के बारे में सारी सूचना के पलापी राज्य सरकार और राज्य हज समिति को भेजे जाने चाहिए। इससे हज यात्रियों के संबंधियों को हज करने आए, लोगों के ठौर-ठिकानों के बारे में सूचना देना सुनिश्चित हो सकेगा।

12. भारत से आने वाले यात्रियों की संख्या और इस तथ्य को देखते हुए कि उनमें से अधिकतर की आयु काफी बड़ी होती है, चिकित्सा दल में डाक्टरों की संख्या 22 से बढ़ाकर 30 कर दी जानी चाहिए। चिकित्सा दल अपना काम दक्षता से कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए मेा सुविधा की व्यवस्था भुगतान पर की जानी चाहिए। डाक्टरों के ड्यूटी रोस्टर में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रत्येक डाक्टर को 2 दिन की छुट्टी मिले।

13. चिकित्सा दल समेत भारत से भेजे गए स्टाफ को दौरे पर गए माना जाना चाहिए।

14. सरकार को केन्द्रीय हज समिति और चुनी हुई राज्य हज समितियों के कुछ कार्यों का कम्प्यूटरीकरण करना चाहिए ताकि उन्हें हजयात्रियों के बारे में विस्तृत सूचना मिल सके।

15. प्रतिनिधिमण्डल ने गौर किया कि समुद्री रास्ते से यात्रा पूरी करने में 10 दिन से अधिक समय लगता है। इस कारण और इस तथ्य से कि केवल एक जहाज आने और जाने के उपयोग में लाया जाता है, समुद्री रास्ते से यात्रा करने में हजयात्रियों को वायुयान

से यात्रा की तुलना में किंगडम में 30 दिन अधिक बिताने पड़ते है। यदि यात्रा का समय भी शामिल कर लिया जाय तो जलमार्ग से आने वाला यात्री वायुमार्ग से आने वाले यात्री से एक महीने से अधिक समय बिताता है। इसके फलस्वरूप भारतीय हज यात्री सबसे पहले पहुंचते हैं और हज के बाद किंगडम से सबसे बाद में बिदा लेते हैं। प्रतिनिधिमण्डल सिफारिश करता है कि भारत सरकार हज सत्र के दौरान दो या तीन जहाज चार्टर करने की संभावनाओं का पता लगएं ताकि यात्री काफी समय पहले भारत लौट सकें। इन जहाजों को अन्डमान क्षेत्र से लिया जा सकता है या निजी कम्पनियों को इस काम में लगाया जा सकता है।

### विवरण-4

### हजसद्भावना शिष्टमण्डल, 1989 द्वारा की गई सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाहियों को दर्शाने वाला विवरण

| क्र० सं० | शिष्टमण्डल द्वारा की गई सिफारिशें | सरकार द्वारा की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | हज 1990 के हमारे हज यात्रियों के लिए आवास किराए पर लेने का कार्य जनवरी/फरवरी, 1990 से आरम्भ हो जाना चाहिए। | इमारतों को चुनकर किराए पर लेने के लिए फरवरी, 1990 में एक शिष्ट मण्डल सऊदी अरब भेजा गया था। |
| 2. | सबसे पहले दूतावास को आवास आबंटित करने चाहिए, जिसके बाद हज यात्रियों को मकतबवार/इमारतवार वायु यात्राएं/समुद्री यात्राएं आबंटित की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि किसी क्षेत्र विशेष से एक ही उड़ान से पहुंचने वाले हज यात्रियों को उसी इमारत में अथवा आस-पास की इमारतों में ठहराया जा सके। | ऐसा किया जा रहा है। |
| 3 | प्रति हज यात्री 2 वर्गमीटर स्थान दिया जाना अपर्याप्त है। सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या इमारत किराए पर लेने के बाद किसी इमारत में ठहराए गए हज यात्रियों की संख्या सऊदी विनियमन के अन्तर्गत निर्धारित इमारत की क्षमता से कम की जा सकती है। | 2 वर्ग मीटर स्थान की पात्रता का मामला 1989 में था। इसमें अब संशोधन कर दिया गया है और हज 1991 के बाद से प्रति हज यात्री के लिए 2 वर्ग मीटर स्थान निर्धारित किया गया है। |
| 4. | बेहतर आवास चुनने का प्रयास किया जाना चाहिए जो हरम के नजदीक हो क्यों कि भारतीय हज यात्री हरम शरीफ की | हरम शरीफ से दूरी के आधार पर तीन प्रकार के आवास है। पहली श्रेणी में अत्यन्त नजदीक के आवास |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | निकटता को अत्यन्त महत्व देते हैं। | आते हैं जो बहुत मंहगे होते हैं। जो यात्री पहली श्रेणी के आवास चाहते है उन सभी को ये आवास दे दिए गए हैं। |
| 5. | भारतीय हज यात्रियों की व्यवस्था देखने वाले सभी मोआलिमों के कार्य की राजदूतावास को निकट से निगरानी करनी चाहिए और गम्भीर शिकायतें पाए जाने पर सऊदी हज मंत्रालय से उन्हें मोआसासा से निकालने का अनुरोध करना चाहिए। | जद्दा में हमारा मिशन सभी आवश्यक कार्य करता है। |
| 6. | प्रतीक्षा सूची में दर्ज हज यात्रियों के आवास को निरस्त करने और बदलने के मामलों की सुचारु व्यवस्था के लिए हज समिति, बम्बई को आवास योजना से छुटकारा चाहने वालों के लिए कोई अन्तिम सीमा निर्धारित करनी चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। | हज समिति, बम्बई सुझाई गई पद्धति का अनुपालन करके आवास को निरस्त करने और बदलने के मामलों का आमतौर पर सन्तोषजनक ढंग से निपटान करती है। |
| 7. | आवास किराये पर लेने से संबंधित शिष्टमण्डल में कार्यपालक अधिकारी अथवा राजकीय अधिकारी के अतिरिक्त 1-2 सदस्य केन्द्रीय हज समिति के और 1-2 सदस्य राज्य हज समिति के होने चाहिए। | आर्थिक दृष्टि से हमें ऐसे शिष्टमंडलों का आकार सीमित रखना होता है। हज 1990 में किराए पर आवास लेने के लिए जो शिष्टमण्डल भेजा गया था उसमें 2 सदस्य केन्द्रीय हज समिति के थे और 7 प्रमुख राज्य हज समितियों का एक-एक सदस्य था। 1991 में इमारत चयन दल, जिसमें चार प्रमुख राज्य हज समितियों का एक-एक प्रतिनिधि था, सऊदी अरब गया था। शिष्टमण्डल में सदस्यों की संख्या पर्याप्त थी। |
| 8. | शिष्टमण्डल ने सिफारिश की थी कि जद्दा में कोंसलवास के हज अनुभाग में निम्नलिखित और पद बढ़ाकर मजबूत किया जाए : | |
| | (i) दो उप कोंसल तैनात किए जाएं। इनमें से एक हज कार्य और दूसरा आवास योजना का कार्य देखे। | सरकार उप कोंसल का एक और पद देने के लिए सिद्धान्त: सहमत हो गई है। तथापि, जद्दा में पद देना संभव |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | (ii) आरक्षित आवास योजना के लिए उपयोग में लाए जा रहे कम्प्यूटरों की देख-भाल के लिए एक और भारत आस्थानी अथवा स्थानीय सहायक की तैनाती । | नहीं है क्योंकि कार्मिकों की कमी है । |
| | (iii) मौसमी स्टाफ की संख्या में अनुकूल वृद्धि की जाए । | 1989 में मौसमी स्टाफ की संख्या 247 थी जिसे 1990 में बढ़ाकर 260 कर दिया गया था । |
| 9. | सऊदी अधिकारियों को अनिवार्य देय (परिवहन आदि उपलब्ध कराने के लिए सऊदी अधिकारियों को प्रत्येक हज यात्री द्वारा दी जाने वाली राशि) का भुगतान एक मुश्त में देना जारी रखा जाए । | ऐसा किया जा रहा है । |
| 10. | सऊदी सरकार ने सऊदी अरब में हज, 1990 से विदेशी चिकित्सा मिशन तैनात किए जाने की प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है । शिष्टमण्डल ने सिफारिश की है कि यह मामला सऊदी सरकार के साथ उठाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे औषधालय मक्का, मदीना, मीना और अराफात में सामान्य रूप से कार्य करते रहें । | पहले की तरह हज, 1990 में चिकित्सा मिशन भेजा गया था । |
| 11. | सऊदी अरब में अनिवार्य वस्तुओं की लागत को देखते हुए हज 1990 से हज यात्रियों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा को बढ़ाकर 500 सऊदी रियाल कर दिया जाए । | इस समय प्रत्येक हज यात्री को 4600 सऊदी रियाल की विदेशी मुद्रा दी जाती है । विदेशी मुद्रा के दबाव के कारण इसे बढ़ाए जाने की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई । |
| 12. | हज 1990 के लिए हज चार्टर विमान किराया वही रखा जाए जो 1989 में था । | विमान किराये में वृद्धि होने के कारण यह व्यवहार्य नहीं है कि हज किराए को 1988 के स्तर पर ही रखा जाए जो कि बम्बई से 7700/- रुपए था । 1990 में बम्बई से वाणिज्यिक विमान किराया 10,146/- रुपए था जबकि सरकार ने हज विमान किराया 8085/ रुपए रखा था । |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. | भारतीय हज यात्रियों को विशिष्ट तिरंगी छतरियां दी जानी चाहिए। | अब अपने हज यात्रियों को छतरियां उपलब्ध करा दी गई है। |
| 14. | एम बी अकबर जलयान के स्थान पर नये जलयान की व्यवस्था की जाए। | इस वर्ष एम० बी० अकबर से अन्तिम बार नौवहन कार्य लिया जा रहा है। |
| 15. | हज यात्रियों को फिल्म के जरिए यह बताना चाहिए कि वे सऊदी अरब मे और हज के दौरान सम्पन्न की जाने वाली धार्मिक क्रियाओं के प्रति अपना आचरण कैसा रखें। सरकार स्वयं भी ऐसी फिल्में फिल्म डिवीजन/दूरदर्शन के माध्यम से तैयार कर सकती है। | हज यात्रियों को पुस्तकों के जरिए और हज गाइडों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर भी आवश्यक मार्गदर्शन किया जा रहा है। |
| 16. | चूंकि हमारे हज यात्रियों के लिए किराए पर ली गयी इमारतों में अधिकांश में रसोई सुविधाएं ठीक नहीं है, केन्द्रित खान-पान व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रश्न की जांच की जाए। | इसकी जांच की गई है और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है। |
| 17. | हज सद्भावना शिष्टमण्डल को यात्रा बीजा पर सऊदी अरब की यात्रा करनी चाहिए। | शिष्टमण्डल यात्रा बीजा पर यात्रा करता है। |
| 18 | शिष्टमण्डल को अन्तिम हज चार्टर उड़ान के पहुंचने के 7-10 दिन पहले, अर्थात हज के दिन से 12-15 दिन पहले, आना चाहिए ताकि हज से पूर्व मदीना में जियारत पूरी की जा सके। | प्राय: शिष्टमण्डल के गठन पर काफी देर से निर्णय लिया जाता है जिससे वह प्रस्तावित समय पर नहीं पहुंच पाता |

## विवरण-5

### हज सद्भावना शिष्टमण्डल, 1990 द्वारा की गई सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई से संबद्ध विवरण

| क्र० सं० | शिष्टमण्डल द्वारा की गई सिफारिशें | सरकार द्वारा की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1. | शिष्टमण्डल ने एक आदर्श कार्य योजना तैयार की है जिसमें उन अन्तिम तारीखों का उल्लेख है जिन तक हज समिति और राज-दूतावास द्वारा किए जाने वाले विभिन्न | खाड़ी संकट द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता के होते हुए भी कार्ययोजना सुचारू रूप से क्रियान्वित की गई है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | कार्य पूरे कर लिए जाएं। इस आदर्श कार्य-योजना को हज समिति और राजदूतावास द्वारा दक्षतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए। | |
| 2. | हज पर जाने वाले लोगों को उपलब्ध सुविधा का अपेक्षाकृत अधिक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि वे हज समिति/राजदूतावास को अपने उन दोस्तों/नाते-रिश्तेदारों का ब्यौरा दे सकें, जिन्हें वे इस इमारत में अपने साथ ठहराना चाहेंगे जिनमें वे खुद ठहरेंगे। | क्रियान्वित |
| 3. | किसी भी वर्ष के दौरान हज पर जाने वाले लोगों की संख्या नियत नहीं की जानी चाहिए। | इस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए हज पर जाने वाले यात्रियों की संख्या नियत की जाती है। |
| 4. | समुद्री यात्रा के दौरान हज यात्रियों को होने वाली दिक्कतों तथा किंगडम में अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठहरने की वजह से उनके द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च को भी देखते हुए समुद्री हज यात्राओं का सिलसिला बन्द किया जाना चाहिए हज चार्टर किरायों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से समुद्र मार्ग से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सरकारी सहायता हवाई मार्ग से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को दी जानी चाहिए। | विभिन्न वर्ग यह मांग करते रहे है कि समुद्र मार्ग से हज यात्रा को जारी रखा जाए अत: इस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। |
| 5. | आरक्षित आवास योजना में शामिल किए जाने वाले हज यात्रियों की अन्तिम संख्या के बारे में अनिश्चितता की स्थिति की वजह से हज समिति को अन्ततः हानि होती है इस संबंध मे अन्तिम तारीखें निर्धारित की जानी चाहिए और उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि रबात | हज कमेटी बम्बई ने इस संबंध में अन्तिम तारीख नियत की तथा काफी हद तक उसका प्रवर्तन किया। जहां तक केन्द्रीय सरकार के कोटे में शामिल हज यात्रियों का सवाल है, उन्हें एक ही श्रेणी में रखा जाना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि तीन |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | आबंटन और विदेशी मुद्रा से भिन्न श्रेणी में शामिल किए जाने वाले हज यात्रियों की सूची को इन तारीखों से पहले अन्तिम रूप दिया जा सके। केन्द्रीय सरकार कोटे में शामिल किए जाने वाले हज यात्रियों का जहां तक संबंध है इन हज यात्रियों को एक ही श्रेणी में रखा जाना चाहिए। | अलग-अलग दरों पर आवास की तीन श्रेणियां हैं और हज यात्रियों को उनसे अपने लिए उपयुक्त आवास चुनने का अधिकार है। |
| 6. | जिन भवनों में भारी खामियां देखी गई हैं उनका पता लगाया जाए और उन्हें अगले वर्ष किराए पर न लिया जाए। | हज, 1991 के लिए आवास का प्रबन्ध करते समय इस सिफारिश को ध्यान में रखा गया था। |
| 7. | हज यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए भवन-पर्यवेक्षण व्यवस्था को अपेक्षाकृत अधिक पर्यवेक्षक करके और अधिक कारगर बनाया जाना चाहिए। | जेद्दा में स्थित हमारे मिशन ने भवन-पर्यवेक्षण व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया था। |
| 8. | खुद्दामुल हुज्जाज का चयन करते वक्त सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो अपने दायित्व का निर्वाह लगन और ईमानदारी से करते हों, राजदूतावास को भवन-पर्यवेक्षण व्यवस्था तथा हज यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए इन व्यक्तियों की सेवाओं का कारगर तरीके से उपयोग करना चाहिए। | खुद्दामुल हुज्जाज का चयन संबंधित राज्य हज समितियां करती हैं। केंद्रीय सरकार हज समितियों पर इस बात के लिए जोर देती है कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के साथ-साथ इन व्यक्तियों की लगन और ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए इनका चयन करें। |
| 9. | राजदूतावास को चाहिए कि वह कौसलवास में नव-नियुक्त रबात-अधिकारी को यह निर्देश दे कि वह खातों की बहाली के कार्य को लगन से करें। | ऐसा किया जा रहा है। |
| 10. | प्रायोजित हज यात्रियों के लिए उड़ान तथा आवास की व्यवस्था के कार्य की केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षाकृत अधिक निगरानी की जानी चाहिए। हज यात्रियों को इस बात का विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे यदि चाहें तो आरक्षित आवास ले सकते हैं। | यह व्यवहार्य नहीं है। 'प्रायोजित हज यात्रियों का अभिप्राय उन व्यक्तियों से जो है हज यात्रा पर स्वयं जा रहे है। उन्हें अपनी व्यवस्था स्वयं करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्हें व्यवस्था का कोई विकल्प देने के कारण मामला जटिल हो जाएगा। |
| 11. | सरकार को चाहिए कि वह कौसलावास को चलते-फिरते चिकित्सालय के लिए | चलते-फिरते चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन जद्दाह में |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | वाहन उपलब्ध करायें ताकि हज यात्रियों को मक्का में उनकी इमारतों में और मीना/अराफात में भारतीय कैम्पों में चिकित्सा सेवाएं दी जा सकें। | हमारे मिशन ने स्थायी औषधालय के अलावा मक्का में तीन शाखा औषधालय खोले हुए है। और मीना/अराफात में भी चिकित्सा कैम्प लगाता है और ये व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। |
| 12. | इस बात का सुनिश्चय करना चाहिए कि कोंसलवास द्वारा मांगी गई दवाइयां चिकित्सक प्रतिनिधिमण्डल की जरूरतों के मुताबिक ही भेजी जानी चाहिए। | अपेक्षित कार्यवाई की जा रही है। |
| 13. | मदीना में भारतीय औषधालय साल भर खुला रहना चाहिए ताकि जो हजारों हज यात्री जियारत के लिए मदीना जाते हैं उनकी देखभाल हो सके। | चिकित्सा सेवाएं देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है मदीना में स्थाई औषधालय खोलने की जरूरत महसूस नहीं की गई है। |
| 14. | **कोंसलावास की कर्मचारी अपेक्षाएं** | |
| | (1) पर्यवेक्षी कार्य को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। | हज, 1991 के लिए मौसमी कर्मचारियों की स्वीकृति हज, 1990 के स्तर पर दी गई थी। वित्तीय स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। |
| | (2) कोंसलावास में एक उप कोंसुल (हज) शीघ्र तैनात किया जाना चाहिए। | सरकार ने इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है किन्तु इसके लिए किसी पद को छोड़ देने के कारण इस पर अभी क्रियान्वयन होना चाहिए। |
| | (3) मौसमी कार्य के लिए अर्हक कम्प्यूटर आपरेटरों को स्थानीय रूप से भर्ती करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, कोंसलावास में हज मौसम के दौरान चार भारत आस्थानी कम्प्यूटर आपरेटर तैनात किए जाने चाहिए। | कोंसलावास की कम्प्यूटर प्रणाली उपयुक्त ढंग से काम कर रही है और भारत से कार्मिक भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। |
| | (4) मदीना स्थित भारतीय औषधालय में एक डाक्टर तैनात किया जाना चाहिए। | हज मौसम के दौरान वहां दो डाक्टर रहते है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15. | यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमारे हज यात्री जद्दाह और धार्मिक शहरों के बीच एयर कंडीशन बसों में सफर करें और उनसे आवश्यक शुल्कों में अतिरिक्त राशि वसूल की जाए। | भारी भीड़-भाड़ के कारण हज मौसम के दौरान बसों की एयर कंडीशन प्रणाली कदाचित ही काम करती है। अत: यह उपयुक्त नहीं लगता कि प्रति हज यात्री 90/- एस आर आई अतिरिक्त वसूल करके इन बसों की व्यवस्था की जाए। |
| 16. | विदेश मन्त्री को सऊदी हज मन्त्री डा० अब्दुल बहाव अब्दुल वजी को भारत आने का औपचारिक निमन्त्रण देना चाहिए। | शिष्टमण्डल ने यह प्रस्ताव किया है कि विदेश मन्त्री को सऊदी हज मंत्री डा० अब्दुल वजी को बम्बई में हज हाउस के उद्घाटन के अवसर पर भारत आने का निमन्त्रण देना चाहिए उद्घाटन की तारीख अभी तय की जानी है। |

**उत्तर प्रदेश के कानपुर और फतेहपुर जिलों के टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलना**

[हिन्दी]

1222. **श्री केसरी लाल :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कानपुर और फतेहपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जाएगा; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

**संचार मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :** (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कानपुर जिले के चार और फतेहपुर जिले के दो टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की योजना है।

**बंगला देशवासियों का गैर कानूनी रूप से हमारे देश में रहना**

[अनुवाद]

1223. **डा० कृपासिंधु भोई :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार बंगला देश के कितने राष्ट्रिक गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं;

(ख) क्या उनमें कुछ व्यक्तियों को राशन कार्ड दिए गए हैं और उनका नाम मतदाता सूची में भी दर्ज किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले को बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा बंगलादेश राष्ट्रिकों की घुसपैठ रोकने और गैरकानूनी रूप से भारत में रह रहे बंगलादेशी राष्ट्रिकों को स्वदेश भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य (श्री एम० एम० जैकब) :** (क) चूंकि अधिकांश बंगलादेशी राष्ट्रिक चोरी छिपे प्रवेश करते है और भूमिगत हो जाते हैं, इसलिए यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि भारत में ऐसे कितने व्यक्ति रह रहे हैं।

(ख) कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अनेक अवसरों पर बंगलादेश सरकार के साथ मामला उठाया गया है।

(ङ) समस्या को सुलझाने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य एजेंसियों द्वारा गश्त गहन करने सहित अनेक उपाय किए गए हैं। जब कभी भी घुसपैठिये पकड़े जाते हैं तो उन्हें बंगलादेश वापस धकेल दिया जाता है। बेहतर संचार के लिए सीमा पर सड़कें बनाई जा रही हैं। घुसपैठियों का पता लगाने के लिए चलती-फिरती टास्कफोर्स गठित की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को स्थायी अनुदेश दिए गए हैं कि बंगलादेशी घुसपैठियों का पता लगाते ही उन्हें वापस भेजा/धकेला जाए। राज्य सरकारों को भी अधिकार है कि वे विदेशी अधिनियम, 1946 के अधीन घुसपैठियों के खिलाफ मुकदमा चलाएं।

### नई फसल पद्धति तैयार करने के लिए अनुसंधान

1224. **डा० जयन्त रंगपी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में बाढ़ के प्रकोप को सहने हेतु कोई नई फसल पद्धति का पता लगाने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस अनुसंधान में कौन-कौन से विश्वविद्यालय संलग्न हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) :** (क) जी हां।

(ख) दियारा भूमि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत एक केन्द्र उत्तर लखीमपुर (असम) में स्थित है। केन्द्र ने बाढ़ की विपदा से प्रभावित दियारा क्षेत्रों के लिए धान, तोरिया, आलू और मूंग की फसलों के खेती के लिए उपयुक्त फसल पद्धतियां और किस्में विकसित की हैं।

(ग) प्रायोजना का क्रियान्वयन असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (असम) द्वारा किया जा रहा है।

### बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

[हिन्दी]

1225. **श्री साईमन मरान्डी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संथाल परगना के हिरनपुर और पनकुर टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बिहार में, उन टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है जिन्हें अब तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला गया है तथा उनकी संख्या कितनी है जहां यह कार्य प्रगति पर है; और

(घ) बिहार में, जिला-वार, उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं, जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला जाना है तथा इनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु)** : (क) जी हां।

(ख) (I) हिरनपुर टेलीफोन एक्सचेंज को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदल दिया जाएगा।

(II) पनकुर टेलीफोन एक्सचेंज को 1991-92 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की संभावना है।

(ग) संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरों के अनुसार बिहार में 31 मार्च, 1991 तक 101 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है।

16 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का काम प्रगति पर है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान बिहार में जिन 39 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना बनाई गई है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। इस पर लगभग 25 करोड़ रु० का कुल खर्च होगा।

**विवरण-I**

**31.3.91 तक बिहार सर्किल में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की जिलावार सूची**

| जिला | इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. भोजपुर | शून्य |
| 3. रोहतास | 1. बिक्रमगंज |
| | 2. रामगढ़ |
| | 3. मोहनिया |
| 3. भागलपुर | 1. पीरपैंती |
| | 2. पुरैनी |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 4. साहेबगंज | 1. साहेबगंज |
| 5. छपरा | 1. गरखा |
| | 2. मरहौरा |
| | 3. सोनपुर |
| 6. गोपालगंज | 1. गोपालगंज |
| 7. सिवान | 1. महाराजगंज |
| 8. बेगुसराय | 1. बरौनी |
| | 2. बीहत |
| 9. दरभंगा | 1. कंतोल |
| 10. खगड़िया | 1. खगड़िया |
| | 2. मानसी |
| 11. मधुबनी | 1. नेनीपट्टी |
| | 2. मधुबनी |
| | 3. राजनगर |
| | 4. साकरी |
| 12. समस्तीपुर | 1. पुसा |
| | 2. रोसेरा |
| | 3. ताजपुर |
| 13. देवघर | 1. जसीडीह |
| 14. दुमका | 1. दुमका |
| | 2. जमतारा |
| 15. धनबाद | 1. गोबिन्दपुर |
| | 2. निरसा |
| 16. पालामू | 1. लटेहर |
| 17. औरंगाबाद | 1. औरंगाबाद |
| | 2. जमहौर |
| 18. गया | 1. बोधगया |
| | 2. चाकंद |
| | 3. गया |
| 19. जहानाबाद | 1. जहानाबाद |
| 20. नवादा | 1. नवादा |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 21. गिरीडीह | 1. हसरीबाजार |
| | 2. कोदेरना |
| | 3. राजधनवाड़ |
| | 4. टुण्डी |
| 22. हजारीबाग | 1. बड़ही |
| | 2. भुरकुण्डा |
| | 3. छठा |
| | 4. चंपारन |
| | 5. घोटातंड |
| | 6. गोमिया |
| | 7. झुमरीतलैया |
| | 8. कुजू |
| | 9. पैतरातू |
| 23. सिंहभूम | 1. जादूकोड़ा |
| | 2. बराजंडा |
| | 3. बुडील |
| | 4. तंरायकला |
| | 5. कपाणी |
| 24. अररिया | 1. जगबनी |
| 25. कटिहार | 1. बाजार |
| 26. पूर्णिया | 1. नमंरडी |
| | 2. कस्बा |
| | 3. गढ़या |
| 27. मुंगेर | 1. बरियारपुर |
| 28. पूर्वी चंपारन | 1. बढ़चकिया |
| | 2. ढाका |
| 29. पश्चिमी चंपारन | 1. चन्पतिया |
| 30. मुजफ्फरपुर | 1. घोली |
| | 2. कान्टी |
| 31. सीतामढ़ी | 1. जनकपुर रोड |
| | 2. रूनोसैदपुर |
| | 3. सीतामढ़ी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 32. | वैशाली | 1. भगवानपुर |
| | | 2. हाजीपुर |
| | | 3. महुआ |
| | | 4. सराय |
| 33. | नालंदा | 1. नालंदा |
| | | 2. राजगीर |
| 34. | पटना | 1. बिहाटा |
| | | 2. बिक्रम |
| | | 3. फतवा |
| | | 4. मनेर |
| | | 5. पटना सेन्ट्रल |
| | | 6. पटना सिटी |
| | | 7. पाटलिपुत्र |
| 35. | गुमला | 1. गुमला |
| 36. | लोहारदगा | 1. कुरु |
| | | 2. लोहारदगा |
| 37. | रांची | 1. बूटू |
| | | 2. बंकी |
| | | 3. खुंटी |
| | | 4. मुरी |
| | | 5. रांची यूनिट-II |
| | | 6. धुरवा |
| | | 7. ततोसिलबाई |
| 38. | मधेपुरा | 1. मधेपुरा |
| | | 2. सिंहेश्वर अस्थान |
| 39. | सहरसा | 1. निरमली |
| | | 2. सहरसा |
| | | 3. सिमरीबख्तींरपुर |
| | | 4. सोनबरसराज |
| 40. | किशनगंज | शून्य |
| 41. | बाढ़ | 1. बाढ़ |
| | | 2. हाथीदाह |
| | | 3. मोकमाह |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 42. जामुई | शून्य |
| 43. गोड्डा | 1. गोड्डा |
| | 101 |

विवरण-2

वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार में जिन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की संभावना है, उनकी जिलावार सूची

| | |
|---|---|
| भोजपुर | 1. डुमरों |
| | 2. आरा |
| | 3. बक्सर |
| भागलपुर | 1. बांका |
| | 2. कहालगांव |
| | 3. नौगाचिया |
| | 4. सुल्तानगंज |
| साहेबगंज | 1. बड़हरवा |
| | 2. पाकुर |
| गोपालगंज | 1. हथवा |
| मधुबनी | 1. जयनगर |
| | 2. झांझरपुर |
| समस्तीपुर | 1. दलसिंहसराय |
| | 2. समस्तीपुर |
| देवघर | 1. मधुपुर |
| पलामू | 1. गढ़वा |
| गिरिडीह | 1. बरमो |
| | 2. झुरिया |
| हजारीबाग | 1. रामगढ़ |
| सिंहभूम | 1. घटशिला |
| | 2. चक्रधरपुर |
| | 3. मनोहरपुर |
| अररिया | 1. अररिया कोर्ट |

| | |
|---|---|
| नालंदा | 1. हिलसा |
| | 2. पावापुरी |
| मुंगेर | 1. जमुई |
| | 2. झाझा |
| | 3. लखीसराय |
| | 4. शेखपुरा |
| चम्पारन | 1. अरेराज |
| | 2. बाघसा |
| | 3. रक्सौल |
| मधेपुरा | 1. बिहारीगंज |
| सहरसा | 1. बीरपुर |
| | 2. सुपौल |
| रोहतास | 1. डालमियानगर |
| | 2. सासाराम |
| | 3. भबुआ |
| पटना | 1. कांकरबाग |
| | 39 |

अकबर होटल के भूतपूर्व कर्मचारी

1226. श्री रोशन लाल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 में अकबर होटल को बन्द कर दिए जाने के बाद श्रेणीवार इस होटल के कुल कितने भूतपूर्व कर्मचारियों को मन्त्रालय में खपाया गया;

(ख क्या मन्त्रालय के कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतनमान तथा वार्षिक वेतनवृद्धि, छुट्टी यात्रा रियायत भत्ता, पेंशन जैसे अन्य आर्थिक लाभ तथा सेवा को स्थायी करने तथा नियमित करने आदि लाभ अकबर होटल से मन्त्रालय में खपाए गए ऐसे सभी कर्मचारियों को भी देय होंगे;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को मन्त्रालय के कर्मचारियों के समकक्ष लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) अकबर होटल के दो टेलीफोन आपरेटरों को कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद दिसम्बर, 1988 में इस मन्त्रालय में स्थायी रूप से शामिल कर लिया गया था ।

(ख) उनके वेतनमान अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, उच्चतम न्यायालय को दिए गए आश्वासन के अनुरूप उन्हें वह वेतन दिया जा रहा है जो उक्त होटल बन्द होने के समय उन्हें दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त उन्हें, जैसा भी मामला हो, 120/- रुपये या 100/- रुपये की दर से अन्तरिम सहायता तथा साथ ही समय-समय पर देय 30/- रुपये, 40/- रुपये और 50/- रुपये प्रति किश्त की दर से तदर्थ महंगाई भत्ता और अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर सामान्य तदर्थ बोनस भी दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) उनके वेतनमान और अन्य वित्तीय लाभों के प्रश्न पर नये पदों के सृजन के बाद ही विचार किया जा सकता है। नये पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव मन्त्रिमन्डल को भेजा गया था लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार पर्यटन मन्त्रालय अकबर होटल के भवन को वापस लेकर इसे फिर से होटल में बदलना चाहता है। उस हालत में आई०टी०डी०सी० के सभी भूतपूर्व कर्मचारी अपने मूल विभाग को लौट जाएंगे।

## देश में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

1227. **श्री राम नरेश सिंह :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 जून, 1991 को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या क्या थी; और

(ख) वर्ष 1991 के दौरान देश में कितने इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार स्थापित किए जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० पी० रंगय्या नायडु)** : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### विवरण

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 30.6.91 तक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की संख्या | 1991-92 के दौरान संस्थापित की जाने वाली इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज यूनिटों (मुख्य+विस्तारों सहित) की संख्या (नियोजित) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **राज्य** | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 236 | 375 |
| 2. | असम | 84 | 91 |
| 3. | बिहार | 111 | 238 |
| 4. | गुजरात | 182 | 243 |
| 5. | हरियाणा | 172 | 134 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 92 | 97 |
| 7. | जम्मू तथा कश्मीर | 17 | 37 |
| 8. | कर्नाटक | 384 | 383 |
| 9. | केरल | 154 | 249 |
| 10. | महाराष्ट्र | 346 | 391 |
| 11. | गोवा | 27 | 19 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 475 | 634 |
| 13. | उड़ीसा | 189 | 97 |
| 14. | पंजाब | 166 | 181 |
| 15. | राजस्थान | 220 | 204 |
| 16. | तमिलनाडु | 252 | 374 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 393 | 223 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 67 | 169 |
| 19. | सिक्किम | 4 | 7 |
| 20. | अरुणाचल प्रदेश | 24 | 19 |
| 21. | मणिपुर | 7 | 24 |
| 22. | त्रिपुरा | 21 | 11 |
| 23. | मेघालय | 19 | 10 |
| 24. | मिजोरम | 9 | 9 |
| 25. | नागालैंड | 6 | 17 |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | |
| 1. | दादरा व नगर हवेली | 3 | शून्य |
| 2. | दमन व दीव | 2 | शून्य |
| 3. | लक्षद्वीप | 8 | शून्य |
| 4. | माहे | शून्य | शून्य |
| 5. | चण्डीगढ़ | 2 | 2 |
| 6. | पांडिचेरी | 3 | 2 |
| 7. | अण्डमान व निकोबार | 7 | 8 |
| 8. | दिल्ली | 49 | 21 |

### गोमांस की तस्करी

[हिन्दी]

1228. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गोमांस की तस्करी की जा रही है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं तथा पिछले एक वर्ष के दौरान कितना गोमांस पकड़ा गया; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या कारंवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान गोमांस की तस्करी का कोई मामला सीमा सुरक्षा बल की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### इस्पात के उत्पादन में कमी

[अनुवाद]

1229. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 तक तथा अब तक इस्पात का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या पिछले 12 महीनों के दौरान कोकिंग कोयले की सप्लाई कम होने के कारण इस्पात के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस्पात का उत्पादन बढ़ाने तथा इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) तैयार इस्पात का उत्पादन निम्नानुसार है :—

| | |
|---|---|
| 1989-90 | 130 लाख टन |
| 1990-91 | 134 लाख टन |

(ख) जी, हां।

(ग) कोकिंग कोयले की कमी, इसकी खराब किस्म और सम्मिश्र में उतार-चढ़ाव होने के कारण "सेल" के संयंत्रों में वर्ष 1990-91 के दौरान अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में लगभग 3.9 लाख टन की कमी आई।

(घ) कोककर कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ लगातार पारस्परिक कार्रवाई करना, कोककर कोयले का आयात और इसका बेहतर प्रबन्धन तथा कोयले के रेलवे संचलन का सतत प्रबोधन करना शामिल है।

इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

— वर्धित उत्पादकता प्राप्त करने के लिए इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और संयंत्र एवं उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण।

— इस्पात संयंत्रों को आदानों, विशेष रूप से कोयले और बिजली की सप्लाई का प्रबोधन, ताकि बिना व्यवधान के उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

— निजी विद्युत उत्पादन में वृद्धि।

— "सेल" के संयंत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी और जनशक्ति व्यवस्था को अपनाना।

— उन मामलों में कुछ शर्तों पर इस्पात क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करना जिनमें अत्यधिक विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त हो ताकि निजी क्षेत्र में नए संयंत्रों की स्थापना की अनुमति दी जा सके।

**पंजाब में गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा**

1230. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जून, 1991 के दौरान पंजाब में रेल यात्रियों के नरसंहार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) :** (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। चलती गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपलब्ध करायी गई है और रेल पटरियों पर गश्त गहन की गई है।

**पल्लकड़ में भारतीय टेलीफोन उद्योग की इकाई का विस्तार**

1231. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की केरल के पल्लकड़ में स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग की इकाई का विस्तार अथवा नवीनीकरण करने सम्बन्धी योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :** (क) जी हां।

(ख) 1.5 लाख लाइनों से 2.6 लाख लाइनों तक की क्षमता के विस्तार का कार्य प्रगति पर है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संयंत्र को आधुनिक बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि ई 10 बी इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर का अभिनव प्रौद्योगिकी के अनुरूप किया जा सके।

**बिक्री कर की दरों में समानता**

1232. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मन्त्री 23 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2389 के संबंध में दिए गए आश्वासन के कार्यान्वयन संबंधी वक्तव्य के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाहनों जैसे कारों, बसों और ट्रकों के बिक्री कर की दरों में समानता लाने के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिक्री कर की चोरी को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन का विचार सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र में प्रत्येक मद के संदर्भ में है बिक्री कर की दरों में समानता लाने के मामले में विचार करने का है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मामले को उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद की होने वाली अगली बैठक की कार्यसूची में शामिल करने के लिए कारंवाई आरम्भ कर दी गई है। दिल्ली में होने वाला व्यापार वितरणशील पद्धति पर चल सकने के अनुरूप होने के कारण दिल्ली प्रशासन उत्तरी क्षेत्र में, बिक्री कर की दरों में यथासम्भव एकरूपता बनाए रखना चाहता है।

**खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि**

1233. **श्री हरिन पाठक** :

**श्री अरविन्द त्रिवेदी** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ब्रांड-वार, इनकी कीमतों में कितनी बार वृद्धि की गई;

(ग) गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को कितनी वित्तीय सहायता/राजसहायता दी गई;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का खाद्य तेलों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड पर कोई नियन्त्रण होता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) जी, हां।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई, उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तिलहनों/खाद्य तेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यकलापों के लिए पिछले वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को कोई वित्तीय सहायता/राजसहायता नहीं दी गई।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1989 में स्वीकृत बाजार हस्तक्षेप कार्यों की शर्तों के अधीन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सम्पूर्ण व्यावसायिक स्वायत्तता दी गई है।

**विवरण**

**1 लीटर धारा परिष्कृत सरसों का तेल**

| संशोधन की तारीख | पुराने मूल्य (रुपए) | संशोधित मूल्य (रुपए) |
|---|---|---|
| 29.10.90 | 24.50 | 26.00 |
| 01.01.91 | 26.00 | 28.00 |
| 13.06.91 | 28.00 | 31.00 |

**200 मि० लीटर धारा परिष्कृत सरसों का तेल**

200 मि. लीटर पैक सितम्बर 1990 में शुरू किया गया। पहला मूल्य संशोधन 13.6.91 को किया गया था जब आरम्भिक मूल्य को 5.50 रुपए से संशोधित करके 6.00 रुपए प्रति पैक किया गया था।

**5 कि०ग्रा० परिष्कृत सरसों का तेल**

| संशोधन की तारीख | पुराने मूल्य (रुपए) | संशोधित मूल्य (रुपए) |
|---|---|---|
| 29.10.90 | 133.00 | 150.00 |
| 25.03.91 | 150.00 | 165.00 |

**1 लीटर धारा डबल फिल्टर्ड मूंगफली का तेल :—**

| संशोधन की तारीख | पुराने मूल्य (रुपये) | संशोधित मूल्य (रुपए) |
|---|---|---|
| 29.10.90 | 27.00 | 29.00 |
| 01.01.91 | 29.00 | 32.00 |
| 18.02.91 | 32.00 | 35.00 |
| 13.06.91 | 35.00 | 39.00 |

**5 कि०ग्रा० डबल फिल्टर्ड मूंगफली का तेल**

| संशोधन की तारीख | पुराने मूल्य (रुपए) | संशोधित मूल्य (रुपए) |
|---|---|---|
| 29.10.90 | 155.00 | 170.00* |
| 01.01.91 | 170.00 | 190.00* |
| 25.03.91 | 190.00 | 220.00* |

*महाराष्ट्र में अधिकतम खुदरा मूल्य गुजरात में सूचित अधिकतम खुदरा मूल्य से 5.00 रुपये प्रति पैक अधिक थे।

1 लीटर धारा परिष्कृत मूंगफली का तेल

| संशोधन की तारीख | पुराने मूल्य (रुपये) | संशोधित मूल्य (रुपये) |
|---|---|---|
| 29.10.90 | 31.50 | 34.00 |
| 01.01.91 | 34.00 | 38.00 |
| 15.05.91 | 38 00 | 47.00 |

500 मिली लीटर धारा डबल फिल्टर्ड सरसों का तेल

500 मिली लीटर धारा डबल फिल्टर्ड सरसों के तेल को दिसम्बर, 1990 में कलकत्ता में शुरू किया गया था जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य 14.00 रुपये प्रति पैक था। यह मूल्य अभी संशोधित नहीं किया गया है।

### पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि उत्पादन

1 34. श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रति एकड़ धान की पैदावार का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले एक दशक के दौरान पश्चिमी राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्यान्नों की उपज स्थिर रही है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों के बीच अन्तर को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) 1990-91 के दौरान चावल की राज्यवार प्रति हैक्टेयर उपज (कि॰ग्रा॰ में) प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पूर्वी राज्यों में चावल, जो इस क्षेत्र की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन राज्यों में चावल के विकास के लिए विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चावल की एक एकीकृत योजना को समेकित कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

### विवरण

1990-91 (अनन्तिम) के दौरान चावल की राज्यवार प्रति हैक्टेयर उपज (कि॰ग्रा॰ में)

| 1 | 2 |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 2502 |
| असम | 1293 |
| बिहार | 1254 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| गुजरात | 1490 |
| हरियाणा | 2778 |
| हिमाचल प्रदेश | 1247 |
| जम्मू और कश्मीर | 2431 |
| कर्नाटक | 1836 |
| केरल | 1837 |
| मध्य प्रदेश | 1176 |
| महाराष्ट्र | 1413 |
| उड़ीसा | 1207 |
| पंजाब | 3229 |
| राजस्थान | 1183 |
| तमिलनाडु | 3075 |
| उत्तर प्रदेश | 1826 |
| पश्चिम बंगाल | 1768 |
| अखिल भारत | 1751 |

**हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को वित्तीय सहायता**

1235. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों से उन्हें वित्तीय सहायता दिए जाने सम्बन्धी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क)** जी हां।

(ख) और (ग) ज्ञापन में दी गई मुख्य मांगे फलों के लिए समर्थन मूल्य, सेवों की पैकिंग करने के लिए गत्ते के डिब्बों के प्रबन्ध और शीत भन्डार गृह की सुविधाओं तथा मण्डी से सम्बन्धित हैं। सरकार ने 1990 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सेव की खरीद के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना आरम्भ की है। "ए" श्रेणी के सेब के मूल्य 4 रुपये प्रति किलोग्राम रखे गए थे और निकृष्ट श्रेणी के सेब के लिए मूल्य 1.30 रुपये प्रति किलोग्राम रखे गए थे। 4587 मीट्रिक टन निकृष्ट कोटि के सेव की खरीद 1.30 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से की गई थी। 1991 मौसम के लिए, "ए" श्रेणी के सेव के खरीद मूल्य 5 रुपए प्रति कि.ग्रा. रखे गए थे और परिसंस्करण योग्य निकृष्ट फलों के मूल्य 2.75 रुपए प्रति किलोग्राम रखे गए थे। 40,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद का लगभग 20 प्रति-

शत परिसंस्करण योग्य निकृष्ट फल होगा। कोरूगेटेड गत्ते के डिब्बों की सप्लाई के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एक कोरूगेटेड फाइबर बोर्ड कार्टन फैक्टरी स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी है। यह फैक्टरी 1990-91 के दौरान चालू हुई। सरकार ने इन गत्ते के डिब्बों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्राफ्ट पेपर पर उत्पाद शुल्क भी माफ कर दिया है।

यह विभाग शीतागार सुविधाओं के वैज्ञानिक उपयोग के लिए तकनीकी मार्गनिर्देश भी देता है। इस प्रकार की 14 सुविधाएं हैं जिनकी क्षमता 9,412 मीटरी टन है।

**बिहार को बाढ़ सहायता**

1236. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ के कारण बिहार में फसल, जान और माल की अनुमानित वार्षिक हानि कितनी होती है;

(ख) समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम/योजना बनायी है और इसके लिए, किस प्रकार की और कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) बिहार में बाढ़ के कारण जान और माल की हुई अनुमानित वार्षिक औसत क्षति निम्न प्रकार है :—

| क्र. सं. | मद | क्षति की मात्रा |
|---|---|---|
| 1. | प्रभावित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर) | 1.445 |
| 2 | प्रभावित जनसंख्या (मिलियन) | 6.468 |
| 3. | प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर) | 0.657 |
| 4 | क्षतिग्रस्त मकान (संख्या) | 1,49,790 |
| 5. | मृत मवेशी (संख्या) | 981 |
| 6. | मृत व्यक्ति (संख्या) | 84 |
| 7. | सार्वजनिक सुविधाओं की क्षति (करोड़ रुपए) | 30.49 |
| 8. | फसल, मकान और सार्वजनिक सुविधाओं की कुल अनुमानित क्षति (करोड़ रुपए) | 97.44 |

(ख) प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत कार्यों के निष्पादन का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकार का है। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रत्येक राज्य के लिए एक आवंटित राशि के साथ एक आपदा राहत निधि सृजित की गई है जिसमें 75 प्रतिशत का अंशदान गैर-योजना अनुदान के रूप में चार बराबर तिमाही किश्तों में केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। शेष राशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा स्वयं अपने संसाधनों में से की जाती है। राज्य आपदा राहत निधि के अन्तर्गत बिहार के लिए वार्षिक आवंटन 35.00 करोड़ रुपए है जिसमें से 26.25 करोड़ रुपए का अंशदान केन्द्र सरकार करती है ताकि प्राकृतिक आपदाओं, जिसमें बाढ़ भी शामिल है, के प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय को पूरा किया जा सके।

## गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

1237. श्री काशीराम राणा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 को सूरत, राजकोट, अहमदाबाद और बड़ौदा में नए टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूचियों में कितने व्यक्ति दर्ज थे;

(ख) उक्त प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन दे दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उपर्युक्त चार शहरों में दिसम्बर, 1991 तक कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए जाने की सम्भावना है ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क) 30.6.91 को नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार थी :

| | |
|---|---|
| सूरत | 43434 |
| राजकोट | 6712 |
| अहमदाबाद | 32109 |
| बड़ौदा | 27227 |

(ख) आठवीं योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि (आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (5000 लाइनों से कम क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों मे मांग होने पर टेलीफोन दिए जा सकें तथा 5000 लाइनों तथा उनसे अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा अवधि को औसतन एक वर्ष तक सीमित किया जा सके बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से, आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची का उत्तरोत्तर निपटान करने के लिए विस्तार योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ग) दिसम्बर, 91 तक दिए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की सम्भावित संख्या निम्नानुसार है :—

| | |
|---|---|
| सूरत | 3000 |
| राजकोट | 500 |
| अहमदाबाद | 3000 |
| बड़ौदा | शून्य |

## मनाली को एस० टी० डी० सेवा द्वारा जोड़ना

1238. **प्रो० प्रेम धूमल :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनाली को एस. टी. डी. सेवा के माध्यम से देश के अन्य भागों से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक जोड़े जाने की सम्भावना है ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क) जी नहीं।

(ख) मनाली से नई दिल्ली स्थित ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज तक एस० टी० डी० के लिए विश्वसनीय संचारण माध्यम सुलभ नहीं है।

(ग) 1993-94 में मनाली को एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने की योजना है।

**विशाखापटनम इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात का उत्पादन**

[अनुवाद]

1239. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम इस्पात संयंत्र में उत्पादन होना आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन उपलब्धता क्या है;

(ग) क्या इस संयंत्र को स्वयं को संपोषित रखने के लिए किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) जी, हां। चरण-1 के अन्तर्गत बार मिल को छोड़कर सभी उत्पादन इकाइयां वर्ष 1990-91 के दौरान चरणों में चालू हो गयीं।

(ख) चरण-1 के अन्तर्गत तप्त धातु, अपरिष्कृत इस्पात तथा तैयार उत्पादों की संस्थापित क्षमता क्रमशः 17 लाख टन, 15 लाख टन और 6 लाख टन है। वर्ष 1990-91 के दौरान तप्त धातु, अपरिष्कृत इस्पात तथा तैयार उत्पादों का उत्पादन क्रमशः 6.8 लाख टन, 1.12 लाख टन तथा 0.2 लाख टन था। चालू इकाइयां अभी स्थायीकरण प्रक्रिया में हैं।

(ग) और (घ) विशाखापटनम इस्पात संयंत्र अभी निर्माणाधीन है और इसके पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक निधि की व्यवस्था की जा रही है।

**भारत-बंगलादेश सीमा के ऊपर अमेरिका के विमानों द्वारा उड़ान भरना**

1240. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

**श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में भारत-बंगलादेश सीमा पर अमरीकी सैनिकों के विमानों की उड़ानों के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में अमरीका तथा बंगलादेश सरकारों से विरोध व्यक्त किया गया है;

(ग) क्या उपर्युक्त मिशन के दौरान त्रिपुरा में कोई अमरीकी विमान गिर गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

**विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**बिहार में डाक छंटाई का कम्प्यूटरीकरण**

[हिन्दी]

1241. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के कुछ शहरों में डाक की छंटाई का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस सुविधा का प्रसार अन्य शहरों में भी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के किन-किन शहरों में डाक छंटाई का कंप्यूटरीकरण किए जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**केरल में मछली पकड़ने वालों की सहकारी समितियों को मजबूत बनाना**

[अनुवाद]

1242. **प्रो० के० वी० थामस** :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मछली पकड़ने वालों की सहकारी समिमियों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या केरल में मछली पकड़ने वालों की सहकारी समितियों के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) : केरल राज्य सरकार ने समुद्री और अन्तर्देशीय मछुआरों को 104 मछुआरा विकास कल्याण सहकारी समितियों में संगठित

किया है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों आदि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की 50 सहकारी समितियों को संगठित किया है ताकि उन्हें जलाशय मत्स्यन आदि में पुनःस्थापित किया जा सके।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शिकायत यह है कि पात्र मछुआरों को सहकारी समितियों में सदस्यता नहीं दी गई।

(घ) केरल राज्य सरकार ने समितियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे उन सभी पात्र मछुआरों को सदस्यता दें जिन्होंने सदस्यता के लिए आवेदन दिया है।

**महाराष्ट्र में विकास बोर्डों की स्थापना**

[हिन्दी]

1243. **श्री मोरेश्वर सावे :**

**श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विकास बोर्डों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने, विभिन्न अवसरों पर, संविधान के अनुच्छेद 371 (2) की शर्तों के अनुसार विदर्भ मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों के गठन और इस अनुच्छेद को संशोधित करके, कोंकण के लिए पृथक विकास बोर्ड बनाने के प्रस्ताव भेजे हैं। अन्तिम निर्णय लेने से पहले इनकी कानूनी और संवैधानिक पहलुओं सहित विभिन्न दृष्टिकोणों से गहराई से जांच की जानी आवश्यक है।

**हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र में कृषि विकास के लिए एशियाई बैंक से सहायता**

[अनुवाद]

1244 **डा० सी० सिलवेरा :**

**क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र, चरण- दो में दीर्घकालीन कृषि के विकास हेतु कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक ने देश के अन्य भागों में भी ऐसी परियोजनाओं के लिए सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(ङ) यह सहायता देने के लिए एशियाई विकास बैंक की शर्तें क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक की सहायता से हिन्दूकुश हिमाचल क्षेत्र चरण-2 सतत् कृषि के विकास के लिये कोई परियोजना न तो चल रही है और न ही तैयार की जा रही है। अभी तक कृषि क्षेत्र में एशियाई विकास बैंक की सहायता कभी नहीं ली गई।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

**सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र लगाना**

[हिन्दी]

1245. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को सरकारी परिवारों में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र लगाने के संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र लगाए जाने के लिए चुने गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी परिसरों में भारत के राष्ट्रपति का चित्र लगाने के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) क्या सरकार को सरकारी परिसरों में विभिन्न धार्मिक प्रतीकों, प्रतिबिम्बों एवं चित्रों के लाने तथा छोटी-छोटी धार्मिक प्रतिक्रिया स्थापित करने की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब)** : (क) से (ङ) भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री सहित राष्ट्रीय नेताओं के फोटोग्राफ्स/भित्ती चित्रों को लगाने के विषय में कोई निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं। यह मामला विभागों के प्रमुखों के निर्णय के लिए छोड़ दिया गया है कि क्या उन्हें कार्यालय परिसर/कमरों में कोई फोटोग्राफ्स/ भित्ति चित्र लगाना चाहिए और यदि हां तो किस नेता विशेष का, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी चित्र को लगाने से कोई विवाद उत्पन्न न हो जाए।

**थानों में मामलों को दर्ज न करना**

1246. **श्री राम लखन सिंह यादव** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के थानों में अपराध के मामलों को दर्ज नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो न्यायालयों में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज न करने से संबंधित अब तक कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और ये मामले कब से लंबित हैं; और

(ग) पुलिस की ऐसी लापरवाही पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) से (ग) पांडिचेरी प्रशासन ने सूचित किया है कि दो उप-निरीक्षकों और 5 हैड कांस्टेबलों ने पुलिस स्टेशन में प्राप्त शिकायतों को दर्ज नहीं किया। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। अन्य संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि अपराध मामलों को दर्ज किया जा रहा है। मामलों को दर्ज न करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायालयों में आज की तारीख में कोई मामला लम्बित नहीं है।

**दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर आने हेतु अनुमति प्राप्त व्यक्ति**

1247. **श्री संतोष कुमार गंगवार** :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष कितने व्यक्तियों/समूहों को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने की अनुमति दी गयी थी;

(ख) ऐसी अनुमतियां किस आधार पर दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने संबंधों की पुनरीक्षा करने का कोई निर्णय लिया है;

**विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी)** : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं पर बराबर निगाह रखे हुए हैं। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के प्रति हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के साथ सम्बन्धों के पुनरीक्षण का निर्णय तभी लिया जाएगा जब हम इस ओर से आश्वस्त हो जाएंगे कि रंगभेद को समाप्त करने की प्रक्रिया अब किसी भी तरह पीछे नहीं लौट सकती।

**विवरण**

(ख) भारतीय राष्ट्रिकों के पासपोर्टों पर दक्षिण अफ्रीका के लिए पृष्ठांकन निम्नलिखित मामलों में किया जाता है :

(i) किसी निकट संबंधी की मृत्यु या मारक रुग्णता की स्थिति जैसे आपातिक मामलों के संबंध में।

(ii) यदि अनुरोध दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में रह रहे किसी संबंधी और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से प्राप्त हुआ है तो ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस या मूल भारतीय कांग्रेस द्वारा प्रयोजन प्रमाणपत्र/आमंत्रण पत्र की प्रामाणिकता सत्यापित किए जाने पर।

(iii) यदि वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के मौलिक सामुदायिक संगठनों की विशेष धार्मिक अथवा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आमंत्रित हों।

(iv) लेसोथो और स्वाजीलैंड में काम कर रहे भारतीय राष्ट्रिकों को डाक्टरी इलाज के उद्देश्य से या पारगमन के लिए मंजूरी दी जाती है। बोत्सवाना और मोजाम्बीक में काम कर रहे भारतीय राष्ट्रिकों को केवल आपातकालीन डाक्टरी इलाज के लिए मंजूरी दी जाती है।

(v) मिडिया कर्मचारियों को मिडिया के माध्यम से रंगभेद के विरुद्ध अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर मंजूरी दी जाती है।

(vi) अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे सम्बद्ध संगठनों द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्तियों अथवा संगठनों के प्रतिनिधियों को भी दक्षिण अफ्रीका जाने की अनुमति दी जाती है।

**आन्ध्र प्रदेश में तूफान से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक से सहायता**

[अनुवाद]

1248. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का विश्व बैंक के दल ने दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक ने किन-किन पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्त प्रदान किया है तथा अब तक कितनी सहायता-राशि दी गई है ;

(ग) क्या पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति संतोषजनक है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने का कार्य किन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित पुनर्निर्माण कार्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से संबंधित हैं :—

(1) डेल्टा क्षेत्रों और प्रभावित क्षेत्रों में जिलों के उच्च भूमि वाले भागों में सिंचाई और जल-निष्कासन प्रणाली, सिंचाई और जल-निष्कासन चैनल, ज्वार और बाढ़ संरक्षण बांध।

(2) समुद्री तूफान से क्षतिग्रस्त राज्य की लगभग 13,000 किलोमीटर तथा 12,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, लगभग 100 किलोमीटर सड़क के किनारे और संबंधित सड़क-पुल तथा पुलिया/नाले।

(3) सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में तूफान के समय के लिए बसेरा।

(4) बिजली संप्रेषण प्रणाली।

(5) नगर निगम की सड़कें, नालियां और पानी की सप्लाई।

(6) स्कूल के भवन और चिकित्सा भवन।

(7) और तटवर्तीय क्षेत्रों में आवास व्यवस्था।

विश्व बैंक ने अब तक राज्य को 29.24 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक परियोजना की प्रगति की मानिटरिंग राज्य-सरकार की एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और जिसकी सहायता मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सरकारी स्तर की समिति और राज्य सरकार के वित्त विभाग में अवस्थित एक परियोजना प्रबंध इकाई द्वारा की जाती है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक चरण और इस परियोजना की किस्म को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार मानती है कि प्रगति काफी सन्तोषजनक है।

**वीरानम झील (तमिलनाडु) से गाद निकालना**

1249. डा० पी० वल्लल पेरूमान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के दक्षिण आर्कोट जिले में वीरानम झील से गाद निकालने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस परियोजना को कब तक आरम्भ करने का विचार है?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) यह मामला राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। तमिलनाडु सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पाकिस्तानी जेलों में भारतीय मछुआरे**

1250. श्री भगवानशंकर रावत :

श्रीमती महेन्द्रकुमारी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी जेलों में काफी संख्या में भारतीय मछुआरे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से इस समय कितने जेल में हैं और कब से; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्हें शीघ्र छुड़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

**विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी)** : (क), (ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय पाकिस्तान की जेलों में कोई भारतीय मछेरा नहीं है।

**कीटनाशक औषधियों का उपयोग**

1251. श्रीमती डी० के० भण्डारी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1991 के दौरान दिल्ली में कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के संबंधों में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में क्या सिफारिशें की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार कीटनाशक औषधियों के संबंध में स्थाई समिति स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगामी वर्ष को 'कीटनाशक औषधियों' के विवेकपूर्ण उपयोग के वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) कीटनाशी दवाओं का सुरक्षित और उचित उपयोग विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला जनवरी 29-30, 1991, को दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) प्रमुख सिफारिशों में कीटनाशक दवाओं का आवश्यकता के आधार पर और उचित उपयोग, समेकित कीट प्रबन्ध और कीटों और रोगों के जैव नियन्त्रण पर अधिक बल देना शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार ने अपर सचिव, कृषि तथा सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में सरकार के सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों और एजेंसियो के प्रतिनिधियों को मिलाकर कीटनाशक विषयक एक स्थायी समिति पहले से ही गठित की है। इसके उद्देश्य निम्न हैं—

(क) खतरनाक कीटनाशी दवाओं की पहचान और उनका उपयोग तथा खपत की सामान्य वस्तुओं में कीटनाशक दवाओं के अवशेषों की मानिटरिंग और इसके फलत: शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक कार्य।

(ख) कीटनाशक दवाओं के अवशेषों के उपयोग से पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की स्थिति।

(ग) कीटनाशी दवाओं का उत्पादन करने और तैयार करने के लिए औद्योगिक परिसंस्करणों के विनियमन की आवश्यकता।

(ङ) चूंकि सरकार पहले से ही समेकित कीट प्रबन्ध नीति अपनाकर कीटनाशकों के सुरक्षित और उचित उपयोग को बढ़ावा दे रही है, अतः किसी वर्ष विशेष को कीटनाशकों के उचित उपयोग के वर्ष तौर पर घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है।

### बिहार में मात्स्यिकी विकास हेतु वित्तीय सहायता

1253. **श्री छेदी पासवान :**

**श्री रामलखनसिंह यादव :**

**मो० अली अशरफ फातमी :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में मात्स्यिकी विकास हेतु वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा मात्स्यिकी विकास हेतु गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) जी, हां।

(ख) बिहार सरकार की मछली पालक विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कल्याण कोष, मत्स्यिकी सांख्यिकी तथा प्रायोगिक जल-मल फार्मों की स्थापना की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत मात्स्यिकी के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान बिहार सरकार को क्रमश: 42,22,002 रुपये, 52,66,371 रुपए तथा 40,68,968 रुपए दिए गए हैं।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

**केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना पर व्यय**

[अनुवाद]

1254. **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है और गत तीन वर्षों के दौरान उस पर, वर्ष-वार, कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक आवंटन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) मार्च, 1991 के अन्त तक व्यय 3006 करोड़ रुपए है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार व्यय निम्नवत् है :

| वर्ष | करोड़ रुपए में |
|---|---|
| 1990-91 | 0.35 |
| 1989-90 | 0.48 |
| 1988-89 | 0.31 |

राज्य सरकार द्वारा सूचित परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 36.4 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है, जो किसी विशेष विकास के क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती है।

**टेलीफोन उपकरणों के लिए निर्यात आर्डर**

1255. **श्री यशवन्तराव पाटिल** :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन उपकरणों का निर्यात करने के लिए कोई बड़ा आर्डर प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे उपकरणों के लिए और अधिक निर्यात आर्डर प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने दूरसंचार उपस्करों के निर्यात को बढ़ाने में सहायता करने के लिए दूर संचार विभाग, इलेक्ट्रानिक्स विभाग, दूरसंचार विनिर्माता संघ, आई० टी० आई०, सी-डाट वाणिज्य मंत्रालय आदि से सदस्य चुनकर एक संचालन समिति का गठन किया है।

## उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

[हिन्दी]

1256. **श्री गोबिन्द चंद्र मुण्डा** :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कुल कितने इस्पात संयंत्र हैं तथा ये कहां-कहां स्थित है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा में नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) राउरकेला में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र तथा धनकानल और टिटलागढ़ में एक-एक लघु इस्पात संयंत्र हैं।

(ख) और (ग) सरकार का उड़ीसा में दैतारी में, इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था परन्तु संसाधन की अड़चनों के कारण इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सका। इस स्थान पर गैर सरकारी उद्यमियों के सहयोग से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु उड़ीसा इन्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन, जो राज्य सरकार का उपक्रम है, से एक आवेदन भी प्राप्त हुआ था। तथापि नई औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के लाइसेंस की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

## राजस्थान में सूखे का मुकाबला

[अनुवाद]

1257. **श्रीमती महेन्द्रकुमारी** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को सूखे से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गयी;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने 1990-91 के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) सूखे संबंधी प्रबन्ध पर खर्च वहन करने के लिए 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान राजस्थान सरकार को क्रमशः 216.26 करोड रुपए तथा 31.82 करोड़ रुपए का अधिकतम व्यय अनुमोदित किया गया था। पहले अप्रैल 1990 से सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं संबंधी प्रबन्ध पर खर्च वहन करने के लिए प्रत्येक राज्य के वास्ते एक आपदा राहत कोष बनाया गया है। राज्यीय आपदा राहत कोष के अन्तर्गत राजस्थान राज्य को 124.00 करोड़ रुपए वार्षिक आधार पर आबंटित किए गए हैं जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा चार तिमाही किश्तों में नान-प्लान अनुदान के रूप में दिया जाएगा। 1990-91 के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यीय आपदा राहत कोष के लिए केन्द्र के अंशदान के रूप में 93.00 करोड़ रुपए दिए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

**केरल में एस० टी० डी० और टेलेक्स सुविधा वाले दूर संचार केन्द्र**

1258. **श्री के० मुरलीधरन** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एस०टी०डी० और टेलेक्स सुविधा वाले दूर संचार केन्द्र प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क) व (ख) केरल सर्किल में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाओं और टेलेक्स सुविधाओं सहित 29 दूरसंचार केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं और वर्ष 1991-92 के दौरान उपभोक्ता ट्रंक डायल और टेलेक्स सुविधाओं सहित ऐसे सात और दूरसंचार केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

**उत्तर प्रदेश के ग्रामीण डाकघरों में टेलीफोन सुविधा**

[हिन्दी]

1259. **श्री रामबदन** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ और मऊ जिलों में ऐसे कितने डाकघर हैं जहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) सरकार का सभी ग्रामीण डाकघरों में कब तक टेलीफोन लगाने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क)

(i) आजमगढ़ जिला — 276

(ii) मऊ जिला — 138

(ख) सभी ग्रामीण डाकघरों में टेलीफोन संस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की विभाग ने योजना बनाई है। ये टेलीफोन निम्नलिखित में लगाए जा सकते हैं :

(i) डाकघर

(ii) पंचायत घर

(iii) पंसारी की दुकान या अन्य उपयुक्त स्थान जहां लोग आते-जाते हो।

**कीटनाशक विष के कारण मृत्यु**

1260. **श्री गिरधारीलाल भार्गव :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कीटनाशकों से विषाक्त होने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ख) कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन)** : (क) कीटनाशी दवाओं की विषाक्तता के कारण हुई मौतों की संख्या से संबंधित, 1987-1990 तक के वर्षों के लिए उपलब्ध विवरण संलग्न है। वर्ष 1990-91 के लिए सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार, पौध संरक्षण अध्ययन की मुख्य अभिवृद्धि के रूप में समेकित कीट प्रबन्ध तकनीक को शुरू करने का समर्थन कर रही है। समेकित कीट प्रबन्ध दृष्टिकोण में, कीट निगरानी, कीट आक्रमण के आर्थिक अवसीमा स्तर के बाद रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग, कीट नियंत्रण के लिए पालन, रासायनिक तथा जीव-विज्ञान संबंधी पद्धतियों पर बल दिया गया है। इस प्रणाली को अपनाने से कीटनाशी दवाओं के केवल न्याय संगत तथा आवश्यकता पर आधारित उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

**विवरण**

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | शून्य | — | 34 | |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | — | शून्य | — | |
| 3. | असम | — | शून्य | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | — | शून्य | — |
| 5. | गोवा | — | शून्य | --- |
| 6. | गुजरात | — | शून्य | — |
| 7. | हरियाणा | — | शून्य | — |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 3 (पशु) | 6 | 10 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | — | — | — |
| 10. | कर्नाटक | — | शून्य | — |
| 11. | केरल | शून्य | — | 237 |
| 12. | मध्य प्रदेश | आंचलिक सम्मेलन में 1986-88 से मौतों की संख्या सहित कीटनाशी दवाओं की विषाक्तता के 272 मामलों की सूचना दी गई। 89-90 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। | | |
| 13. | महाराष्ट्र | — | शून्य | — |
| 14. | मणिपुर | — | शून्य | — |
| 15. | मेघालय | | शून्य | — |
| 16. | मिजोरम | — | शून्य | — |
| 17. | नागालैण्ड | — | शून्य | — |
| 18. | उड़ीसा | 2 | शून्य | — |
| 19. | पंजाब | 126 | शून्य | 149 |
| 20. | राजस्थान | — | शून्य | — |
| 21. | सिक्किम | — | शून्य | — |
| 22. | तमिलनाडु | 4 (पशु) | — | 1 |
| 23. | त्रिपुरा | — | शून्य | — |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 54 | 78 | 100 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | — | शून्य | — |
| 26. | अण्डमान और निकोबार | — | शून्य | — |
| 27. | चण्डीगढ़ | — | शून्य | — |
| 28. | लक्षद्वीप | — | शून्य | — |
| 29. | पांडिचेरी | शून्य | 108 | 131 |

## पाकिस्तान के साथ परमाणु-अप्रसार संधि पर विचार-विमर्श

[अनुवाद]

1261. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदीव में हाल ही में हुए सार्क सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने परमाणु-अप्रसार संधि पर कोई विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

**विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) :** (क) और (ख) जुलाई के शुरू में माले में संपन्न सार्क मंत्रियों की परिषद् की बैठक के समय भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने अपनी बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में रखे गए इस प्रस्ताव पर सरसरी तौर पर बात की थी, लेकिन उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा नहीं की कि दक्षिण एशिया में नाभिकीय अप्रसार के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए पांच देशों का एक सम्मेलन बुलाया जाए।

## मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

1262. **श्री अरविन्द नेताम :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या है;

(ख) ये कब से लम्बित पड़ी हैं और इनको स्वीकृति देने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इनको कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति का समय मुख्यतया केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की तत्काल अनुपालना, अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने पर निर्भर करता है।

### विवरण

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | प्राप्ति की तारीख | तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा करने की तारीख | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **बृहद परियोजनाएं** | | | |
| 1. | बारगी बहुप्रयोजनी | 6/83<br>1/89 | 9/89 | राज्य को पर्यावर्णिक स्वीकृति का प्रबन्ध करना है तथा वित्त विभाग की सहमति लेनी है। |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 2. पेंच व्यपवर्तन | 8/85 8/88 | 10/88 | निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग को 2/91 को भेज दी गयी थी । |
| 3. महान | 7/82 6/84 | 6/83 | राज्य को अनुमान संशोधित करने हैं और जलग्रहण उपचार योजना प्रस्तुत करनी है । |
| 4. मान | 11/82 1/84 | 12/86 | राज्य को अपने वित्त विभाग की सहमति से अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करने हैं। |
| 5. ओंकेश्वर बहुप्रयोजनी | 4/86 5/88 | 10/88 | केन्द्र को पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आस्थगित । |
| 6. थनवार टैंक | 12/85 12/90 | 3/91 | पुनर्वास की सामाजिक आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के अध्यधीन परामर्श समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई । |
| 2. मध्यम परियोजनाएं | | | |
| 1. गेज | 6/84 | 9/84 | राज्य द्वारा अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत किए जाने हैं तथा अपने वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है । |
| 2. माहौर | 7/84 2/91 | 9/84 | अद्यतन लागत अनुमान पर राज्य सरकार को टिप्पणियों की अनुपालना करनी है तथा वन स्वीकृति प्राप्त करनी है । |
| 3. बाह | 5/87 | 4/88 | राज्य द्वारा अद्यतन लागत अनुमान, राज्य वित्त विभाग की सहमति तथा वन स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है । |
| 4. बारधार | 10/84 1/91 | 11/85 | हाल में अद्यतन लागत अनुमान प्राप्त हुए हैं तथा टिप्पणियां राज्य को भेज दी गयी हैं । |
| 5. सुतियापट टैंक | 6/89 | 11/89 | विस्तृत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनाएं संशोधित लागत लाभ अनुपात आदि के ब्यौरे न भेजने के कारण आस्थगित कर दी गयी । |

(ख) केन्द्र के पास शेष परियोजनाओं की स्थिति

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | प्राप्ति की तारीख | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. बृहत परियोजनाएं | | | |
| 1. | बाणसागर यूनिट-II | 7/88<br>1/91 | संशोधित रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा लागत अनुमानों और संयंत्र आयोजना पर टिप्पणियों को अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेजा गया है। |
| 2. | बारनी दिक परिवर्तन | 4/85<br>11/90 | परियोजना मूल्यांकन के उन्नत चरण में है। राज्य द्वारा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। |
| 3. | केलो सिंचाई | 5/88<br>4/90 | राज्य को बांध डिजाइन का हल करना है तथा कोयला खानों की जलमग्नता के सम्बन्ध में कोयला विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति भी प्राप्त करनी है। |
| 4. | मोंगरा सिंचाई | 5/89 | राज्य को तकनीकी मुद्दों को हल करना है तथा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की व्यवस्था करनी है। |
| 5. | महानदी | 10/83<br>2/90 | राज्य को तकनीकी मुद्दों को हल करना है तथा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की व्यवस्था करनी है। |
| 6. | सिंह सोपान-II | 6/79<br>12/90 | संशोधित रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। राज्य द्वारा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की व्यवस्था की जानी अपेक्षित हैं। |
| 7. | राजघाट नहर | 1/89<br>11/90 | राज्य वित्त विभाग की सहमति तथा पर्यावरण एवं वन दृष्टि से स्वीकृति भी प्राप्त करनी है। शीर्ष नियामक के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है। |
| 2. मध्यम परियोजनाएं | | | |
| 1. | परेन्ध परियोजना | 3/91 | संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा राज्य सरकार को टिप्पणियां भेज दी गई हैं। |

जमरानी बांध परियोजना

[अनुवाद]

1263. श्री बलराज पासी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमरानी बांध परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ख) क्या परियोजना का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और परियोजना का निर्माण कार्य पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश की जामरानी बांध परियोजना की अनुमानित लागत 1987 के मूल्य स्तर पर 144.84 करोड़ रुपए है तथा जून, 1991 तक परियोजना पर 16.97 करोड़ रुपये व्यय आया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस परियोजना को नौवीं योजना में आगे लाए जाने का कार्यक्रम है।

चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन

1264. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(ख) इन आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित पड़े आवेदनों की संख्या 459 है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तरोत्तर रूप से।

मध्य प्रदेश के बालाघाट में तांबे के भंडार

[हिन्दी]

1265. श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट तांबे के प्रचुर भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बालाघाट में तांबा प्रगालन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या हैं ?

**खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) और (ख) जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) में मलंजखंड तांबा निक्षेप में अब तक के गवेषण के आधार पर 1.12% तांबा अंश वाले 306 मिलियन टन स्वस्थानिक भंडारों का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) बालाघाट में तांबा प्रगालन संयंत्र लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) और (ङ) मलंजखंड तांबा निक्षेपों के इष्टतम विदोहन हेतु साध्यता अध्ययन चल रहा है, जिसमें अन्य के साथ-साथ, प्रगालन संयंत्र लगाने का प्रश्न भी शामिल है ।

**किसानों को सहायता**

1266. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :**

**श्री महेश कुमार कनोडिया :**

**श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों द्वारा उत्पादन में वृद्धि हेतु उन्हें वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान किसानों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके कृषि विज्ञान केन्द्रों जैसे संस्थानों, विस्तार सेवाओं, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थानों, कृषि सेवा केन्द्रों आदि द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) भारत सरकार किसानों को सीधे वित्तीय सहायता नहीं देती ।

**कीटनाशक विशाक्तन**

[अनुवाद]

1267. **श्री रवि राय :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 1991 के "दि ट्रिब्यून" में पेस्टीसाइड्स टेक हैवी रोल इन थर्ड वर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा कीटनाशक विषाक्तन के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार लेख में उठाए गए मसलों के प्रति सजग है।

कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकरण समिति कीटनाशी दवाओं का पंजीकरण मानवजाति, पशुओं और पर्यावरण को इससे सुरक्षा के सम्बन्ध में अपने को आश्वस्त कर लेने के पश्चात् ही करती है। सांविधिक आवश्यकता के अनुसार कीटनाशी दवाओं के डिब्बों पर लगे हुए लेबल और पत्रकों पर कीटनाशी दवाओं के सुरक्षित उपयोग के सम्बन्ध में संदेश/निर्देश लिखा होता है क्योंकि इन जहरीली कीटनाशी दवाओं के दुरुपयोग अथवा गलत उपयोग से जहर फैल सकता है/मौत हो सकती है। इसके अलावा, जन संचार और समय-समय पर विस्तार कार्मिकों के माध्यम से किसानों को कीटनाशी दवाओं का सुरक्षित उपयोग करने के सम्बन्ध में शिक्षित कर दिया जाता है। कीटनाशी दवाओं के प्रभाव से बचने के लिए किसानों द्वारा सुरक्षात्मक कपड़े के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

सुरक्षात्मक उपाय के तौर पर अधिकांश अत्यधिक विषाक्त कीटनाशी दवाओं पर रोक लगा दी गई है अथवा उनका पंजीकरण अस्वीकृत कर दिया गया है अथवा उनका उपयोग प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इसके अलावा, जब अत्यधिक विषाक्त प्रकार की किसी विशेष कीटनाशक की प्रभावकिता पर विचार करते हुए इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता है, तो इसकी सुरक्षित कार्य प्रक्रिया का पंजीकरण किया जाता है।

कीटनाशी दवाओं के गलत उपयोग तथा अत्यधिक उपयोग से बचने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत खाद्य वस्तुओं के लिए अधिकतम अवशेष सीमा निर्धारित की गई है।

कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार कीटनाशी दवाओं के कारण जहर फैलने की घटना की रिपोर्ट करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यकर्ता संगठनों को अधिसूचित किया गया है। इस सूचना से लोगों द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न कीटनाशी दवाओं के खतरों का मानीटरिंग करने और अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों का आवश्यक अध्ययन करने और उस पर कार्यवाही शुरू करने का विचार है।

कीटनाशी दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए सरकार समेकित कीट प्रबन्ध उपागम अपनाने का समर्थन कर रही है। यह उपागम कीट आक्रमण के अर्थ-सीमा स्तर, कीट-नियंत्रण के लिए संवर्धन, यांत्रिकी और जैव पद्धतियों के पश्चात् ही कीट निगरानी और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग पर जोर देती है।

## कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का पुनर्गठन

[हिन्दी]

1268. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को पुनर्गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1989 में पुनर्गठित कृषि लागत और मूल्य आयोग की मौजूदा संरचना बहुत व्यापक है—इसमें दोनों व्यावसायिक व्यक्ति तथा कृषक समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी व्यक्ति शामिल हैं।

**छोटे मछुआरों की समस्यायें**

**[अनुवाद]**

1269. **प्रो० राम कापसे :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यांत्रिक मत्स्य नौकाओं के प्रयोग से छोटे मछुआरों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) यांत्रिक नौकायें रखने वाले छोटे मछुआरों द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य समस्याएं निम्न हैं—

(I) नौकाओं के संचालन की लागत में वृद्धि और

(II) मात्स्यिकी पत्तन और मत्स्य अवतरण केन्द्रों आदि जैसी अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं।

(ख) चूंकि हाई स्पीड डीजल तेल की लागत छोटी यांत्रिक नौकाओं की संचालनात्मक लागत के 60 प्रतिशत से अधिक है, अतः सरकार ने यांत्रिक नौकाओ के मालिकों को राहत देने के प्रयास में 1990-91 के दौरान यांत्रिक नौकाओं में उपयोग में लाए जाने वाले हाई स्पीड डीजल तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए योजना शुरू की है। सरकार यांत्रिक मत्स्यन नौकाओं के उतरने और ठहरने की सुविधा देने के लिए प्रमुख पोर्टों पर मात्स्यकी पत्तनों के अलावा छोटे बन्दरगाहों पर मात्स्यकी पत्तन और मत्स्य अवतरण केन्द्रों का भी निर्माण करती रही है। अब तक चार प्रमुख मात्स्यिकी पत्तन, 23 छोटे मात्स्यिकी पत्तन और 96 मत्स्य अवतरण केन्द्रों को शुरू कर दिया गया है।

**तिलहन के मूल्यों में गिरावट**

1270. **श्री विजय नवल पाटिल :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन विशेषकर सरसों के मूल्यों में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो किसानों पर मूल्य में आई गिरावट का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में तिलहनों के फालतू भण्डार की खरीद नहीं की है जिससे तिलहनों के मूल्यों में गिरावट को रोका जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की ओर से कार्य कर रही सम्बद्ध सहकारी एजेंसियों ने देश में प्रमुख उत्पादन केन्द्रों से मूंगफली और सरसों के बीज की खरीद की है तथा मूल्यों को लाभकारी स्तरों पर कायम रखने में सहायता की है।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिलों में नए टेलीफोन**

1271. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना की समाप्ति तक महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के ग्रामीण, पिछड़े, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर परभणी, नान्देड़, भिस और मनमाड जिलों में मांग पर कितने नए टेलीफोन दिए जाएंगे;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था और क्या इसे पूरा कर लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु)** : (क) आठवीं योजना प्रारूप इस उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि 5000 लाइनों से कम लाइनों की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में मांग होने पर टेलीफोन (आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक) प्रदान किए जा सकें तथा 5000 और उससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा अवधि को औसतन एक वर्ष तक सीमित किया जा सके। परवाने (परभणी), नान्देड़, भिस (भीर) तथा मनमाड जिलों के सम्बन्ध में यह योजना बनाई गई है कि 31.3.1995 तक व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्य मनमाड में पूर्ण रूप से, भीर में आंशिक रूप से तथा परभणी और नान्देड़ में प्राप्त नहीं किए गए हैं। सातवीं योजना के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां निम्नानुसार है :—

| स्टेशन | निर्धारित लक्ष्य | 31.3.90 तक उपलब्धियां (प्रतीक्षा सूची का निपटान) प्रतीक्षा सूची की किस्म | तारीख जिस तक निपटान किया जा चुका है। |
|---|---|---|---|
| परभणी | 1.4.19 8 तक की मांग पूरी की जानी है। | ओ वाई टी | 23.7.1986 |
| | | गैर ओ वाई टी विशेष | 20.9.1985 |
| | | गैर ओ. वाई. टी. सामान्य | 13.8.1985 |
| मनमाड | 1.4.1988 तक मांग पूरी की जानी है | 31 3.90 को कोई प्रतीक्षा सूची नहीं थी | 31 3 90 |
| नान्देड़ | 1.4.19:8 तक की मांग पूरी की जानी है | ओ. वाई टी. विशेष | 2.4.1984 |
| | | ओ. वाई. टी. सामान्य | 2.3.1982 |
| | | गैर ओ. वाई. टी. सामान्य | 15.6.1979 |
| भीर (बीड) | 1.4.1988 तक की मांग पूरी की जानी है। | ओ. वाई. टी. | 12.10.1989 |
| | | गैर ओ. वाई. टी. विशेष | 24 2.1985 |
| | | गैर ओ. वाई. टी सामान्य | 16.3.1982 |

उपस्करों की कमी होने के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में कमी हो गई थी।

**वकीलों को टेलीफोन कनेक्शन**

1272. **श्री पी० सी० थामस :**

**श्री पवन कुमार बंसल :**

**क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का बिना पारी के टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु वकीलों को "विशेष श्रेणी" की सूची में लाने का कोई विचार है ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :** जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक की सहायता**

1273. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जिन शर्तों पर सहायता दी गई है या दी जायेगी उनका ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख) जी हां। कलाना सिंचाई तथा पेड़ फसल विकास परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 60 मिलियन डालर की क्रेडिट तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना एवं विकास बैंक से 20 3 मिलियन डालर का ऋण प्राप्त हुआ था। सहायता के लिए शर्तें मानक शर्त पर है, जो संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त (1) नय्यार परियोजना (2) मालामपुझा (3) पोयुणडी (4) मंगलम (5) वजाणी (6) पीछी नामक छः अन्य परियोजनाएं राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता के वास्ते शामिल की की गई हैं जिनकी इस समय लागत 9.15 करोड़ रुपए है।

**विवरण**

**(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के क्रेडिट करार की शर्तें :**

(i) समय-समय पर लिए गए क्रेडिट की मूल धनराशि पर प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के आधे (1% का $\frac{1}{2}$) की दर से वचनबद्ध प्रभार का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को छमाही भुगतान किया जाना है।

(ii) समय-समय पर लिए गए तथा बकाया क्रेडिट की मूल धनराशि पर प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के तीन चौथाई (1% का $\frac{1}{2}$) की दर से सेवा प्रभार का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को छमाही भुगतान किया जाना है।

(iii) छमाही किश्तों में क्रेडिट की मूल धनराशि की पुर्नअदायगी प्रत्येक 1 मार्च और 1 सितम्बर को देय है जो 1 सितम्बर, 1992 से शुरू होगी तथा 1 मार्च, 2032 को समाप्त होगी, मार्च, 2002 को देय किश्त सहित प्रत्येक किश्त ऐसे मूल धन के एक प्रतिशत की आधी होगी और इसके पश्चात प्रत्येक किश्त ऐसे मूल धन की डेढ़ प्रतिशत होगी।

**(ख) अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक ऋण के करार की शर्तें :**

(i) समय-समय पर न लिए ऋण के मूल धन पर प्रतिवर्ष एक प्रतिशत का तीन चौथाई (1% का $\frac{3}{4}$) की दर पर वचनबद्ध प्रभार का इस बैंक को छमाही भुगतान किया जायेगा।

(ii) समय-समय पर लिए गए तथा बकाया ऋण के मूल धन पर प्रतिवर्ष $11\frac{3}{5}\%$ की दर पर बैंक को ब्याज का भुगतान छमाही किया जायेगा।

(iii) छमाही किश्तों में ऋण के मूल धन की पुर्नअदायगी प्रत्येक 1 मार्च तथा 1 सितम्बर को देय है जो 1 मार्च, 1988 से शुरू होकर 1 सितम्बर, 2002 को समाप्त होगी।

**मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन**

[हिन्दी]

1274. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मलाजखंड तांबा खान से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में अयस्क निकाला जाता है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की बजाए खेतड़ी (राजस्थान) में तांबा निकालने की प्रक्रिया जारी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में ही तांबा निकालने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) मलाजखंड तांबा खान से तीन वर्षों में अयस्क उत्पादन इस प्रकार रहा :—

| वर्ष | (मिलियन टन) |
|---|---|
| 1988-89 | 1.90 |
| 1989-90 | 2 00 |
| 1990-91 | 2.08 |

(ख) जी हां।

(ग) हिंदुस्तान कापर लि० के खेतड़ी स्थित विद्यमान प्रगालक में पर्याप्त प्रगालन क्षमता है।

(घ) मध्य प्रदेश में तांबा धातु उत्पादन के लिए प्रगालक लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## बिहार में फलों और सब्जियों की उपज

1275. **श्री बिजय कुमार यादव** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में और अधिक क्षेत्र में फलों और सब्जियों की खेती करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) और (ख) बिहार में फलों और सब्जियों की खेती के तहत और अधिक क्षेत्र को लाने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं :—

(1) बिहार के नर्सरियों का विकास और मजबूत बनाना।

(2) बिहार में गौण फलों का विकास।

(3) बिहार में पान की बेल की खेती का विकास।

(4) बिहार में मखाना की खेती और परिसंस्करण।

### राजगीर (बिहार) में गंधक खनिज भंडारों का दोहन

[अनुवाद]

1276. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजगीर (बिहार) में गर्म पानी के बहुत से चश्मे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजगीर में गन्धक के खान भंडार भी खोज निकाले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

**खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) :** (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राजगीर क्षेत्र में 17 गर्म जल स्रोत होने की सूचना दी गई है। गर्म स्रोत प्री-कैम्ब्रियन क्वार्ट-जाइट के अन्दर भ्रंश दरारों से फूटते हुए बताए गए हैं और उनका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पानी में निम्न खनिज तत्व बताया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### फसलों की उत्पादन लागत प्रणाली की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति

1277. **श्री सुधीर गिरि :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों की उत्पादन लागत प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाई की है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :** (क) जी हां।

(ख) उस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ फसलों के उत्पादन की लागत के अनुमान लगाने की कार्यविधि की समीक्षा की और अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की और अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में उन्हें दोहराया।

(1) भाड़े पर ली गई मजदूरी का मूल्यांकन अदा की गई वास्तविक मजदूरी के आधार पर करना जारी रखा जाए भले ही वे मण्डी की मजदूरी या सांविधिक न्यूनतम मजदूरी कोई भी हो।

(2) पारिवारिक श्रम का मूल्य वास्तविक आकस्मिक मजदूरी की दर के आधार पर आंका जाये।

(3) किसानों के प्रबन्धकीय आदान को हिसाब में रखने के लिए चुकता लागत को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए।

(4) कृषि लागत और मूल्य आयोग को चाहिए कि वे फसलों के मन्डी में पहुंचने से पहले आदानों की लागत में हुए परिवर्तनों की दुबारा जांच करे और यदि आदानों की लागत में देखी जाने वाली वृद्धि पुर्वानुमानित वृद्धि से अधिक हो तो बुवाई के मौसम से पहले घोषित खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों को समायोजित करे।

भारत सरकार ने सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा स्थायी सलाहकार समिति के विचारों को प्राप्त करने के बाद श्रम के मूल्यांकन और आदान लागत के रूप में प्रबन्धन को हिसाब में रखने के संबंध में निम्नलिखित संशोधनों के साथ उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया :—

(1) श्रम के मूल्यांकन का आधार सांविधिक मजदूरी दर या वास्तविक मन्डी दर, जो भी अधिक हो, होना चाहिए।

(2) किसानों के प्रबन्धकीय आदान को हिसाब में रखने के लिए कुल लागत को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तथा इस घटक को जोड़कर एक अलग लागत (लागत सी 3) आकलित की जाए।

तथापि, कृषि लागत और मूल्य आयोग ने 1990-91 की खरीफ की फसलों के लिए मूल्य नीति संबंधी अपनी रिपोर्ट में इसके विस्तृत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय की समीक्षा का सुझाव दिया गया था। सरकार ने इन मामलों पर भारतीय कृषि अर्थ समिति के व्यावसायिक विशेषज्ञों के विचार मांगे थे और सभी पहलुओं की जांच के पश्चात अन्तिम दृष्टिकोण निर्धारित किया जायेगा।

**उपरि कृष्णा परियोजना**

1278. **श्री जे० चोक्का राव :**

**क्या जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरि कृष्णा परियोजना की संग्रहण क्षमता, कृष्णा जल न्यायाधिकरण पंचाट द्वारा किए गए आवंटन से अधिक है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मिले बिना ही निर्माण कार्य करा रही है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) से (ग) अपर कृष्णा परियोजना में अपर कृष्णा चरण-I तथा चरण-II शामिल हैं। चरण-I परियोजना को प्रारम्भ में 2.424 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 58.2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नवम्बर, 1963 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदुरपरांत विभिन्न तकनीकी-आर्थिक और अन्तर्राज्यीय पहलुओं की जांच करने के बाद 4.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करने के लिए संशोधित परियोजना अप्रैल, 1978 के दौरान 283.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर

अनुमोदित की गई थी। अपर कृष्णा परियोजना चरण-I, जिसमें अब कृष्णा नदी पर नारायणपुर और अलमट्टी नामक दो बांध शामिल हैं, में लगभग 60 हजार मिलियन क्यूबिक फिट संयुक्त सक्रिय भण्डारण है। इस परियोजना में 119 हजार मिलियन क्यूबिक फिट वार्षिक जल उपयोग की परिकल्पना की गयी है। हाल ही में, अपर कृष्णा परियोजना चरण I का संशोधित अनुमान लगभग 1215 करोड़ रुपए की लागत पर योजना आयोग द्वारा किया गया है। कर्नाटक सरकार ने अपर कृष्णा परियोजना चरण-II को अन्तिम रूप नहीं दिया है तथा इसे मूल्यांकन हेतु केन्द्र को नहीं भेजा है।

**स्मारक डाक टिकटें जारी करना**

1280. **प्रो० राम कापसे :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में स्मारक डाक टिकटें जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

**संचार मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :** स्मारक डाक टिकट जारी करने और अन्य संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए विभाग में एक फिलैटलिक सलाहकार समिति है। स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए प्रस्तावों की फिलैटलिक सलाहकार समिति के परामर्श से और निर्धारित मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है। मार्गनिर्देशों, फिलैटलिक सलाहकार समिति की सिफारिशों और अन्य विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में सीमित संख्या में स्मारक डाक टिकट जारी करने की अनुमति दी जाती है।

अपवाद स्वरूप मामलों में संचार मन्त्री की अनुमति से भी निर्णय लिए जाते हैं।

**बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना के गांवों में टेलीफोन सुविधा**

1281. **श्री कड़िया मुण्डा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :** (क) जी हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान ग्राम पंचायतों में तथा नौवीं योजना में शेष ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

**उल्फा द्वारा रूसी तकनीशियन की हत्या**

[हिन्दी]

1282. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम के उल्फा उग्रवादियों द्वारा रूसी तकनीशियन ग्रिचेन्कों के अपहरण और तत्पश्चात् उसकी हत्या किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी रिहाई के लिए पहले क्या प्रयत्न किए गए; और

(ग) ऐसी घटनाएं फिर से न होने देने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.7.91 को उल्फा उग्रवादियों ने ग्रिचेन्को सरगेई का अपहरण किया तथा बाद में उनकी हत्या कर दी।

(ख) दिनांक 3.7.91 को उल्फा ने एक प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 9.7.91 की शाम को 6 बजे तक श्री ग्रिचेन्को तथा एक अन्य अपहृत अधिकारी के एवज में छः कट्टर उल्फा उग्रवादियों को रिहा करने की मांग की थी। 8.7.91 को असम के मुख्यमन्त्री ने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर छः कट्टर उल्फा उग्रवादियों को छोड़ने के अपने निर्णय की घोषणा की थी तथा उनको 9.7.91 को छोड़ दिया गया था।

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत किया है और उनको सभी सहायता दी जा रही है।

**भारत और बंगलादेश के अधिकारियों की संयुक्त बैठक**

1283. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक दक्षिण त्रिपुरा के उदयपुर में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बातचीत के दौरान सीमापार से हो रही निरन्तर घुसपैठ को रोकने के उपायों के बारे में भी चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या भारत और बंगलादेश के अधिकारियों ने सीमा पर खम्भों की मरम्मत पर भी बातचीत की थी; और

(च) यदि हां, तो सीमा पर खम्भों की मरम्मत का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

**विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी)** : (क) जी, हां। भारत और बंगलादेश के अधिकारियों की संयुक्त बैठक दक्षिण त्रिपुरा में उदयपुर में हुई थी।

(ख) उपरिलिखित बैठक बंगला चकमा शरणार्थियों के प्रत्यावासन की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण त्रिपुरा (भारत) और उप आयुक्त खगराचारी (बंगलादेश) स्तर पर 18 फरवरी, 1991 को हुई थी। इसमें कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि चकमा शरणार्थियों के प्रतिनिधियों ने बंगलादेश लौटने में यह कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त की कि वहां के हालात उनके लौटने के लायक नहीं हैं तथा उनकी मांगे पूरी नहीं की गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

### इस्पात का उत्पादन

1284. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में इस्पात का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ख) प्रति वर्ष कितनी मात्रा में इस्पात आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) वर्ष 1990-91 के दौरान तैयार इस्पात का उत्पादन 134 लाख टन था।

(ख) प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख टन इस्पात का आयात किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं।

—वर्धित उत्पादकता प्राप्त करने के लिए इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और संयंत्रों एवं उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण।

—इस्पात संयंत्रों को आदानों, विशेष रूप से कोयले और बिजली की सप्लाई का प्रबोधन, ताकि बिना व्यवधान के उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

—निजी विद्युत उत्पादन में वृद्धि।

—"सेल" के संयंत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी और जनशक्ति व्यवस्था को अपनाना।

—उन मामलों में कुछ शर्तों पर इस्पात क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करना जिनमें अत्यधिक विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त हो ताकि निजी क्षेत्र में नए संयंत्रों की स्थापना की अनुमति दी जा सके।

### तिलहनों का उत्पादन

1286 **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में तिलहनों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) देश की तिलहनों की कुल कितनी आवश्यकता को ये राज्य पूरा करते हैं ;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इन राज्यों में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के लिए तिलहनों के अन्तिम अनुमान कुछ राज्यों से अभी नहीं मिले हैं। वैसे, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में 1990-91 के दौरान 9 तिलहनों का उत्पादन क्रमश: लगभग 29.8, 25.0 तथा 20.8 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना है। इन राज्यों का उत्पादन देश में कुल 9 तिलहनों के लगभग 191 लाख मीटरी टन के समग्र सम्भावित उत्पादन का 39.6 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) 1991-92 के दौरान तिलहन उत्पादन बढ़ाने में राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी मदद के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् तिलहन उत्पादन कार्यक्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में पहले ही चल रहा है।

उपर्युक्त योजना के अधीन 1991-92 के दौरान के वित्तीय आबंटन इस प्रकार हैं :—

(रुपये लाखों में)

| राज्य | केन्द्रीय अंश | राज्य का अंश | कुल |
|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 558.50 | 173.50 | 732.00 |
| राजस्थान | 461.70 | 151.60 | 613.30 |
| गुजरात | 601.75 | 177.25 | 779.00 |

**नर्मदा सागर परियोजना हेतु गुजरात को सहायता**

1287. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान नर्मदा सागर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात सरकार को कुल कितनी सहायता धन-राशि दी गई; और

(ख) इस परियोजना पर अब तक पूरे हुए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) केन्द्रीय सहायता राज्य को ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशष परियोजना से जुड़ी नहीं होती। वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के वास्ते अनुमोदित परिव्यय क्रमश: 154.75 करोड़ रुपए तथा 229.93 करोड़ रुपए था। इस परियोजना के वास्ते उपलब्ध बाह्य सहायता के कारण केन्द्रीय सहायता वर्ष 1989-90 के लिए 17.58 करोड़ रुपए तथा 1990-91 के लिए 96.94 करोड़ रुपए थी।

(ख) मार्च, 1991 तक सरदार सरोवर परियोजना के मुख्य बांध की खुदाई का 90.61% कंक्रीट का 20.27% तथा ड्रिलिंग कार्यों का 63.12% कार्य पूरा हो गया है। भूमिगत नदी तल

विद्युत गृह के वास्ते 90% खुली खुदाई कार्य, 50% भूमिगत खुदाई कार्य, 41% शाट क्रिटिंग कार्य, 35% राक बोल्टिंग कार्य पूरा हो गया है। नहर हैड पावर हाउस, उपस्करों की प्रतिष्ठापना, ट्रांसफोरमर याड आदि कार्य भी चल रहे हैं। नर्मदा मुख्य नहर तथा वितरण नेटवर्क के निर्माण का कार्य 0 से 144 कि० मी० की पहुंच में चल रहा है।

**कृषि महाविद्यालय**

1288. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर कृषि महाविद्यालय, राज्य-वार चल रहे हैं;

(ख) कृषि महाविद्यालयों की स्थापना से संबंधित कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जैसा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) शून्य।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**विवरण**

**"क" राज्य कृषि विश्वविद्यालय के तहत कृषि महाविद्यालयों की सूची**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| असम | 1. | कृषि महाविद्यालय, जोरहाट। |
| आन्ध्र प्रदेश | 2. | कृषि महाविद्यालय, विश्वनाथगढ़। |
| | 3. | कृषि महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद। |
| | 4. | एस० वी० कृषि महाविद्यालय, तिरुपति। |
| | 5. | कृषि महाविद्यालय, बपटिया, गुन्टूर। |
| | 6. | कृषि महाविद्यालय, नोवरा। |
| | 7. | कृषि महाविद्यालय, अस्वरीपेट। |
| बिहार | 8. | कृषि महाविद्यालय, कांके, रांची। |
| | 9. | कृषि महाविद्यालय, साबौर। |
| | 10. | कृषि महाविद्यालय, धोली। |
| गुजरात | 11. | कृषि महाविद्यालय, जूनागढ़। |
| | 12. | कृषि महाविद्यालय, नवसारी। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 13. बी० ए० कृषि महाविद्यालय, आनन्द । | |
| | 14. कृषि महाविद्यालय, दान्तीवाड़ा । | |
| हरियाणा | 15. कृषि महाविद्यालय, हिसार । | |
| | 16. कृषि महाविद्यालय, कोल । | |
| हिमाचल प्रदेश | 17. कृषि महाविद्यालय, पालमपुर । | |
| | 18. कृषि महाविद्यालय, सोलन । | |
| जम्मू व कश्मीर | 19. कृषि महाविद्यालय, सपोर । | |
| केरल | 20. कृषि महाविद्यालय, वेल्यानी, त्रिवेन्द्रम । | |
| कर्नाटक | 21. कृषि महाविद्यालय, हेब्बल, बंगलोर । | |
| | 22. कृषि महाविद्यालय, शिमोगा । | |
| | 23. कृषि महाविद्यालय, बीजापुर । | |
| | 24. कृषि महाविद्यालय, धारवाड़ । | |
| | 25. कृषि महाविद्यालय, रायचूर । | |
| मध्य प्रदेश | 26. कृषि महाविद्यालय, जबलपुर । | |
| | 27. कृषि महाविद्यालय, इन्दौर । | |
| | 28. कृषि महाविद्यालय, रीवा । | |
| | 29. कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर । | |
| | 30. कृषि महाविद्यालय, खंडवा । | |
| | 31. कृषि महाविद्यालय, मंदसौर । | |
| | 32. कृषि महाविद्यालय, सीहोर । | |
| | 33. कृषि महाविद्यालय, रायपुर । | |
| महाराष्ट्र | 34. कृषि महाविद्यालय, अकोला । | |
| | 35. कृषि महाविद्यालय, नागपुर । | |
| | 36. कृषि महाविद्यालय, डपोली । | |
| | 37. कृषि महाविद्यालय, पुणे । | |
| | 38. कृषि महाविद्यालय, कोल्हापुर । | |
| | 39. कृषि महाविद्यालय, धुले । | |
| | 40. कृषि महाविद्यालय, परभणी । | |
| | 41. कृषि महाविद्यालय, लातूर । | |
| उड़ीसा | 42. कृषि महाविद्यालय, भुवनेश्वर । | |
| | 43. कृषि महाविद्यालय, चिपलिमा । | |

| 1 | 2 3 |
|---|---|
| पंजाब | 44. कृषि महाविद्यालय, लुधियाना। |
| राजस्थान | 45. राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर। |
| | 46. एस० के० एम० कृषि महाविद्यालय, जोबनेर। |
| | 47. डूंगर कृषि महाविद्यालय, बीकानेर। |
| तमिलनाडु | 48. कृषि महाविद्यालय, कोयम्बटूर। |
| | 49. कृषि महाविद्यालय, मदुरई। |
| | 50. कृषि महाविद्यालय, किल्लीकूलम। |
| | 51. कृषि महाविद्यालय, त्रिचूर। |
| उत्तर प्रदेश | 52. कृषि महाविद्यालय, पन्तनगर। |
| | 53. उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर। |
| | 54 कृषि महाविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद। |
| पश्चिम बंगाल | 55. कृषि महाविद्यालय, हरिनघट्टा, मोहनपुर, नदिया। |
| बिहार | 56. कृषि महाविद्यालय, कूच बिहार। |

**"ख" सामान्य विश्वविद्यालयों के तहत संबद्ध कृषि महाविद्यालयों की राज्यवार सूची**

| | |
|---|---|
| महाराष्ट्र | 1. आनन्द निकेतन कृषि महाविद्यालय, बसोड़ा चन्द्रपुर। |
| | 2. श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय, अमरावती। |
| मणिपुर | 3. मणिपुर कृषि महाविद्यालय, इम्फाल। |
| पंजाब | 4. खालसा महाविद्यालय, अमृतसर। |
| राजस्थान | 5. बी० बी० राजकीय महाविद्यालय, चिनिआनपुरा शाहजारा, जयपुर। |
| | 6. दयानन्द कालेज, ब्यावर रोड़, अजमेर। |
| | 7. जी० बी० कृषि कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सांगारिया। |
| | 8. राजकीय कालेज, सवाई माधोपुर। |
| तमिलनाडु | 9. कृषि संकाय, अन्नामलाई नगर। |
| | 10. कृषि महाविद्यालय, पांडिचेरी। |
| उत्तर प्रदेश | 11. राजा बलवंत सिंह कालेज, आगरा। |
| | 12. इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद। |
| | 13. जनता वैदिक कालेज, बड़ौत, मेरठ। |
| | 14. अमर सिंह कालेज, लखावटी, बुलन्दशहर। |

| 1 | 2 3 |
|---|---|
| | 15. बी० एन० बी० कालेज, हमीरपुर। |
| | 16. नारायण कालेज, शिकोहाबाद, मैनपुरी। |
| | 17. उदय प्रताप कालेज, वाराणसी। |
| | 18. कुल भास्कर आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद। |
| | 19. तिलकधारी कालेज, जौनपुर। |
| | 20. जनता कालेज, बेकावर, इटावा। |
| | 21. टाउन पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज, बलिया। |
| | 22. नेशनल डिग्री कालेज, बरहालगंज गोरखपुर। |
| | 23. आर० के० कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर। |
| | 24. के० वी० डिग्री कालेज, माछरा, मेरठ। |
| | 25. आर० एम० पी० पी० डिग्री कालेज, गुरुकुल, नारसन सहारनपुर। |
| | 26. श्री दुर्गा डिग्री कालेज, चन्द्रेश्वर, आजमगढ़। |
| | 27. चौ० छोटू राम डिग्री कालेज, मुजफ्फरनगर। |
| | 28. किसान डिग्री कालेज, सिम्भावली, गाजियाबाद। |
| | 29. डिग्री कालेज, गाजीपुर। |
| | 30. बाबा राघवदास डिग्री कालेज, देवरिया। |
| | 31. आर० एस० एस० डिग्री कालेज, धामपुर, बिजनौर। |
| | 32. जनता कृषि महाविद्यालय, अजितमल, इटावा। |
| | 33. गोचर कृषि महाविद्यालय, रामपुर, मन्हारराम, सहारनपुर। |
| | 34. जनता डिग्री कालेज, मुजफ्फरनगर। |
| | 35. गवर्नमेंट डिग्री कालेज, जखिनी, वाराणसी। |
| पश्चिमी बंगाल | 36. यूनिवर्सिटी कालेज आफ एग्रीकल्चर, बालीगंज, सर्कुलर रोड, कलकत्ता। |

**"ग" केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कृषि संकाय**

**उत्तर प्रदेश**

1. कृषि संस्थान, वाराणसी (बी० एच० यू०)

**पश्चिम बंगाल**

2. विश्वभारती कृषि महाविद्यालय, पश्चिमी बंगाल।

**नागालैंड**

3. कृषि महाविद्यालय, नागालैंड (उ० पू० प० वि० वि०)।

### उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों और दालों की मांग और उत्पादन

1289. **श्री राजवीर सिंह :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों और दालों की वार्षिक मांग और उत्पादन कितना-कितना है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में तिलहनों के कुल उत्पादन के आधार पर खाद्य तेलों की आकलित उपलब्धि निम्न प्रकार है।

(लाख मीटरी टन में)

| वर्ष | तिलहनों का उत्पादन | खाद्य तेलों का उत्पादन |
|---|---|---|
| 1988-89 | 11.61 | 3.41 |
| 1989-90 | 11.81 | 3.46 |
| 1990-91 (अनन्तिम) | 13.32 | 3.94 |

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में दालों का कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(लाख मीटरी टन में)

| वर्ष | दालों का उत्पादन |
|---|---|
| 1988-89 | 26.58 |
| 1989-90 | 24.16 |
| 1990-91 (अनन्तिम) | 25.55 |

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश खाद्य तेलों और दालों की वार्षिक मांग के मोटे तौर पर क्रमशः 7.80 लाख मीटरी टन और 15.60 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। दालों के लिए चालू योजनाएं राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम तथा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन) हैं।

तिलहन तथा दलहन की इन योजनाओं के तहत, राज्यों को बीज उत्पादन, बीज के मिनिकिट, पौध रक्षण रसायनों, तथा उपस्करों के वितरण, रिजोबियम कल्चर और जैव उर्वरक, उन्नत कृषि उपस्करों बृहदाकार प्रदर्शनों आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

**भारतीय उच्चायोगों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति**

1290. **श्री तेज नारायण सिंह :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशों में स्थित कई उच्चायोगों में हिन्दी अधिकारियों को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उच्चयोगों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन अधिकारियों को क्या काम सौंपा गया है ?

**विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी)** : (क) हिन्दी अधिकारियों की अद्यतन नियुक्तियां 1988 में की गई थी।

(ख) भारत का हाई कमीशन, मारीशस में 29.4.1988 को और भारत का हाई कमीशन त्रिनिडाड एवं टोबागो में 1.7.1988 को हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।

(ग) हिन्दी अधिकारी (इस पदनाम को अब बदल कर द्वितीय सचिव) (हिन्दी एवं संस्कृत) कर दिया गया है) के पद से सम्बद्ध कर्तव्य नीचे दिए अनुसार हैं :—

1. हिन्दी अध्यापन और इससे सम्बद्ध कार्य, जैसे कि परीक्षा के लिए कक्षाओं का संचालन करना, पाठ्यचर्या तैयार करना, अध्ययन के लिए सामग्री का चयन करना, प्रतियोगिताएं वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करना, छात्रवृत्ति के लिए उम्मीदारों का चयन करना आदि।
2. प्रकाशन, वार्ताओं, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से हिन्दी का प्रचार।
3. समाचार बुलेटिनों, हिन्दी के इण्डिया न्यूज के माध्यम से और शैक्षिक संस्थाओं, एसोसिएशनों और धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक परंपरा का प्रचार।
4. विभिन्न कार्यक्रमों में हाई कमीशन का प्रतिनिधित्व करना और भाषण देना।
5. स्थानीय संचार माध्यमों से सम्पर्क रखना।
6. राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन।
7. हिन्दी कार्यशालाएं और बाल हिन्दी कक्षाओं का आयोजन।
8. सन्धियों, करारों और अन्य सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद।

**विदेशों द्वारा वापस भेजे गये भारतीय श्रमिक**

1291. **श्री तेज नारायण सिंह :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों द्वारा देश-वार गत-तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने भारतीय श्रमिक वापस भेजे गये हैं;

(ख) क्या इस मामले में उन देशों के सामने कोई विरोध प्रकट किया गया है; और

(ग) क्या हमारे दूतावासों ने इन मामलों पर उन देशों से बातचीत की है ?

**विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

**कश्मीर घाटी से हिन्दू परिवारों का पलायन**

[अनुवाद]

1292. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के आरम्भ में कश्मीर घाटी में कितने हिन्दू परिवार रहते थे;

(ख) वर्ष 1989, 1990 के दौरान तथा जनवरी से जुलाई, 1991 तक कितने हिन्दू परिवार कश्मीर घाटी छोड़कर दिल्ली, जम्मू तथा देश के अन्य भागों में बस गए ;

(ग) अब कितने हिन्दू परिवार कश्मीर घाटी में रह रहे हैं; और

(घ) इन प्रवासी परिवारों का घाटी में अपने स्थायी आवासों में लौटने की क्या संभावनाएं है और इस संबंध में सरकार की क्या कार्य-योजना है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) :** (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर में पिछली जनगणना 1981 में हुई और उसके अनुसार लद्दाख और जम्मू क्षेत्र को छोड़कर राज्य में हिन्दुओं की जनसंख्या 1,21,898 थी।

घाटी से बाहर जम्मू और दिल्ली में कश्मीरी प्रवासियों का पंजीकरण वर्ष 1990 से शुरू हुआ। वर्ष 1990 के दौरान दिल्ली और जम्मू में 69,000 से अधिक प्रवासी परिवार दर्ज किए गए थे और जून, 1991 तक 72,000 से अधिक परिवार दर्ज किए जा चुके हैं। यद्यपि स्थायी रूप से घाटी को वापस जा रहे प्रवासी परिवारों के बारे में कोई सूचना नहीं है फिर भी कुछ परिवार अन्य राज्यों को चले गए है।

जम्मू और कश्मीर सरकार से कहा गया है कि वे प्रवासियों के विभिन्न चरणों में घाटी में लौटने के बारे में एक योजना तैयार करें।

**त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय का दर्जा बढ़ाना**

1293. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय का दर्जा बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) इस आशय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय त्रिवेन्द्रम का दर्जा बढ़ाकर पासपोर्ट कार्यालय कर दिया जाए, ताकि वह केरल के पत्तनमतीथ क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों के पासपोर्ट आवेदकों की जरूरतों की पूर्ति कर सके।

## पाक नागरिकों का निर्धारित समयावधि से अधिक ठहरना

[हिन्दी]

1294. श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में ऐसे कितने पाकिस्तानी हैं जो अपने वीसा की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से यहां रह रहे हैं ;

(ख) देश में वर्ष 1990 और 1991 के दौरान सांप्रदायिक दंगों के संबंध में ऐसे कितने पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे पाक नागरिकों का पता लगाने और उनके प्रत्यावर्त्तन हेतु क्या कारंवाई की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1991 को वीसा की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से भारत में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या 9,768 थी।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के भारत में प्रवेश करने, ठहरने और वापस जाने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जब कभी कोई पाकिस्तानी अधिक समय तक भारत में ठहरता है और अवैध रूप से भारत में ठहरता हुआ पाया जाता है, तो राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उन पर मुकदमा चलाने या वापस भेजने के लिए विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत कारंवाई की जाती है। ऐसी शक्तियां राज्य सरकारों, आदि में निहित है।

## कावेरी जल विवाद

[अनुवाद]

1295. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा हाल ही में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कर्नाटक सरकार द्वारा दर्शाए गए तीव्र असन्तोष को देखते हुए न्यायाधिकरण के निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ख) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

कावेरी जल विवाद अधिकरण के आदेश पर विवरण।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में, कावेरी जल विवाद अधिकरण ने मामले की सुनवाई की और 25 जून, 1991 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया। कावेरी जल विवाद अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत है :—

(1) कर्नाटक राज्य को कर्नाटक में अपने जलाशयों में से जल निर्मुक्त करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जून से मई तक एक वर्ष में तमिलनाडु के मेत्तूर जलाशय में 205 टी० एम० सी० जल उपलब्ध रहे। यह एक जुलाई, 1991 से प्रभावी होगा।

(2) उनके आदेश में दिए गए अनुसार, मेत्तूर जलाशय अपने में मासिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य अपने जलाशयों से निर्मुक्तियों को विनियमित करेगा।

(3) प्रत्येक माह में, चार समान किश्तों में 4 सप्ताहों में निर्मुक्तियां की जानी हैं।

(4) संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के कराईकल क्षेत्र के लिए 6 टी० एम० सी० जल विनियमित तरीके से तमिलनाडु राज्य द्वारा निर्मुक्त किया जाएगा।

(5) कर्नाटक राज्य विद्यमान 11.2 लाख एकड़ से अधिक कावेरी नदी के जल द्वारा सिंचाई के अपने क्षेत्र को नहीं बढ़ाएगा।

अधिकरण को भेजे गए विवाद के अन्तिम निर्णय तक उपर्युक्त आदेश प्रभावी रहेगा।

तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्य मन्त्रियों से प्राप्त पत्रों में विविध कानूनी तथा संवैधानिक मुद्दे उठाए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने 25.7.1991 को कर्नाटक कावेरी बेसिन सिंचाई संरक्षण अध्यादेश जारी किया है। मामले में सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 की धारा (i) के अन्तर्गत राय जानने के वास्ते उच्चतम न्यायालय को पत्र भेजा है, जिसे 28 जुलाई, 1991 को उच्चतम न्यायालय के महापंजीयक को प्रस्तुत किया गया।

निम्नलिखित प्रश्न उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ तथा उस पर रिपोर्ट देने हेतु भेजे गए; अर्थात्

(1) क्या अध्यादेश तथा उसके प्रावधान संविधान के अनुसार हैं;

(2) (I) क्या अधिकरण के आदेश रिपोर्ट के रूप में माने जा सकते हैं तथा इस निर्णय को अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत मान्यता दी जा सकती है तथा

(II) क्या अधिकरण के आदेश को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इस आदेश को केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है;

(3) क्या अधिनियम के अन्तर्गत गठित जल विवाद अधिकरण को यह क्षमता प्राप्त है कि वह विवाद से सम्बन्धित पक्षों को कोई अन्तरिम राहत दे सकता है।

### दिल्ली में पासपोर्ट रैकेट

1296. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक पासपोर्ट रैकेट का पता लगाकर कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पकड़े गए अभियोगात्मक दस्तावेजों आदि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का इस बारे में आगे क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) जी हां, श्रीमान् । इस सम्बन्ध में हाल ही में तीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(ख) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

### विवरण

(ख), (ग) तथा (घ) (I) भा० दं० सं० की धारा 419/420/468/471/472/473 के तहत लाजपत नगर थाने (दक्षिण) में दर्ज मामला प्र० सू० रि० सं० 85 दिनांक 4.3.1991 के अधीन 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । निम्नलिखित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए :—

83 भारतीय पासपोर्ट, 30 यू० एस० नागरिकता कार्ड, 2 कैनेडियन नागरिकता कार्ड, 75 न्यूयार्क ड्राइविंग कार्ड, 100 डालर मूल्य के 10 नोट, 100 रुपये का एक करेन्सी नोट, यू० एस० ए० तथा मिडिल ईस्ट के दूतावासों की 20 मुहरें/डाइज, जाली पासपोर्ट पर लगाई गई फोटोग्राफ की 16 निगेटिव, 160 यू० एस० ए० ग्रीन कार्ड तथा यू० ए० ई० के 30 मल्टीपल इन्ट्री वीजा ।

(II) भा. दं. सं. की धारा 471/468/420 के तहत गोकुलपुरी थाने (उत्तर-पूर्व) में दर्ज मामला प्र. सू. रि. स. 198 तारीख 5.7.1991 के अधीन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । निम्नलिखित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए :—

4000 जाली पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बड़ी मात्रा में मुद्रित दस्तावेज ।

(III) भा. दं. सं. की धारा 420/468/471/120-बी के तहत मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली थाने में दर्ज प्र. सू. रि. सं. 110 दिनांक 8.3.1991 के अधीन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । निम्नलिखित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए :

यू. के., पश्चिम जर्मनी तथा कनाडा के बिना भरे हुए वीजा/वीजा-स्टीकर्स सहित सिंगापुर के आठ जाली पासपोर्ट।

**भाखड़ा नहर की कृत्रिम जल-प्रणाली को क्षति**

1297. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

**श्री अशोक आनंदराव देशमुख :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के उग्रवादियों ने मुख्य भाखड़ा नहर की कृत्रिम जल-प्रणाली को रॉकेटों से क्षति पहुंचायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(घ) भाखड़ा नहर की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 6 जुलाई, 1991 को कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने मुख्य भाखड़ा लाइन पर स्थित बुढ़की नदी जलसेतु पर दो रॉकेट छोड़े। परिणामस्वरूप वहां पानी का हल्का रिसाव हुआ।

(ग) और (घ) अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी किए जाने की सूचना नहीं है। तथापि, राज्य सरकार से कहा गया है कि वह नहर को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए।

**इस्पात की कीमत**

1298. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 के दौरान परचून बाजार में इस्पात की कीमत असाधारण रूप से बढ़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस्पात की कीमत में कमी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) और (ख) लोहे और इस्पात की खुले बाजार की कीमतें मांग और पूर्ति की परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। कुछ क्षेत्रों में इस्पात और लोहे की अनेक मदों की खुले बाजार की कीमत में कुछ वृद्धि हुई है। कीमतें बढ़ने के विभिन्न कारण हो सकते हैं जिसमें आयातित सामग्री अर्थात् कच्चा लोहा, इस्पात प्रगलन स्क्रैप आदि की सीमित उपलब्धता भी शामिल हैं।

इस्पात की कीमत पर कोई औपचारिक नियंत्रण नहीं है। हालांकि उत्पाद शुल्क में वृद्धि होने के फलस्वरूप 24/25 जुलाई, 1991 से हुई थोड़ी वृद्धि को छोड़कर प्रमुख उत्पादकों द्वारा

उत्पादित और संयुक्त संयंत्र समिति के प्रशासनाधीन लोहे और इस्पात की कीमतों में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) केन्द्रीय बजट में इस्पात प्रवलन स्क्रैप और कच्चे लोहे पर प्रत्येक पर 10% तक आयात शुल्क में कमी किए जाने से इस उद्योग को कुछ राहत मिलेगी।

### लोहे और इस्पात का आयात

1299. श्री भार्गव गोवर्धन :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के लोहे और इस्पात का क्रमशः आयात किया गया;

(ख) उनके आयात के क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी मांग को देशी उत्पादन द्वारा पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लोहे और इस्पात के आयात की मात्रा तथा मूल्य क्रमशः नीचे दिए गए हैं :—

मात्रा : लाख टन

मूल्य : करोड़ रुपये

| वर्ष | लोहा (जिसमें कच्चा लोहा, स्पंज लोहा तथा हॉट ब्रिकिवटेड आयरन शामिल है) | | विक्रेय इस्पात | |
|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1988-89 | 3.2 | 76 | 17.2 | 1420 |
| 1989-90 | 5.2 | 161 | 14.7 | 1572 |
| 1990-91 | 2.3 | 74 | 12.8 | 1397 |

टिप्पणी :—केवल चार बड़े भारतीय पत्तनों से आयात किए गए हैं। वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय से अभी तक प्रमाणिक आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) स्वदेशी उत्पादन को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की समस्त अड़चनों को मद्देनजर रखते हुए यथासम्भव आयात करना पड़ा।

(ग) लोहे और इस्पात के स्वदेशी उत्पादन को अन्य बातों के साथ-साथ निम्न उपायों से बढ़ाया जाना है।

— वर्धित उत्पादकता प्राप्त करने के लिए इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और संयंत्र एवं उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण।

— इस्पात संयंत्रों को आदानों, विशेष रूप से कोयले और बिजली की सप्लाई का प्रबोधन, ताकि बिना व्यवधान के उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

— निजी विद्युत उत्पादन में वृद्धि।

— "सेल" के संयंत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी और जनशक्ति व्यवस्था को अपनाना।

— उन मामलों में कुछ शर्तों पर इस्पात क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करना जिनमें अत्यधिक विदेशी मुद्रा अन्तंर्स्त हो ताकि निजी क्षेत्र में नए संयंत्रों की स्थापना की अनुमति दी जा सके।

## दूरसंचार उपकरणों का निर्माण

1300. **श्री भाग्ये गोवर्धन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के अन्त में देश में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उपकरणों के निर्यात की कितनी गुंजाइश है; और

(ग) क्या देश में ध्वनि उपकरण गुणवत्ता, मूल्य-वार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बनाए हुए है?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क) 1990-91 के दौरान देश में बड़े दूरसंचार उपस्कर के उत्पादन सम्बन्धी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

| उपस्कर की किस्म | 1990-91 के दौरान उत्पादन | |
|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य (करोड़ रुपये में) |
| 1. दूरसंचार स्विचन उपस्कर | 12.5लाख लाइनें | 825 |
| 2. दूरसंचार संचारण उपस्कर | 4450 टर्मिनल | 373 |
| 3. टेलीफोन उपकरण | 18.80 लाख | 171 |

(ख) और (ग) टेलीफोन उपकरणों जैसे दूरसंचार उपस्कर के निर्यात की सम्भावना, इनकी गुणवत्ता तथा कीमतों को प्रतिस्पर्धा में आगे सुधार होने के साथ, आशाजनक दिखाई देती है।

## मानसून के विलम्ब से आने के कृषि पर प्रभाव

1301. **श्री भाग्ये गोवर्धन :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसून के विलम्ब से आने के कारण खरीफ फसल, विशेष रूप से धान और अन्य महत्वपूर्ण खाद्यान्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) मानसून विलम्ब से आने के कारण जिन क्षेत्रों की फसलें प्रभावित हुई हैं वहां के कृषकों को आवश्यक आदानों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या इस वर्ष मानसून सामान्य होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) मानसून में होने वाले विलम्ब का खरीफ की फसलों पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव का मूल्यांकन इस समय नहीं किया जा सकता क्योंकि पौध-रोपण का कार्य अभी भी चल रहा है। तथापि, उत्तर पश्चिम भारत और गुजरात में मानसून के देर से पहुंचने और देश के कुछ भागों में अपर्याप्त वर्षा होने से भी खरीफ की फसलों में विशेषकर धान के पौध रोपण में देरी हो गई है। खरीफ की फसलों के पौध रोपण में देरी होने से इसके उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय के परामर्श के अनुसार, आकस्मिक फसल योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और प्रभावित क्षेत्रों में इन्हें राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। किसानों को वैकल्पिक फसलों/फसल की विभिन्न किस्मों की पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति करने और सिंचाई के लिए डीजल और बिजली की आपूर्ति करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

(ग) तथा (घ) दीर्घावधिक पूर्वानुमान के अनुसार समूचे देश में मानसून के कुल मिलाकर, सामान्य परास के अन्दर रहने की सम्भावना है किन्तु यह सामान्य परास के निम्न स्तर में रहेगा। सामान्य से कम मानसून (90.98%) होने के कारण, इस वर्ष मानसून का मौसम विगत तीन वर्षों की अपेक्षा अच्छा नहीं होने की सम्भावना है। जलवायु विज्ञान सम्बन्धी विश्लेषण के आधार पर यह प्रत्याशित है कि लगभग 75 प्रतिशत वायुमंडलीय उप प्रभागों में वर्षा सामान्य और सामान्य से अधिक होगी।

## बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

1302. **श्री राम विलास पासवान** :

**मोहम्मद अली अशरफ फातमी** :

**श्री राम लखन सिंह यादव** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों के उपकरण पुराने तथा घिसे-पिटे हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार का इस एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का विचार है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन शहरों में पुराने एक्सचेंज चल रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु)** : (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पुराने/घिसे-पिटे एक्सचेंजों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थापित किए जायेंगे। एक्सचेंजों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार।

(घ) बिहार में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभाग ने पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) पुराने/घिसे-पिटे एक्सचेंजों तथा साथ ही साथ नए एक्सचेंजों के स्थान पर 101 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू किए हैं।

(ii) घिसे-पिटे टेलीफोन उपकरणों को बदला है।

(iii) दोष प्रवण केबलें बदली हैं।

(iv) भूमिगत केबलों/ड्राप वायरों द्वारा भारी ओवरहेड एलाइनमेंट को बदला है।

(v) अधिक सार्वजनिक टेलीफोन खोले गए।

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान, छपरा, कटिहार, मुंगेर, देवघर, मोतिहारी, आरा (सासाराम), डालमिया नगर के टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1992-93 के दौरान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

**विवरण**

**उन एक्सचेंजों की सूची जो आज तक बदले जाने योग्य हो गए हैं**

| शहर का नाम | एक्सचेंज की किस्म | मौजूदा क्षमता |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. छपरा | एम ए एक्स I | 1000 लाइनें |
| 2. मुजफ्फरपुर | एम ए एक्स I | 5100 लाइनें |
| 3. मोतिहारी | एम ए एक्स II | 800 लाइनें |
| 4. दरभंगा/लहरिया सराय | एम ए एक्स II | 900/800 लाइनें |
| 5. समस्तीपुर | एम ए एक्स II | 600 लाइनें |
| 6. कटिहार | एम ए एक्स II | 800 लाइनें |
| 7. किशनगंज | एम ए एक्स II | 400 लाइनें |
| 8. मुंगेर | एम ए एक्स II | 900 लाइनें |
| 9. देवघर | एम ए एक्स II | 900 लाइनें |
| 10. राजेन्द्र नगर (पटना) | क्रासबार | 10000 लाइनें |
| 11. आरा | एम ए एक्स II | 600 लाइनें |
| 12. बक्सर | सी बी एम | 360 लाइनें |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. सासाराम | एम ए एक्स II | 500 लाइनें |
| 14. डालमिया नगर | एम ए एक्स II | 400 लाइनें |
| 15. धनबाद | एम ए एक्स II | 4200 लाइनें |
| 16. बोकारो | एम ए एक्स II | 2000 लाइनें |
| 17. डाल्टनगंज | एम ए एक्स II | 1100 लाइनें |
| 18. हजारीबाग | एम ए एक्स II | 1400 लाइनें |
| 19. गिरिडीह | एम ए एक्स II | 1000 लाइनें |
| 20. रांची | क्रासबार | 9000 लाइनें |

टिप्पणी : मैक्स-I स्ट्रोजर बड़ा एक्सचेंज
मैक्स-II स्ट्रोजर छोटा एक्सचेंज

**डिजिटल टेलीफोन उपकरण**

1303. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

**क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं को दिए जा रहे डिजिटल टेलीफोन उपकरण की निम्न गुण-वत्ता के बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु)** : (क) जी हां। इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में कड़ा गुणवत्ता नियम लागू किया गया है। वहां कहीं भी कमियां देखने में आयी थीं वहां विनिर्माता को उपकरण के डिजाइन में संशोधन करने के बारे में सूचित कर दिया था। ये संशोधन कर दिए गए हैं। टेलीफोनों की गुणवत्ता को लगातार मॉनीटर किया जाता है।

**बिना बारी के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देना**

1304. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

**क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन जारी करने के मामले में पूर्व संचार मन्त्री के जाली हस्ताक्षर किए जाने के मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का विचार है ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु)** : (क) से (ग) बिना बारी के टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए नकली संस्वीकृति आदेशों के कुछ मामले दूरसंचार क्षेत्र यूनिटों

द्वारा सूचित किये गये थे जिन्हें दूरसंचार निदेशालय द्वारा जारी किया गया बताया गया था। इस मामले में सतर्कता शाखा द्वारा जांच किये जाने के आदेश मई, 1991 में जारी किये गये थे। जांच का कार्य प्रगति पर है और रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

**विशाखापतनम इस्पात संयंत्र की चूना-पत्थर पोषण इकाई में रोजगार देना**

1305. **श्री बी० शोभानद्रीश्वर राव :**

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जग्गैय्यापेटा में स्थित विशाखापतनम इस्पात संयंत्र की चूना-पत्थर पेषण इकाई में कर्मचारियों की वर्गवार संख्या क्या है;

(ख) वहां पर नियुक्त स्थानीय लोगों की संख्या क्या है और उन्हें उक्त इकाई में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दी जाने वाली छूटें/वरीयता यदि कोई दी जाती है, का ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, क्या उनके आश्रितों को रोजगार दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यो ा क्या है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना की जग्गैय्यापेट्टा चूना-पत्थर खान में 20.7-91 की स्थिति के अनुसार 139 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें 11 कार्यपालक और 128 गैर कार्यपालक हैं।

(ख) कार्यपालकों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है जबकि गैर कार्यपालकों की भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है। यदि रोजगार कार्यालय से उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं तो विज्ञापन के जरिए भर्ती की जाती है। जग्गैय्यापेटा में कार्यरत 128 गैर कार्यपालक कर्मचारियों में से 70 की जग्गैय्यापेटा स्थित स्थानीय रोजगार कार्यालय के जरिए और 48 की विज्ञापनों के जरिए भर्ती की गई थी और 10 कर्मचारी वी०एस०पी० से स्थानान्तरित किए गए थे।

(ग) और (घ) मुआवजे का भुगतान उन व्यक्तियों को किया जाता है जिनकी भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाता है। रोजगार देने के मामले में उन विस्थापित व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है जिनकी भूमि और घरों का अधिग्रहण किया जाता है बशर्ते उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हों। जग्गैय्यापेटा चूना पत्थर खान में ऐसा कोई विस्थापित व्यक्ति नहीं है जिसे रोजगार के मामले में तरजीह दी जा सकती है।

**श्रीराम सागर परियोजना चरण-दो**

1306. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे :**

**क्या जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीराम सागर परियोजना चरण-दो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इसे कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) और (ख) जी नहीं। लगभग 450 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की श्रीरामसागर परियोजना-II सितम्बर, 1985 में केन्द्र में प्राप्त हुई

थी। जांच के बाद यह पाया गया कि परियोजना के निर्माणाधीन चरण-I की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद इस परियोजना के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए चरण-II प्रस्ताव को मई, 1989 में राज्य सरकार को लौटा दिदा गया था।

**आंध्र प्रदेश में पाइंट टु पाइंट कान्टेक्ट डायलिंग फेसिलिटी**

1307. **श्री बी० शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में पाइन्ट टु पाइन्ट कन्टेक्ट डायलिंग फेसिलिटी उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो एक्सचेंज-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एक्सचेंजों में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

**संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**दामनजोड़ी एल्युमिनियम संयंत्र का विस्तार**

1308. **श्री के० प्रधानी :**

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में दामनजोड़ी में एल्यूमिनियम संयंत्र के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त संयंत्र के विस्तार के लिए आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

**खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार दामनजोड़ी स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र के विस्तार के लिए लगभग 650 अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता है।

**बिहार में टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन**

[हिन्दी]

1309. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में टेलाफोन सलाहकार समिति के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त समिति कब तक गठित किए जाने की सम्भावना है ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क) और (ख) बिहार दूरसंचार सलाहकार समिति और पटना टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन 28-29/3/1991 को हुआ था और इनकी समीक्षा की जा रही है।

**पान के पत्तों का उत्पादन**

[अनुवाद]

1310. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार, कुल कितने मूल्य के पान के पत्तों की पैदावार हुई;

(ख) क्या सरकार का पान के पत्ते की खेती करने वालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का प्रस्ताव है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पान के पत्ते की खेती करने वालों के कल्याण के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पान के पत्तों के वार्षिक उत्पादन का आकलित औसत मूल्य 700 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, नहीं। पान के पत्ते कृषि जिन्सों के लिए मूल्य समर्थन नीति के तहत शामिल नहीं हैं।

(ग) निम्नलिखित महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपाय गए किए हैं :

(1) महत्वपूर्ण कृषि तकनीकों का प्रदर्शन।

(2) अच्छी पौध रोपण सामग्री के लिए जर्म प्लाज्म में सुधार।

(3) इमदादी दरों पर आदानों की आपूर्ति।

**बिहार में डाकघर खोलना**

[हिन्दी]

1311. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कार्यरत डाकघरों और उपडाकघरों के जिलावार नाम क्या है और ये कितने हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान खोले जाने वाले नए डाकघरों और उपडाकघरों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस कार्य हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बिहार में 1991-92 के दौरान 10 उपडाकघर और 250 शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) पूरे देश में डाक नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 3 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। राज्यवार कोई पृथक वित्तीय आबंटन नहीं किया गया है। डाक सर्किलों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित आबंटन किया जाता है।

**आतंकवाद पर दक्षेस सम्मेलन**

[अनुवाद]

1312. **डा सी० सिलवेरा :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आतंकवाद पर शीघ्र दक्षेस सम्मेलन बुलाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) :** (क) और (ख) सार्क के सभी सदस्य राज्यों ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन पहले ही कर दिया है। इसलिए अब हमारा यह कहने का कोई सवाल नहीं उठता कि इसका शीघ्र अनुसमर्थन किया जाए।

**केरल के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता**

1313. **श्री कोडीकुनील सुरेश :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल दुग्ध विपणन समिति ने केरल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के दौरान कितनी सहायता मांगी गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई; और

(ग) सरकार ने केरल में डेरी फार्मों के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :** (क) और (ख) केरल दुग्ध विपणन सोसायटी ने 1991 के दौरान केरल में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है।

(ग) केरल में डेरी उद्योग का विकास आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है तथा उत्तरी केरल डेरी परियोजना के लिए स्विस सरकार से वित्तीय सहायता ली जा रही है।

**केरल में मछुआरों के गांवों को सहायता**

1314. **श्री टी० जे० अन्जलोज :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मछुआरों के उन गांवों के नाम क्या हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद ने सहायता के लिए चुना है;

(ख) क्या राज्य में सभी अन्य मछुआरों के गांवों को भी यह सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता के लिए चुनी गई परियोजना समितियों की सूची ।

| जिला | क्र० सं० | परियोजना समिति का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| त्रिवेंद्रम | 1. | पूवर-करन्नूकूलम |
| | 2. | कोचूरथूरा-पोलाम |
| | 3. | पूलूविला |
| | 4. | अदीमलचूरा-चोवरा |
| | 5. | पूनथूरा |
| | 6. | भीमापली-चैरीयाथूरा |
| | 7. | वालीथूरा |
| | 8. | कोचुरथोप-शांगुममुघम |
| | 9. | पालिठूरा-वेडियाथुरा |
| | 10. | मरियांडु-पेरुमंथूरा |
| | 11. | थाम्रामपल्ली-अंजेगो |
| | 12. | मामपल्ली-नेडमगनाडा |
| | 13. | वेट्टूर-इडावा |
| | 14. | विझिजम (दक्षिण) |
| | 15. | विझिजम (उत्तर) |
| क्विलोन | 16. | पल्लिथोट्टा-मुडाकाड़ा |
| | 17. | वाडी-थांकासेरी |
| | 18. | वेलानथुरुथु-पंडाराथुरुथु |
| | 19. | एलापड-परायाकोडावु |
| | 20. | मारुथूरकुलागाडा-कुलसेखरापुरम |
| एलप्पी | 21. | वालियाझीकल-अराट्टुपुझा |
| | 22. | थोट्टापल्ली-पुरावकाड |
| | 23. | अम्बलापुझा-पुननापरा |
| | 24. | वेडावकाल-कांजिरामचिरा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 25. | थुमपोली |
| | 26. | चेथिकाड-कट्टूर |
| | 27. | पोलाथाई-चेथी |
| | 28. | आर्थिकल-ओट्टामासेरी |
| | 29. | एझिकल-पालिथोडे |
| एर्नाकुलम | 30. | चेल्लानम-कन्डकडवु |
| | 31. | कन्नमली-चेरियाकडवु |
| | 32. | कन्नासरी-कोचीन पत्तन |
| त्रिचूर | 33. | अझीकोड़े-एडाविलेगू |
| | 34. | वेम्बल्लूर-परिनजनम |
| | 35. | कैपमनगलम-चैंपल्लीपुरम |
| | 36. | नट्टिका-एनगंडियूर |
| | 37. | ब्लैंगाड-कडुपुरम |
| | 38. | एडकझियूर-मन्नलयकुन्नु |
| मालापुरम | 39. | कलपेट्टी-बेलियमूडे |
| | 40. | पुडुपोन्नानी-थेक्केकडपुरम |
| | 41. | मुक्कडी-मरक्कडवु |
| | 42. | मोल्येरवु-अझीकल |
| | 43. | पल्लिवल्लपु-पुराथूर |
| | 44. | कोट्टैय-पारवन्ना |
| | 45. | थैवरकडुपुरम-चीरनकडुपुरम |
| | 46. | ओसानकडुपुरम-एलरनकडुपुरम |
| | 47. | परापननगडी-कडलनडी तट |
| कालीकट | 48. | चलियम-बेयपोर |
| | 49. | बेलईल-बेयपोर |
| | 50. | पथियनगडी-एलाथूर |
| | 51. | कनककडवु-एमुकुडिकल |
| | 52. | वलियमनगडु-किलान्डी |
| | 53. | कोलम-मुडडी-हरीनगल |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| कन्नानोर | 54. | कुरांचोईल-पल्लीसरी |
| | 55. | एडाक्कड-कन्ननोर शहर |
| | 56. | एक्कीकोडे कडुपुरम-पथियनगडी कड्डुपुरम |
| कासारगोडे | 57. | थंकडपुरम-पुंजवीकड्डुपुरम |
| | 58. | होसडर्ग-पल्लिक्करो |
| | 59. | कोटिकुल्लम-कासबा |
| | 60. | कन्नगाली-बेंगारा-मांजेश्वर |

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता के लिए प्रस्तावित मछुआरा विकास कल्याण सहकारी समितियों की सूची।

| जिला | क्रम सं० | मछुआरा विकास कल्याण सहकारी समितियों के नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| त्रिवेंद्रम | 1. | कोलेंगोडे-परूथियूर |
| | 2. | पौवर करीमकुलम |
| | 3. | कोचुथरा-पुल्लम |
| | 4. | पुल्लुविला |
| | 5. | अदीमलथुरा-चोवारा |
| | 6. | विज्हिन्जम (एन.) |
| | 7. | विज्हिन्जम (एस.) |
| | 8. | पुनथुरा |
| | 9. | बीमापल्ली-चेरियाथुरा |
| | 10. | वलियाथुरा |
| | 11. | कोच्युथाप्पु-शंगुमूगथम |
| | 12. | कन्नथूरा-वलियावल्ली |
| | 13. | कोवलम-पणथुरा |
| | 14. | पल्लीथुरा-वेट्टियाथुरा |
| | 15. | मेरियानाडु-पेरुमाथुरा |
| | 16. | थाझमपल्ली-एन्गेजो |
| | 17. | मम्पल्ली-नेदुंगन्डा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 18. | बेट्टूर-ऐदवा |
| क्विलोन | 19. | परवूर |
| | 20. | मैयानाड्-एरविपुरम |
| | 21. | पल्लियोड्-मुदाकारा |
| | 22. | बाड़ी-थंकासारी |
| | 23. | कन्नीमेल-शक्तिकुलंगारा |
| | 24. | नीन्दाकारा-पुथनंथुरा |
| | 25. | करीथुरा |
| | 26. | बेल्लानाथुरुथु-पन्दारायुरुथु |
| | 27. | चेरियाझीकल |
| | 28. | एल्लयड-परायाकादायू |
| | 29. | मरूथुकुंलंगारा-कुलासीखारापुरम |
| | 30. | सरायकाड-अझीकल |
| अल्लपी | 31. | वेलियाझीकल-अरात्तरपुझा |
| | 32. | पेथियाकारा-पल्लाना |
| | 33. | थोटटापल्ली-पुरक्काड |
| | 34. | अम्बालापुझा-पुन्नापरा |
| अल्लेप्पी | 35. | वडक्कल-कांजीरामचीरा |
| | 36. | चम्पोली |
| | 37. | चेटटीकड-कटूर |
| | 38. | पोलनयई-चेंथ |
| | 39. | अंधिकाल-ओटटामसेरी |
| | 40. | एझीकाल-पल्लीथोडे |
| एर्नाकुलम | 41. | चलनम-कण्डकादवू |
| | 42. | कन्नामाली-चेरियाकादवू |
| | 43. | मनासेरी-फोरटकोचीन |
| | 44. | एझीकाल-एलमकुन्नपुझा |
| | 45. | नाराक्कल-नारायम्बलम |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 46. | इडावेनाकाड-अय्यमपल्ली |
| | 47. | चेराई-मुनाम्बस |
| | 48. | कोचीन निगम |
| | 49 | एन्नीकाल-इडाविलंगु |
| त्रिचुर | 50. | वैम्बल्लूर-पेरिंजनम |
| | 51. | कईममंगलन-चपल्लीपुरम |
| | 52. | नत्तिका-इंगेण्डियूर |
| | 53. | केडापुरम-मनाचला |
| | 54. | इडाकझियूर-मन्नलकमकुन्नु |
| | 55. | पलाप्पेटटी-वेलियानकोड |
| | 56. | पुन्तुपोन्नई-तिरुकेकडापुरम |
| | 57. | मुवकडी-मरकाडवु |
| | 58. | मेंथेरुवु-एन्नीकल |
| | 59. | पल्लीवलप्पु-परुतियूर |
| | 60. | कुत्ताई-परवन्ना |
| | 61. | थिवरकडापुरम-चीरनकडापुरम |
| | 62. | ओसनकड्डापुरम-इलारमकडापुरम |
| | 63. | परप्पननगडी-कडालुण्डी |
| कालीकट | 64. | चलियम-बीपोर |
| | 65. | मरड-थिरुकेकाडपुरम |
| | 66. | वेल्लाइल-कामपुरम |
| | 67. | पुत्तीयनगडी-इलातुर |
| | 68. | कन्ननकडवु-इमुकुडिक्कल |
| | 69. | वलियाबंगव-विम्मांडी |
| | 70. | कोल्लम-मूडाडी-इरिंगल |
| | 71. | वादागारा-मुटुंगल |
| | 72. | मडापल्ली-एन्नियूर |
| कन्नूर | 73. | कुरिचिईल-पालिसरी |
| | 74. | इदाक्काड-कन्नूर सिटी |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| | 75. | पश्चिकसेडेशसड़सवुम-पुथियांगडी-कडापुरम |
| | 76. | पालाकोड-हवाई |
| कसारागोडे | 77. | थ्रिकारिपुरकाडायपुरम-पडन्ना काडाप्पुरम |
| | 78. | थिकाडाप्पुरम-पूजविकाडापुरम |
| | 79. | हासडगं-पाल्लिकारा |
| | 80. | कावुगोली-बेंगाररामेजेश्वरम |
| | 81. | कोट्टिकुलम-कासावा |

**केरल के अलेप्पी जिले में टेलीफोन के कनेक्शन दिया जाना**

1315. **श्री टी० के० अंजलोज :**

**क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के अलेप्पी जिले में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 30 जून, 1991 को दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) इन लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क) 30.6.91 की स्थिति के अनुसार, अलेपी जिले में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में 9651 आवेदकों के नाम दर्ज थे ।

(ख) 8वीं योजना के अन्त तक इन व्यक्तियों को उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने को सम्भावना है ।

**केरल में नये डाकघर खोलना**

1316. **श्री सुरेशकोडडीकुनील :**

**क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान केरल में नये शाखा डाकघर खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान कोक्लम और पटटानमथिट्टा जिलों में कितने नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क) जी हां ।

(ख) 1991-92 में कोल्लम और पट्टनमथिट्टा जिलों में क्रमश एक और तीन डाक घर खोले जाने का प्रस्ताव है । इनके नाम दिए गए हैं : —

**कोल्लम जिला**

(1) विलियम वेस्ट

पट्टनमथिट्टा जिला

(1) मनमपुझा

(2) पल्लीसैरीकल

(3) मनारकुलंजी

**रिमोट लाइन यूनिटों का आयात**

1317. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने रिमोट लाइन यूनिटों आर. एल. यू./आर. ए. एक्सों का आयात किया गया;

(ख) इनका आयात किन देशों से किया गया; और

(ग) देश में उनमें से अब तक कितने टेलीफोन सर्किल/जिलावार स्थापित किए गए हैं ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी रिमोट लाइन यूनिट (आर. एल. यू./आर ए एक्स) का विदेशों से आयात नहीं किया गया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**बिहार में कमला नहर का आधुनिकीकरण**

[हिन्दी]

1318. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कमला नहर के आधुनिकीकरण के बारे में संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेजी है; और

(ख) यदि हां तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और परियोजना को मंजूरी देने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख) राज्य सरकार से कमला नहर के आधुनिकीकरण पर संशोधित परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में वापिस प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पहले अप्रैल, 1982 में एक आधुनिकीकरण परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें नहर संरचनाओं, वितरण प्रणाली को ऊपर उठाने, सुदृढ़ करने और उनका पुनः प्रतिरूपण करने तथा अन्य संबंधित कार्य करने की परिकल्पना की गयी है। परियोजना में 45910 हेक्टेयर को वार्षिक सिंचाई प्रदान करने हेतु 11.49 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। जांच करने के बाद आधुनिकीकरण परियोजनाओं को तैयार करने के लिए विद्यमान दिशानिर्देश को अपनाए बिना ही परियोजना को तैयार किया हुआ पाया गया। इसलिए परियोजना नवम्बर, 1986 में संशोधन हेतु राज्य सरकार को लौटा दी गयी।

भारत में नेपाली नागरिक

[अनुवाद]

1319. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक राज्य में 1 अप्रैल, 1991 को लगभग कितने नेपाली नागरिक, जो नेपाल मूल के भारतीय राष्ट्रिकों से भिन्न हैं, रह रहे थे;

(ख) क्या सरकार को नेपाल से इन व्यक्तियों को निरन्तर भारत में आने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस घुसपैठ को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) सीमावर्ती क्षेत्रों में विधिपूर्वक रह रहे भारतीय नागरिकों और नेपाली राष्ट्रिकों को नए आप्रवासियों से अलग पहचान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) भारत-नेपाल संधि के अन्तर्गत संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा नेपाली राष्ट्रिकों को भारत के किसी भी भाग में स्वच्छन्दता से आने-जाने की अनुमति है। यदि नेपाली राष्ट्रिक नेपाल से भारत में जमीन के रास्ते अथवा वायुयान से प्रवेश करते हैं तो पारपत्र (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 उन पर लागू नहीं होते हैं। इसी प्रकार, विदेशियों के पंजीकरण (छूट) आदेश, 1957 के तहत, नेपाली राष्ट्रिकों को पंजीकरण कराने की भी छूट दी गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेपाली राष्ट्रिकों के भारत में आने-जाने अथवा ठहरने के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

डाक सेवाओं में ह्रास

1320. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के छोटे कस्बों और गांवों में डाक सेवाओं में हो रहे ह्रास की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में डाक सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) 1 अप्रैल, 1991 को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों की अलग-अलग राज्यवार संख्या क्या है तथा प्रत्येक डाकघर द्वारा राज्यवार औसत कितनी जनसंख्या की सेवा की जा रही है; और

(घ) 1 अप्रैल, 1991 को विभागेत्तर ग्रामीण डाकपालों तथा डाकियों के कितने पद रिक्त थे और उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) देश के छोटे कस्बों और गांवों में डाक वितरण में विलम्ब की कुछ शिकायतें हैं।

(ख) इन सेवाओं में सुधार करने के लिए जिन उपायों के बारे में विचार किया गया है वे इस प्रकार हैं :

(I) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को मानीटर करना;

(II) शहरी क्षेत्रों में लेखा-योग्य डाक मदों का वितरण दिन में एक बार की बजाय दो बार करना;

(III) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों में रखी जाने वाली धनराशि को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में मनीआर्डरों का तुरन्त भुगतान करने के लिए पोस्टमैन को सौंपी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करना;

(IV) डाक मदों पर तारीख-मोहर की छाप में सुधार करना;

(V) डाक कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के प्रत्येक डाक डिवीजन में तिमाही आधार पर श्रेष्ठ पोस्टमैन पुरस्कार प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) पोस्टमैन और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के रिक्त पदों की संख्या के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

1 4.9 1 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय डाक नेटवर्क

| | राज्य/संघ क्षेत्र | शहरी क्षेत्रों में डाकघरों की सं. | 1981 की जनगणना के अनुसार प्रति डाकघर औसत जनसंख्या | ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की सं. | 1981 की जनगणना के अनुसार प्रति डाकघर औसत जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्रप्रदेश | 1404 | 8894 | 14848 | 2765 |
| 2. | असम | 280 | 7311 | 3483 | 5124 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 9 | 4603 | 245 | 2409 |
| 4. | बिहार | 582 | 14981 | 10694 | 5722 |
| 5. | गोवा | 56 | 5764 | 182 | 3763 |
| 6. | गुजरात | 819 | 12944 | 7873 | 2982 |
| 7. | हरियाणा | 308 | 9178 | 2214 | 4559 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 101 | 3227 | 2475 | 1598 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 195 | 6463 | 1359 | 3478 |
| 10. | कर्नाटक | 1323 | 8110 | 8342 | 3165 |

| राज्य/संघ क्षेत्र | | शहरी क्षेत्रों में डाकघरों की सं. | 1981 की जनगणना के अनुसार प्रति डाकघर औसत जनसंख्या | ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की सं० | 1981 की जनगणना के अनुसार प्रति डाकघर औसत जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | केरल | 686 | 6955 | 4205 | 4918 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1071 | 9884 | 9802 | 4243 |
| 13. | महाराष्ट्र | 1443 | 15241 | 10463 | 3898 |
| 14. | मणिपुर | 35 | 107.7 | 570 | 1834 |
| 15. | मेघालय | 30 | 8044 | 426 | 5269 |
| 16. | मिजोरम | 39 | 3123 | 299 | 1243 |
| 17. | नागालैंड | 19 | 6328 | 249 | 2629 |
| 18. | उड़ीसा | 590 | 5271 | 7210 | 3226 |
| 19. | पंजाब | 458 | 10147 | 3321 | 3655 |
| 20. | राजस्थान | 822 | 8771 | 9048 | 2089 |
| 21. | सिक्किम | 13 | 3929 | 142 | 858 |
| 22. | तमिलनाडु | 2035 | 7838 | 9942 | 3864 |
| 23. | त्रिपुरा | 47 | 4799 | 619 | 2952 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 2088 | 9530 | 17059 | 2334 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1096 | 13181 | 7.64 | 6525 |
| | संघ राज्य क्षेत्र | | | | |
| 1. | दिल्ली | 423 | 13635 | 115 | 3932 |
| 2. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 22 | 4136 | 85 | 1636 |
| 3. | चण्डीगढ़ | 43 | 9833 | 6 | 4794 |
| 4. | दादर और नागर हवेली | 1 | 6914 | 32 | 3023 |
| 5. | दमन द्वीव | 4 | 7255 | 14 | 3568 |
| 6. | लक्षदीप | — | — | 10 | 2162 |
| 7. | पांडिचेरी | 41 | 7708 | 58 | 4972 |
| | सम्पूर्ण भारत | 26073 | 9937 | 132646 | 3961 |

दिल्ली में बैंक डकैतियां

[हिन्दी]

1321. श्री केसरी लाल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान दिल्ली में कितनी बैंक डकैतियां हुई और इस सम्बन्ध में कितने प्रयास किए गए;

(ख) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए और कितने मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई;

(ग) उनमें से अब तक कितने मामलों को सुलझा लिया गया है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) वर्ष 1991 के दौरान (15.7.1991 तक) राजधानी में दो बैंक डकैतियां पड़ी। इस अवधि के दौरान डकैती डालने के प्रयास के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) पांच व्यक्ति मारे गए और लगभग 10,54,500 रु० की राशि लूटी गई।

(ग) अब तक एक मामला हल कर लिया गया है।

(घ) सभी संवेदनशील बैंकों को चलती-फिरती/पैदल गश्त, गश्ती टुकड़ियों और पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहनों की सेवाएं पहुंचाई जा रही है। पुलिस द्वारा बैंक प्रबंधकों के साथ निकट संपर्क स्थापित किया जा रहा है। बैंक-गार्डों की जांच की जा रही है और अलार्म पद्धति की व्यवस्था की जा रही है।

देश में विदेशी नागरिक

[अनुवाद]

1322. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार नागरिकता-वार कितने विदेशी नागरिक थे;

(ख) कितने पाकिस्तानी तथा बंगलादेशी नागरिक वर्ष 1990-91 के दौरान भारत में आए और गए;

(ग) 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद भी कितने पाकिस्तानी और बंगलादेशी नागरिक यहां पर रह रहे थे; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान उनमे से कितने लोग वापस चले गए तथा 1 अप्रैल, 1990 को ऐसे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी थी ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) दिनांक 1.1.90 तक उपलब्ध सूचना का एक विवरण संलग्न है। इसमें पाकिस्तानी और बंगलादेशी नागरिकों के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 1990 से जून, 1991 तक 2,35,161 पाकिस्तानी नागरिक, यात्रा दस्तावेजों पर, भारत आए। इसी अवधि के दौरान 2,25,791 पाकिस्तानी नागरिक भारत से गए। इसी अवधि के दौरान 3,50,385 बंगलादेशी नागरिक, यात्रा दस्तावेजों पर भारत आए तथा 3,25,690 भारत छोड़कर गए।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.1.89 को 6757 पाकिस्तानी नागरिक समयावधि से अधिक समय तक भारत में ठहरे हुए थे। जहां तक बंगलादेशी नागरिकों का प्रश्न है, यदि वे भारत में 180 दिन से कम समय तक रहते हैं तो उनका पंजीकरण नहीं किया जाता है। इसके अलावा, भारत में बंगलादेशी नागरिकों का समयावधि से अधिक समय तक ठहरने के बारे में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जब कभी भी किसी विदेशी नागरिक को भारत में समयावधि से अधिक समय तक ठहरता हुआ पाया जाता है तो राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा विदेशी अधिनियम के तहत उस पर अभियोजन चलाते अथवा उसे स्वदेश वापस भेजने की कार्रवाई की जाती है। उन्हें इस आशय की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। 1.4.1990 को 7446 पाकिस्तानी नागरिक भारत में समयावधि से अधिक समय तक ठहरे हुए थे।

**विवरण**

**1.1.90 को भारत में पंजीकृत विदेशी**

| देश | जोड़ |
|---|---|
| अफगानिस्तान | 7962 |
| एलजीरिया | 17 |
| अंगोला | 37 |
| अरजनटीना | 21 |
| आस्ट्रेलिया | 940 |
| आस्ट्रीया | 178 |
| बहरीन | 205 |
| बारबादोस | 8 |
| बेल्जियम | 265 |
| बोलीविया | 1 |
| बोत्स्वाना | 8 |
| ब्राजील | 43 |
| ब्रिटिश ओवरसीज सिटी | 519 |

| देश | जोड़ |
|---|---|
| ब्रिटिश प्रोटेक्टेड | 9 |
| ब्रिटिश नागरिक और ओलो | 163 |
| बरुनो | 2 |
| बुलगारिया | 13 |
| बर्मा | 292 |
| कम्बोडिया | 6 |
| कनाडा | 2347 |
| चाद | 2 |
| चाईल | 2 |
| चीन | 2720 |
| ताईवान | 6 |
| कोलम्बिया | 16 |
| कोमोरोस | 3 |
| कोस्टारिका | 2 |
| क्यूबा | 3 |
| साईप्रस | 1 |
| चोकोस्लोवाकिया | 24 |
| डेनमार्क | 214 |
| डोमिनीचिन रिपब्लिक | 6 |
| इक्वाडोर | 3 |
| इजीप्ट | 112 |
| एल सल्वाडोर | 2 |
| इथोपिया | 389 |
| फीजो | 96 |
| फिनलैंड | 29 |
| फ्रांस | 4207 |
| जाम्बिया | 13 |
| जर्मन | 1845 |
| घाना | 23 |
| ग्रीक | 25 |
| गुनिया | 19 |

| देश | जोड़ |
|---|---|
| गुयाना-बिसाऊ | 1 |
| गुयाना | 65 |
| हंगरी | 29 |
| आईसलैंड | 3 |
| इंडोनेशिया | 182 |
| ईरान | 2370 |
| ईराक | 133 |
| आयरलैंड | 267 |
| इसरायल | 92 |
| इटली | 574 |
| जामिका | 2 |
| जापान | 1090 |
| जोर्डन | 1373 |
| केन्या | 3210 |
| उत्तरी कोरिया (डी पी आर) | 5 |
| दक्षिणी कोरिया | 116 |
| कुवैत | 15 |
| लाओस | 7 |
| लेबनान | 65 |
| लेसोथो | 4 |
| लिबरिया | 2 |
| लीबिया | 2 |
| लक्समनबर्ग | 4 |
| मालाघोसी | 3 |
| मलावी | 19 |
| मलेशिया | 5919 |
| मालदीव | 191 |
| माली | 11 |
| माल्टा | 46 |
| मार्टनिक्यू | 1 |
| मुरुतानिया | 10 |

| देश | जोड़ |
|---|---|
| मारीसस | 299 |
| मेक्सिको | 25 |
| मंगोलिया | 12 |
| मोरक्को | 21 |
| मोजाम्बीक | 2 |
| नामीबियान | 6 |
| नेपाल | 3544 |
| नीदरलैंड | 668 |
| न्यूजीलैंड | 359 |
| निकारगुआ | 1 |
| नाईजर | 32 |
| नाईजीरिया | 508 |
| नोर्वे | 99 |
| ओमान | 16 |
| अन्य (राज्यविहीन इत्यादि) | 2522 |
| पलेसतीनियन | 189 |
| पानामा | 4 |
| पारागुए | 1 |
| पेरू | 11 |
| फिलीपाइन्स | 112 |
| पोलैंड | 137 |
| पुर्तगाल | 378 |
| जिम्बाब्वे | 26 |
| रोमानिया | 9 |
| रुआन्डा | 3 |
| सउदी अरबिया | 17 |
| सेनेगल | 3 |
| सिशल्स | 56 |
| सिंगापुर | 1081 |

भारत में विद्यमान पंजीकृत विदेशियों की 1.1.1990 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रवार रिपोर्ट

| देश | जोड़ |
|---|---|
| सोमालिया | 394 |
| द० अफ्रीका | 12 |
| स्पेन | 129 |
| श्रीलंका | 8293 |
| सूडान | 1348 |
| सूरीनाम | 4 |
| स्वाजीलैंड | 1 |
| स्वीडन | 247 |
| स्विटजरलैंड | 386 |
| सीरिया | 59 |
| तनजानिया | 382 |
| थाईलैंड | 504 |
| तिब्बत | 45866 |
| तोंगा | 5 |
| त्रिनाड और टोबागो | 46 |
| तुनीशिया | 18 |
| टर्की | 10 |
| संयुक्त अरब अमीरात | 17 |
| यूगान्डा | 32 |
| यू. एस. एस. आर. | 3571 |
| यूनाईटेड किंगडम | 5800 |
| यू. एस. ए. | 3203 |
| वेटीकन | 9 |
| वेनीजुला | 13 |
| वियतनाम | 72 |
| पश्चिमी समोआ | 5 |

| देश | जोड़ |
|---|---|
| यमन | 187 |
| यूगोस्लाविया | 36 |
| जेरे | 13 |
| जाम्बिया | 27 |
| दक्षिणी यमन | 14 |

**केरल के इदुक्की जिले में कृषि विश्वविद्यालय**

1323. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के जिले इदुक्की में एक नया कृषि विश्वविद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक खोले जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केरल में पहले से ही एक कृषि विश्वविद्यालय है।

**दिल्ली में पुलिस हिरासत में मौत**

[हिन्दी]

1324. **श्री मृत्युंजय नायक :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन महीनों के दौरान पुलिस हिरासत में कितने व्यक्तियों की मौत हुई;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) :** (क) पिछले तीन महीनों के दौरान पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति मारा गया।

(ख) और (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत मरणोपरान्त जांच शुरू की गयी है। एक कान्स्टेबल को निलम्बित कर दिया गया है।

**सन्थाल परगना, छोटा नागपुर, बिहार में डाकघर**

1325. **श्री साईमन मरान्डी :**

**क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) बिहार की सन्थाल परगना-छोटा नागपुर कमिशनरी में कितने डाकघर किराये के भवनों में काम कर रहे हैं; और

(ख) किराये पर किए जा रहे वार्षिक व्यय का ब्योरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :** (क) बिहार में संथाल परगना, छोटा नागपुर कमिशनरी में किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या 334 है।

(ख) इन भवनों का कुल वार्षिक किराया खर्च 11,22,904/- रुपये (ग्यारह लाख, बाईस हजार, नौ सौ चार रुपये) है।

**पटसन के किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए योजना**

**[अनुवाद]**

1326. **श्री हरिन पाठक :**

**क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में पटसन के किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) :** (क) से (ग) भारत सरकार पहले से ही विशेष जूट विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध केन्द्रीय प्रायोजित योजना देश के प्रमुख जूट/मेस्ता उत्पादक राज्यों में क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए गुणवत्ता वाले बीजों, फार्म उपकरणों, पादप संरक्षक रसायनों और उपस्कर, मृदा सुधारकों, आवश्यक पोषक मिनी-किटों और फफूंद कल्चर के वितरण के लिए राज्यों को रियायती दर पर केन्द्रीय सहायता की जाती है। रैटिंग टैंक का निर्माण करने और प्रशिक्षण के लिए भी किसानों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा जूट उत्पादन की नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए उनके खेतों में प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

**भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां**

**[हिन्दी]**

1327. **श्री भोगेन्द्र झा :**

**क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सरकार द्वारा भारत में अध्ययन के लिए देश-वार कितने विदेशी छात्रों को नामांकित किया जा रहा है और उन्हें छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जा रही हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नेपाल, श्रीलंका और अन्य पड़ोसी देशों के कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई हैं ?

**विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी)** : (क) और (ख) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

**पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना**

1328. **श्री संतोष कुमार गंगवार** :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने के बारे में शिकायतों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1990 में पाकिस्तान में मानव अधिकार प्रयासों के संबंध में अमरीकी विदेश विभाग की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) यह दायित्व पाकिस्तान की सरकार का है कि वह अपने सभी नागरिकों के, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक भी शामिल हैं, अधिकारों की रक्षा करें और यह देखें कि उन्हें हैरान परेशान न किया जाए।

**सेलम इस्पात संयंत्र को लाभ**

[अनुवाद]

1329. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र को कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता में गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हो गई है;

(ग) क्या इस संयंत्र में उत्पादित इस्पात का निर्यात करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) 1989-90 के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र को 25.63 करोड़ रुपए की हानि हुई। वर्ष 1990-91 में संयत्र को 20.05 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। यह लेखा को अन्तिम रूप देने तक अनन्तिम है।

(ख) मार्च, 1991 में एक नई शीत बेल्लित मिल चालू करने से संयंत्र की शीत बेल्लित बेदाग इस्पात क्वायल/चादर बनाने की संस्थापित क्षमता 32,000 टन वार्षिक से बढ़कर 65,000 टन वार्षिक हो गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा 8,000 टन शीत बेल्लित बेदाग इस्पात चादरों/क्वायलों का निर्यात करने का प्रस्ताव है जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान 3628 टन शीत बेल्लित बेदाग इस्पात चादरों/ क्वायलों का निर्यात किया गया था।

**ग्रामीण क्षेत्रों में डाकिये तथा शाखा डाकपाल के पदों के लिए आरक्षण**

1330. **श्री अनादि चरण दास :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाकिये और शाखा डाकपाल के पदों पर भर्ती हेतु अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों हेतु आरक्षण लागू करने और आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क) से (ग) विभागीय पोस्टमैनों के मामले में आरक्षण के सामान्य नियम लागू होते हैं। तथापि अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर के पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है तथापि, अतिरिक्त विभागीय पदों पर नियुक्ति के लिए उन्हें अन्य उम्मीदवारों की तुलना में वरीयता दी जाती है बशर्ते कि वे इस संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता की न्यूनतम शर्तों को पूरा करते हों।

**बिहार के रोहतास जिले में डाकघर खोलना**

[हिन्दी]

1331. **श्री छेदी पासवान :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में विशेष रूप से रोहतास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)** : (क) जी हां, चालू वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 250 शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। जिनमें से 5 रोहतास जिले में खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) बिहार में रोहतास जिले के मोजारी, कोहारी, सराय इमालिया, नरायनपुर और बोदरही में शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

**बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार**

1332. **श्री छेदी पासवान :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान बिहार में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान 106 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ख) 1991-92 के दौरान 106 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

**बिहार को पानी जमा होने पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय सहायता**

1333. श्री छेदी पासवान :

श्री राम लखन सिंह यादव :

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार को उत्तर-बिहार में पानी जमा होने पर नियंत्रण रखने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उत्तर बिहार में जल जमाव के नियन्त्रण के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। कोसी और गण्डक परियोजनाओं के कमान में 42.39 करोड़ रुपए की लागत की छ: जल निकास स्कीमें राज्य सरकार द्वारा उनकी योजना निधियों से कार्यान्वित करने हेतु योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई। वर्तमान नीति के अनुसार, केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों के रूप में दी जाती है जो विकास अथवा परियोजना के किसी क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है।

**कश्मीर से विस्थापित लोगों को सुविधाएं**

[अनुवाद]

1334. श्री हरिन पाठक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कश्मीर से विस्थापित लोगों को मुहैया कराई गई सुविधाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने/ नष्ट करने की कुछ घटनाएं सरकार की जानकारी में आई है; और

(ग) धार्मिक स्थलों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

सरकार ने, प्रवासियों के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक राहत उपाए किए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं :—

जम्मू में प्रवासियों को प्रति व्यक्ति को 10/-रु० प्रतिदिन की दर से नकद सहायता दी जा रही है बशर्ते कि यह राशि 4 या इससे अधिक व्यक्तियों वाले प्रति परिवार के हिसाब से प्रति माह 1000 रु० से अधिक न हो, इसके अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलोग्राम चीनी, मुफ्त राशन और उपलब्धता के आधार पर सरकारी भवनों/टेन्टों में आवास दिया जा रहा है। मुफ्त चिकित्सा सहायता, कम्बल इत्यादि भी दिए गए हैं।

दिल्ली में, शिविरों से बाहर रह रहे प्रवासियों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 200 रु० की नकद राहत दी जा रही है बशर्ते यह राशि 4 या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को 800 रु० से अधिक न हो। जो दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित शिविरों में रह रहे हैं उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से 125 रु० दिए जा रहे हैं, बशर्ते कि यह राशि 4 या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को प्रति माह 500 रु० से अधिक न हो। इसके अलावा एक समय खाना पकाने के बर्तन और बिस्तर और 500 रु० की कीमत का महीने भर का राशन भी दिया जाता है। शिविरों में चिकित्सा दलों के नियमित दौरों की व्यवस्था भी की गयी है।

स्कूलों, कालेजों और व्यवसायिक संस्थानों में बच्चों के दाखिले, बैंक और डाक बचत खातों के स्थानान्तरण, छुट्टियों के वेतन, पेंशन के भुगतान और जीवन बीमा निगम के दावों इत्यादि के त्वरित निपटान के निदेश भी जारी किए गए हैं।

घाटी में कुछ धार्मिक स्थान आतंकवादी हमलों से प्रभावित हुए हैं।

धार्मिक स्थानों की सुरक्षा, प्रशासन द्वारा आतंकवाद को रोकने और घाटी में सामान्य हालात बहाल करने के लिए किए जा रहे समग्र उपायों का एक अंग है। तथापि, संवेदनशील धार्मिक स्थानों के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं।

**राजस्थान में टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन**

[हिन्दी]

1335 **श्री राम नारायण बैरवा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान के लिए कोई टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :** (क) और (ख) राजस्थान सर्किल एवं जयपुर जिले के लिए दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन संलग्न विवरण-1, और-2 में दिये ब्यौरे के अनुसार दिनांक 29.3.1991 को किया गया है। इनकी समीक्षा की जा रही है।

**विवरण-I**

**दूरसंचार सलाहकार समिति राजस्थान (दिनांक 29.3.91 को गठित)**

टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समिति राजस्थान के लिए नामित सदस्यों की सूची।

i. संसद सदस्य-बाद में नामित किए जायेंगे।

ii. **राज्य विधान मण्डल**

1. श्री देवी सिंह भाटी, कोलायत।

2. श्री राजेन्द्र राठोड, चुरू ।

3. श्री भवर लाल शर्मा, सरदार शहर ।

4. श्री गंगा राम चोधरी, बाड़मेर ।

iii. राज्य प्रशासन

बाद में नामित किये जायेंगे ।

iv. प्रेस

1. श्री राकेश शर्मा,
मुख्य संपादक, राष्ट्रदूत,
एम. आई. रोड, जयपुर ।

2. श्री पदम मेहता,
मुख्य संपादक, मानक,
जोधपुर ।

3. श्री श्याम सुन्दर आचार्य,
मुख्य संपादक, नव भारत टाइम्स, जयपुर ।

4. श्री विजय भंडारी,
राजस्थान पत्रिका, जयपुर ।

v. चिकित्सा व्यवसाय

1. डा. करण सिंह यादव,
एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर ।

2. डा. आर. एन. सिंह,
उमेद अस्पताल, जोधपुर ।

3. डा. मोहम्मद आजम,
जयपुर ।

vi. कानूनी व्यवसाय

1. श्री रतन सिंह, एडवोकेट,
पोखरण, जिला जैसलमेर ।

2. श्री सुनील सरयूपारीय, एडवोकेट,
75, मोती मगरी, उदयपुर ।

3. श्री एम. एल. गर्ग, एडवोकेट,
पौटा "बी" रोड, जोधपुर ।

viii. अन्य व्यवसाय जैसे इंजीनियर्स, वास्तुशिल्प आदि

1. श्री विमल सिंघवी,
इंजीनियर, मारवाड़ टेन्ट फैक्टरी, हेवी इन्डस्ट्रीयल केन्द्र,
जोधपुर ।

2. श्री एन. एस. राठोड़,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।

ix. व्यापार, वाणिज्य और उद्योग

1. श्री भोपाल सिंह,
राज इन्डस्ट्रीज, फेस II, इन्डस्ट्रीज क्षेत्र, बासनी,
जोधपुर।

2. श्री किशोरी लाल गर्ग,
उद्योगपति, दिग्विजय टेक्सटाइल्स, जयपुर।

3. श्री एम. एम. गोस्वामी,
सी-1/203, कमल अपार्टमेंट, बाणी पार्क, जयपुर।

4. श्री कमल मुद्रण,
जसुसार गेट के पास, बिकानेर।

5. श्री पारस मल मेहता,
ए-35, शास्त्री नगर, जयपुर।

6. श्री रामचन्द्र जोशी,
मामा भान्जा हाउस, स्वरूप सागर, उदयपुर।

7. श्री गुरूचरण सिंह आनन्द,
एयर पोर्ट के पास, कोटा।

8. श्री वेदभूषण सेठी,
बी-10, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर।

9. श्री बिशन सिंह,
रायल, पी. ओ. रावतसर,
वाया हनुमानगढ़, गंगानगर।

10. श्री तेजकरण सुराना,
चुरु (राजस्थान)

x समाज सेवी और अन्य

1. श्री प्रहलाद सिंह पोह,
रघुकुल, आदर्श नगर, अजमेर।

2. श्री सिकन्दर भाई,
पाली।

3. श्री राजेन्द्र सिंह राजावत,
14/6, दुर्गादास कालोनी, जोधपुर।

4. श्री तगाराम,
प्रधान, बैतु पंचायत समिति, बाड़मेर।

5. श्री नारायण सिंह दिगारना,
उप-प्रधान, जतारन पंचायत समिति, जतारन, पाली।

6. श्री सुरेश सुराणा,
एडवोकेट, सिरोही।

7. श्री डूंगर सिंह,
एडवोकेट, जासोल हाउस, पौटा, जोधपुर।

8. श्री आश्रम चौधरी, चार धानी की बावड़ी,
बिजय पेलेस, गुलाब बाड़ी, अजमेर।

9. श्री उमेद सिंह, सरपंच।
पियालन, जैसलमेर।

10. श्री सुमेर सिंह,
राजसिंहपुरा, राजपूत सभा भवन, जोधपुर।

11. श्री भीमराज बोहरा, 1-3, हायरोई मार्किट,
अजमेर, रोड, जयपुर।

12. चौ. धरम पाल,
मकान नं. 190, स्कीम नं. 5, मोती डूंगरी रोड, अलवर (राज.)

13. श्री रामदत्त थानवी,
जयनारायण व्यास उद्यान, के पास, वीर मोहल्ला, कागज की गली,
फुला के पोल, जोधपुर।

14. श्री महिर आजाद विधायक, गांधी नगर, जयपुर।

15. श्री रामफरन चौधरी, एडवोकेट, मेहता सिटी, राजस्थान।

16. श्री इन्द्र चन्द बिम्नापी,
श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू, राजस्थान।

17. श्री पन्ना लाल सेतिया,
अध्यक्ष साकन्स बल्लभ, सरदार शहर।

18. डा. हरिकृष्ण दीक्षित,
गांधी चौक, सरदार शहर,
जिला चूरू, राजस्थान।

19. श्री राजेश टन्डन,
नगीना बाग,
अजमेर।

20. डा. जसवन्त सिंह,
जोतवाड़ा,
जयपुर-12

विवरण-2

टेलीफोन सलाहकार समिति जयपुर
(दिनांक 29.3.91 को गठन)

i संसद सदस्य

बाद में नामित किये जायेंगे।

ii राज्य विधान मण्डल

1. श्रीमती सुमित्रा आर्य, विधायक,
जयपुर।

2.

3.

iii राज्य प्रशासन

1.

iv निगम/नागरिक निकाय

1.

v प्रेस

1. श्री सत्यनारायण शर्मा,
राष्ट्रदूत, एम. आई. रोड़,
जयपुर।

2. श्री अजय घट्टा,
घट्टा मार्किट, जौहरी बाजार,
जयपुर।

vi चिकित्सा व्यवसाय

1. डा. विरेन्द्र सिंह,
बी-28, सुधा सदन, गोबिन्द मार्ग, जयपुर।

2. डा. एस. एस. हल्दिया,
बी-21, साकेत कालोनी, आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर।

vii कानूनी व्यवसाय

1. श्री साहिब दयाल शर्मा,
एडवोकेट, उच्च न्यायालय, जयपुर।

2. श्री सज्जन सिंह,
एडवोकेट, सेठी कालोनी, जयपुर।

3. श्री रामकुमार सरन, एडवोकेट, 29 मायाराम वैद्य कालोनी
बिकानेर, राजस्थान।

viii अन्य व्यवसाय जैसे इन्जीनियर, वास्तुशिल्प आदि

1. श्री आर. के. शर्मा,
वास्तुशिल्प, शर्मा एसोसियेट्स,
"सी" स्कीम, जयपुर।

2. श्री प्रमोद पटनी,
सी. ए. शाह पटनी एण्ड कंपनी, जोहरी बाजार, जयपुर

ix व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग

1. श्री श्रीकान्त छाबरा,
सी-76, सरोजिनी मार्ग, "सी" स्कीम जयपुर।

2. श्री भीम गर्ग,
6 ख-12, जवाहर नगर,
जयपुर।

3. श्री अशोक शर्मा,
वल्द श्री जी. एल. शर्मा, जगजीवन काम्प्लेक्स, पोलो विक्टरी के पास,
जयपुर।

4. श्री मंगल सिंह,
श्री गोविन्दम, सरवगी मेंशन, लिंक रोड़, जयपुर।

5. श्री नरोत्तम डूगर,
श्री एजेन्सीज, जोहरी बाजार,
जयपुर

6. श्री रंनदीप धनकड़,
47, संग्राम कालोनी,
"सी" स्कीम, जयपुर।

x समाज सेवक एवं अन्य

1. श्री ललित तिवारी,
नाहर बाट रोड, जयपुर।

2. श्री विमल चौधरी,
एडवोकेट, उच्च न्यायालय, जयपुर।

3. श्री गिरिवर सिंह सिंघासन,
होटल श्री राधे कृष्णन,
रेलवे स्टेशन के सामने,
जयपुर।

4. श्रीमती सुधा रैना
वसुन्धरा, टोंक रोड,
जयपुर।

5. श्री अभय आर्य
दुर्गापुर, जयपुर।

6. श्री बाबू लाल डूंगर,
मारफत श्री तिफम चन्द डागा,
सुजानगढ़।

7. श्री अंगद्य कुमार बहर,
एडवोकेट, गांधी प्याऊ रोड,
जोधपुर (राजस्थान)

8. श्री प्रवीण बलवाड़ा,
13, चेतन मार्ग,
जयपुर मेडिकल सेन्टर के पीछे, जयपुर।

9. श्री सुनाम खां,
एडवोकेट,
त्रिपोलिया बाजार,
जयपुर।

10. श्री एच. एन. तिवारी,
4/464, जवाहर नगर,
जयपुर।

11. डा. जसवन्त सिंह राठौड़,
जयपुर।

12. श्री राजेन्दर सिंह,
जयपुर।

13. श्री अशोक सारण,
जयपुर।

**"सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सिस्टम" को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता**

[अनुवाद]

1336. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक विदेशी फर्म के साथ "सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सिस्टम" को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए कोई समझौता करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या महानगरों की मांग को पूरा करने के लिए प्रारम्भ में 25,000 लाइनों का आयात करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उस पर लागत, पूंजी निवेश तथा आवर्ती खर्च कितना होगा;

(घ) 1 अप्रैल, 1991 को देश के औसतन कितनी शहरी और कितनी ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध थी;

(ङ) 1 अप्रैल, 1991 को, 5000 और उससे अधिक जनसंख्या वाली उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी जिनके पास कोई टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं थी; और

(च) क्या सरकार का देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन प्रणाली का संचालन स्थापित करने का विचार है ?

**संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु)** : (क) सेल्यूलर अनुपयोग के प्लेटफार्म के विकास और आपूर्ति के लिए अमेरिका की एक फर्म मै० मोटोरोला द्वारा मांगी गई एक निविदा के जवाब में सी-डॉट ने एक बिड प्रस्तुत किया है और संविदा संबंध स्थापित करने के लिए मैसर्स मोटोरोला के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे मोटोरोला सेल्युलर प्रणालियां उपयुक्त इन्टरफेस के माध्यम से सी-डाट स्विच के साथ कार्य कर सकेंगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1.4.91 की स्थिति के अनुसार एक टेलीफोन कनेक्शन द्वारा देश में शहरी ग्रामीण जनता को सेवा प्रदान करने का औसत क्रमशः 51 और 1154 है।

(घ) 5000 और इससे अधिक की आबादी वाले 4503 गांवों में से 1.4.91 की स्थिति के अनुसार केवल 133 गांवों में कोई टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जी नहीं। प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

## राजस्थान की सिध मुख और नोहर परियोजनाएं

[हिन्दी]

1337. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सिध मुख और नोहर परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजनाओं की वर्तमान लागत कितनी है तथा इससे कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) राजस्थान की सिध मुख और नोहर

परियोजनाओं की जुलाई, 1990 में योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन परियोजनाओं पर कार्य वर्ष 1990-91 में शुरू किया गया है तथा उस वर्ष में कुल 1.46 करोड़ रुपये व्यय हुआ। वर्ष 1991-92 के लिए 4.75 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं को बाह्य सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा इनसे सिंचाई प्रदान किए जाने वाला क्षेत्र निम्नोक्त है :—

| परियोजना | लागत (करोड़ रुपए में) | वार्षिक सिंचाई (हैक्टेयर) | लाभ प्राप्त तहसील |
|---|---|---|---|
| सिधमुख | 103 | 33620 | श्रीगंगानगर जिले में नोहर और भादरा तथा चूरू जिले में राजगढ़ और तारानगर। |
| नोहर | 40.59 | 13665 | नोहर |

(ग) इन परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा अपनी राज्य योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा किए गए बजट आबंटन तथा बाह्य सहायता की राशि जो उपलब्ध हो सकती है, पर निर्भर करेगा।

## अकाल से प्रभावित राज्य

1338. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान अकाल से प्रभावित राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता राशि मंजूर की गई;

(ख) इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई और राज्यों द्वारा कितनी धनराशि को उपयोग में लाया गया;

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा रोजगार के कितने अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) अब तक हुई वास्तविक उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) से (घ) नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राहत व्यय के लिए धन देने की योजना में पहली अप्रैल, 1990 से परिवर्तन आया है। संशोधित योजना के तहत प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित राशि के साथ आपदा राहत निधि का गठन किया गया है जिसमें आबंटित राशि के 75 प्रतिशत का अंशदान 4 त्रैमासिक किश्तों में गैर योजना अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है तथा शेष राशि की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने निजी स्रोतों से की जाती है। विभिन्न राज्यों के लिए आपदा राहत निधि के तहत वार्षिक आधार पर 804 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है

जिसमें 603 करोड़ रुपये का अंशदान तथा शेष 201 करोड़ रुपये का अंशदान राज्य द्वारा दिया जाता है। राज्य आपदा राहत निधि के तहत राज्यवार आबंटन उसके लिए केन्द्र तथा राज्य के अंशदान संलग्न विवरण-I में दी गई है।

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह सहायता के प्रतिमानों सहित राहत व्यय के वित्त पोषण से सम्बद्ध सभी मामलों पर निर्णय ले। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए क्षेत्रवार आबंटन, जिसमें सूखे की हालत में रोजगार सृजन शामिल है का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत निधि से किया जाता है। संघ सरकार के लिए विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करना अपेक्षित नहीं है। आपदा राहत निधि का सृजन किए जाने से राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा के प्रबंध से सम्बद्ध समस्त व्यय वहन करना पड़ता है।

भारत सरकार ने 1990-91 के दौरान सभी राज्यों को 603 करोड़ रुपये का अपना समूचा केन्द्रीय अंश जारी कर दिया था।

1990-91 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्ध पर वहन किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में है।

**विवरण-1**

**पहली अप्रैल, 1990 से प्रारम्भ होने वाले पांच वर्षों में से प्रत्येक में राज्यों की आपदा राहत निधि का योगदान केन्द्र का योगदान तथा राज्यों का हिस्सा**

**(करोड़ रुपए में)**

| 1 | राज्य 2 | प्रत्येक राज्य का आपदा राहत निधि में वार्षिक अंशदान 3 | केन्द्रीय अंशदान 4 | राज्य का हिस्सा 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 86.00 | 64.50 | 21.50 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
| 3. | असम | 30.00 | 22.50 | 7.50 |
| 4. | बिहार | 35.00 | 25.25 | 8.75 |
| 5. | गोवा | 1.00 | 0.75 | 0.25 |
| 6. | गुजरात | 85.00 | 63.75 | 21.25 |
| 7. | हरियाणा | 17.00 | 12.75 | 4.25 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 18.00 | 13.50 | 4.50 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 12.00 | 9.00 | 3.00 |
| 10. | कर्नाटक | 27.00 | 20.25 | 6.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | केरल | 31.00 | 23 25 | 7.75 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 37.00 | 27.75 | 9 25 |
| 13. | महाराष्ट्र | 44 C0 | 33.C0 | 11.00 |
| 14 | मणिपुर | 1.00 | 0.75 | 0.25 |
| 15. | मेघालय | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
| 16. | मिजोरम | 1.00 | 0.75 | 0.25 |
| 17. | नागालैंड | 1.00 | 0.75 | 0.25 |
| 18. | उड़ीसा | 47.00 | 35.25 | 11.75 |
| 18. | पंजाब | 28.00 | 21.00 | 7.00 |
| 20. | राजस्थान | 124.00 | 93.[illegible]0 | 31.00 |
| 21. | सिक्किम | 3.00 | 2.25 | 0.75 |
| 22. | तमिलनाडु | 39.00 | 29.25 | 9.75 |
| 23. | त्रिपुरा | 3.00 | 2.25 | 0.75 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 90.00 | 67.50 | 22.50 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 40.00 | 30.00 | 10.00 |
| | कुल | 804.00 | 603.00 | 201.00 |

## विवरण-2

### 1990-91 के दौरान प्राकृतिक आपदा राहत के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अब तक दी जानकारी के अनुसार व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

| क्र. संख्या/राज्य का नाम | | अब तक दी गई जानकारी के अनुसार व्यय |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 167.02 |
| 2. | असम | 10.24 |
| 3. | बिहार | 17.28 |
| 4. | गुजरात | 56.79 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | हरियाणा | 1.17 |
| 6. | कर्नाटक | 7.49 |
| 7. | केरल | 28 46 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 73.43 |
| 9. | महाराष्ट्र | 2.88 |
| 10. | मेघालय | 0.11 |
| 11. | मिजोरम | 0.13 |
| 12. | नागालैंड | 0.0039 |
| 13. | उड़ीसा | 51.75 |
| 14. | पंजाब | 18.42 |
| 15. | राजस्थान | 41.75 |
| 16. | सिक्किम | 3.68 |
| 17. | तमिलनाडु | 17.73 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 28.92 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 9.01 |
| | कुल | 536.2139 |

**चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना चरण (दो)**

1339. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना (चरण-दो) को विश्व बैंक को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विस्तृत छान-बीन पूरी होने पर, इस परियोजना के बाह्य सहायता हेतु विचार किया जायेगा।

### लाटरी व्यवसाय के लिए आचार संहिता

1340. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने लाटरी व्यवसाय खोज-खबर रखने के लिए 27 जून, 1984 को एक आचार संहिता की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस आचार संहिता का अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस आचार संहिता का अनुसरण न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब)** : (क) और (ख) राज्य लाटरियों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुमति प्राप्त लाटरियों को चलाने के लिए सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को 27.6.1984 को मार्ग-निर्देश जारी किए थे। मार्ग-निर्देशों में प्रथम पुरस्कार का अधिकतम मूल्य, एक टिकट का मूल्य, तथा साप्ताहिक लाटरी के एक टिकट का मूल्य और बम्पर ड्रा के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक वर्ष में बम्पर ड्रा निकालने और लाटरी से प्राप्त होने वाले न्यूनतम राजस्व तथा प्रत्येक ड्रा के लिए जाने वाले पुरस्कार के कुल मूल्य पर अधिकतम सीमा लगाई गई है। पुरस्कार की राशि का भुगतान ड्रा निकालने के 1 महीने के अन्दर किया जाना है।

(ग) तथा (घ) संबंधित राज्यों द्वारा मार्ग-निर्देशों का प्राय: अनुपालन किया जा रहा है। तथापि, यदि किसी प्रकार के कदाचार के बारे में शिकायतें अथवा रिपोर्टें मिलती है तो समुचित कारंवाई करने के लिए उन्हें संबधित राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जाता है।

### देश के कानून और व्यवस्था

[अनुवाद]

1341. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार विमर्श करने हेतु मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब)** : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

### वायनाड जिले के किसानों को राहत

1343 श्री के० मुरलीधरन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण वहां के वायनाड जिले में काफी, काली मिर्च और अदरक के उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन किसानों को राहत देने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) केरल राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चालू दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ों के कारण वायनाड जिले में काफी, काली मिर्च और अदरक की फसलों को हुई क्षति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| क्रम संख्या | फसल का नाम | क्षति की सीमा | |
|---|---|---|---|
| | | क्षेत्र (हैक्टेयर) | मूल्य (लाख रुपए में) |
| 1. | काली मिर्च | 24.92 | 12.77 |
| 2. | अदरक | 1.00 | 0.20 |
| 3. | काफी | 0 4 | 0.60 |

(ख) प्राकृतिक आपदाओं संबंधी व्यवस्था पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए राज्य आपदा राहत निधि के तहत केरल राज्य सरकार का वार्षिक आबंटन 31.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 75 प्रतिशत (23.75 करोड़ रुपए) राशि केन्द्र सरकार द्वारा गैर-योजना अनुदान के रूप में दी जाती है। 1991-92 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत निधि में केन्द्रीय शेयर की दो तिमाही किश्तों के लिए 11 625 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए जा चुके हैं, ताकि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदओं से प्रभावित इलाकों में विभिन्न राहत कार्य करने में समर्थ हो सके। केरल सरकार प्रभावित किसानों को राहत सहायता मुहैया करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

**चंडीगढ़ में भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित किसानों को प्रोत्साहन**

1344. **श्री पवन कुमार बन्सल :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के विकास के लिए भारी पैमाने पर कृषि भूमि के अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए कृषकों को डेरी फार्मिग, मुर्गी पालन जैसे अन्य व्यवसायों को अपनाना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया गया है अथवा देने का विचार है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**"उल्फा" द्वारा अपहरण**

1345. **श्री मोहन सिंह :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 1 जुलाई, 1991 को असम में "उल्फा" उग्रवादियों द्वारा 12 वरिष्ठ अधिकारियों का अपहरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या "उल्फा" उग्रवादियों द्वारा अपहरण किए गए इन सरकारी अधिकारियों में से 9 जुलाई, 1991 को एक सोवियत रूसी खनन इंजीनियर की हत्या कर दी गई; और

(ग) असम में "उल्फा" आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, संदिग्ध उल्फा उग्रवादियों द्वारा दिनांक 1.7.1991 को एक रूसी खनन अभियन्ता सहित, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के 14 अधिकारियों का राज्य के विभिन्न स्थानों से अपहरण किया गया।

(ख) उल्फा ने 7.7.1991 को एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया कि 6.7.91 को हुई एक मुठभेड़ में रूसी अभियन्ता की उन्होंने हत्या कर दी।

(ग) असम के मुख्यमंत्री उल्फा को बातचीत के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं तथा उन्होंने उनसे (उल्फा) बातचीत करने की पेशकश की है।

**श्री राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेवारी लेना**

1346. **प्रो० के० वी० थामस** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोलम्बो के "सन्डे आबजर्वर" में लिट्टे की केन्द्रीय समिति के सदस्य के श्री राजीव गांधी की हत्या और भारत के अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की "हिट-लिस्ट" संबंधी पत्र के प्रकाशित होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पत्र में लिखी हुई बातों के बारे में संबंधित सुरक्षा प्राधिकारियों को बता दिया गया है और उनसे, "हिट लिस्ट" में उल्लिखित भारत के अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

**पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ**

[हिन्दी]

1347. **श्री यशवंतराव पाटिल** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1991 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "12 हजार उग्रवादियों को पाक सेना का प्रशिक्षण" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या कुछ महिला आतंकवादियों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद से निपटने और पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों को घुसपैठ को प्रभावी ढग से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब)** : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) महिला आतंकवादियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के बारे में कोई पक्की सूचना नहीं है।

(ग) सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के अलावा, सीमा के साथ-साथ 5 कि० मी० पट्टी पर शाम से सवेरे तक का कर्फ्यू लगाया गया है, आसूचना ढांचे को सुदृढ़ कर दिया गया है, जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम लागू कर दिए गए हैं, और वहां पर सेना, अर्धसैनिक बलों तथा राज्य पुलिस के मध्य बेहतर समन्वय है ।

**जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की यूरोपीय संसद द्वारा निन्दा**

[अनुवाद]

1348 **श्री रवि राय :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संसद ने जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद की सभी गतिविधियों की स्पष्ट रूप से निन्दा की है; और

(ख) यदि हां तो इससे बंधकों को मुक्त कराने तथा घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने में कितनी सहायता मिली है ?

**विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी)** : (क) जी, हां ।

यूरोपीय संसद ने 11 जुलाई, 1991 से एक संकल्प पारित करके स्पष्ट रूप से कतिपय काश्मीर उग्रवादी दलों की आतंकवादी और अपहरण की कार्रवाईयों की निन्दा की है ।

(ख) इस संकल्प के पारित होने से पहले ही विदेशी बंधकों को रिहा कर दिया गया था। इस संकल्प से इस बात का पता चलता है कि यूरोप में हिंसा, अपहरण और आतंकवादियों की अन्य आतंकवादी कारंवाइयों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है । और उसकी अधिकाधिक निन्दा की जा रही है। जम्मू और कश्मीर में बाकी बंधकों की रिहाई अथवा स्थिति में सुधार नहीं हुआ ।

**बांधों एवं तालाबों से गाद निकालने की योजनाएं**

[हिन्दी]

1549. **श्री विश्वनाथ शर्मा :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गादयुक्त बांधों और बड़े-बड़े पुराने तालाबों से गाद निकालने की कुछ योजनाएं संघ सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनको कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) ऐसी कोई स्कीम केन्द्रीय सरकार के पास लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**गोवा स्वतन्त्रता सैनानी समिति का गठन**

[अनुवाद]

1350 **प्रो॰ राम कापसे :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा स्वतन्त्रता सैनानियों की ओर से केन्द्रीय सरकार को समिति का गठन करने के बारे में कोई समिति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; उसकी शिकायतों को दूर करने के लिए जिसमें गोवाइ जाने माने स्वतन्त्रता सैनानी शामिल हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम॰ एम॰ जैकब)** : (क) और (ख) भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने पणजी, गोवा मे दिनांक 27.4.1991 को अखिल भारतीय गोवा सत्याग्रहियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते समय कहा था कि गोवा के स्वतन्त्रता सैनानियों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए श्री एन॰ जी॰ गोरे के नेतृत्व में एक नौ सदस्यीय समिति गठित की जा सकती है। जिसके अन्य सदस्य सर्वश्री मोहन धारिया और श्री श्रीभाऊ लिमये तथा पांच अन्य सदस्य होंगे, जिनका चुनाव श्री गोरे द्वारा अन्य राज्यों से किया जाएगा। इस बारे में अखिल भारतीय गोवा स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक संघ ने हाल ही में एक पत्र लिखा है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

**कृषि पर आधारित उद्योग**

1351. **श्री विजय नवल पाटिल :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है कि विभिन्न राज्यों में कृषि पर आधारित कितने उद्योग चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने उद्योग चल रहे हैं; और

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**मछली उत्पादन**

1352. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब सागर, हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी अलग-अलग अनुमानतः कितनी मात्रा में मछली उपलब्ध है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में मछलियां पकड़ी गई ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) भारतीय एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, जिसमें अरब सागर, हिन्द महासागर तथा बंगाल की खाड़ी शामिल है, का आकलित मात्स्यकी उत्पादन निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| अरब सागर | 2.587 मिलियन मीटरी टन |
| बंगाल की खाड़ी | 1.014 मिलियन मीटरी टन |
| हिन्द महासागर (समुद्रीय) | 0.299 मिलियन मीटरी टन |
| योग | 3.900 मिलियन मीटरी टन |

(ख) 1990-91 के दौरान देश में पकड़ी गई समुद्री मछली की मात्रा लगभग 2.3 मिलियन मीटरी टन है।

**सिकन्दरपुर (उत्तर प्रदेश) में गुलाब की खेती**

**[हिन्दी]**

1353. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के सिकन्दरपुर (बलिया) में बढ़िया किस्म का गुलाब पैदा करने के लिए गुलाब उत्पादक किसानों को विशेष सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) जी, हां।

(ख) 1990-91 से तीन वर्षों की अवधि के लिए 11.66 लाख रुपए की सहायता प्रस्तावित की गई है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 आधार पर समान रूप से शेयर किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष नये वन रोपण के तहत 25 एकड़ भूमि को शामिल किया जाएगा तथा पुराने वन रोपणों का नवीकरण करने के तहत 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान 25 एकड़ भूमि को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा तकनीकी सहायता दी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**महाराष्ट्र में अकोला जिले में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज**

1354. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अकोला जिले में वर्ष 1991-92 के दौरान कितने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्या ऐसे एक्सचेंजों की स्थापना के लिए कोई समयावधि निश्चित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क)** नौ ।

(ख) एवं (ग) जी हां । इन एक्सचेंजों को मार्च, 1992 तक प्रदान किए जाने की योजना है ।

**दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यकारी और लिपिक संवर्गों का विलय**

[अनुवाद]

1355. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकारी और लिपिकीय नाम के दो संवर्गों के विलय के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक पंचाट के आदेशों को दिल्ली प्रशासन ने लागू कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री और गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख)** दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा कैडर के कार्यकारी और लिपिकीय सेवाओं के विलय पर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने यथास्थिति का कोई आदेश पारित नहीं किया है । तथापि, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भूतपूर्व कार्यकारी कैडर से लिपिकीय कैडर में और लिपिकीय कैडर से कार्यकारी कैडर में स्थानान्तरण/तैनाती के कई अन्तरिम आदेश पारित किये हैं, जिन्हें दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया है ।

**चुनाव के दौरान मारे गये/घायल हुए व्यक्तियों को मुआवजा राशि का भुगतान**

1356. **श्री गोविन्द राव निकम :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनाव के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए व्यक्तियों तथा मारे गये व्यक्तियों के निकट संबंधियों को भुगतान की गई मुआवजा राशि राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) इन घटनाओं के दौरान सम्पत्ति की लूट एवं हानि का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब)** : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) संविधान के आठवें अनुच्छेद के अन्तर्गत "लोक व्यवस्था" और पुलिस राज्य का विषय है। इस प्रकार, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखती है और स्थिति का निरन्तर प्रबोधन और समीक्षा करती है। जब कभी आवश्यक होता है राज्य सरकारों को उपयुक्त सहायता भी दी जाती है।

**मछुआरा समुदाय का उत्थान**

1357. **श्री के० मुरलीधरन** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मछुआरा समुदाय के उत्थान हेतु किन-किन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) क्या प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने की स्थिति में इन व्यक्तियों के ऋणों को तथा अन्य देनदारी को माफ करने की कोई योजना है?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) मछुआरों के उद्धार के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित महत्वपूर्ण कल्याण कार्यक्रम निम्नलिखित है :

(1) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना।

(2) आदर्श मछुआरा ग्राम का विकास जिसमें आवास, पेयजल और सामुदायिक भवन हों; और

(3) समुद्री मछुआरों के लिए बचत-सह-राहत।

(ख) जी, नहीं।

———

12.00 मध्यान्ह

[हिन्दी]

**कुमारी उमा भारती** (खजुराहो) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का और खासकर के सांसद बहनों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आज पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर दिल्ली में इस तरह के केन्द्र खुले हुए हैं और खुले-आम इस तरह के परीक्षण होते है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। माता के गर्भ की बच्चे के जन्म से पहले जांच कर ली जाती है और यदि लड़की हो तो गर्भपात किया जाता है।

[कुमारी उमा भारती]

अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूं कि रोहतक में एक ऐसी घटना घटी है, अभी कुछ दिन पहले चाय के एक दुकानदार ने पुलिस स्टेशन पर जाकर शिकायत की कि एक नवजात शिशु के शव को एक कुत्ता मुंह में लेकर भाग रहा था। बाद में पता लगा कि इस तरह की घटनाएं वहां पर घटती रहती हैं। एक पत्रकार वहां पर गए थे, उनकी एक पत्रिका भी छपती है, उसमें जो विवरण दिया गया है, उसमें बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि भारत में जहां 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं, वहां रोहतक और उसके आसपास के जिलों में 1000 पुरुषों पर 866 लड़कियों की संख्या हो गई है। इसका मतलब है कि यह सन्तुलन बहुत बिगड़ रहा है। (व्यवधान)

इसको मजाक में मत लीजिए, यह बहुत गम्भीर बात है। (व्यवधान) खासकर भारत जैसे देश में ऐसा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे टोकना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए टोका है, क्योंकि जब भी यहां पर महिलाओं की बात होती है तो सदन में उपस्थित पुरुष सदस्यों को लगता है कि जैसे कोई मजेदार बात हो रही हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं जो मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं और इस मामले में वे सब मेरे साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में यह हो रहा है और भारत जैसे देश में यह हो रहा है जहां साल में दो बार नवरात्रि बनाई जाती है और नारी का अत्यधिक सम्मान होता है और दूसरी तरफ लड़की को बोझ समझा जाता है। इसमें मैं महिलाओं को कम दोष दूंगी, क्योंकि अगर महिलाए लगातार लड़कियों को जन्म देती हैं तो उस परिवार में उसके लिए तकलीफें बढ़ जाती हैं।

इस बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह से शारदा एक्ट है, हालांकि शारदा एक्ट बनने के बाद भी बाल-विवाह लगातार हो रहे हैं, लेकिन अगर शिकायत होती है तो बाल-विवाह रोक दिया जाता है। यदि इसी प्रकार से इसके सम्बन्ध में भी कोई कानून बनाया जाए तो निश्चित रूप से इसके ऊपर भी रोक लगेगी और लोग लड़कियों की इज्जत करना सीखेंगे और उनको बोझ नहीं समझेंगे।

मानव संसाधन मन्त्री का एक पत्र लगभग सभी सांसदों के पास पहुंचा था, जिसमें इस संबंध में भी जिक्र था। मेरा निवेदन है कि सदन में उपस्थित सभी सदस्य बंधु और सभी सदस्य बहनें इस सम्बन्ध में सरकार से आग्रह करें कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए। इसको कानूनन अपराध माना जाए और जो डाक्टर इस प्रकार के परीक्षण करते हैं, उनको दंडित किया जाए। अगर कानून नहीं बनाया गया तो यह समस्या बहुत गम्भीर बन जाएगी।

मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं कि आप सबका समर्थन मुझे मिल रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से इस सदन में महिला सदस्यों की संख्या कम है हालांकि बाहर ऐसा नहीं है। मेरे विचार से सभा उन्हें आज पूर्ण सुरक्षा देगी।

(व्यवधान)

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट)** : महोदय, आप उन्हें एक पंक्ति में बिठा सकते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : इस सभा में तो सुरक्षा है। दूसरे सदन में क्या होगा ? (व्यवधान)

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (झालावाड़) : महोदय, कांच की बोतलों, सफेद प्लास्टिक की बोतलों और जो भी वस्तु कागज आधारित पैकेज की है, इस समय उस पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं है लेकिन अब उस पर 40% से अधिक उत्पादन शुल्क दिया गया है। यह व्यवस्था अनवीकरण ऊर्जा अर्थात प्लास्टिक जिसका दुबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, के लिए उपयुक्त है। यह अधिकांशत: तेल पर आधारित है और इसका आयात किया जाता है तथा वनों के विनाश का कारण है जिनसे बढ़िया कागज बनाया जाता है। दूसरी ओर शत-प्रतिशत स्थानीय कच्चे माल से उत्पादित 100% पुन: उपयुक्त होने वाले कांच उद्योग को धक्का पहुंचा है। पूरे विश्व में कर आदि लगाकर प्लास्टिक पैकेजिंग को हतोत्साहित किया जा रहा है। हमें इसे और किसी तरीके से करना चाहिए। इस स्थिति के कारण हमारा कांच उद्योग बिल्कुल अस्त व्यस्त है। भारत, थाईलैंड से भी कम कांच उत्पादित करता है जो कि शर्मनाक बात है। मध्य-पूर्व, जापान, मालदीव जैसे बड़े निर्यात बाजारों में थाइलैंड और मलेशिया का माल जा रहा है न कि भारत का। महोदय, यह उत्पादन शुल्क न केवल असंगत है बल्कि गलत भी है। इसे समाप्त करने से जो राजस्व की हानि होगी वह उत्पादन बढ़ाकर पूरी की जा सकती है। सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि हमारा कांच उद्योग केवल यूं ही न चलता रहे बल्कि समृद्ध हो। मैं आपकी आभारी होऊंगी यदि आपके माध्यम से यह विशिष्ट नीति सम्बन्धी निर्णय सरकार तक पहुंचा दिया जाए और शायद सरकार वह सब कार्य करेगी जिससे कांच उद्योग समृद्ध हो (व्यवधान)

**प्रो० सावित्री लक्ष्मणन्** (मुकुन्दपुरम) : महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय उठाने के लिए मुझे अनुमति देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं।

रेलवे के माल डिब्बे पुराने होने, उनकी हालत खस्ता होने और लीक करने के कारण केरल को भेजे जा रहे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते है जिससे काफी नुकसान होता है। माल डिब्बों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। चूंकि यह राज्य अन्य राज्यों द्वारा भेजे गए खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है इसलिए उपर्युक्त कारणों से होने वाली परेशानियां बिल्कुल स्पष्ट है। अत: महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को अपना गरीब राज्य बचाने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध करती हूं।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** (जादवपुर) : महोदय, पूरे देश में युवक आज इस दिन को लोकतांत्रिक आंदोलन को बलपूर्वक दबाने, त्रिपुरा में आदिवासियों, गरीब किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों पर हमले के विरोध में 'त्रिपुरा बचाओ दिवस' के रूप में मना रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान त्रिपुरा में अत्यधिक अभाव की स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूं। राज्य में लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट करने के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। विशेष रूप से उत्तरी त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से कार्य करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकदम विफल हो गई है और ग्रामीण रोजगार योजना की असफलता ने ग्रामीण और आदिवासी लोगों की क्रय शक्ति बिल्कुल समाप्त कर दी है। गरीब लोग अपना राशन नहीं ले पाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो भी प्राप्त हो रहा है उसे राशन की दुकानों के मालिक काले बाजार में बेच रहे हैं। चावल 12 रु० प्रति किलो की दर पर बेचा जाता है। खाने और काम की खोज में आदिवासी क्षेत्रों से लोगों के बाहर जाने की सूचना मिली है। लोग न केवल कुपोषण से

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

मर रहे हैं बल्कि भुखमरी से भी मर रहे हैं। इस स्थिति में मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह तत्काल त्रिपुरा में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करे। इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब त्रिपुरा में खाद्य-सामग्री भेजी जाए तब सट्टेबाजों और काला-बाजारियों द्वारा उसमें बाधा न डाली जाए। गरीबों के लाभ के लिए त्रिपुरा मे ग्रामीण रोजगार योजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वित की जानी चाहिए।

लोगों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट करने से त्रिपुरा में किस प्रकार की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम चाहते हैं कि रघुनाथ रेड्डी की रिपोर्ट को सार्वजनिक तौर पर जारी किया जाए। **(व्यवधान)**

**श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगांव)** : आज के समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि बंगलादेश की ओर से हमारे देश में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं जो श्री आडवाणी की हत्या करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के सचिव ने एक वक्तव्य दिया है। भारत सरकार को यह सब बातें रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश ने बहुत अधिक कष्ट सहा है। इस सम्बन्ध में समुचित जांच करके कार्यवाही की जाए। मैं इसे सरकार के ध्यान में ला रहा हूं।

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब)** : जी हां। महोदय। **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री सत्यपाल सिंह यादव** (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और सरकार का ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के अन्दर कुछ संगठन खुले रूप से तलवारें बांट रहे हैं और हजारों की संख्या में तलवारें प्रत्येक जिले के अन्दर अपने सदस्यों से नाममात्र की फीस लेकर दी जा रही है और उन तलवारों को उस परिस्थिति में दिया जा रहा है जबकि उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे देश के अन्दर आर्म्स एक्ट के तहत किसी को भाला, तलवार और चाकू, बिना लाइसेंस के रखना मना है और कोई रखता है तो दफा 25 के अन्दर चालान होता है। लेकिन उन तलवारों का नंगा प्रदर्शन हो रहा है। जब भी उत्तर प्रदेश सरकार के मन्त्री जिलों में जाते हैं तो वहां पर नंगी तलवारें लेकर हजारों की संख्या में आगे-आगे चलते हैं।······**(व्यवधान)** जन-सभाओं में नंगी तलवारें लेकर ये सदस्य खड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश शासन, प्रशासन, पुलिस और जिलाधिकारी चुप-चाप देखते रहते है। इससे सैक्युलर हिन्दुओं में और अकलियत में दहशत और भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। जिला प्रशासन की मौजूदगी के अन्दर कोई रोक-टोक नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि नंगी तलवारों पर रोक लगाई जाए और जो तलवारें दी जा चुकी हैं उनको सरकार प्रभावी तौर से जब्त करे ताकि हिंसा के वातावरण से समाज को मुक्ति मिल सके। जब कोई व्यक्ति छह इंच का चाकू लेकर चलता है तो पुलिस का सिपाही उसे आर्म्स एक्ट की दफा 25 के अन्दर बन्द कर देता है। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के लोग एक-एक मीटर लम्बी तलवारें शाहजहांपुर में बिना लाइसेंस के खुले-आम प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर भी कोई जुर्म नहीं बनता है। **(व्यवधान)**

**श्री मदन लाल खुराना** (दक्षिणी दिल्ली) : हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं······(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी) : अध्यक्ष जी, यह सरासर गलत है। ·····(व्यवधान) ये बिल्कुल गलत कहते हैं······(व्यवधान)

**श्री सत्यपाल सिंह यादव** : मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर तथ्य सही निकला तो ये इस्तीफा देंगे और सही नहीं निकला तो मैं इस्तीफा दूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : आपने अपनी बात कह ली है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

**श्री के० मुरली धरन** (कालीकट) : केरल में सभी धर्मों के लोग अगस्त के तीसरे सप्ताह में ओणम पर्व मनायेंगे। जो केरलवासी केरल से बाहर रहते है वह अगस्त के पहले सप्ताह में वहां जाएंगे। मैं माननीय रेल मन्त्री जी से अनुरोध करता हू कि वे उनकी सुविधा के लिए विशेष गाड़ियां चलाएं (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री द्वारकानाथ दास।

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना** : बिहार के मुख्य मन्त्री मोहर्रम के जुलूस में सबसे आगे नंगी तलवार लेकर चल रहे थे, यह फोटो भी छपा है। इस पर आप नहीं बोलेंगे। यू० पी० के बारे में रोज कुछ न कुछ बातें करते हैं। व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता कि सदस्य इस समय क्या पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना** : पूछना चाहिए।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : यह सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री खुराना कृपया आप अपने स्थान से मुझे निर्देश नहीं दें।

मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इस समय क्या पूछना चाहते हैं। यदि मैं जानता होता तो उन्हें अनुमति नहीं देता और तब भी आप और अन्य सदस्य खड़े हो जाते। मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी) : मैं चुनौती देता हूं अगर एक बात भी साबित कर दें···

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : यह हो गया है, इसको लम्बा न करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

सोनकर जी आप भी बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया समझने की कोशिश करें कि यदि एक विषय का सभा में एक बार उल्लेख कर दिया गया है और दस सदस्य उसे दुहरा रहे हैं तब यह दस बार कार्यवाही वृतान्त में शामिल होता है। कृपया आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में इतनी गहनता से हर सदस्य का ध्यान आकर्षित कराना आवश्यक नहीं होता।

**श्री द्वारकानाथ दास** (करीमगंज) : महोदय, असम की बरक घाटी में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवक बेरोजगार हैं। जबकि राज्य और केन्द्र सरकार की सेवाओं में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है किन्तु व्यवहार्यत: उन्हें तदनुसार लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार आर्थिक रूप से दलित हैं और उनके शिक्षित बेरोजगार युवकों को नौकरी देने से उनको सहायता हो सकेगी और वे बेहतर जीवन बिता सकेंगे। मेरे विचार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवकों की बेरोजगारी संबंधी स्थिति की जांच की जानी चाहिए।

अत:, क्या माननीय महोदय इस संबंध में तुरन्त कदम उठायेंगे।

दूसरे, असम की बराक घाटी में बेरोजगार की समस्या बहुत गम्भीर है। प्रतिवर्ष महाविद्यालयों से सैकड़ों विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री लेकर निकल रहे हैं जिससे यह समस्या बढ़कर अप्रत्याशित स्थिति पैदा कर रही है। मेरे विचार में यदि ऐसी ही स्थिति रही तो वह समाज के लिए अहितकर होगी। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि करीमगंज जिले में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए जिससे इन युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर उनकी आत्मनिर्भरता के लिए किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर मोड़ा जाए।

*कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नही किया गया।

क्या माननीय मन्त्री बेरोजगार युवकों को कोई रोजगार मिलने से पहले किसी प्रकार का बेकारी भत्ता उपलब्ध करायेंगे ?

**श्री मोरेश्वर सावे** (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मन्त्री का ध्यान सरकार की उस योजना की ओर दिलाना चाहता हू जिसमें सम्भाजीनगर अर्थात् औरंगाबाद में 10 कि०वा० मायस्माल उच्च क्षमता वाले टी० वी० प्रसारण केन्द्र की अनुमति दिए जाने पर सम्भाजी नगर के 100 वाट कम क्षमता वाले प्रसारण केन्द्र को बन्द किया जा रहा है।

यदि सम्भाजीनगर, अर्थात् औरंगाबाद चैनल को जारी रखा जाए तो उस क्षेत्र के लोग दिल्ली के दसवें चैनल के हिन्दी कार्यक्रमों और बम्बई के छठे चैनल के शाम 5.30 बजे से 8.40 तक मराठी कार्यक्रमों का लाभ भी उठा सकेंगे। सम्भाजीनगर अर्थात् औरंगाबाद चूंकि एक विकासशील औद्योगिक और पर्यटन केन्द्र है, यह एक महानगर है और कार्यक्रमों को हिन्दी और मराठी में दिखाया जाता है अत: यदि औरंगाबाद चैनल को बन्द नहीं किया जाए तो उस क्षेत्र के लोग दोनों चैनलों का लाभ उठा पायेंगे।

विशेष रूप से, चूंकि मूलभूत ढांचा पहले ही उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूं कि मायस्माल टी० वी० प्रसारण केन्द्र की स्वीकृति की ओर ध्यान दिए बिना औरंगाबाद प्रसारण केन्द्र को जारी रखा जाए। इस संबंध मे आवश्यक निर्देशों को जारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण और शीघ्र कार्यवाही की जाए।

**श्री मनोरंजन भक्त** (अंडमान-निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, आज द हिन्दुस्तान टाईम्स ने अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में बहुत ही चिन्ताजनक खबर छापी है।

> "सरकार ने आयातित स्टैन्डर्ड अखबारी कागज का मूल्य 4,670 रुपये प्रति मीट्रिक टन (30%) और चमकदार अखबारी कागज का मूल्य 10,410 रुपये प्रति मीटिक टन (45%) बढ़ा दिया है। यह मूल्य-वृद्धि 1 जुलाई से क्रमश: 3,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन और 4,565 रुपये प्रति मि० टन है।"

महोदय, छोटे अखबारों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्हें बन्द करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इससे बड़ी संख्या में कामगारों पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस विषय पर विचार करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे विचार में सभा के सभी पक्ष इस पर सहमत होंगे।

**अनेक माननीय सदस्य** : हां।

---

12.23 म० प०

## बैंक आफ कामर्स एन्ड क्रेडिट इन्टरनेशनल की भारत में गतिविधियों के बारे में

**श्री रवि राय** (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ इस हाऊस का ध्यान खींचना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सारा हाउस हमारा साथ देगा। पिछले 10-15

[श्री रवि राय]

दिनों से हर एक दिन राष्ट्रीय अखबारों एवं दुनिया के अन्य अखबारों में बैंक ऑफ कामर्स एण्ड क्रेडिट इंटरनेशनल की तरफ से हुए फ्रॉड और स्कैंडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, असल में आज अखबार में निकला है कि

[अनुवाद]

"यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व ने बैंक आफ क्रेडिट एवं कामर्स इण्टरनेशनल पर इतिहास में अब तक की शायद सबसे अधिक 200 मिलियन डालर की पेनाल्टी लगाई है।

[हिन्दी]

वह क्रिमिनल आर्गनाइजेशन है। मेरा कहना यह है कि कोई 8-10 दिन पहले हमारे एक हाई कमिश्नर श्री एल. एम. सिंघवी का बाकायदा बयान है कि बी. सी. सी. आई. एक क्रिमिनल बैंक है। इसका जो आप्रेशन चल रहा है. इसमें जो मिलिटेंट्स लोग हैं, पाकिस्तान से आकर हमारे कश्मीर में गड़बड़ कर रहे हैं, उनके बारे में खोज करने के लिए वायदा किया था और अभी तक संसद के सामने भारत सरकार की तरफ से न तो अर्थ मन्त्री और न प्रधानमन्त्री जी की ओर से कुछ कहा गया है। बम्बई में इसकी एक शाखा है। तो इसकी तरफ से भी फ्रॉड हुआ होगा, यह मैं मानकर चलता हूं बहुत स्कैंडल हुआ होगा जिसके बारे में अभी तक सदन को पता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि, यहां मुरली देवड़ा साहब भी बैठे हैं, वह बम्बई के रहने वाले हैं और दुनिया में 70 देशों मे इस बैंक ने फ्रॉड किया है। (व्यवधान) फ्रॉड किया है और आतंकवादियों को समर्थन दिया है और हमको ताज्जुब है कि भारत सरकार खामोश बैठी हुई है।

[अनुवाद]

यह सरकार खामोश रहने के षड्यन्त्र में शामिल है।

[हिन्दी]

अभी तक इन दोनों चीजों पर अध्यक्ष महोदय, हमको बताना चाहिए था, सरकार को सुओ मोटो स्टेटमेंट देना चाहिए था कि क्या हो रहा है। बम्बई बैंक में क्या फ्रॉड हुआ होगा और सिंघवी साहब बाकायदा बयान किए हैं कि इस बैंक से पैसा लेकर के पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान के अन्दर मिलिटैंट्स को काश्मीर में भेजकर हस्तक्षेप किया है। इन दोनों सवालों के बारे मे अध्यक्ष महोदय कोई जानकारी हिन्दुस्तान की जनता को सरकार ने नहीं दी है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यहां सारे कैबिनेट मन्त्री लोग बैठे हैं। इसके बारे में बाकायदा एक तो मिलिटेंट को किस तरीके से दिया गया और हिन्दुस्तान में पाकिस्तान की तरफ से मिलिटैंट्स को बैंक से पैसा लेकर के भेजा गया, और दूसरी बात यह है कि बम्मई में बी. सी. सी. आई. की जो ब्रांच है उसमें कितने हिन्दुस्तानियों के साथ फ्राड किया गया है? यह सारी चीज इसलिए जरूरी हो गई है कि न्यूयार्क के फेडरल रिजर्व ने जो 200 मिलियन डालर इसके ऊपर फाइन किया है और वह कहता है कि दुनिया में सबसे "ग्रेटेस्ट क्रिमिनल आर्गनाइजेशन इन द वर्ल्ड", इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : इस विषय पर मैं श्री रविराय से सहमत हूं। देश की एकता और अखण्डता से संबंधित यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ये बैंक उग्रवादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। सबसे अधिक चिन्ताजनक बात यह है कि बम्बई की शाखा को सही घोषित कर दिया गया। यह सही कैसे है ? उन्होंने इन वर्षों में क्या किया ? इस सबके लिए कौन उत्तरदायी है ? हम इन सब बातों की ओर ग्राहकों संबंधी सूचना चाहते हैं। क्या सरकार आज सभा में कोई वक्तव्य देगी ? हमें इस पर पूरी चर्चा करनी चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बांकुरा) : भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया था ? भारतीय रिजर्व बैंक की भी एक भूमिका है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : सबसे पहले, उन्हें एक वक्तव्य देने दें। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि आवश्यक हुआ, तो हम एक समिति का गठन करेंगे जो देश में उनके कार्यकलापों की जांच करेगी।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए।

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : इस शाखा के संबंध में बम्बई के एक अखबार ने भी कुछ और सूचना दी है। इस शाखा का मुख्य एक पाकिस्तानी नागरिक है। जो धन इस शाखा में आ रहा है वह संदिग्ध धन है। कुछ अरब देशों और अमरीकी बैंकों ने उसके साथ सांठ गांठ की है। अखबार ने बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए यह स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया है कि इस शाखा ने कुछ भारतीय राजनीतिज्ञों को जिनमें संसद सदस्य और कुछ ऊंचे अफसर हैं को धन दिया है। ऐसा आरोप है कि इसका मुख्य कार्य भारत में तथा अन्य कई विकासशील देशों में आन्तरिक गड़बड़ी फैलाना था और उसने इसके लिए धन की सहायता भी दी है। चूंकि यह शाखा बम्बई में कार्यरत है। सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह पूरा हवाला देते हुए एक वक्तव्य दे। भारत में इस शाखा के कार्यरत होने का क्या प्रयोजन था ? इस प्रश्न को ब्रिटेन की संसद में उठाया गया था। वहां पर मन्त्री को सदन के बीच वक्तव्य देना पड़ा था। उसके पश्चात् बैंक आफ इंग्लैंड ने कुछ विशेष कदम उठाए थे। चूंकि यह शाखा हमारे देश में कार्यरत है, सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, विगत 40 वर्षों से समय-समय पर इस प्रकार की बात उठती रही है कि हमारी आन्तरिक राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप होता रहा है और धन के द्वारा हिन्दुस्तान की राजनीति को विकृत करने की कोशिश कुछ विदेशी करते रहे हैं। अब यह जो अभी विषय आया है इस बैंक का, उसके बारे में कई जो स्पेसेफिक समाचार भी अखबारों में छप चुके हैं, बहुत चिन्ताजनक हैं और उसके बारे में केवल यहां आवाज उठाते रहें, इतना पर्याप्त नहीं है, इसकी तह में जाना चाहिए और सबसे पहले तो सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि इसके बारे में उनको जितनी जानकारी हो वह आकर सदन में रखें ताकि इसके बारे में तह तक पहुंच कर हम इस विकृति को दूर कर सकें।

[अनुवाद]

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (डमडम) : यह एक बहुत साधारण बात है। यह ऐसा बैंक नहीं है कि हम उन लोगों के नाम नहीं जानते जिनका इस बैंक में खाता है। उनसे सूचना प्राप्त करने के

[निर्मल कांति चटर्जी]

स्थान पर, भारत सरकार को चाहिए कि वह उस बैंक के जमाकर्त्ताओं और उन लोगों की एक सूची तैयार करे जिन्होंने वहां से धन निकाला है। कम से कम इस बैंक के विरुद्ध इस गोपनीयता को तोड़ना ही होगा। इस संबंध में यही किया जा सकता है और तब जांच जारी रखी जा सकती है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं वे बहुत परेशान करने वाले हैं और इस देश में सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्था को प्रदूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस प्रकार धन देकर अथवा स्रोतों का प्रयोग करके जिनकी हमें जानकारी नहीं है संसद सदस्यों को खरीदा जा सकता है तथा उन पर जोर डाला जा सकता है और यदि नौकरशाही को इस प्रकार प्रदूषित किया जा सकता है तो इस प्रकार हमारे संसदीय प्रजातन्त्र की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। अतः यह आवश्यक है कि सदन इस विषय को उठाए और सभा इस पर विचार करे इसके जांच करने के लिए एक सदन समिति का गठन अति उत्तम समाधान होगा। वह समिति इस विषय की जांच कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि इसे किस प्रकार किया जा रहा है और क्या किसी प्रकार के भुगतान किए गए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर एक वक्तव्य दे। वे यह प्रस्ताव स्वीकृत करे।

[हिन्दी]

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, सदन में जो मामला उठाया गया है, वह गम्भीर है। इसके बारे में सबसे पहले सारे तथ्य सदन के सामने आने चाहिए। मैं नहीं समझता कि समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है, उसके आधार पर हम कोई यहां फैसला कर सकते हैं। आप सरकार को निर्देश दें कि इस बैंक के संबंध में सारी जानकारी एकत्र करके सदन के सामने रखे। यदि वह जानकारी ऐसी है जो आपत्तिजनक है तो सदन कोई भी निर्णय कर सकता है। फिर सदन की समिति भी बनाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि पहले सरकार की ओर से कोई वक्तव्य आना जरूरी है।

[अनुवाद]

**श्री बसुदेव आचार्य** : यह विषय तीन दिन पहले इसी सदन में उठाया गया था, कि यह बैंक नौकरशाही अफसरों और राजनीतिज्ञों को धन दे रहा है। हमने उस दिन कहा था कि सरकार को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए। किन्तु अभी तक सरकार ने इस विषय को स्पष्ट नहीं किया है और न ही कुछ कहा है। सरकार खामोश क्यों है? सरकार कोई वक्तव्य क्यों नहीं दे रही है? अतः हमारी मांग है कि पहले सरकार एक वक्तव्य दे और इस बैंक ग्राफ क्रेडिट एंड कामर्शियल इन्टरनेशनल संबंधी सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखे।

[हिन्दी]

**श्री सुबासचन्द्र नायक** (कालाहांडी) : अध्यक्ष जी, हमारे यहां 1965 से आज तक लगातार सूखा पड़ता आ रहा है। पिछले दिनों ही कुछ बारिश हुई है जिसकी वजह से सूखे का प्रकोप कम हो गया है। यहां के माननीय सदस्य श्री शरत् चन्द्र पटनायक, मैं और केन्द्रीय मंत्री श्री के० सी० लेंका, सूखे से प्रभावित एरिया को देखने गए थे। उसके बाद वहां काफी बारिश हुई है और बारिश का प्रभाव हमारे इन्द्रावती प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है। वहां अनेक लोग मर चुके हैं। मेरे पास कल ही

टेलीफोन से खबर आयी है कि लगभग 40 आदमी अब तक मर चुके हैं। अभी मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, 21 तारीख के इण्डियन एक्सप्रेस में निकला है कि वहां 15 लोग मरे हैं। उड़ीसा के रिवैन्यू मिनिस्टर, श्री नायक ने बोला है कि 12 लाशें अब तक वहां मिल चुकी हैं। जो लोग वहां काम कर रहे थे, उनका कहना है कि लगभग 30 आदमी वहां मरे हैं। मेरे पास यह भी फोन कालाहांडी से आ रहा है कि 300 से ज्यादा आदमी मर चुके हैं, हजार हजार मकान गिर चुके हैं, रास्ता और योगा-योग व्यवस्था पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गई है। नेशनल हैरल्ड में निकला है कि 40 आदमी मर चुके हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स में निकला है कि 20 व्यक्ति मर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, कितने आदमी मरे हैं और कितने आदमी अभी अन्दर फंसे हैं। मैं यह भी सरकार से जानना चाहता हूं कि वहां पर तुरन्त रिलीफ कार्यक्रम शुरू करने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं। रिलीफ के काम अविलम्ब शुरू होने चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री बसुदेव आचार्य** : हमने इस विषय को उठाया है किन्तु इस पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। सरकार को पहले इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए (व्यवधान)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : प्रेस ने हमारी आलोचना की है। प्रेस के अनुसार संसद खामोश है (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार नहीं।

**मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह** : कई सदस्य बोल रहे थे। मैंने सोचा था कि जब इस पर सब बोल चुके होंगे, तब मैं कहूंगा। इसीलिए मैं खामोश था।

**श्री चित्त बसु (बारसाट)** : मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** सभी नहीं...

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** शून्य काल, सामान्य कार्यवाही से अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है। कई सदस्यों को इस पर बोलने की अनुमति दी गई है।

**श्री अर्जुन सिंह** : सभा में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को देखते हुए मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वे इस विषय पर जो कर सकते हैं वह करें... (व्यवधान) मैं वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा। आप जानते हैं, मैं इस पर वक्तव्य नहीं दे सकता। जैसा वे करना चाहते हैं, वे करेंगे। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं और सरकार भी इसे एक गम्भीर विषय मानती है। मैं वित्त मन्त्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

**श्री बसुदेव आचार्य** : आज।

[अनुवाद]

**श्री उमारेड्डी वेंकटेश्वरालु** (तेनाली) : आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी समुद्र तट पर टाडा से इच्छापुरम तथा विशेषकर कृष्णा जिले के दिविसीमा और नायडूमोलू क्षेत्रों के अनेक गांवों में तथा गुंटूर

[श्री उमारेड्डी वेंकटेश्वरालु]

जिले के रापाले, वेयूर, तेनाली, दुग्गीराला और मंगलगिरि क्षेत्रों में तूफान और बाढ़ का प्रकोप बने रहना लम्बे समय से एक आम बात सी हो गई है। वर्ष 1977, 1986 तथा 1990 में आई बाढ़ और तूफान से तथा ज्वारीय लहरों के कारण हजारों व्यक्ति मर गए तथा उनके पशु मुर्गी और मछली फार्म नष्ट हो गए, करोड़ों रुपए मूल्य के फलोद्यान व फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई लाखों गरीब निवासी बेघर हो गए तथा बुनकरों और मछुआरों के उपकरण भी इन प्राकृतिक आपदाओं की भेंट चढ़ गए। ऐसे अवसरों पर न तो बीमा संस्थाएं और न ही सरकारी एजेंसियां उन लाखों लोगों को हुए नुकसान की पर्याप्त भरपाई करने में समर्थ हो पाई। इस प्रकार अनेकों परिवार अपनी आजीविका से वंचित हो गए। स्थानीय भोगोलिक कारणो से निरन्तर प्रकृति के आवेश के शिकार इन दुर्भाग्य शाली पीड़ितों को इन आपदाओं से बचाने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की जानी चाहिए। सरकार तथा स्वयं-सेवी संगठनों द्वारा दी जाने वाली किसी भी अस्थायी और छोटी-मोटी सहायता से उनकी आजीविका एवं नुकसान की भरपाई होने वाली नहीं है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह झोंपड़ी बीमा योजना; हथकरधा, मुर्गीपालन, पशुपालन कारगर फसल तथा बड़े पैमाने पर पक्के घर बनाने जैसे दीर्घ-अवधि के तथा स्थायी उपायों के बारे में सोचे तथा एक स्थायी प्राकृतिक आपदा संकट निवारण कोष की स्थापना करे, ताकि राज्य सरकार बिना किसी केन्द्रीय टीम के पहुंचने का इन्तजार किए, बड़े पैमाने पर व्यवस्थित ढग से बचाव एवं राहत कार्यक्रम चला सके। इसके अलावा इन क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र घोषित किया जा सकता है तथा अवरोधों को मजबूत बनाने के लिए सहायता अथवा विशेष अनुदान दिए जा सकते हैं। इस पहलू पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

**श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या** (तुमकुर) : श्री वेंकटेश्वरालु द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत होते हुए मैं भी सरकार का ध्यान कर्नाटक में अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। मुझे पता चला है कि प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा है कि बिहार एवं महाराष्ट्र राज्यों को प्रभावित बताया है और वहां के प्रभावित लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ धनराशि दी गई है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि कर्नाटक में हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए सरकार को वहां एक केन्द्रीय दल भेजने पर शीघ्र विचार करना चाहिए। दस करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक की संपत्ति एवं फसलों का वस्तुतः नुकसान हुआ है। पशुधन का भी नुकसान हुआ है तथा ग्यारह से अधिक व्यक्ति मारे गये हैं।···(व्यवधान)···भयंकर तबाही मची है। अतः मेरा यह विनम्र निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार वहां पर हुई जान और माल की हानि का सही-सही अन्दाजा लगाने लिए एक केन्द्रीय दल भेजे। मुझे आशा थी कि इस बार सरकार वहां एक दल भेजने पर विचार करेगी, परन्तु अभी तक सरकार ने ऐसा नहीं किया है। मुझे तो इस बात में शक है कि यह बात प्रधानमन्त्री की जानकारी में होगी। कल मैंने रेडियो पर सुना था कि अन्य उन पड़ोसी देशों के प्रति, जहां भारी नुकसान हुआ था, हमारे प्रधानमन्त्री महोदय ने अत्यधिक सहानुभूति प्रदर्शित की है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री रामप्रसाद सिंह** (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं वाकआउट करता हूं।

12.41 म०प०

**(इस समय श्री रामप्रसाद सिंह सभा भवन से बाहर चले गए)**

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : आपको अपनी बात संक्षेप में करनी चाहिए। अन्य सदस्यों को भी अपनी बात कहनी है।

**श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या** : लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि कर्नाटक पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। अत: मैं यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसे कर्नाटक में हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए विशेषज्ञों का एक दल वहां भेजना चाहिए।

**श्री एच० डी० देवगौड़ा** (हसन) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री मल्लिकार्जुनय्या द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं। मेरा चुनाव क्षेत्र इससे मुख्यत: बातें प्रभावित हैं। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण सहित सभी पहलुओं पर कर्नाटक की उपेक्षा की गई है। अभी कुछ समय पहले आई बाढ़ में लगभग पांच व्यक्ति बह गये तथा कुर्ग शिवामागा और हसन जिलों मे आठ व्यक्ति मर गए। हसन, मांडिया कुर्ग तथा चिकमगलूर जिलों मे आई भारी बाढ़ के कारण अनेकों मकान ढह गए तथा खड़ी फसल और सम्पत्ति करोड़ों रुपए की नष्ट हो गई। नदी के दोनों किनारों पर बसे लोगों तथा किसानों की यही दुर्दशा है। अत: सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि बाढ़-पीड़ितों की राहत के लिए कम से कम दो करोड़ रुपए की राशि दी जाए।

**श्री लालकृष्ण आडवाणी** (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस विषय पर बोलने के लिए उठा हूं जिसका जिक्र इससे पूर्व हमारे साथी महोदय ने भी किया था, परन्तु मेरे विचार में सरकार को इसे जिस प्रकार से लिया गया है, उससे अधिक गम्भीरता से इसे लिए जाने की आवश्यकता है। समाचार-पत्र उद्योग के सम्मुख एक गम्भीर संकट आ खड़ा हुआ है तथा यदि राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज की कीमतों में बढ़ोतरी की गई तो इससे संपूर्ण उद्योग लड़खड़ा जायेगा। इसका अर्थ है कि कुछेक उन धनाढ्य घरानों के सिवाय जो समाचार पत्र निकालते हैं, अन्य सभी बन्द हो जायेंगे। यह तो उन सभी छोटे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के लिए जिनमें छोटे समाचारपत्र तो है ही बल्कि ऐसे मझोले पत्र भी शामिल हैं, जो इस मूल्य वृद्धि को वहन नहीं कर सकते हैं, एक तरह से यह डैथ-वारण्ट अर्थात मृत्यु का संदेश है। अखबारी कागज मूल्य निर्धारण समिति की हर तीन महीने में बैठक होती है, जब जून माह में उनकी बैठक हुई तो आयातित मानक अखबारी कागज की कीमत 13,000 रुपए प्रति टन थी। उस वक्त वे इसकी कीमत 1200 रुपए बढ़ाने पर सहमत हुए और इसकी कीमत 14,200 रुपए प्रतिटन हो गई। यह 21 जून की बात है और इसे जुलाई-सितम्बर तिमाही के लिए निर्धारित किया गया। एक बार फिर इसका अवमूल्यन हुआ और 3 जुलाई को समिति को पुन: बैठक बुलाने के लिए कहा गया और इसमें और वृद्धि की गई और कीमत बढ़ाकर 16000 रुपए प्रति टन कर दी गई 13000 रुपए से 16000 रुपए किया गया और जब पुन: 30 जुलाई को अर्थात परसों मूल्य निर्धारण समिति की बैठक बुलाई गई तो उन्हें एम०टी०सी० की यह सिफारिश सुनकर धक्का पहुंचा कि इसे अब बढ़ाकर 20,670 रुपये प्रति टन कर दिया जाए। इसलिये पिछले एक महीने में इसे 13000 रुपये प्रति टन से 20670 रुपये प्रति टन करने की बात की गई। यह तो ऐसी बात है जो कहीं नहीं सुनी जाती है। इसीलिये समाचार पत्र उद्योग ने उस बैठक में विरोध किया और उस

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

बैठक को 8 अगस्त तक बढ़ाना पड़ा। मैं समझता हूं कि आज सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सचिव इस सम्बन्ध में वित्त सचिव से मिलने वाले हैं और एक निर्णय लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह मामला गम्भीरता से लिया जायेगा नकि केवल सचिव स्तर पर हो। इसमें राजनैतिक हस्त-क्षेप करने को कहा गया है और मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह शीघ्र इसमें हस्तक्षेप करे और एक निर्णय ले।

अब यह सरकार यदि यह कदम उठाती है तो इसे केवल मूल्य वृद्धि के लिहाज से नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे प्रचार माध्यमों पर लोकतन्त्र पर और सूचना संकेतों पर एक करारी चोट समझा जायेगा।

अत: मैं इस वृद्धि विशेष का विरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह प्रस्तावित वृद्धि वापस ली जा जाये। यह वृद्धि तो भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी अखबारी कागज डीलरों के प्रति वचनबद्धता की सफलता की वजह से की जा रही है और भारतीय स्टेट बैंक की असफलता का मतलब भारत सरकार की असफलता है तथा इसके लिये अखबारों पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिये। प्रचार माध्यम को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये। यह मेरा नम्र निवेदन है।

[हिन्दी]

**श्री सूर्यनारायण यादव** (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रेस, टेलीविजन और रेडियो हम लोगों द्वारा सदन में कही गई बात को प्रकाशित और प्रसारित नहीं करता है। अगर कभी भूल से संसद समाचार में आ जाता है तो हिन्दी के संसद समाचार में तो आ जाता है लेकिन अंग्रेजी के संसद समाचारों में उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। मैं दस वर्षों तक बिहार विधान सभा में विधायक रहा हूं और मैं पिछली संसद मे भी बिहार से चुनकर यहां आया था। लेकिन तब से अब तक देखता आ रहा हूं कि हम लोगों की कही बात को प्रसारित और प्रकाशित नहीं किया जाता है। इससे मुझे बहुत दुख होता है। बड़े-बड़े नेताओं और आगे बैठने वाले माननीय सदस्यों की कही बातों को प्रकाशित और प्रसारित दोनों किया जाता है। उससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि मनुष्य नहीं जानवर चुनकर हमको यहां भेजा है। बहुत मेहनत के बाद हमें बोलने का समय मिलता है लेकिन जब उसको हमारी मीडिया प्रसारित नहीं करती है तो हमें बहुत दुख होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसके लिए उन्हें निर्देश दें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री मुरली देवरा (मुम्बई-दक्षिण)** : अभी सभा में श्री आडवाणी जी ने जो कुछ कहा है मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ना चाहता हूं। अखबारी कागज की यह कीमत जो अभी बढ़ानी पड़ी है। उसकी वजह राज्य व्यापार निगम के जरिये अखबारी कागज का नियन्त्रण है। इस समस्या का हल यह है कि अखबारी कागज का आयात राज्य व्यापार निगम या किसी भी अन्य अभिकरण द्वारा न किया जाये। अब चूंकि अधिकांशतया एल० सीज समय पर नहीं खुलते, अत: वायदे कर लिये जाते हैं और अखबारी कागज समय पर नहीं पहुंचते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको किसी के नियन्त्रण में नहीं रखेगी ताकि यह समस्या न आये। मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि इन सभी उदार उपायों का श्री लालकृष्ण आडवाणी समर्थन करेंगे। ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री भोगेन्द्र झा** (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, जिस विषय पर बोलने के लिये मैंने नोटिस दिया था, उसके पहले हमारे मित्र श्री सूर्यनारायण यादव जी ने जिस चीज का जिक्र किया · **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आपने जिस विषय पर बोलना है, उस पर ही बोलिये।

**श्री भोगेन्द्र झा** : मैं उस पर ही बोल रहा हूं। मेरा आग्रह है कि हमारे पत्रकार और हमारी मीडिया इन बातों का ख्याल रखे। वास्तव में लोग हमसे पूछते हैं कि यहां कही गई बातें उन तक क्यों नहीं जाती हैं ? अध्यक्ष जी, जिस बात को मैं बोलने के लिये उठा हूं उसके बारे में अब कुछ कहना चाहता हूं। पिछले सप्ताह कोसी का तटबन्ध कोसी के कटाव के चलते टूट गया जिसको लेकर बिहार के जल संसाधन मन्त्री ने इस्तीफा दिया। खुशी की बात है कि वह योग्य मन्त्री हैं और मुख्य मन्त्री ने बुद्धिमानी की कि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। कोसी, कमला, बागमती ये तीन नदियां काठमाण्डु के उत्तरी हिमालय के ऊपर से मिट्टी लाती है, मैंने खुद नहीं देखा होता तो मैं भी विश्वास नहीं करता। सागरमाथा ··

**अध्यक्ष महोदय** : आपका भाषण इतना अच्छा होता है कि हम बहुत देर सुनना चाहते है लेकिन समय नहीं है, क्या करें।

**श्री भोगेन्द्र झा** : मैं भाषण नहीं कर रहा संक्षेप में कह रहा हूं। हिमालय के ऊपर कुछ शुद्ध मिट्टी के पहाड़ है और वहां की तीनों नदियां मिट्टी लाती है और भरती हैं···

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप खत्म करिये।

**श्री भोगेन्द्र झा** : खत्म कर रहा हूं। नेपाल से भी मामला है, नेपाल में था इसलिये उसकी मरम्मत नहीं हो सकी, कुछ ठेकेदारों के उपद्रव के चलते इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि संसद की एक टीम आप यहां से गठित करें, जो वहां जाय, हम सभी दलों के लोग वहां जायें, उसमें हमारे नेपाल के भी मित्र रहेंगे, ऐसा मामला जो सरकारी तन्त्र की वजह से और भी देरी से होता है, हम जायें और जाकर जो यह कटाव का मामला है, हम परेशान है, नेपाल परेशान हैं। नेपाल में भी कटाव होता है तो एक टीम आप गठित करें यह मेरा आग्रह है।

**श्री रामविलास पासवान** (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामले की ओर खींचना चाहता हूं। आप जानते हैं कि भारत हमेशा से विश्व शान्ति का पक्षधर रहा है। कल जो मिखाइल गोर्बाचोव और जार्ज बुश, रूस और अमेरिका के बीच एक हिस्टोरिक ट्रीटी हुई है. मैं समझता हूं वह समझौता ऐतिहासिक समझौता है। भारत सरकार को और इस सदन को निश्चित रूप से उसका स्वागत करना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से या चेयर की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए जिसमें हमारा जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य की ओर अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियां कदम बढ़ा रही हैं, यहां मेरा आपके माध्यम से आग्रह था।

**श्री भोगेन्द्र झा** : अगर चेयर से ही इसको कर दे तो पूरा सदन इसको एकमत से कर देगा।

**[अनुवाद]**

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : महोदय यह निसन्देह एक ऐतिहासिक सन्धि है . आज

**[श्री चन्द्रजीत यादव]**

सुबह मैं आपसे आपके कक्ष में मिला था और आपने स्वयं इसका स्वागत करते हुए कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्धि है। आपसे मिलने के बाद मैंने विदेश मन्त्री से और भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी से भी बात की थी तथा विभिन्न पार्टियों के नेताओं से भी बात की। इस बात पर पूर्ण सहमति थी कि इस सभा को इस सम्बन्ध में एक स्वागत सन्देश भेजना चाहिए और विदेश मन्त्री को प्रधान मन्त्री से परामर्श करके अध्यक्ष पीठ की तरफ से इस ऐतिहासिक सन्धि के लिए एक स्वागत सदेश देना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि इससे अन्तत: आयुधों पर पूर्ण रोक लग जाएगी। मैं समझता हूं कि यह एक स्वागत योग्य ऐतिहासिक सन्धि है और यह समस्त विश्व तथा विश्व के सभी शान्ति प्रिय लोगों से संबद्ध है।

**[हिन्दी]**

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होगा कि अगर इस सन्धि के बारे में भारत सरकार कोई वक्तव्य दे भारत सरकार का दृष्टिकोण इसमें पूरी तरह प्रतिम्बित होना चाहिए, क्योंकि, जो हुआ है, वह स्वागत योग्य है। मगर जो होना अभी बाकी है, उसकी चर्चा भी जरूरी है। भारत आणविक निशस्त्रीकरण के बारे में लगातार एक दृष्टिकोण अपनाता रहा है और आज उसको दोहराने की जरूरत है इसलिए मैंने यादव जी को सुझाव दिया था कि वक्तव्य सरकार की ओर से आना चाहिए और उसके बाद हम सब अपने को उससे सम्बद्ध कर सकते हैं।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : विदेश मन्त्री जी ने कहा कि वह प्रधानमन्त्री से बात करके सबकी भावनाओं से उन्हें परिचित करा देंगे, आज ही।

**अध्यक्ष महोदय** मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा सुझाव सदन के सामने आया है। इस सम्बन्ध में किस प्रकार से हम कदम उठा सकते हैं, हम सोचकर जरूर उसके बारे में जो कुछ करना है, करेंगे, सरकार के साथ और विपक्ष के नेताओं के साथ और अन्य सम्माननीय सदस्यों के साथ चर्चा करके।

**कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़)** : मैं आपसे सहमत हूं और मैं यह बात पहुंचा दूंगा। इस बात में हमेशा से हम तो अग्रसर रहे हैं। हमेशा से हमने रैजोल्यूशंस भी पास किए हैं, सराहना की है, आज कोई नई बात नहीं है, हम उस नई बात को नहीं रख रहे है।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय मैं आपका कृतज्ञ हूं आपने मुझे मौका दिया। आज माननीय कृषि मन्त्री जी सूखे पर वक्तव्य देने जा रहे है मैं इस सम्बन्ध में··· **(व्यवधान)**

**श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** (हजारीबाग) : **अध्यक्ष महोदय, पीछे के लोगों** को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है।··· **(व्यवधान)** ···पीछे के लोगों को भी देखा कीजिए।··· **(व्यवधान)** ···

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : मैं संबंध में बड़ा गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। यूं तो पूरे देश में बिजली का अभाव है, किन्तु हम लोगों के यहां उत्तर प्रदेश में आए दिन बिजली से प्रत्येक आदमी परेशान हैं। किसान इस भयंकर सूखे में यदि अपना ट्यूबवैल चलाना चाहता है या अपना पम्पिंग सैट चलाना चाहता है, किसान का पंम्पिंग सैट और ट्यूबवैल जो व्यक्तिगत रूप से सिंचाई का साधन है वह भी बिजली के अभाव में नहीं चल पाता है। प्रत्येक क्षण एक-एक घण्टे के लिए

बिजली बराबर आती है और चली जाती है। बिजली की आंख मिचोली होती रहती है। हमारे विद्युत मन्त्री उसी क्षेत्र के हैं। इतना ही नहीं मिट्टी के तेल का काफी अभाव हो गया है और इससे बिजली भी घरों में जलाने के लिए नहीं मिल रही है। लोग काफी परेशान हैं। सरकार विद्युत मंत्री बिजली की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दें ताकि उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से 24 घण्टे बिजली की सप्लाई हो।··· (व्यवधान) ···

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : अब सबसे पीछे बैठे माननीय सदस्य बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं। हजारीबाग जिला जो बिहार में पड़ता है। नार्थ कर्मपुर (व्यवधान) वहां सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास दो साल पहले एक योजना भेजी थी जिस पर सौ करोड़ रुपये खर्च है तथा जिसमें एक हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस प्रकार बिहार में जो बिजली की कमी है, उस कमी को पूरा किया जा सकेगा। उस क्षेत्र में दो प्रोजैक्ट्स हैं—एक, अशोका प्रोजेक्ट और दूसरा मगद प्रोजैक्ट—ये दोनों ही कोयले से संबंधित हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट में भी स्वीकृति से बिजली की आपूर्ति होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नार्थ कर्मपुरा सुपर थर्मल पावर की स्वीकृति देकर तुरन्त काम शुरू कराने की कार्यवाही करे।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब कृषि मंत्री सूखे की स्थिति पर एक वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : हिन्दुस्तान में आए फ्लड और ड्राउट के बारे में सोच रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सारे हिन्दुस्तान में आए ड्राउट और फ्लड के प्रश्न पर सोच रहे हैं, थोड़ा सुनने दीजिए।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : सभी विषय महत्वपूर्ण हैं। आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जो आप कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

———

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.59 म. प.

# सभा पटल पर रखे गए पत्र

**केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भर्ती नियम 1991 और विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 1991**

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब)** : महोदय, मैं श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक हिन्दी अनुवादक संवर्ग) भर्ती नियम, 1991, जो 30 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 203 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 227/91]

(2) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 1991 जो 25 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 179(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 228/91]

**दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचना**

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब)** : दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० 325(अ) जो 9 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के कतिपय उपबंधों के प्रचालन को 13 मई 1991 से और चार माह की अवधि के लिए निलंबित करने के बारे में 9 मई, 1991 का राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 229/91]

1.00 म० प०

**आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि**

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 259(अ), जो 16 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि एस०एस पी० उर्वरक, माइक्रो-

न्यूट्रिएंट उर्वरक, एन०पी०के० का फिजिकल/ग्रनुलेटिड मिश्रण, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स तथा इनके संयोजन के प्रत्येक विनिर्माता को अधिसूचना दी गई सूची के अन्तर्गत उल्लिखित न्यूनतम प्रयोगशाला सुविधायें दी जायेंगी।

(दो) का० आ० 260(अ), जो 16 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 नवम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या का० आ० 977(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) उर्वरक (नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश, 1991, जो 16 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 261(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) का० आ० 350(अ), जो 21 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय उर्वरक समिति का गठन किया गया है।

(पांच) का० आ० 1439, जो 25 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री आर० एम० सेठी के स्थान पर श्री के० जी० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव को उर्वरक नियन्त्रक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(छ:) उर्वरक (नियन्त्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1991, जो 2 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 444(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 230/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 231/91]

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन)** : महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए उद्योग मन्त्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी. 232/91]

1.05 म० प०

# मन्त्री द्वारा वक्तव्य

## देश में सूखे की स्थिति

**कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़)** : महोदय, मैं देश में चालू दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा की स्थिति के संबंध में एक विवरण देने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 27 मई, 1991 को दक्षिण-पश्चिम मानसून की यह भविष्यवाणी की गई थी कि मौसम में सम्पूर्ण देश में वर्षा की मात्रा दीर्घावधि औसत महत्व की 94 प्रतिशत होगी जो ± 4 प्रतिशत अनुमानित कमवेशी के अन्तर्गत रहेगी।

दक्षिण-पश्चिम मानसून लगभग सामान्य समय में 2 जून, 1991 को केरल में आ गया था। दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रथम 2 सप्ताहों के दौरान अर्थात् 1 जून, 1991 से 15 जून, 1991 तक, सम्पूर्ण देश में वर्षण बिल्कुल सन्तोषजनक रहा था। मानसून की उत्तरी सीमा 15 जून तक आगे बढ़ती रही थी जो कि निश्चित समय से कुछ आगे थी, और वेरावल, अहमदाबाद, भोपाल, सागर, खजुराहो, कानपुर, बरेली, देहरादून और डलहौजी के ऊपर गुजरा। इस चरण में मानसून प्राय:द्वीप मध्य-भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के भागों में सक्रिय रहा था। तथापि यह तीन सप्ताह तक अर्थात् 10 जुलाई तक आगे नहीं बढ़ा और वर्षा 12 जून को सामान्य के 183 प्रतिशत से कम होकर, 10 जुलाई को सामान्य के 69 प्रतिशत तक रही। फिर भी 16 जुलाई को यह दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच गया और 19 जुलाई तक इसने सम्पूर्ण देश को कवर कर लिया। 1 जुलाई, 1991 के मध्य से देश में वर्षा की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। सामान्यत: 15 जुलाई, और उसके आसपास तक दक्षिण-पश्चिम मानसून ने सम्पूर्ण देश को कवर कर लिया; इस वर्ष सम्पूर्ण देश को कवर करने में 4 या 5 दिनों का विलम्ब हुआ।

1987 को छोड़कर 1986 से आगे पिछले पांच वर्षों में तदनुरूपी अवधि की तुलना में अभी तक कुल वर्षा की स्थिति बहुत खराब रही। 10 जुलाई, 1991 को 35 मौसम विज्ञान उपखंडों के केवल 17 में तथा देश के 47 प्रतिशत जिलों में अधिक या सामान्य वर्षा हुई, जबकि 1987 में 16 उपखण्डों और 37 प्रतिशत जिलों में इस प्रकार की वर्षा हुई थी। तत्पश्चात् व्यापक वर्षा की स्थिति में सुधार हुआ और 24 जुलाई को 35 मौसम विज्ञान उपखंडों के 21 उपखण्डों और देश में 52 प्रतिशत जिलों में अधिक या सामान्य वर्षा हुई, जबकि 1987 में 10 मौसम विज्ञान उपखंडों और 33 प्रतिशत जिलों में और 1986 में 33 उपखंडों और 57 प्रतिशत जिलों में इस प्रकार की वर्षा हुई थी।

उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून के आगे बढ़ने में विलम्ब होने का मुख्य कारण उस क्षेत्र में प्रतिकूल दबाव प्रतिमानों का बना रहना था। जुलाई के दूसरे सप्ताह से आगे 3 कम दबाव क्षेत्रों और एक दबाव वृत्त बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर बना और भूमि के ऊपर से गुजरा जिससे उड़ीसा और मध्य-पश्चिम भारत के ऊपर वर्षण की स्थिति में वृद्धि हुई। इससे उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात में आवश्यक वर्षा हुई जिसकी अति आवश्यकता थी। ये सभी राज्य अब "सामान्य" वर्ग के अन्तर्गत हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान को इन प्रक्रियाओं से कोई लाभ नहीं पहुंचा, यद्यपि इन क्षेत्रों में भी वर्षा हुई। सामान्य वर्षण की एक प्रतिशतता के रूप में 24 जुलाई को वर्षण उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में केवल 36 था, बिहार के

पठार और मैदानों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानों और हिमाचल प्रदेश में 50 से से 59 रहा, तथा हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 60 से 69 रहा।

अत: यह स्पष्ट है कि प्राय:द्वीप, और उत्तरी-पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान तथा सौराष्ट्र और कच्छ सहित सम्पूर्ण गुजरात राज्य में अच्छी वर्षा हुई। बिहार, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा हुई, यद्यपि बिहार के अधिकांश भागों तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ भागों में 27 से 29 जुलाई की अवधि के दौरान वर्षा हुई थी।

केन्द्रीय जल आयोग देश में 56 महत्वपूर्ण जलाशयों की भंडारण की स्थिति का मानिटर करता है। इन जलाशयों में कुल भंडारण की स्थिति 5 जुलाई को 37.47 हजार मिलियन घन मीटर, 15 जुलाई को 40.15 हजार मिलियन घन मीटर और 26 जुलाई, 1991 को 56.54 हजार मिलियन घन मीटर थी। यह स्थिति गत 7 वर्षों की भंडारण स्थिति के औसत से अधिक है, जोकि 34.94 हजार मिलियन घन मीटर है। फिर भी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित जलाशयों की स्थिति इस समय सन्तोषजनक नहीं है।

मानसून के आने में विलम्ब होने से विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में खरीफ की फसलों की बुवाई और प्रतिरोपण पर प्रभाव पड़ा है। बिहार में लगभग जुलाई के अन्त तक धान की रोपाई कुल क्षेत्र के 33 प्रतिशत मे ही शुरू हुई, जबकि सामान्य औसत 70 प्रतिशत में धान की रोपाई होती है। मक्का की बुवाई सामान्य क्षेत्र के 65 प्रतिशत क्षेत्र मे ही शुरू हुई है तथा तिलहनों की सामान्य क्षेत्र के 80 प्रतिशत क्षेत्र मे ही बुवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में सामान्य चावल क्षेत्र का केवल 4 प्रतिशत क्षेत्र मे ही प्रतिरोपण हुआ है। उत्तर प्रदेश में ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों की फसलों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। राजस्थान में मक्का की बुवाई पर विशेष प्रभाव पड़ा है और इसमें सुधार होने की सभावना नहीं है, क्योंकि बुवाई का मौसम पहले ही निकल चुका है। राज्य सरकार वैकल्पिक फसल के रूप मे दालों का संवर्धन कर रही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु मे तिलहनों की बुवाई की प्रगति बहुत अच्छी है। गुजरात में यद्यपि कुछ समय तक मूंगफली की बुवाई काफी हद तक पिछड़ रही है तथापि पिछले पखवाड़े के दौरान अच्छी वर्षा होने की वजह से इसके आसार अच्छे हो गए हैं। उत्तरी राज्यों में कपास की बुवाई सिंचित क्षेत्रों में पहले ही पूरी हो चुकी है और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में यह कार्य प्रगति पर है। ये राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात हैं। हरियाणा में रोहतक और रिवाड़ी जिलों मे बुवाई का कार्य प्रभावित हुआ है। देश के शेष भागों में खरीफ फसलों की बुवाई और प्रतिरोपण किए जाने की आशा है। विशेषकर 17 जुलाई, 1991 के पश्चात अच्छी वर्षा होने का यह परिणाम है।

संबंधित राज्य सरकारों ने विलम्ब से आने वाले मानसून के कारण वर्तमान प्रतिकूल स्थिति से प्रभावकारी ढंग से निबटने के लिए पहले ही अपना तन्त्र तेज कर दिया है। हरियाणा के गुड़गांव, नारनौल, रिवाड़ी और रोहतक जिलों के कुछ भागों में पीने के पानी की कमी का अनुभव किया गया और राज्य सरकार ने शीघ्रता से उपचारात्मक उपाय प्रारम्भ कर दिए हैं। बिहार सरकार ने एक आकस्मिक कृषि योजना तैयार की है और वैकल्पिक फसल बोने के लिए कृषकों को जागरुक करने के लिए कदम उठाए हैं। नलकूप चलाने के लिए बिना अवरोध के बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और जरूरतमंद क्षेत्रों मे जवाहर योजना के अधीन रोजगार प्रदान करने के

[श्री बलराम जाखड़]

लिए कदम उठाये गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदानों, सिंचाई हेतु जल और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला तंत्र को गति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और पीने के पानी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्य शुरू करने हेतु निदेश जारी कर दिए हैं। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए डीजल की सतत् उपलब्धि बनायी रखी गयी है। और इसके परिणामस्वरूप जुलाई, 1990 की तुलना में जुलाई, 1991 में डीजल की खपत बिहार में 23 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में लगभग 30 प्रतिशत, हरियाणा में 18.8 प्रतिशत और पंजाब में 38 प्रतिशत से अधिक रही।

केन्द्र सरकार अनियमित मानसून के संभावित विपरीत प्रभाव के प्रति जागरूक रही है और राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क बनाए रख रही है। अप्रैल, 1991 में कृषि मन्त्रालय ने राज्य कृषि उत्पादन आयुक्तों को पत्र लिखा था जिसमें प्रतिकूल स्थिति से निबटने के लिए आदर्श आकस्मिक फसल योजनाओं का सुझाव दिया गया था। इस मुद्दे पर मई में राज्य के राहत आयुक्तों के सम्मेलन में भी विचार किया गया था। मानसून की अनियमित प्रवृत्ति के प्रकाश में कृषि मंत्रालय ने पीने के पानी, चारा और बिजली की आपूर्ति आदि से निबटने हेतु 12 जुलाई, 1991 को उत्तरी और पश्चिमी राज्यों को पुन: सलाह दी थी। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे प्रभावित होने वाले संभावित लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के ढांचे तैयार करें। राज्यों को बिजली की प्राथमिकता से आपूर्ति सुनिश्चित करने और कृषि कार्यों को संभव बनाने के लिए डीजल की आसानी से उपलब्धता की आवश्यकता हेतु सतर्क किया गया है। कृषि मन्त्रालय में फसल मौसम निगरानी दल मानसून और खरीफ कार्यों की प्रगति पर गहन रूप से ध्यान दे रहा है। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे राज्य स्तर पर मौसम निगरानी दल को इसी प्रकार की बैठक बुलाएं। सचिवों की एक समिति द्वारा भी स्थिति की मानिटरिंग की जा रही है।

प्राकृतिक आपदाओं से निबटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस सिद्धांत पर बल देते हुए, 9वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राहत कार्यों में संसाधनों की ओर आसानी से पहुंचने और स्वायत्तता देने का सुझाव दिया। 9वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 1 अप्रैल, 1990 से राहत व्यय के वित्त-पोषण के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि का गठन किया है जिसका 75 प्रतिशत योगदान केन्द्र सरकार का और शेष संबंधित राज्य सरकार का होगा। राज्य की आपदा राहत निधियों के लिए 804 करोड़ रुपये के वार्षिक योगदान की व्यवस्था की गई है और इस राशि में से 603 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। वर्ष 1991-92 के लिए आपदा राहत निधि का केन्द्रीय शेयर का पचास प्रतिशत पहले ही राज्यों को निर्मुक्त कर दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली राज्य स्तरीय समिति सहायता के तरीकों सहित राहत व्यय के वित्त-पोषण से सम्बन्धित सभी बातों पर निर्णय करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। राज्य सरकारों को आपदा राहत निधि से राहत कार्यों पर सभी व्यय पूरा करना होता है।

संक्षेप में, उत्तरी भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है। फिर भी, पिछले दो सप्ताहों के दौरान वर्षा में सुधार को देखते हुए, कुछ भागों की स्थिति में सुधार हुआ है। अगस्त एवं सितम्बर के आने वाले सप्ताह में इस वर्ष खरीफ की संभावनाओं के लिए निर्णायक होंगे। हम अपनी सतर्कता बनाए रखेंगे और माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि सही समय पर समुचित हस्तक्षेप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने आपको पहले बताया कि यह मामला स्टेटस का है। वे यहां कहते थे और यहां से टीम जाती थी, वह टीम सब काम करती थी। नवें फायनेंस कमीशन में जब यह बात आयी कि मामला हमारा है, तुम चौधरी कौन होते हो तो उस वक्त फैसला हुआ कि सारा पैसा उनको चार किश्तों के पहले दे दिया जाएगा।

[अनुवाद]

हमें यह भाग मिल गया है और हमें यह राशि उन्हें देंगे।

[हिन्दी]

हमने दो किश्तें दे दी हैं, तीसरी की बारी आएगी वह भी दे देंगे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** आप सभी बैठ जाएं। मैं कहता हूं कि एक अच्छा वक्तव्य दिया गया है और इस वक्तव्य में निहित बातों पर चर्चा करने में सदस्यों की रूचि है। मैं समझता हूं कि हम नियम 193 के तहत इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इसके लिए समय निर्धारित करेंगे।

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : महोदय, मैं पहले ही नियम 193 के अधीन नोटिस दे चुका हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने यह कहा है। हम नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा करेंगे। अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

---

1.12 म० प०

## नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

### (एक) महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता

**श्री विलास मुत्तेमवार** (चिमूर) : महोदय, देश भर में नियन्त्रित, सन्तुलित तथा एक समान विकास करना तथा पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाना सरकार की नीति रही है। इसी उद्देश्य के तहत 'उद्योग विहीन जिला' योजना तैयार की गई जिसके तहत सरकार ने अनेक सुविधाओं, रियायतों, राजसहायता छूट की भी घोषणा की थी, लेकिन उचित नियन्त्रण और मार्गदर्शन के अभाव में न तो पिछडे क्षेत्र विकसित हुए हैं और न ही लोगों को लाभ पहुंचा है।

महाराष्ट्र में भी आदिवासी-बाहुल्य वाले गढ़चिरोली जिले को 'उद्योग विहीन जिला' घोषित किया गया था, लेकिन पांच वर्ष बीतने के बाद भी औद्योगिक माहौल उत्पन्न करने या वहां पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके विपरीत राज्य में पहले से विकसित जिलों में 4000 करोड़ रुपये के निवेश से और अधिक उद्योग लगाए गए हैं।

[श्री विलास मुत्तेमवार]

इस जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक स्वीकृति पत्र तथा ऋण सुविधाएं भी दीं, लेकिन उद्योग अन्य क्षेत्रों में लगाए गए। औद्योगिक माहौल उत्पन्न करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक की धनराशि उपलब्ध कराई गई, लेकिन राज्य सरकार इसका उपयोग नहीं कर सकी। महत्वपूर्ण संस्था "सीकोम" जो उद्योगों को बढ़ावा देती है औद्योगिक माहौल प्रदान करने के लिए विभिन्न सुविधाओं हेतु बहुत बड़े तथा महंगे पोस्टर प्राप्त कर रही है तथा छपी हुई विज्ञापन सामग्री भी प्राप्त कर रही है लेकिन इनमें कहीं भी गढ़चिरोली का उल्लेख नहीं है।

गढ़चिरोली जिले में वदासा देसाईगंज औद्योगिक क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है और इस क्षेत्र के लोग इसे "राजीव उद्योग नगर" के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि वहां पर एक बड़ी सरकारी इकाई स्थापित करके औद्योगिकरण के लिए पहल की जाए और भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल इसी जिले में औद्योगिक इकाइयां लगें।

## (दो) मध्य प्रदेश में सतपुड़ा छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने तथा सिवनी और जबलपुर के बीच एक्सप्रेस डीजल रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**कु० विमला वर्मा** (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश देश का एक बड़ा प्रदेश है और विभिन्न प्राकृतिक तथा खनिज सम्पदाओं से भरपूर है। परन्तु आवागमन की सुविधाएं यथेष्ठ नहीं हैं। इस पर भी प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी इलाके में अभी भी रेलवे की छोटी लाइन है जो लाभप्रद नहीं है। रेलवे मन्त्रालय ने ऐसी लाइनों के संबंध में एक कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट 20 वर्ष पहले प्रस्तुत की जा चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेलवे लाइन के संबंध में उल्लेख है परन्तु इन बीस वर्षों में इसे बड़ी लाईन में परिवर्तित करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब तक यह कार्यवाही की जावे तब तक के लिए सिवनी से जबलपुर डीजल इंजिनयुक्त फास्ट गाड़ी सिवनी से जबलपुर सुबह 5 बजे चलाई जाए और जबलपुर से सिवनी शाम 5.30 बजे चलाई जाए ताकि इस ट्रेक के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और पिछड़े लोगों को जबलपुर में स्थित संभागीय कार्यालयों, बड़े अस्पतालों, हाईकोर्ट और व्यापारिक केन्द्र का भी लाभ सरलता से मिल सके।

अतः रेल मन्त्रालय इस छोटी लाइन को बड़ी लाईन में परिवर्तित करने का कार्य शीघ्र करे और तब तक के लिए द्रुतगामी ट्रेन चलायें।

## (तीन) नेदुमालाक्कुन्नु, केरल में नाविक प्रशिक्षण परियोजना की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

**श्री के० मुरलीधरन** (कालीकट) : नौवहन के उपमहानिदेशक और अन्य प्राधिकारियों को केरल राज्य में कोजीकोड जिले के ककोडी पंचायत क्षेत्र में 'नाविक प्रशिक्षण योजना' के लिए उपयुक्त स्थान मिल गया है और उन्होंने इसका निरीक्षण किया है। इस उद्देश्य के लिए 30 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है और जमीन के मालिकों ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है और इस परियोजना पर 15 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। यह स्थान कालीकट तथा बेपोर बन्दरगाह के काफी निकट है। वहां पर काफी यातायात होने के कारण नेदुमालाक्कुन्नु पहुंचने में कोई कठिनाई

नहीं होगी। वहां पर शुद्ध जल उपलब्ध है तथा प्रदूषण भी बिल्कुल नहीं है। भवन निर्माण के लिए वहां पर कच्चा माल जैसे रेती, धातु और ग्रेनाइट इत्यादि आसानी से उपलब्ध है। इस परियोजना की स्थापना में कालीकट निगम, ककोडी पंचायत कालीकट नागरिक समिति वगैरह पहल कर रहे हैं तथा रुचि ले रहे हैं।

इस परियोजना से संबंधित रूपरेखा तथा अन्य दस्तावेज संबद्ध कार्यालयों में पहुंच चुके हैं। इन सब बातों के बावजूद अभी आगे और कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नेडुमामावकुन्नु में नाविक प्रशिक्षण योजना को शीघ्र स्थापित करने के लिए कार्यवाही करे।

**(चार) मुम्बई में सरकारी भूमि पर गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किए जाने की आवश्यकता**

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों जैसे रेलवे, विमान-पत्तन प्राधिकरण, नमक आयुक्त, नौसेना, वायु सेना और थल सेना, पत्तन न्यास और परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित जमीन पर 20 लाख से भी अधिक लोग गन्दी बस्तियों में रहे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार तथा मुम्बई नगर निगम की जमीन पर रह रहे झुग्गी झोंपड़ी निवासियों को तो जल, बिजली, जल निकासी, पटरियों जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार की जमीनों पर रहने वाले झुग्गी झोंपड़ी निवासियों को ये नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी नहीं किया है। चूंकि यह मामला सात वर्षों से लम्बित पड़ा है झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों में इससे काफी असन्तोष है। इसलिए मेरी मांग है कि युद्ध स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए और तत्काल लागू किया जाए।

**(पांच) दिल्ली-सहारनपुर रेल लाईन को दोहरा किए जाने तथा इस सेक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के पुराने इन्जनों और डिब्बों को बदले जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री हरपाल पंवार** (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली-सहारनपुर रेलवे लाईन की हालत बहुत खराब है। गाड़ियों के रुकने का समय जरूरत से कम है। इंजन पुराने हैं तथा डिब्बे टूटे-फूटे होने के कारण यात्रा करने लायक नहीं हैं।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस लाईन को दोहरी लाईन में तुरन्त बदला जाए तथा इस पर से टूटे हुए डिब्बों तथा अत्यन्त पुराने इंजनों को हटाकर डीजल से चलने वाली गाड़ियां चलाई जाएं एवं इस लाईन का विद्युतीकरण किया जाए। इस लाईन पर कुछ जगहों पर आदमी वाले फाटक होने अत्यन्त आवश्यक है जहां अनेक व्यक्ति मारे जा चुके हैं। इसलिए भारत सरकार से अनुरोध है कि एलम, दोहरनी आदि स्थानों पर ये फाटक तुरन्त लगवाने की व्यवस्था करें।

**(छह) तमिलनाडु में त्रिची जिले के जयमकोण्डम क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं लगाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

**डा० (श्रीमति) के० एस० सौन्द्रम** (तिरुचेंगोड़) : तमिलनाडु राज्य सरकार ने तिरुचि जिला के जयमकोण्डम क्षेत्र में उपलब्ध लिग्नाइट के भंडार का उपयोग करके एक विद्युत परियोजना लगाने

[डा० (श्रीमति) के०एस० सौन्द्रम]

का निर्णय किया है। इस क्षेत्र में उपलब्ध लिग्नाइट भंडार का उपयोग करके 1500 मेगावाट की क्षमता वाली विद्युत संयंत्र को चलाया जा सकता है।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 में संशोधन लाने की आवश्यकता है ताकि पूरी तरह निजी क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनियों की स्थापना की जा सके मैं माननीय विद्युत मन्त्री से निवेदन करता हूं कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए वे इस मामले पर ध्यान दें।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री एच० डी० देवगौड़ा।

**श्री एच० डी० देवगौड़ा** (हसन) : मैंने पहले ही इस मामले को उठाया है।

**(सात) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सलेमपुर में जे० के० पेट्रो-रसायन परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**डा० लाल बहादुर रावल** (हाथरस) : आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान जे० के० पेट्रोकेमिकल्स परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लगभग 10 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने अलीगढ़ जनपद के अन्तर्गत हाथरस-सिकन्द्रराऊ मार्ग पर सलेमपुर के तहत जे० के० पेट्रो केमिकल्स परियोजना प्रारम्भ किए जाने हेतु शिलान्यास किया था, लेकिन इतना समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी परियोजना वहीं की वहीं है जब कि परियोजना हेतु पर्याप्त स्थान एवं साधन उपलब्ध हैं। उस समय इस योजना को प्रारम्भ किए जाने की घोषणा के साथ जनता में खुशी की लहर दौड़ गई थी किन्तु अब यह घोषणा सिमटकर कागजों तक ही रह गई है, जिससे इस समय वहां की जनता बहुत ही निराश है। सरकार द्वारा इस परियोजना को जल्द से जल्द प्रारम्भ किया जाना चाहिए जिससे वहां के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिल सके और कमजोर वर्ग के लोगों को भी रोजी रोटी उपलब्ध हो सके जिससे क्षेत्रीय बेरोजगार की समस्या हल करने में काफी मदद मिलेगी। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि जे० के० पेट्रोकेमिकल्स परियोजना को जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाया जाए।

———

01.22 म० प०

## बजट (सामान्य), 1991-92 - सामान्य चर्चा

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम आम बजट पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कि हम माननीय सदस्य को अपना भाषण शुरू करने के लिए बुलायें मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि आज हमें स्वादिष्ट भोजन मिलेगा लेकिन भोजनावकाश नहीं होगा। साथ आपकी सहमति से हम शाम 7.00 बजे तक भी बैठ सकते हैं। यह व्यवस्था केवल इसलिए की गई है कि वे सभी सदस्य जो बोलना चाहते हैं उन्हें अवसर दिया जा सके। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इसमें सहयोग देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐतिहासिक बजट है क्योंकि पहली बार अभूतपूर्व किन्हीं राजनैतिक कारणों से आजादी के बाद पहली बार बजट पेश न होने के कारण यह बजट जुलाई में पेश किया गया है। दूसरे राजनैतिक अस्थिरता की वजह से डेढ़ साल के अन्दर-अन्दर जो चुनाव हुए हमारे देश प उसका भी असर पड़ा है। तीसरे आजादी के बाद सबसे लम्बा भाषण हमारे वित्त मन्त्री जी ने दिया और चौथे विरासत में हमें खजाना खाली मिला। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि गरीब आदमी को वित्त मन्त्री जी ने बचाया है। आर्थिक स्थिति के संकट में हर आदमी को कुछ न कुछ बोझा सहन करना पड़ेगा। लेकिन मैं वित्त मन्त्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि ज्यादा बोझ किसानों पर पड़ा है मैं एक किसान हूं और हरियाणा प्रदेश मेरा कृषि प्रधान प्रदेश है। खाद में जो सब्सिडी पर इन्होंने कटौती की है उससे किसान वर्ग में बहुत भारी रोष है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था वहां हरेक किसान में बहुत भारी रोष है। क्योंकि छोटे से छोटा किसान भी खाद का इस्तेमाल करता है और उन पर दो हजार करोड़ रुपये का बोझा पड़ा है। खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता हमारे देश का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसकी नींव सर्वप्रथम पण्डित जवाहर लाल जी ने रखी थी। उन्होंने शुरू से ही यह उद्देश्य रखा था कि हम खाद्य पदार्थों में आत्म-निर्भर होंगे। आज सोचने का सवाल यह है कि क्या हमारी कृषि को इससे बड़ा भारी धक्का नहीं लगेगा ? देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए देश को बचाने की बात कही गई है, लेकिन साथ-साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर किसान टूट जाता है तो देश कैसे जुड़ा रहेगा। कुछ चर्चा इस किस्म की यहां हुई। हमारे वरिष्ठ साथी इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा कि किसानों में एक एफ्ल्यूएंट क्लास है जिसको टैक्स देना चाहिए और मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है, वह ऐसा है जहां एक किसान के पास एक एकड़ जमीन ऐवरेज में आती है पर किसी भी गांव में खेती की वजह से किसी भी किसान के पास गाड़ी या टी० वी० नहीं है। लेकिन एक एकड़ जमीन होने से भी हर किसान पर इसका बुरा असर पड़ा है। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि प्रोक्योरमेंट प्राईस बढ़ाकर कम्पनसेट करेंगे। प्रोक्योरमेंट प्राईस के मामले में हमारे वरिष्ठ साथी चन्द्रजीत यादव ने 70 प्रतिशत कहा है लेकिन मैं कहता हूं कि 76 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो इस देश में सरप्लस मार्किटींग अनाज पैदा नहीं करते हैं, सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अनाज पैदा करते हैं और 23 या 25 प्रतिशत किसान केवल इतना अनाज पैदा करते हैं, पूरा देश उसका 56 प्रतिशत अनाज पैदा करते हैं। जैसा वित्त मन्त्री जी के भाषण से मुझे ज्ञात हुआ, मैं समझता हूं प्रोक्योरमेंट प्राईस की बढ़ोत्तरी के बाद 7/- रु० प्रति क्विंटल भार किसान पर पड़ेगा लेकिन मैं एक किसान होने के नाते यह बतला देना चाहता हूं कि 16 से 20 रुपये प्रति क्विंटल बोझ किसान पर पड़ने जा रहा है सबसिडी वापस करने पर।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा तथ्य यह दिया गया है कि 1981 से लेकर आज तक खाद के भाव नहीं बढ़े। मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण रहे होंगे। भाव क्यों नहीं बढ़े ? जब उस समय किसान को लाभ था, नहीं तो आज इतनी मंहगाई के बाद खेती लाभदायक कैसे हो सकती है ? आज किसान एक उत्पादक के रूप में देखा जा रहा है लेकिन उसे उपभोक्ता के रूप में देखें या कंज्यूमर के रूप में देखें तो मालूम होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिससे मंहगाई का उसके ऊपर असर होता है। आज इस मामले में वित्त मन्त्री जी से मेरे कुछ सुझाव हैं। जो किसानों पर बोझ डाला जा रहा है, वह उसके बस का नहीं है। इसके लिए कर्जे पर ब्याज की दर 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि देश को कभी कर्जे माफी की जरूरत ही न पड़े। पिछली सरकार किसानों को इस बात पर गुमराह करके या उनकी भावनाओं से खेलकर के आयी कि कर्जा माफ कर दिया जाएगा लेकिन कर्जा कितने लोगों का माफ

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

हुआ, किसानों को कितना फायदा हुआ, यह सबको पता है जबकि उस सरकार के आने के बाद तीन प्रतिशत ब्याज दर बढ़ी···

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि आपने दस मिनट का समय ले लिया है।

**श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा** : कल मैंने केवल शुरू ही किया था।

**श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप)** : यह उनका पहला भाषण है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह आपका पहला भाषण है तो ठीक है।

[हिन्दी]

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : मैं कह रहा था कि तीन प्रतिशत ब्याज दर बढ़ी जिसमें डेढ़ प्रतिशत ब्याज व 1/2% गारन्टी फीस बढ़ी जिससे किसानों का मनोबल टूट गया। किसानों के लिए बिजली की दरें सस्ती होनी चाहिए और यूनिफार्म होनी चाहिए। आज महाराष्ट्र में बिजली किस भाव पर मिलती है और हरियाणा में किस भाव पर किसानों को बिजली मिलती है यदि इन्वेस्टमेंट का हिसाब लगाया जाय। लेकिन कटौती सब पर बराबर कर दी गयी।

मैं वित्त मन्त्री जी, दूसरी बात यह कहूंगा कि उन्होंने कहा कि तीन परसेंट ब्याज जो बैंक का अन्र्ड इन्कम है इंट्रेस्ट पर जो केन्द्रीय सरकार को देना पड़ेगा। मैं समझता हूं उसमें कटौती हो और प्रायरटी सेक्टर को माफी दी जाए लेकिन किसानों पर 1/2 प्रतिशत ब्याज और बढ़ेगा। डीजल पर सबसिडी दी जाए, यह मेरा निवेदन है। मैं दो-एक मुद्दे जो महत्वपूर्ण हैं और हमारे हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है, की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में राजीव-लोंगोवाल समझौते का जिक्र किया है जिसमें एक कंडीशन सुतलज-यमुना लिंक कैनाल की है जो कि हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

1983 से लेकर 1989 तक सात बार सीमाएं रखी गयीं उस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ और हमारे मुख्य मन्त्री भजन लाल जी ने भी प्रधान मन्त्री जी को लेटर लिखा है इस सन्दर्भ में। आज साढ़े सात लाख एकड़ हरियाणे की जमीन प्यासी बैठी है और जिसकी वजह से 8 लाख टन प्रति वर्ष अनाज का नुकसान हो रहा है इस देश को, और हरियाणे के किसान को एक हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है। क्या आज हमारा यह देश इस स्थिति में इतना नुकसान बरदाश्त करने के लिए तैयार है? मेरा निवेदन है कि यह कार्य जल्दी से जल्दी बार्डर रोड्स आर्गनाइजशन को दिया जाए और सेना उनको सुरक्षा प्रदान करे। 1983 में तो यह प्रोजेक्ट 176 करोड़ में पूरा हो रहा था और आज उसकी कास्ट 560 करोड़ हो गई है।

दूसरी बात, आज के दिन किसान और हर आदमी के लिए बिजली बहुत जरूरी है। हरियाणा में बिजली का संकट आमतौर पर रहता है। यमुना नगर थर्मल पावर प्लान्ट जो कि 1200 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, एनर्जी मिनिस्ट्री से क्लियर हो चुका है लेकिन बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। करनाल रिफाइनरी लोगों को रोजगार देगी, उसके लिए भी बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।

रूरल डेवलपमेंट के लिए 3508 करोड़ रुपया वित्त मन्त्री जी ने रखा है। यह सराहनीय है और उसमें से 2100 करोड़ रुपया 900 मिलियन डेज में इम्प्लायमेंट जनरेट करने की बात कही है। यह बात ठीक है। मैं पंचायत समिति का चेयरमैन रहा हूं अध्यक्ष महोदय। आप भी किसान हैं, आपका भी किसान से सम्बन्ध है। आज वहां गांव की क्या स्थिति है मैं बताना चाहता हूं। पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए, ग्रामीण बेरोजगारों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, छोटी सी है। एक किसान ने अपनी जमीन बेचकर अपने दो बेटों को बी० ए० पास कराई और हमारे जैसे नेताओं के पास वह घूमता रहा नौकरी के लिए। नौकरी नहीं मिली तो वह आया और एक दूसरी सिफारिश की कि ऐसा हम पर कुछ चलाओ ताकि मेरे बेटों के दिमाग से बी० ए० निकल जाए और फिर से वे हल चलाने लगें। यह स्थिति गांव में हो रही है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे, काम अस्थाई किए जाते हैं। काम योजनाबद्ध होने चाहिए और जो गांव 5000 की जनसंख्या से ज्यादा वाले हैं उनको वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो शहर में हैं, चाहे पक्की सड़क की हो, बिजली की हो, वाटर सप्लाई की हो। तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है और हमारे गांव-शहर भी तरक्की कर सकते हैं।

आज हमारे बीच में इस देश के महान सपूत और हमारे दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी नहीं हैं। उनके बगैर यह हाउस सूना लग रहा है। मुझे उनकी बात याद है कि वह कहते थे कि जितना पैसा हम ग्रामीण विकास के लिए देते हैं उस रुपये में से 15 या 20 पैसा ही नीचे पहुंचता है। इस बारे में सोचने की जरूरत है। इस बारे में योजनाबद्ध और कड़े से कड़ा प्रबन्ध किया जाए कि जितना पैसा ऊपर से चलता है नीचे तक पहुंचना चाहिए।

पीने के पानी के लिए राजीव जी के नाम पर जो योजना रखी है, 758 करोड़ रुपया उसमें दिया है। उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन जो पुरानी स्कीमें हैं, जब गांवों की पापुलेशन या जनसंख्या 2000 थी उसके हिसाब से दी गई थी, आज 5000 हो गई, तो उसमें आगमेंटेशन की जरूरत है हर गांव में रोज झगड़े होते हैं और औरतों के कभी कपड़े कभी बाल फटते हैं और एक टूटी में कम से कम 5000 व्यक्तियों तक पानी कैसे पहुंच सकता है यह सोचने की जरूरत है।

रेलवे का कार्य लोगों को इधर से उधर ले जाने का नहीं रहा बल्कि बेरोजगारों को रोजगार देने का भी उसका काम है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से कम से कम 10,000 व्यक्ति जो छोटा धंधा करते थे, कोई दूध लेकर आता है कोई गन्ना लेकर आता है, बहुत छोटे दुकानदार रोजमर्रा की चीजें लेकर आते हैं और दिल्ली के साथ हमारा शहर है तो मेरा निवेदन है कि एक रेलवे लाइन रेवाड़ी से रोहतक वाया झज्झर जोड़ी जाए और दिल्ली से भिवानी तक उसका इलेक्ट्रीफिकेशन किया जाए तभी यह बेरोजगारों को रोजगार दे सकेगी। भिवानी से हिसार जो ट्रेन जाती है उसको ब्राड गेज किया जाए क्योंकि वह महत्वपूर्ण है। इन्कम टैक्स की छूट सीमा को बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर देना चाहिए क्योंकि मंहगाई मध्यम वर्ग और एम्पलाईज पर ज्यादा असर करती है।

चूंकि आपने मुझे समय कम दिया है, समय की सीमा लगा दी है, अतः मैं अन्तिम निवेदन यह करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि 1989 तक इस देश की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी लेकिन जिस दिन से कांग्रेस हटी और विपक्षी दल सत्ता में आए, उसी दिन से आर्थिक स्थिति निरन्तर खराब होती चली गयी। मैं उनके कथन से सहमत हूं। इसके साथ ही मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान हरियाणा की ओर दिलाना चाहता हूं जहां ये लोग 1987 में ही सत्ता में आ गए थे। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आज हरियाणा की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। इसे मद्देनजर रखते हुए मैं डिमाण्ड करता हूं कि हरियाणा के विकास के लिए वर्तमान

[श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा]

बजट में कम से कम 300 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया जाए ताकि हरियाणा में विकास के काम तेजी से चलें और हरियाणा फिर से देश में अपने उस स्थान को बनाए, जो स्थान उसने कुछ समय पहले बनाया था। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हू कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और अपने साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे नए सदस्य को इतने इतमिनान से सुना। धन्यवाद।

**श्री सूर्यनारायण यादव** (सहरसा) : अध्यक्ष जी, मैं सदन में प्रस्तुत सामान्य बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हू और घोर विरोध करता हू। उसका कारण यह है कि यह देश किसानों का देश है, गांवों का देश है और मजदूरों का देश है। इस देश में बड़े लोगों की संख्या कुल आबादी का 10 या 15 प्रतिशत है जबकि किसान, मजदूर लोगों की आबादी 85 प्रतिशत है। इस देश पर इसलिए किसान मजदूरों का अधिकार ज्यादा है। सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह स्पष्ट तौर से किसान-विरोधी, मजदूर विरोधी और मध्यम वर्ग के लोगों के हित में नहीं है। अभी सरकार ने रुपये का अवमूल्यन किया है और अवमूल्यन करते समय यह कहा गया कि देश में ऐसी स्थिति है, वित्तीय संकट है, और अवमूल्यन किए बिना इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। यह कोई नई बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि आपने ऐसा कह कर कोई नयी बात कही है। हमारे वित्त मन्त्री जी इस बात को जानते हैं कि 1980-81 के बाद से अभी तक प्रत्येक वर्ष बजट में घाटा बढ़ता ही गया और देश पर कर्ज लदता गया। उसका प्रमाण है कि वित्त मन्त्री जी ने स्वयं इस बजट में दर्शाया है कि बजट का घाटा वर्ष 1985-86 में 21857 करोड़ रुपये था, वर्ष 1986-87 में वह बढ़कर 26,342 करोड़ रुपये हो गया और निरन्तर बढ़ते बढ़ते यह घाटा मार्च, 1991 में 43,331 करोड़ रुपये हो गया। इसमें कोई नई बात नहीं है। यह घाटा एक या दो वर्ष में नहीं बढ़ा बल्कि लगातार बढ़ता गया है, प्रत्येक वर्ष बढ़ता गया है। फिर बजट में कहा गया है कि हम लोग निरन्तर घाटे की स्थिति से गुजर रहे हैं, इससे हमारी स्थिति डांवाडोल हो गयी है और समझ में नहीं आ रहा है कि यदि यह घाटा बढ़ता ही रहा तो फिर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी स्थिति बिगड़ती क्यों दिखाई पड़ रही है। मेरा कहना है कि यह देश प्रत्येक वर्ष घाटे में चलता आया है, गरीबों पर, किसानों और मजदूरों पर निरन्तर बोझ बढ़ता ही गया है और जब 1990-91 आया तो इस सरकार को रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। मैं समझता हूं कि विपक्ष की सरकार इस देश में मात्र एक या डेढ़ साल ही रही है, यदि चन्द्रशेखर जी की सरकार को भी मिला लिया जाए तो, वरना चन्द्रशेखर जी की सरकार तो आपकी ही सरकार थी क्योंकि आपने ही उन्हें सपोर्ट किया था। इसलिए हमारी सरकार मात्र एक साल शासन में रही। फिर 1980 के पहले, 1977 से 1980 के बीच में, बजट में उतना घाटा नहीं था, आपका बजट इसका प्रमाण है। 1980 से आप घाटे में आ रहे हैं और उस वक्त आपकी सरकार थी, आप कहां सोए हुए थे? क्या उस समय वित्त मन्त्री जी को कोई होश-हवाश नहीं था? हम देश को कहां ले जा रहे हैं? अभी रुपये का अवमूल्यन किया है और जो बजट आया है वह इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में आप इस देश को विनाश के कगार पर ले जा रहे हैं। इस देश का आप कैसे उद्धार कर सकते हैं, कैसे इस देश को आगे ले जा सकते हैं, इसका आपने कोई भी हिसाब और गणित नहीं लगाया है। मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस देश की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हम लोग कोई दलीय स्थिति से सोचकर इस देश को आगे नहीं ले जा सकते, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिना किसी की राय, मशविरा किए आप इसको एकतरफा बना दें, जिससे इस देश की करोड़ों करोड़ जनता आपको कर दे। आपने टी० वी०, वी० सी० आर० और एयरकंडीशनर पर कर लगा दिया। कितना टैक्स आपको इससे आ

रहा है, आपको यह अंदाजा है कि इससे आपको बहुत कम आमदनी है और इसके अतिरिक्त आप पैसा गांवों से लेने जा रहे हैं और बजट की भरपाई आप मजदूरों से करने जा रहे हैं उनके लिए कल्याण का कोई प्रावधान आपके बजट मे नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं कि आज इस देश के लोगों में बजट के माध्यम से भ्रम पैदा किया गया है और वह भ्रम यह पैदा हुआ है और मध्यम-वर्गीय लोग, किसान, गरीब और गरीब सरकारी कर्मचारी भी अब यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आपने जो बजट इतने घाटे का शो किया है और ऊपर से आपने इस बजट के द्वारा लोगों पर टैक्स लगाया है, तो यह पैसा आप किस पर खर्च करने जा रहे हैं? क्या यह पैसा आप गरीबों पर खर्च करने जा रहे हैं या मध्यम वर्गीय लोगों पर खर्च करने जा रहे है या किसानों पर खर्च करने जा रहे हैं या कुछ लोगों के ऊपर ही यह खर्च करने जा रहे हैं और मुझे अध्यक्ष महोदय ऐसा लगता है कि इस बजट से यह भरपाई नहीं कर पायेंगे क्योंकि इस बजट के बाद भी आपका 9 हजार करोड़ रुपए का घाटा है, तो आप कुछ लोगों को ही इस बजट का फायदा देने जा रहे हैं। इसलिए इस बजट के माध्यम से आप कोई क्रांति इस देश में लाने जा रहे है, ऐसी कोई सम्भावना दिखाई नहीं पड़ती है।

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के पैरा नं० 28 में बताया गया है कि ब्याज के ऊपर 21,850 करोड़ रुपए 1990-91 में देने पड़ेंगे और यह भी बताया गया है कि वर्ष 1991-92 के दौरान 27,450 करोड़ रुपए की अनुमानित ब्याज अदायगियां, मौजूदा कर की दरों पर केन्द्रीय सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों का 42 प्रतिशत हिस्सा है। यदि मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही और कोई सुधार संबंधी उपाय न किए गए तो वर्ष 1994-95 तक ब्याज की अदायगियां केन्द्रीय सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों के 50 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक हो जाएंगी। यानी एक तरफ तो आप यह बात कहते है और दूसरी तरफ आप इस बजट के माध्यम से इस देश में समानता लाना चाहते हैं, तो यह कैसे चल सकता है, यह आपके बजट का परिणाम है। जब आपको सूद में इतना रुपया देना पड़ेगा, मूलधन जोड़कर, तो आप कर लगाकर भी इस बजट के द्वारा इतनी रकम नहीं प्राप्त कर पायेंगे और इसकी भरपाई नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार से यह निश्चित है कि आप इस देश की जनता के लिए कुछ करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसके द्वारा आप इस देश की जनता को को धोखा देने की बात कर रहे है।

मान्यवर, जब उत्पादन की बात आती है, तो मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि सरकार ने 1991-92 में नान प्लान में, यदि ब्याज की अदायगी को निकाल दिया जाता है, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस देश में नान प्लान में काफी खर्च बढ़ गया है और प्लान में भी राशि पिछले वर्ष की तुलना में कम है, यदि इनका एक वर्ष का मूल्यांकन करें, तो यह राशि 18 प्रतिशत से भी घट जाती है। अब ये कैसे आंकड़े वित्त मन्त्री जी ने पेश किए हैं, मुझे यह बात समझ में नहीं आई। मेरी बहुत समय से यह कहने की इच्छा थी, किन्तु मैं आज यह बात यहां कहता हूं कि मात्र अर्थशास्त्रियों से बजट नहीं चल सकता है। अनुभवी लोगों की भी आवश्यकता होती है। कोई छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है तो उसका प्रेक्टिकल करवाते हैं, आई० ए० एस० में कम्पीट करता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है और आप एक अर्थशास्त्री विद्वान को बिठाते है। गांवों के बजट में आप गांवों के जो अनुभवी हैं, विशेषज्ञ हैं उनको भी साथ रखिए। मैं यह नहीं कहता कि बिना अर्थशास्त्रियों के बजट बनाया जा सकता है लेकिन गांव के अनुभवी लोगों के बिना सही बजट आप नहीं ला सकते हैं। इसमें दो मत नहीं है। आप देखेंगे कि इस बजट में किसानों के साथ, खासकर मझले किसानों के साथ घोर अन्याय किया है। आपने सबसिडी को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, अगर सबसिडी को

[श्री सूर्यनारायण यादव]

ही समाप्त करके छोड़ दिया होता तो एक समझ की बात थी लेकिन आपने फर्टिलाइजर पर अल्युमिनियम सल्फेट छोड़कर 40 फीसदी मूल्य को बढ़ाया है। 40 फीसदी सरकार के मूल्य बढ़े और गांवों में खाद 80 रुपए ज्यादा पर बिकने लगा। जिस बोरी की कीमत 100 रुपए थी आज उसकी कीमत 180 रुपए हो चुकी है। कैसे हो सकता है। बाढ़ से मार खाया किसान, बजट का मार खाया किसान, शिक्षित बेरोजगार किसान का बेटा, गांव में पढ़ने वाले का बेटा जो कम्पीटीशन में नहीं आ सकता, उसका बेटा भी पढ़-लिखकर खेत में हल जोतने का काम करे, फर्टिलाइजर पर सारा टैक्स देने का काम वही किसान का बेटा करे और उसके साथ इतना घोर अन्याय। वित्त मन्त्री जी, इसको यह देश बरदाश्त नहीं कर सकता। किसानों और मजदूरों के साथ यदि इस तरह से अन्याय करते गए तो बाध्य होकर अपना संगठन बनाकर उसे लोक सभा में आना होगा और आएगा, उसे आप नहीं रोक सकते क्योंकि उसकी व्यथा को सुनने वाला और बोलने वाला कोई नहीं है।

वित्त मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय हर जिले को आदर्श गांव का आश्वासन दिया है। 1977 के बाद, 1980 से अभी तक जो भी सरकार आई उसने यह कहा कि गांव को आदर्श गांव बनायेंगे। आदर्श गांव क्या होता है इसकी परिभाषा से तो आज तक ऐसा लगता है कि यह आदर्श मात्र दिल्ली, बम्बई, मद्रास ही है, हम पटना बिहार को भी नहीं कह सकते। हम लोग बिहार जाते हैं तो दुख होता है कि गांव का एक भी रोड ऐसा नहीं है जो राजधानी जैसा हो। अब तो आप महानगरी में सिमट रहे हैं। आदर्श गांव का अर्थ होता है कि आप शहर जैसे विद्यालय दें, सड़क दें, बिजली दें, स्वास्थ्य सुविधा दें। आदर्श गांव में जब प्रत्येक जिले को आप लेंगे जो बजट में दिया जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हू 1980 से 1991 तक एक जिले में जितना खर्च हुआ है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, थोड़ा समय मुझे दीजिए। आप जब इस काम को करेंगे तो गांवों का विकास होगा। गांवों का विकास करने के बाद अगर आप किसी चीज पर टैक्स लगायेंगे तो हमारी ग्रामीण वासी उसे खुशी-खुशी देने के लिए तैयार हो जायेंगे। ऐसा लगता है कि आप आदर्श गांव कागज पर ही रखना चाहते हैं। उसको कोई अमली-जामा पहनाना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं राजीव गांधी की चर्चा तो नहीं कर सकता हूं। उनके निधन से हमें अति दुख पहुंचा है। वित्त मन्त्री-जी ने राजीव गांधी की चर्चा करते हुए जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया उससे ऐसा लगता है कि मानो राजीव जी ने कह दिया हो कि किसानों द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों के दाम बढ़ा दो। राजीव जी ने कहा था कि हम 100 दिन के अन्दर महंगाई घटा देंगे लेकिन बजट को देखकर ऐसा लगता है कि 100 दिन में महंगाई हो जाएगी और वह हुई भी है। राजीव जी चाहते थे कि हमारे ग्रामीण भाई शिक्षित हों लेकिन इस बजट में उसका कुछ भी उल्लेख नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कांग्रेसी सरकार में विवेक होता तो वह महंगाई को दूर करने का काम करती। मैं मानता हूं कि राजीव जी एक महान व्यक्ति थे और वह चाहते थे कि इस देश में कोई काम हो लेकिन आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप इस दिशा में कुछ प्रयास कीजिए।

अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष 1990-91 में 2641 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस वर्ष केवल 2618 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इतना कम प्रावधान करने से कृषि परिवहन और सिंचाई व्यवस्था अवरुद्ध होगी। एक तरफ आप कहते हैं कि जो कोष निधि में रखा है

उसको भी घटायें। उसको घटाने का अर्थ है, खर्चे में कटौती करें लेकिन आप जानते हैं कि भारत सरकार का संचार मन्त्रालय जो आपको सबसे ज्यादा फायदा देता है और टी० वी० जो कि मुनाफा देता है उसको आप रोकने का काम कर रहे हैं। आप उसे गांवों में नहीं लगाना चाहते है। दूरदर्शन और टेलीफोन जिससे आपको ज्यादा आमदनी होती है उसको बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इससे आपको ज्यादा नुकसान होगा। आप इसे भी सुधारने का काम करे।

अध्यक्ष जी, सदन में जिस बात पर बहस की जाती है और माननीय सदस्य उस पर सुझाव देते है व आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं तो वित्त मन्त्री अपना जवाब देते समय उस पर अवश्य प्रकाश डालें और माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल करें। यह देश के लिए हितकर होगा।

यह तो सब लोग जानते है कि ऊर्जा, विद्युत और बिजली के बिना देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। देखने में आया है कि प्रत्येक राज्य में बिजली का दुरुपयोग होता है। मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं। अगर आप इस दुरुपयोग को मुस्तैदी से रोक लें तो 300-400 करोड़ रुपए का आपको मुनाफा होगा। आप उसे क्यों नहीं रोकते है ? आप हर चीज में कहते हैं कि घाटा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है। आज हर जगह लूट हो रहा है। उसको रोकने की आप में कोई क्षमता नहीं है। बिहार में बिजली उत्पादन के लिए मैंने कई······

**अध्यक्ष महोदय** : 20 मिनट हो गए। जल्दी जल्दी बोलिए, बोलने वाले दूसरे लोग भी हैं।

**श्री सूर्यनारायण यादव** : अधूरा रह जाएगा। अभी तो कहां से खत्म होगा। मैंने वर्ष 1991 में लोक सभा में एक प्रश्न किया था, बिहार में पानी का और खान का भण्डार है, एक तरफ तो हम बाढ़ के पानी से तबाह होते हैं, एक तरफ हम खान की सारी चीजें आपको, देश को देते हैं, पानी से बिजली पैदा की जाती है। आज भी आपने सुना, जो नेपाल सरकार ने भारत सरकार को कहा कि कोसी नदी पर हम बांध, डैम बनने देंगे लेकिन उससे जो बिजली की पैदाइश होगी, वह बिजली तुम ले लो और बिजली की जो कास्ट होगी, जो दाम होगा वह हमें दे दो। मैं बताना चाहता हूं उत्तरी बिहार में सौ-सौ करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष, मन्त्री जी, आप रिलीफ की मद में खर्च करते हैं। प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर। इससे आप अंदाजा लगा सकते है कि आज 48 वर्ष आजादी मिले हो गए, इसमें आपने कितने अरब खरब रुपए खर्च कर दिए। अगर आप नेपाल से मिलकर समझौता कर लेते है तो सौ करोड़ की प्रतिवर्ष हम बचत कर सकते हैं। मैं दावे से कह सकता हू कि उत्तरी बिहार की जमीन इतनी उपजाऊ है कि उस जमीन से मैं पूरे भारत का दावा तो नहीं करता लेकिन आधे हिन्दुस्तान को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हम कर सकते हैं, यह दावा मैं कर सकता हू। लेकिन आप सौ करोड़ रुपए हर साल रिलीफ पर खर्च करेंगे, आप सारे काम करेंगे लेकिन जो विकास का कार्य होगा, वह करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि चूंकि सौ करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का सवाल है और आपके बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, बजट में आपका घाटा होता जा रहा है, 9000 करोड़ रुपए का इसलिए आपको ऋण लेना होगा। जब आपको ऋण ही लेना होगा तो वह ऋण चाहे 20 करोड़ का हो चाहे 20 हजार करोड़ का हो, जब आपने सोना ही बेच दिया, सोना ही देश का गिरवी रख दिया तो थोड़ा ऋण और ले लो और देश का सर्वेक्षण आप कराओ कि देश के पैमाने पर जो अच्छी-अच्छी योजनाएं है, उन सारी अच्छी-अच्छी योजनाओं पर आप उस पैसे को खर्च करें जिससे आपकी आमदनी बढ़ सके और उस आमदनी से आप उसकी भरपाई करने का प्रयास कर सकें।···

**अध्यक्ष महोदय** : आप पाइण्ट्स जरूर पूरे कीजिए लेकिन उसको बहुत लम्बा करके मत

बोलिए। आप कह रहे है, दूसरी तरह का खर्च कम करो, पावर पर ज्यादा करो, वह बात उनकी समझ में आ गई। आपको बोलते हुए बहुत टाइम हो गया। मैंने 20 मिनट दिए थे, आपको 20 मिनट से ज्यादा हो गए।

**श्री सूर्यनारायण यादव** : हमारे यहां कोयला रायल्टी की दर बढ़ गई इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपकी सरकार जो अच्छे काम करेगी, उसके लिए हम आपको बधाई देंगे। आपने रायल्टी की दर बढ़ाई, यह अच्छा काम था। बिहार में जब कांग्रेस का शासन था तो कोई मुख्य मन्त्री आज तक रायल्टी बढ़ाने की मांग करने की हिम्मत नहीं कर सका लेकिन आज हम लोगों की सरकार है और उसमें लालू जी मुख्य मन्त्री हैं, उन्होंने भारत सरकार को थ्रेट कर दिया कि अगर आप नहीं देंगे तो हम अनशन कर देंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : अब आपने प्रशंसा कर दी, अब समाप्त करिये।

**श्री सूर्यनारायण यादव** : एकाध प्रशंसा लेकर क्या होगा।

अब हमारे अध्यक्ष जी इजाजत देने को तैयार नहीं हैं। एक दो मूल सुझाव मैं देना चाहता हूं। आपने सोना विदेश में गिरवी रखा, बेचा, मैं नहीं जानता लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप एक सोना बोर्ड बनाएं।…

2.00 म० प०

इस देश में सोना रखने वाले बहुत सारे हैं। घर में भी सोना रखने वाले हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं, पैसे वाले भी हैं और गरीब के घर में भी है। मैं चाहता हूं कि आप एक बोर्ड बनाएं और देश की जनता को इस बारे में बतायें कि यदि कोई बैंक के लाकर में सोना रखता है, तो वह बोर्ड के पास रखे और बोर्ड उसको सूद दे। वह सूद आप आठ परसेंट या जो भी तय करें। वह बोर्ड राष्ट्रीय बैंक से बात करें, विश्व बैंक से बात करे कि हमारे पास इतना सोना है, जिस पर हम इतना इन्टरेस्ट देते हैं और तुम इस पर हमें कर्ज दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे हमको सोना बेचने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। चूंकि आपका यह संकट आज ही समाप्त होने वाला नहीं है, यह संकट आपको बहुत ज्यादा विनाश की ओर ले ही जाने वाला है। सोने के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। बजट के अनुसार जितना आयात होगा और जितना निर्यात हो रहा है, उसमें मात्र नौ हजार करोड़ के वास्ते ही सोना बेच दिया। यह आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि फीगर्स क्या हैं। 43 हजार करोड़ का आयात होगा, उससे कम आप निर्यात कर रहे हैं, तो नौ हजार करोड़ के लिए आपको देश का सोना देना पड़ गया। इससे ज्यादा दुःख की कोई बात नहीं हो सकती है। अब अगर आप बोर्ड बना लें बोर्ड के माध्यम से काम करे तो बोर्ड उनसे बातचीत करके पैसे ले सकता है। इसमें कतई दो मत नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी पार्टी ने समय तय किया है। उसमें से भी सदस्यों को समय बांटकर देना पड़ता है। दूसरे दलों के भी सदस्य हैं। आपको तीस मिनट दिए हैं।

**श्री सूर्य नारायण यादव** : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया, लेकिन मैं खासकर आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार एक अति पिछड़ा राज्य है। बिहार इस देश में किसी भी राज्य से अधिक सम्पदा देने का काम करता आया है और आगे भी करता रहेगा। अभरक बिहार में, लोहा बिहार में, कोयला बिहार में, लेकिन रेल की पटरी बिहार में नहीं, रेल बिहार में नहीं, बिजली बिहार में नहीं और किसान को राहत बिहार में

नहीं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बजट में आप प्रावधान करें और बिहार से जितनी आमदनी आप लेते हैं, उसका पचास परसेंट, आधा हिस्सा बिहार को वापिस करें, ताकि बिहार भी आगे आए और विकास करें।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

**श्री एच० डी० देवगौड़ा** (हसन) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991-92 के बजट प्रस्तावों पर आम चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हू।

मैं इस बजट को गरीब-विरोधी, किसान-विरोधी, विकास विरोधी और मुद्रा-स्फीति को बढ़ाने वाला मानता हूं। मैंने कभी भी ऐसे बजट की आशा उस व्यक्ति से नहीं की थी जो आर्थिक प्रबन्धन के क्षेत्र में बुद्धिमान, अनुभवी और वित्त विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं।

व्यापार बढ़ाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कुछ कदमों की मैं सराहना करता हूं। निर्यात बढ़ाने के लिए हमारी औद्योगिक और व्यापार नीतियों में परिवर्तन लाने हेतु कार्रवाई की गई, लेकिन कुल मिलाकर इस बजट का तात्पर्य यही है कि यह पूरी तरह किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों का विरोधी है और साथ ही विकास कार्यों के प्रति कोई रूचि नही दिखाई गई है जहां तक इसके लिए प्रावधान का संबंध है बजट में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

इन बजट प्रस्तावों पर सरसरी तौर पर टिप्पणी करते हुए मैं आपका ध्यान मंत्री के भाषण के पहले पैरा की ओर आकृष्ट करना चाहता हू। उन्होंने इसका आरोप पिछली गैर-कांग्रेसी सरकारों पर आरोपित करने का प्रयास किया है। महोदय, कई वर्षों से चली आ रही गलत आर्थिक नीतियों के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसका आरोप उन्होंने विगत के केवल दो गैर-कांग्रेसी सरकारों पर मढ़ा है जोकि सत्ता मे केवल डेढ़ वर्ष हो रही है। मैं अपने कथन के समर्थन में इकानोमिक सर्वे, 1991 में दिए गए कुछ आंकड़ों को सामने रखना चाहता हू। यदि हम व्यापार सन्तुलन की स्थिति को देखे तो उसका आंकड़ा निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1980-81 | (—) 4.4 प्रतिशत |
| 1981-82 | (—) 3.08 प्रतिशत |
| 1982-83 | (—) 3.2 प्रतिशत |
| 1983-84 | (—) 2.8 प्रतिशत |
| 1984-85 | (—) 2.8 प्रतिशत |

औसत लगभग 3.4 प्रतिशत।

जबकि आपका व्यापार संतुलन घाटे की स्थिति में तो आप इसका दोष किस तरह गैर-कांग्रेसी सरकारों पर मढ़ सकते जबकि वह सत्ता में कुछ ही समय के लिए रही थी ?

महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 1985 से 1989-90 तक भी हमारे व्यापार सन्तुलन में घाटे की स्थिति बनी रही। जब यह स्थिति है तो उन्होंने कैसे यह निष्कर्ष निकाल लिया कि यह स्थिति केवल गैर-कांग्रेसी सरकारों के कारण उत्पन्न हुई है ? मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि जब वह वाणिज्यिक बैंकों और विदेश के विभिन्न बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेने का प्रयास करते हैं तो वे ही

[श्री एच०डी० देवगौड़ा]

बताएं कि क्या 1985-86 से वाणिज्यिक बैंक ऋण एवं अल्पकालिक ऋण शुरू की गई थी। वे ही बताएं कि वे कौन-सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण देश को वाणिज्यिक बैंक तथा विदेशों से अल्पकालिक ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका कारण यह था कि व्यापार सन्तुलन के घाटे को पूरा करने के लिए इस तरह के अल्पकालिक ऋणों को लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब हमने देश को इस ऋण के जाल में फंसा दिया है।

मैं मात्र इस बात पर बल देना चाहता हूं कि किस तरह गलत आर्थिक नीतियों के कारण ऐसी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। माननीय वरिष्ठ सदस्य अटल जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि अधिक और कम बीजक बना कर किस तरह आयात-निर्यात के आयों में हेराफेरी की गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उसमें भाग लेते हुए उन्होंने ये बातें कहीं हैं। मैं इस महान सभा का ध्यान यह स्पष्ट करने के लिए उस भाषण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि किस तरह विभिन्न स्तरों यानि राजनैतिक अथवा नौकरशाही स्तरों पर हुई बेईमानी ने आज देश के सामने उत्पन्न इस तरह की स्थिति पैदा करने में योगदान दिया है।

मैं श्री चन्द्रशेखर की सरकार के छः-सात महीने के शासन का तर्क से समर्थन नहीं करना चाहता। परन्तु हमें कटु वास्तविकता को समझना चाहिए। पिछले पांच महीनों के दौरान हमारे व्यापार संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है। नवम्बर, 1990 में व्यापार संतुलन 1,859 करोड़ रुपए का घाटा था। दिसम्बर, 1990 में यह घाटा 1,286 करोड़ रुपए था तथा जनवरी, 1991 में यह 1,107 करोड़ रुपए तथा फरवरी, 1991 में यह घाटा 8?3 करोड़ रुपए था। 1 मार्च, 1991 में यह 198 करोड़ रुपए तथा अप्रैल, 1991 में 13? करोड़ था। इसका अभिप्राय यह है कि कुछ सुधार हुआ है यद्यपि यह सुधार उनके संक्षिप्त शासनकाल के दौरान ही हुआ है। मैं इसी बात पर जोर देना चाहता था। परन्तु दुर्भाग्य से वित्त मन्त्री जी जो यहां पर एक विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने भी इस गलत वित्तीय नीति में अपने विचार भी जोड़े हैं। वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके है तथा सरकार के वित्तीय सलाहकार तथा सचिव भी रह चुके हैं। आज वह यह सारा दोष गैर-कांग्रेसी सरकार पर मढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। गैर-कांग्रेसी सरकार केवल एक संक्षिप्त अवधि के लिए ही सत्तारूढ़ हुई थी। इस अस्थिरता के कारण इन सभी प्रकार के कारणों के लिए उसे ही उत्तरदायी ठहराया गया है। इसीलिए मैं इसका खण्डन करना चाहता था। हमने एक वित्त विशेषज्ञ से ऐसे बजट की अपेक्षा नहीं की थी।

महोदय, मैं न तो कोई वित्तीय विशेषज्ञ हूं तथा न ही कोई मुखर वक्ता। पहली बार मैं इस सम्मानीय सदन के लिए निर्वाचित हुआ हूं। केवल एक कृषक होने के नाते मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस बजट को राजनीतिक रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहता हू।

आज आपकी क्या स्थिति है? वह इस सभा को अपने विश्वास में लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं तथा यह भी बताना नहीं चाहते कि हमें जितना ऋण देना चाहे वह मध्यावधि ऋण अदायगी है अथवा अल्पावधि ऋण की अथवा जो ऋण व्यावसायिक बैंकों से लिया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह जानकारी नहीं दी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में सही स्थिति नहीं बताई जा रही है। मैंने आर्थिक सर्वेक्षण से यह जानने का प्रयत्न किया था तथा मुझे यह ज्ञात हुआ है कि अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि सहित विदेशी कर्जा 1,20,000 करोड़ रुपए का

है। परन्तु मैं सभा का ध्यान एक दूसरे विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 'एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक, 1991' के पृष्ठ 300 पर यह उल्लेख किया गया है कि भारत पर इस समय 1,97,000 करोड़ रुपए विदेशी कर्ज का बकाया है। जहां तक विदेशी ऋण का संबंध है, यह राशि 1,97,000 करोड़ रु० है। मैं यह सब इसलिए बता रहा हू क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में भी सही आंकड़े नहीं बताए गए हैं तथा हमें अन्धेरे में रखा गया है। मैं यही कहना चाहता हू।

यदि हम इस कठिन स्थिति से निकलना चाहते हैं तो हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा तथा हमें और विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। आज विदेशी मुद्रा अर्जन की क्या स्थिति है? हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 43,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है चाहे वह कच्ची सामग्री के निर्यात का मामला हो अथवा पेट्रोलियम उत्पाद अथवा कोई अन्य मामला हो। हमारा आयात-अर्जन मुश्किल से 32,000 अथवा 33,000 करोड़ रुपए है। जब ऐसी स्थिति है तो हम अपने ऋण की अदायगी कैसे करेंगे जोकि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष अथवा व्यवसायिक बैंकों को करनी है। हम अपने इन ऋणों की अदायगी कैसे करेंगे? उन्हें इस बारे में भी विस्तार से बताना चाहिएं।

जब हमें विभिन्न प्रकार के अतिदेय ऋणों की अदायगी करनी है, लिए गए उन कर्जों की अदायगी किस प्रकार से की जाएगी; यह तथा और दूसरी बातें भी इस सभा में स्पष्ट रूप से बतायी जानी चाहिए।

जहां तक विदेशी ऋण का संबंध है मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं आन्तरिक ऋण की स्थिति का भी जिक्र करना चाहता। यह 1,51,000 करोड़ रु० से भी अधिक है। आज हमें उस सारी राशि की अदायगी करनी है अर्थात् जनता से लिया गया ऋण, वित्तीय संस्थाओं से लिया गया ऋण अथवा रिजर्व बैंक से लिया ऋण जिसे बजट में हुए घाटे के रूप में लिया गया है। ये सारे ऋण 1,51,000 करोड़ रु० में और जुड़ जायेंगे जो हमारे देश के लिए एक बोझ बन जायेगा।

महोदय, मैं इस सम्माननीय सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी लिए गए ऋणों का लगभग 89 प्रतिशत किश्तों तथा ब्याज की अदायगी करने में खर्च हो रहा है। आप जितना भी ऋण लेने जा रहे हैं इस राशि में से हमें इसका लगभग 89 प्रतिशत ब्याज तथा मूल, किश्त के रूप में पुनर्अदायगी करने में खर्च करना है। केवल ग्यारह प्रतिशत राशि ही हमारे विकासात्मक कार्य के लिए शेष बचती है। स्थिति तो यह है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगले दो अथवा तीन वर्षों में हमारी स्थिति बहुत खराब तथा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगी तथा जनता से हम जितना भी ऋण लेने का विचार कर रहे हैं यह सारी राशि ब्याज की अदायगी करने में ही खर्च हो जायेगी। हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। हमारे देश की गलत वित्तीय नीतियों के कारण चाहे यह राज्य स्तर की हों अथवा राष्ट्रीय स्तर की, गैर-विकासात्मक कार्यों पर होने वाले व्यय तथा जनाधिकारवादी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन होने के बारे में बेकार सी प्रतिस्पर्धा है। प्रत्येक दल अथवा प्रत्येक सरकार बताना चाहती है "कि हम सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम अथवा समाज के अधिक निर्धन वर्गों के अधिक पक्ष में हैं।" यह केवल एक अदूरदर्शी आर्थिक नीति है जो हमारे इस देश में चल रही है तथा जिसके फलस्वरूप हम ऐसी अजीब स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। मुझे यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि गरीबी-हटाओ कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार दोनों में बेकार की प्रतिस्पर्धा रहती है चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों तथा इस कारण हमारा देश कर्ज के जाल में फंस गया है। इस प्रकार की

[श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा]

प्रतिस्पर्द्धा करने के स्थान पर यदि हमने उत्पादन वाले कार्यों में धन लगाया होता तो स्थिति बिल्कुल भिन्न होती। अतः इस स्थिति में पहुंचने के लिए सभी का ही योगदान है।

अब मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने 51 प्रतिशत विदेशी पूंजी लगाने के लिए आमन्त्रित किया है चाहे वह अनिवासी भारतीय हो अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। बल्कि मैं केवल इस सरकार को सतर्क कर देना चाहता हूं कि वे और अधिक सावधानी बरतें तथा उदार औद्योगिक तथा व्यापारिक नीतियों में लघु उद्योगपतियों अथवा उद्यमियों को बिल्कुल समाप्त न कर दें। हमारे उद्योगों में इक्यावन प्रतिशत विदेशी पूंजी लगाने के लिए आमन्त्रित करने के संबंध में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

महोदय, संसाधन जुटाने के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने यह भी जिक्र कर दिया था कि चूंकि उनके पास इस बारे मे विस्तार से बताने का समय नहीं है, वह इस संबंध में अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तथा बाद में वह इस बारे में सोचेंगे। उन्होंने अपने भाषण में यही बताया था। मैं एक-दो बातें और बताना चाहता हूं जिनके बारे मे वह आय कर अथवा सम्पत्ति कर में संगठनात्मक परिवर्तनों की पुनरीक्षा करते समय विचार कर सकते हैं।

महोदय, हम राजीव गांधी फाउण्डेशन के बारे में काफी चर्चा कर रहे थे। मैं उस मुद्दे पर बहस करने नहीं जा रहा हूं। यह मुझ जैसे व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। परन्तु हमारे इस देश में कितने निजी न्यास अथवा सार्वजनिक न्यास हैं तथा इन न्यासों पर हमारा किस प्रकार का नियन्त्रण है? यहां पर कई छद्म न्यास हैं जिनकी स्थापना धोखा देने अथवा कर की चोरी करने के उद्देश्य से ही की गई है। इस प्रकार के न्यासों की स्थापना की गई है। वे भारतीय न्यास अधिनियम 1856 के अन्तर्गत आते हैं। हम उन पर किस प्रकार से नियन्त्रण कर सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ही कर की चोरी करना होता है। पूरे सदन को इस मुद्दे के बारे में विचार करना चाहिए। कई कम्पनियां ऐसे ट्रस्ट केवल अपनी आय तथा प्रचुर सम्पत्ति को खपाने के लिए ही चला रही हैं। मैं भी राज्य स्तरीय एक राजनैतिक दल का अध्यक्ष था। मैं अपने बारे में बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई भी राजनीतिक दल इन स्वार्थी हितों के पक्षपातपूर्ण रवैये से मुक्त नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपना अस्तित्व केवल इन करों की चोरी करने वाले तथा इन निहित स्वार्थी लोगों के हितों की रक्षा करके ही कायम रख सकता है। चुनाव के समय हम उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। यदि इसी प्रकार की प्रवृत्ति जारी रहती है तो मैं आपके माध्यम से इस सदन को अत्यन्त विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि इस देश का कोई भविष्य नहीं है तथा हमें गुलामों की तरह काम करना है।

आज प्रश्नकाल के दौरान मुझसे पूर्व वक्ता ने यह मामला उठाया कि किस प्रकार से एक बैंक आतंकवादियों की मदद कर रहा है। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यदि आज किसी न्यास का पंजीकरण हो जाता है तो दस वर्षों में यह कई सौ करोड़ रु० मूल्य की सम्पत्ति एकत्र कर लेगा। क्या आप उन पर कर नहीं लगा सकते? यह एक ऐसा मामला है जिस पर वित्त मन्त्री को विचार करना चाहिए। हम आज संविधान में संशोधन करने की स्थिति में हैं तथा हम पहले ही 44 अथवा 45 संशोधन कर चुके हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो क्या हम एक ऐसे अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकते जोकि ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1856 में बनाया गया था? क्या कोई यह जांच करने वाला है कि क्या ये न्यास उचित तरीके से कार्य कर रहे हैं तथा उसी उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में

काम कर रहे हैं जिसके लिए इनका पंजीकरण किया गया था। मेरा सरकार से तथा विशेषकर वित्त मन्त्री से आग्रह है कि वह इस मामले पर गौर करें।

महोदय, जब श्री वी० पी० सिंह वित्त मन्त्री थे। उस समय सभी कम्पनियों के लिए चाहे वे प्राइवेट कम्पनियां हों अथवा सरकारी कम्पनियां, सभी के लिये गैर-निर्माणात्मक खर्च की बीस प्रतिशत की सीमा थी। दुर्भाग्य से राजीव जी के शासनकाल के दौरान यह सीमा हटा ली गई तथा वह सारी राशि उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दे दी गई। वे व्यय कर सकते हैं तथा वे उस प्रावधान विशेष का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं मन्त्री को आगाह करना चाहूंगा। क्या हम इसके बारे में सीमा निर्धारित नहीं कर सकते ? इन दो बातों से हम 2,000 करोड़ रु० से भी अधिक अर्जित कर सकते हैं। यह मेरा मोटा सा अनुमान है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे इन दोनों सुझावों पर विचार करें।

महोदय, मैं एक ऐसे सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं तथा सम्प्रदाय से मेरा अभिप्राय जाति नही है। मैं कृषक सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं। अपने 30-35 वर्षों के राजनीतिक जीवन के दौरान मैंने समाज के इसी वर्ग के लिए काम किया है। कल हमारे सभी मित्र इतने भावुक हो रहे थे और वे किसानों के लिए लड़ रहे थे। जब हमारे वरिष्ठ नेता इन्द्रजीत गुप्त, बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ किसान सम्पन्न हैं। वे एक वरिष्ठ और अनुभवी सांसद हैं। अगर मैं सही हूं तो मेरे विचार से वे इस सभा के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञों में से है, हममें से कुछ इस सभा में नए हैं। हमें इन लोगों से जिनके पास अनुभव और ज्ञान है, बहुत कुछ सीखना है। इसलिए मैं उन्हें सुनने के लिए उत्सुक था और उनके भाषण का प्रत्येक शब्द सुनने का प्रयास कर रहा था। वे इस सभा में समाज के सिर्फ एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मे कोई उद्देश्य नहीं जतलाना चाहता। क्या वे ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के प्रति समर्पित हैं ? दुर्भाग्य से, कृषक वर्ग के लिये उनकी जो धारणा है वह सही नहीं है। वे छोटे किसानों, बड़े किसानों और सीमांत किसानों की बात कर रहे थे। इस प्रकार का बाल की खाल निकालने वाला तर्क कृषक समुदाय की सहायता नहीं करेगा। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इन्द्रजीत गुप्त जैसे वरिष्ठ सांसद को इस हद तक नहीं कहना चाहिए कि किसान संपन्न हैं। इस देश में भूमि कानून शुरू किए जाने के बाद, सम्पन्न किसान कहां है ?

मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को गर्व है कि भूमि सुधार कानून लागू करने में कर्नाटक अग्रगण्य राज्यों में हैं। भूमि सुधार लागू करने में हमारा राज्य प्रथम है। आज कर्नाटक में कोई भी जमींदार नहीं है। किसी के पास भी 10 एकड़ से अधिक जमीन नहीं है। ऐसा है तो, अमीर किसानों का प्रश्न ही वहां उठता है। आज कितने किसान विलासिता का जीवन जी रहे है ?

[हिन्दी]

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : 1500 एकड़ जमीन है प्रधानमन्त्री के परिवार के पास। नेक्सलाइट कब्जा कर रहे है।

[अनुवाद]

**श्री एच० डी० देवगौड़ा** : अगर किसी अन्य राज्य में यह है, तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ कर्नाटक की बात कर रहा हू। एक दिन आएगा जब लोग सड़कों पर उतर कर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे। किन्तु, मैं अपने माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त को बताना चाहता हूं कि कृषक समुदाय में ऐसा कोई सम्पन्न वर्ग नहीं है। उन्होंने एक उद्धरण दिया है कि एक किसान का पुत्र

[श्री एच०डी० देवगौड़ा]

कालेज में प्रवेश के लिए 25,000 रु० देता है। मैं कहना चाहूंगा कि आज किसानों को उच्चतर विद्यालय की शिक्षा भी प्राप्त नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में, कोई उचित सुविधाएं नहीं है। वहां न तो अध्यापक हैं न ही विद्यालय और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अन्य सुविधा है। अगर हम एक शहरी लड़के के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते है, तो हमें शिक्षा पर धन खर्चने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। हमें अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष करना होगा।

मैं श्री इंद्रजीत गुप्त जैसे अपने माननीय मित्रों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिन्होंने कहा है कि सिर्फ इसी बार उर्वरको में मूल्य बढ़ाए गए हैं। कम से कम तीन या चार बार, उर्वरकों के मूल्य बढ़ाए गए हैं। 1971 से 1991 तक, अगर आप इन वर्षों में उर्वरकों के मूल्यों की तुलना करें तो, मूल्य मुख्यत: अन्य कई कारकों जैसे माल भाड़े में या डीजल के मूल्य में वृद्धि आदि की वजह से बढ़े हैं। ये सभी सामूहिक प्रभाव है। उदाहरणार्थ 1972 में, अमोनियम सल्फेट का मूल्य 2.72 रु० प्रति किलो था। 1991 में यह 10.36 रु० प्रति किलो हो गया। लगभग 350 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई। जबकि हमारा खरीद मूल्य कभी भी 150 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा। इस प्रकार के भारी बोझ की क्षतिपूर्ति के लिए, जो वे आज तथाकथित सब्सिडी को हटाने के नाम पर डाल रहे हैं, किसानों को अधिक खरीद मूल्य मिलना चाहिए।

मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि गेहूं का मूल्य 1977-78 में 110 रुपये प्रति क्विंटल था। इस समय यह मूल्य 215 रुपए है।

मैं कहूंगा कि कुछ मित्रों का कृषक समुदाय के बारे में एक अलग दृष्टिकोण है। जब 10 वर्षों की अवधि में खरीद मूल्य में मुश्किल से 100 से 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उर्वरकों का मूल्य इसी अवधि में 300 प्रतिशत से 350 प्रतिशत तक बढ़ गया है। किसानों की यह तकदीर है।

समाज के अन्य वर्गों के प्रति मुझे कोई शिकायत नहीं है। दिल्ली में, उन लोगों को परिवहन की सुविधा देने के लिए, जो एक निश्चित आय वर्ग में, जिनकी बधी हुई आय है, जो वेतनभोगी लोग हैं, उनके लिए दिल्ली परिवहन निगम को हम 150 करोड़ रुपए की राज सहायता देने जा रहे है। उनके पास अपने साधन है और समाज के ऐसे वर्गों के लिए हम राज सहायता देने जा रहे है, मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं इस प्रकार की राज सहायता का विरोध नहीं कर रहा। किन्तु, यह विचारणीय है कि हमारे कुछ मित्रों द्वारा कृषक समुदाय के प्रति बनाई गई धारणा बिल्कुल आधारहीन है। वस्त्र उद्योग पर भी हम 350 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं।

मैं इस सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा "क्या हम विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रु० की बजट सहायता नहीं दे रहे ? तथाकथित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में किसे लाभ मिल रहा है ?" मैं श्रमिक विरोधी नहीं हूं। मैं इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट हूं। सभा के कुछ वर्ग इस आधार पर कि कुछ किसान सम्पन्न है, किसानों को दी जाने वाली 2,000 करोड़ रुपए की राज सहायता का विरोध क्यों कर रहे हैं ?

यह विकास विरोधी बजट है। वर्ष 1991-92 के लिए, हमारे विकास व्यय में करीब 4,916 करोड़ रुपए की प्रस्तावित वृद्धि है, जबकि सिंचाई के लिए, मुश्किल से 81 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

समाज सेवा के लिए, 1337 करोड़ रु० दिए गये हैं।

इसीलिए मैं कहता हूं कि यह विकास विरोधी बजट है।

मैं कई अन्य आंकड़े भी दे सकता हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा रखे गए प्रस्तावों को स्वीकारने की स्थिति में नहीं हूं।

इस समय, मेरे दल के, मेरे नेता सहित, पांच सदस्य हैं। किन्तु आज मैं अकेला सदस्य हूं। मैं बजट के पक्ष में मत दूं या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है।

**श्री मुरली देवरा** (मुम्बई-दक्षिण) : आपको इसके पक्ष में मत देना होगा।

**श्री एच० डी० देवगौड़ा** : मैं मत दूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभा का और सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि कर्नाटक की उपेक्षा हो रही है। मैं इतना संकीर्ण नहीं हूं। मेरी विचारधारा इतनी संकुचित नहीं है। जहां तक विकास का सम्बन्ध है कर्नाटक राज्य की घोर उपेक्षा की गई है। केन्द्रीय संसाधन देने के संबंध में भी कर्नाटक की घोर उपेक्षा की गई है। मैं इस पर अपनी भावनाएं और दुख व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपको एक या दो उदाहरण दूंगा।

2.33 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मैं रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता, वह मैं पहले अवसरों पर कह चुका हूं। समुद्र-कटाव रोधी कार्यक्रम के लिए अनुदान देने के बारे में केरल के कुछ मित्र कह रहे थे कि अनुदान नहीं दिया गया। जहां तक कर्नाटक का संबंध है, एक रुपया भी नहीं दिया गया जबकि केरल को 10 करोड़ रु० दिए गए हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मैं सिंचाई मन्त्री था और मैंने यह विशेष मंत्रालय सम्भाला था। मैं जानता हूं आपके पास कितना पैसा है। दुर्भाग्य से कर्नाटक को कुछ नहीं दिया गया। मैं नहीं जानता यह कैसे हुआ। मेरी बड़ी बहन यहां बैठी हैं। मैं किसी को उत्तेजित नहीं करना चाहता। किन्तु यह कटु सत्य है।

जहां तक विद्युत उत्पादन का संबंध है, कर्नाटक की घोर उपेक्षा की गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक में लगभग 881 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है; उत्तर प्रदेश में 3,403 करोड़ रुपए का, तमिलनाडु में 3,010 करोड़ रुपए; मध्य प्रदेश में 3,660 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 3 053 करोड़ रुपए का जबकि कर्नाटक में सिर्फ 881 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। क्या हम राष्ट्रीय आय में अंशदान नहीं करते। हम कॉफी का 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करते हैं। क्या इससे विदेशी मुद्रा नहीं मिलती? क्या हम 80 प्रतिशत रेशम का उत्पादन नहीं कर रहे? हम सोने का उत्पादन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार कर्नाटक के साथ अनुचित व्यवहार क्यों करती है? मुझे इससे मतलब नहीं है कि चाहे यह सरकार है या किस दल की सरकार है जो राष्ट्रीय स्तर पर है। यहां मेरा चुनकर आना अस्थायी हो सकता है। मैं दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार कर्नाटक की उपेक्षा की गई है और इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, जिसे सौतेला व्यवहार कहा जाता है, इसका हर कीमत पर विरोध करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री एच० डी० देवगौड़ा** : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। महोदय, गाडगिल फार्मूले में संशोधन किया गया है। किन्तु मैं अनावश्यक रूप से सभा का कीमती समय नहीं लेना चाहता। यहाँ तक कि गाडगिल फार्मूले को भी बदल दिया गया। मैं जानता हूं कि जिनके लिए ये फार्मूले बदले जाते हैं और उनमें संशोधन किए जाते हैं। यह दिल्ली में बैठे लोगों के लिए बदले जाते हैं। अगर हमारी राजनीतिक लाबी होती, अगर हमारे पास ऐसी शक्ति होती और राष्ट्रीय स्तर पर लाबी होती, तो हम भी वर्तमान फार्मूले को बदल सकते। यह दर्शाने के लिए कि कर्नाटक किस प्रकार प्रभावित हुआ है, मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। ये आंकड़े आपके अपने ही हैं। ये आंकड़े गरीबी रेखा के नीचे से संबंधित हैं। राष्ट्रीय औसत 26.04 है। कर्नाटक के संबंध में यह औसत 30.201 है। इसका कारण यह है कि हमें विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। कर्नाटक के फार्मूले में यह 30.201 है। जहां तक पंजाब का संबंध है, वहां का आंकड़ा 11.01 है जिसे गरीबी की रेखा से नीचे समझा जाता है। मैं यह दृष्टान्त केवल यह बताने के लिए दे रहा हूं कि किस सीमा तक कर्नाटक आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है।

महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्री गाडगिल के किंचित हेर-फेर वाले सूत्र का जहां तक संबंध है, वह कहां तक कर्नाटक राज्य पर प्रभाव डालेगा। राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में कर्नाटक हमेशा नुकसान में ही रहता है। यह प्रवृत्ति पांचवे वित्त आयोग की सिफारिश के पश्चात् शुरू हुई और तब से वही स्थिति चली आ रही है। कर्नाटक को मिलने वाला हिस्सा अब घटकर 4.82 प्रतिशत रह गया है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिश ने इसे और घटा कर 4.38 प्रतिशत कर दिया। आठवें वित्त आयोग की सिफारिश द्वारा यह और आगे 3.8 प्रतिशत तक कम हो गया। इसके कारण राज्य को केन्द्रीय संसाधनों का 300 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। हमने क्या पाप किया है? कल मैं सदन के बीच में गया और वहां बैठ गया। मुझे परिणाम की कोई चिंता नहीं है। आप मुझे मेरे इस दुर्व्यवहार के लिए सदन से बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं अपने राज्य के लिए लड़ा हूं। मैंने तीस सालों से समुदाय के लिए अर्थात् राज्य के विकास एवं कृषि समुदाय के लिए राजनीतिक संघर्ष किया है। मैंने मन्त्रिमंडल से तीन बार त्याग पत्र दिया था। तीन बार मैंने मन्त्री पद छोड़ा। एक बार मैंने सदन की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। अगर ऐसी कोई परिस्थिति मुझे राज्य के लिए तथा अपने लोगों के लिए लड़ने हेतु उत्साहित करती है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। मुझे अकेले होने या किसी की असहमति होने की चिंता नहीं है। यह कोई मामला नहीं है। वास्तविक मामला कर्नाटक के प्रभावित होने का है।

महोदय, सम्पूर्ण देश के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, जहां तक संसदीय चुनावों का सम्बन्ध है, कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को ही वोट दिया है। कर्नाटक के लोग पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी को अपने भगवान मानते हैं। फिर भी कर्नाटक के लोगों से ऐसा तुच्छ व्यवहार क्यों किया गया है। ऐसा राजनीतिक भेदभाव के कारण किया जा रहा है। यहां हमारी कोई जान पहचान नहीं है। सम्पूर्ण व्यवस्था में कर्नाटक राज्य की पूर्ण उपेक्षा की जा रही है। हम संघ लोक सेवा आयोग में, जो प्रथम श्रेणी की सेवा के अधिकारियों जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का चुनाव करती है, एक भी सदस्य रखवाने में असमर्थ रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में हमारा एक भी सदस्य नहीं है। मैं ऐसे बहुत से क्षेत्र दिखा सकता हूं जहां तथाकथित भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य की उपेक्षा की है। वे दिन अब लद गए

हैं। अब हम इस विषय पर आन्दोलन करेंगे। मैं इस समय आपको एक प्रकार की चेतावनी दे रहा हूं। मैं इस सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यदि वर्ष 1992-93 के बजट तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी पर्याप्त उपबन्धों द्वारा समुचित एवं पर्याप्त उद्योगों की स्थापना नहीं की गई तथा अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम सम्पूर्ण कर्नाटक में एक शांतिपूर्ण आन्दोलन शुरू करेंगे तथा कर्नाटक में कोई मन्त्री इतनी आसानी से प्रवेश नहीं पा सकेगा। अब हम यही करने जा रहे हैं। निःसन्देह अन्य मामले भी विचारणीय हैं। मैं निवेदन करूंगा तथा जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मेरे साथ बहन श्रीमती बसवराजेश्वरी मेरा सहयोग करने के लिए विराजमान हैं। अगर आप इस सरकार को गिरने से बचाना चाहते हैं तो आप उन्हें वोट दे सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राज्य का मामला कोई पार्टी का मामला नहीं है। जहां तक राज्य से सम्बन्धित विषय का प्रश्न है, हमें संगठित रहना चाहिए। बस, मैं अब यही कहना चाहता हूं। अन्य मामले भी हैं। दुर्भाग्यवश, मेरे पास समय नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं, पुन. माननीय अध्यक्ष, महोदय को, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया।

**राव राम सिंह** (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत व्यवहारिक एवं विकासशील बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

**श्री वी० धनंजय कुमार** (मंगलौर) : जब श्रीराम सिंह जैसे एक वरिष्ठ सदस्य महोदय, बोल रहे है तो मन्त्री महोदय यहां नहीं बैठे है।

**सभापति महोदय** : वित्त मन्त्री महोदय यहीं बैठे हैं।

(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : कृपया सभा का समय नष्ट मत कीजिए।

**राव राम सिंह** : हालांकि हम उनके द्वारा सुझाए गए सभी प्रस्तावों से सहमत नहीं हैं तथापि मेरा विचार है कि उन्होंने जिस साहस और विश्वास के साथ एक कठिन कार्य शुरू किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। नि सन्देह अपनी योग्यता, अनुभव एव कुशलता के लिए तो वित्त मन्त्री मशहूर हैं ही परन्तु उन्होंने जिस साहस तथा मजाकिया स्वभाव का प्रदर्शन किया, वह हमारे लिए एक सुखद आश्चर्य है। किसी को संदेह भी नहीं हो सकता कि वह स्वयं में ऐसे गुण समेटे हुए हैं। प्रस्तावों में प्रदर्शित साहसिकता के साथ-साथ राष्ट्र के प्रति उनके आदर एवं सम्पूर्ण समर्पण का पारदर्शी व्यवहार सचमुच प्रशंसनीय है। तथा उन्होंने एक अन्यथा शुष्क विषय को जो मजाकिया स्पर्श प्रदान किया, वह राष्ट्र-कल्याण का पूर्वाभास कराता है। अगर हम एक राष्ट्र के रूप में, विशेष तौर पर स्वयं अपने ऊपर थोड़ा-सा हसना सीख लें तो फिर अगली पीढ़ी के हमारे बच्चों का भविष्य इतना अंधकारमय नहीं रहेगा।

इसमें शक नहीं है कि रुपए का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के रूप में अतिरिक्त उगाही तथा आबकारी शुल्क निर्धन वर्ग पर तीखी मार करता है। परन्तु इसके स्थान पर कोई अन्य लचीले विकल्प भी नहीं हैं। यह स्थिति तो कभी न कभी आनी ही थी।

एक साधारण मनुष्य होने के नाते मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं वित्तीय व्यवस्था की जटिलताओं को समझने में असफल रहा हू परन्तु मैं अनुभव कर रहा हूं कि वित्त मन्त्री महोदय ने

[राव राम सिंह]

सरकार की खर्चीली प्रवृत्ति और लाल फीताशाही को आड़े हाथों लिया है। अगर अधिक नहीं तो कम से कम बीस प्रतिशत तक सरकारी कारों एवं जीपों के बेड़े, आशुलिपिकों की सेना, लिपिकों, चपरासियों तथा चतुर्थ श्रेणी के नोकरों जी संख्या को अवश्य ही कम किया जा सकता है ऐसा अनुमान लगाया गया है, मेरा विश्वास है कि पांच प्रतिशत की बचत वार्षिक रूप से पांच करोड़ रुपये की बचत का रूप ले लेगी। मैं इन आंकड़ों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हां, अगर ऐसी स्थिति है तो मेरा विचार है कि केवल इसी कटौती से आधी समस्या का हल हो जायेगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह जैसा कि आजकल चर्चित है परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण हेतु अनुदान संबंधी प्रश्न है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण सेवाओं शिक्षा, रोजगार तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में प्राप्त सभी विकास उपलब्धियां समाप्त हो जाती हैं। मेरे विचार में हमारे सभी दुःखों का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या मोर्चे पर हमारी असफलता रहा है। अगर हम तीन बच्चे के मानदंड को ही लागू कर दें तो हमारे अधिकांश समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। यह आश्चर्यजनक बात है कि संजय गांधी से पूर्व एक भी राजनैतिक नेता ने इस समस्या पर गंभीर रूप से ध्यान नहीं दिया। निःसन्देह नेतागण आजादी के बाद भारत के सम्मुख आई असंख्य समस्याओं का समाधान करने में व्यस्त थे। लेकिन हमारे सम्मुख आ रहे इस संकट की ओर विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने कोई गंभीर चिन्ता नहीं दर्शाई। हाल में हुई जनगणना में कुल 850 मिलियन की गणना की गई है यह अपेक्षा है कि हम अगली शताब्दी के प्रारम्भ में चीन से आगे निकल जाएगे। हमारी जनसंख्या अमेरिका से चार गुनी है जबकि हमारा राष्ट्रीय उत्पादन यूरोप में एक छोटे से देश के बराबर है। मेरे विचार से इसका समाधान केवल विधान है। हम इतना साहस करें कि विधान बनाएं जो प्रारम्भ में अधिक कठोर न हो तो मेरे विचार से हम इस देश के प्रति एक सांकेतिक सेवा तो कर पाएंगे।

मेरा अगला मुद्दा सैन्य बलों से सम्बन्धित है। हमारी सेना विश्व की श्रेष्ठ सेनाओं में से है। और मुझे यह पता है क्योंकि मैंने इसी थल सेना में 25 वर्षों तक सेवा की है। दो अन्य अंगों-वायुसेना तथा नौ सेना की भी यही स्थिति है।

मैंने अनेक यूनिटों के दौरे के दौरान यह विचार प्रकट किए गए कि सशस्त्र सेनाओं का मनोबल जितना ऊंचा होना चाहिए उतना नहीं है। असंतोष के दो या तीन कारण हैं।

पहला कारण तो उनके वेतन और उसे असैनिक कर्मचारियों की अपेक्षा कम है विशेषकर पैदल सेना, सशस्त्र कोर तथा तोपखाने में।

दूसरा कारण बहुत ही कम आवास सुविधाएं हैं। एक सैनिक को अपने सर्वश्रेष्ठ वर्षों के दौरान अपने परिवार के लिए आवास आवंटित नहीं होता। सैनिकों ने अपनी जिन्दगी का श्रेष्ठतम भाग रक्षा सेवाओं में व्यतीत किया। वे 18 वर्ष की आयु में भर्ती होते हैं और 35-36 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत हो जाते हैं। एक सैनिक अपने जीवन का श्रेष्ठ भाग देश की सुरक्षा में लगाता है और उसे इस समय को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ व्यतीत करने का कोई अवसर नहीं मिलता। निःसन्देह परिवार नियोजन सुनिश्चित करने का एक तरीका यह भी है।

तीसरा कारण यह भी है कि व्यवहारिक रूप से पुनः रोजगार की सम्भावनाओं के बगैर ही रक्षा सेवा कर्मी बहुत कम आयु में सेवा निवृत्त हो जाते हैं।

सशस्त्र सेनाओं में मुख्य असंतोष के ये कारण हैं और मेरे विचार से अफसरशाही की उदासीनता न हो तो इन समस्याओं को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विगत में उच्च अधिकार प्राप्त समितियां गठित की गई हैं, बड़ी-बड़ी रिपोर्ट तैयार की गई हैं और फिर ये रिपोर्ट भी अफसरों की अलमारियों में बेकार पड़ी रहती हैं।

मुझे कोई सन्देह नहीं है कि सशस्त्र सेनाओं के प्रति हमारे राजनैतिक नेताओं के मन में सहानुभूति और सद्‌भावना है लेकिन लालफीताशाही व्यवस्था में सब कुछ बेकार हो जाता है।

अब हमारे रक्षा मन्त्री तथा वित्त मन्त्री बड़े ही प्रतिभाशाली हैं तो यह आशा है कि सशस्त्र सेनाओं को उच्च प्राथमिकता मिलेगी और अन्ततः उनकी समस्याओं पर तेजी से कार्यवाही की जाएगी।

हम सशस्त्र सेनाओं को उनके अनुशासन के कारण गंभीरता से नहीं लेते। अपनी शिकायतें बताने या निर्णय लेने वालों पर दबाव डालने के लिए उनके पास ट्रेड यूनियन या संघ जैसा कुछ नहीं है। इसलिए यह और भी आवश्यक है कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकका के आधार पर हल किया जाए।

मैं यह सुझाव भी देता हूं कि अग्रिम क्षेत्रों में जवानों के पास संसदीय शिष्ट मंडलों के दौरे और अधिक हों। मैं बर्फ से ढके क्षेत्रों तथा ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों का विशेष रुप से उल्लेख कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जवान ऐसे दौरे की प्रतीक्षा करते हैं। मैं जब गुलमर्ग स्थित हाई आल्टीच्यूड वारफेयर स्कूल को कमांड कर रहा था तब सर्दियों के मध्य में चारों ओर लगभग 25 फुट तक हिमपात हुआ और मुझे सूचना दी गई कि एक संसदीय शिष्ट मंडल हमें मिलने आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि मेरे सभी आदमी सभी अफसर यह जानकर अत्यन्त प्रसन्न थे कि हमारे सांसद या शासक हैं जबकि वहां 25 फुट हिमपात हुआ था। हमारे पास गुलमर्ग में आने का कष्ट उठा रहे हैं। जब वे आए तब हिमपात हो रहा था और एक सज्जन वास्तव में कांप रहे थे उन्हें अत्यधिक ठंड लग रही थी। मैंने उन्हें एक कप चाय दी। मैंने उन सज्जन को कहा कि अगर उन्हें एतराज न हो तो मैं इसमें कुछ दवा डाल दूं और तब मैंने कप अन्दर ले जाकर ब्रान्डी की एक बूंद उसमें डालकर उन्हें दे दिया। वह ठीक हो गए और कहा कि कर्नल दवा की तीव्रता ने असर किया है। मेरे विचार से इसीलिए ब्रान्डी पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है।

मैं रक्षा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि संसदीय शिष्ट मंडल के दौरों के अलावा जवानों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक दलों और फिल्मी कलाकारों के दौरे भी आयोजित किए जाएं। मेरे विचार से हम इस विषय की पूर्णतया उपेक्षा कर देते हैं। ये बेचारे जवान पहाड़ियों की चोटियों पर 18000 या 20000 फुट की ऊंचाई पर हैं और वहां पर उनका जीवन बहुत ही अभाव है। मेरे विचार से उनके प्रति हमारा इतना कर्तव्य तो है कि हम उनके मनोरंजन के लिए कलाकारों के और अधिक दौरे आयोजित किए जाए।

मैंने अंग्रेजों के समय में सेना में सेवा की है। बर्मा के जंगलों में इंगलैंड और अमेरिका से मनोरंजन करने वाले दल आते थे और वहां पर जवानों का मनोरंजन करते उनके साथ रहते और उनकी कठिनाईयां देखते और उनका अध्ययन करते थे। ऐसे कार्य इन जवानों का मनोबल ऊंचा रखते है। मैं पुनः कहता हूं कि हमें सशस्त्र सेनाओं के प्रति उदासीनता नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि गड़बड़ होने में अधिक समय नहीं लगता।

[राव राम सिंह]

मुझे याद है कि हमारे एक माननीय सदस्य तथा उनकी पत्नी श्रीमती नरगिस दत्त ऐसे दौरे आयोजित किया करते थे। मैं यह वर्णन करने में असमर्थ हूं कि अग्रिम क्षेत्रों में जवान इन दौरों की कितनी प्रशंसा करते थे।

मैं सशस्त्र सेनाओं के संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे विचार से इस मामले में समाचार पत्र काफी मदद कर सकते है।

सेना पर स्थानीय जनता को आतंकित करने व बलात्कार तथा अन्य अत्याचारों में लिप्त होने के झूठे आरोप लगाने की आम आदत है। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हमारी सेना विश्व में सबसे अनुशासित सेना है और यह तो सोचा ही नहीं जा सकता कि भारतीय सेना का सैनिक या अफसर ऐसे घृणित कार्यों में लिप्त हो सकता है। इसलिए मैं समाचार पत्रों से अनुरोध करता हू कि हमारी सेना का मनोबल गिराने वाली तथा उन पर झूठे आरोप लगाने वाली ऐसी कहानियों को तत्काल प्रकाशित करने से पहले रिपोर्टर वहां जाए और स्वयं उसकी जांच करें।

हाल ही में कश्मीर के बारे में जवानों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। मैं आपको कह सकता हूं कि यह पूर्ण रूप से झूठी थी। हमारे जवान ऐसे कार्य करने का साहस कभी भी नहीं कर सकते। यह सनसनी उत्पन्न करने का मामला है। मेरे विचार से इस सनसनी के कारण ही समाचार पत्र वहां जाकर जांच, पुनः जांच और आपस में जांच पड़ताल करने की बजाय ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। निःसन्देह अगर ऐसे मामले में कोई सच्चाई है तो मुझे विश्वास है कि सेना ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी।

मेरा अन्य मुद्दा भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है यह 'एक रैंक एक पेंशन' का मुद्दा है जिस के बारे में हमारे लाखों भूतपूर्व सैनिक चिन्तित हैं। पिछले चुनाव से पूर्व 1989 में श्री वी० पी० सिंह ने यह वचन दिया था, यह वायदा किया था कि वह 'एक रैंक एक पेंशन' देंगे।

मुझे इस चुनाव में यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सभी भूतपूर्व सैनिकों ने मुझे मत नहीं दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा,

[हिन्दी]

"वी० पी० सिंह वन रैंक वन पैंशन देंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे"

[अनुवाद]

इसके बाद कुछ नहीं किया गया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि 'वन रैंक वन पैंशन' की समस्या का एक अनूठा समाधान निकाला जाएगा। मेरे विचार से इसमें कोई नई बात नहीं हो सकती। इन लोगों ने देश की सेवा की है और अगर एक सेवा निवृत सूबेदार 200/-रुपये पैंशन लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति भी सूबेदार के रूप में सेवा निवृत होने पर 1000/-रुपये लेता है तो यह कैसी स्थिति है? क्या ऐसे अन्याय का कोई औचित्य है? इस लिए मैं वित्तमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या पर विचार करें। मैं जानता हूं कि वित्तीय स्थिति कैसी है, लेकिन यह समस्या तो कम होने वाली है क्योंकि दस वर्ष की अवधि में इन भूतपूर्व सैनिकों का निधन हो जाएगा। यह समस्या तो कम होती जाएगी। मैं जानता हूं कि श्री राजीव गांधी और उनसे पूर्व श्रीमती इन्दिरा गांधी इसे देने को तैयार थे। लेकिन वित्त मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के अफसर

राजनीतिज्ञों को निर्णय नहीं लेने देंगे। मेरे विचार से यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में बड़े-बड़े निर्णय राजनीतिक प्रमुखों द्वारा नहीं बल्कि अफसरों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रश्न पर गौर करें।

मैं केवल कुछ मिनट और लूंगा। महोदय, आपने विपक्ष को एक घंटा और बीस मिनट तक बोलने की अनुमति दी जबकि मुझे आप हर पांच मिनट बाद रोक रहे हैं।

**सभापति महोदय :** कांग्रेस पार्टी के 52 सदस्यों को बोलना है।

**राव राम सिंह :** उर्वरक पर राज सहायता वापस लेने पर मैं अधिक जोर नहीं दूंगा। इस मामले पर मैं वित्त मन्त्री से सविनय अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गौर करें। यद्यपि मुझे विश्वास है कि उन्होंने इस मसले के हर पहलू पर गौर किया होगा, कम से कम मैं तो तब तक अपने मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए भी अपने गांवों में नहीं घुस सकता। जब तक इस राज-सहायता के बारे मे कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।

मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर भी बोलना चाहता हूं हालांकि मैं इस मामले का विशेषज्ञ नहीं हूं। विपक्ष से कुछ मित्रों ने कहा कि अगर कुछ शेयर निजी क्षेत्र को बेच दिए गए तो इस लोकसभा में अनर्थ हो जाएगा व आसमान गिर जाएगा। मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र के उद्यम तो सफेद हाथी हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का यही कार्य है। जब किसी ऐसी उच्च प्रौद्योगिकी का विकास किया जाता है जिसका गैर-सरकारी क्षेत्र में विकास नहीं किया जा सकता है तब सरकार को आगे आना चाहिए और उस प्रौद्योगिकी के प्रचालन के लिए एक सरकारी क्षेत्र का निगम स्थापित करके यह कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही एक बाजार बन जाता है और विनिर्माता के लिए पर्याप्त तकनीक विकसित हो जाती है तब सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को पीछे हो जाना चाहिए और इसे गैर-सरकारी क्षेत्र पर छोड़ देना चाहिए ताकि कुछ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। लेकिन इस समय हम क्या देख रहे है ? सरकारी माचिस फैक्ट्री, सरकारी क्षेत्र में माचिसें बनाई जा रही हैं, सरकारी डबलरोटी फैक्ट्री और सरकारी चमड़ा फैक्ट्री आदि हैं। यदि भारतीय इस देश में डबलरोटी नहीं बना सकते हैं और यदि सरकार को डबलरोटी बनानी पड़े तब यह एक बहुत ही दुखदायी स्थिति है। इस मामले में हमें कुछ करना है। वहां क्या हुआ ? जब अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तब उन्हें वेतन और भत्ते के साथ-साथ दो आशुलिपिक, तीन निजी सहायक, चार श्रेणी चार के नौकर, चपरासी आदि भी दिए जाते हैं जो उनके घर में काम करते हैं। वहां टेलीफोन, दो कारें आदि भी रहती हैं। जब उसके लिए दिया गया आधा बजट समाप्त हो जाता है तब वह डबलरोटी बनाने की फैक्ट्री लगाने की सोचेगा। अतः जितनी जल्दी हम इन सफेद हाथियों से छुटकारा पा लें उतना ही हम देश के लिए अच्छा है।

3.00 म० प०

मेरे विचार में सोवियत संघ ऐसा ही करता है। मुझे हैरानी है कि मेरे वामपन्थी मित्र इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे क्योंकि पूर्वी योरोप में सब कुछ समाप्त हो रहा है। मेरे विचार से हम सबसे अधिक मार्क्सवादी हैं और राजा से भी अधिक वफादार है।

मेरे विचार से मैंने निर्धारित समय के भीतर ही बोला है। इस विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिए जाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

**श्री मुरली देवरा (मुम्बई-दक्षिण) :** महोदय, मैं डा० मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं। भारत सरकार द्वारा आर्थिक संकट को हमारी जनता की बेहतरी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर में बदलने का पहली बार गम्भीर प्रयास किया गया है। डा० मनमोहन सिंह के बजट पर चर्चा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस माननीय सभा के प्रत्येक सदस्य ने न केवल बजट और अभिभाषण के बारे में बोला बल्कि हमारे देश पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के होने वाले प्रभाव पर भी बोला है। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं कि मेरे वामपंथी मित्रों और कभी-कभी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों में यह हीन भावना क्यों आ जाती है कि विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण हमारे देश को पूर्णतया अस्थिर कर देंगे। कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि यह ऋण हमारी आर्थिक संप्रभुता और राजनीतिक स्वतन्त्रता को खतरे में डाल देंगे। परसों मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बंगलोर से आए प्रोफेसर—श्री जसवन्त सिंह नहीं—मुझे उनका नाम याद नहीं है—ने कहा कि सरकार ने हमारी संप्रभुता और यहां तक कि हमारी आत्मा भी विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बेच दी है। मैं इस भ्रम को मिटाना चाहता हूं। इस समय हमारे पास 72 अरब डालर का विदेशी ऋण है जिसमें से लगभग 42 अरब डालर हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से लिए हैं। पिछले 40 वर्षों से विश्व बैंक से ऋण लेने वालों में हम सबसे आगे रहे केवल एक वर्ष को छोड़कर जब चीन ने हमसे ज्यादा ऋण लिया जब वह विश्व बैंक का सदस्य बना ही था। तिनामेन चौक पर गोलाबारी होने से उसका हिस्सा घटा दिया गया। अतः पिछले 40 सालों से भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से आसान और कड़ी शर्तों पर सबसे अधिक ऋण लिया है। उन्होंने हमें अस्थिर कैसे किया? उन्होंने हमारे लिए कौन सी समस्याएं पैदा कीं? एक दिन श्री इन्द्रजीत गुप्त वित्त मन्त्री सोवियत संघ का उदाहरण देने के बारे में कह रहे थे कि हमें सोवियत संघ का उदाहरण देते रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं राष्ट्रपति गोर्वाचेव द्वारा कही गई बात को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं।

**श्री निर्मल कांति चटर्जी (डमडम) :** आप उसी समस्या के बारे में बोले जो आज हमारे सामने है।

**श्री श्रीकांत जेना (कटक) :** हम पिछले 40 सालों का ब्योरा चाहते हैं।...(व्यवधान)

**श्री मुरली देवरा :** इनके उदाहरण मानने चाहिए? उन्होंने यह भी कहा कि हम दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और हांगकांग के उदाहरण नहीं मानना चाहते। यदि ऐसा है तब क्या हम क्यूबा का उदाहरण मानें? हम किसका अनुसरण करें? हमें अन्य राष्ट्रों की गलतियों से सीखना चाहिए। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी मैं आपको बता रहा हूं और वित्त मन्त्री भी इस बात को जानते होंगे कि यदि आप फ्लाइंग क्लब जाएं तब आप देखेंगे कि आप दूसरों की गलतियों से सीखते है ताकि आप उन्हें न दोहराएं। यदि कोई गलती करता है तब उसकी दुर्घटना हो जाती है। हमारे वामपंथी मित्र दूसरों की गलतियों से सीखना नहीं चाहते हैं। वे वही गलतियां बार-बार करना चाहते है। मैं श्रीमती मुखर्जी को जानता हू। अब विश्व में साम्यवाद नहीं रह गया है। रूसियों और चीनियों ने उसे छोड़ दिया है लेकिन हमारे वामपन्थी मित्र अभी भी इसे भारत में चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में इसे पूर्णतया छोड़ दिया है। मैं आपको बताता हूं कि बम्बई के बड़े उद्योगपति और बहुराष्ट्रीय ग्रुप कलकत्ता में श्री ज्योति बसु से मिलकर तसल्ली महसूस करते है। मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में आर्थिक नीतियों को पूर्णतः

उधार कर दिया गया है। लेकिन इसमें क्या गलत बात है यदि ऐसा पूरे भारत में हो? आप उन नीतियों को केवल पश्चिम बंगाल में ही क्यों लागू करना चाहते है? आप नहीं समझते हैं कि भारत आपका देश है? आप इन स्वतन्त्रताओं को केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित क्यों करना चाहते हैं?

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : आप इसे बम्बई तक सीमित करना चाहते हैं?

**श्री मुरली देवरा** : अगले सप्ताह आपको बम्बई आना है। कृपया सावधान रहिए।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : मैं इस देश का स्वतन्त्र नागरिक हूं।

**श्री मुरली देवरा** : अनेक बातें कही गई है यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण लेना अपने आपको बेचना है। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का भाषण सुन रहा था। मैं डा० मनमोहन सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को पीछे छोड़ दिया हैं। इकोनोमिक सर्वे में यह कहा गया है कि 1990 और 1991 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से दो ऋण लिए गए। श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने सितम्बर, 1990 में 1173 करोड़ रुपए का ऋण लिया। जनवरी, 1991 में श्री चन्द्रशेखर सरकार ने 3334 करोड़ रुपए का दूसरा ऋण लिया। हमारे वामपन्थी मित्र राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का समर्थन कर रहे थे। यह बहुत गलत बात है कि जब भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेखर राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोल रहे थे···

**एक माननीय सदस्य** : लेकिन आपने उनका समर्थन किया।

**श्री मुरली देवरा** : हमने उनका समर्थन किया और यह एक गलती थी। हमें इस पर पछतावा है और कृपया हमें बार-बार उस गलती का स्मरण नहीं कराइए।

राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में बोलते हुए श्री चन्द्रशेखर के हाथ में एक कागज था और वह विश्व बैंक की शर्तों के बारे में बोल रहे थे। मैं माननीय वित्त मन्त्री से एक अनुरोध करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो भी शर्तें हो उन्हें सार्वजनिक तौर पर बताने में कोई गलत बात नहीं है। हमें उन्हें सभा के समक्ष रखने देना चाहिए। यदि मेरे वामपन्थी मित्रों अथवा अन्य किसी सदस्य को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के बारे में कुछ शंकाएं हैं तब उनके और विश्व बैंक के दल जो अगले सप्ताह भारत आने वाला है, एक बैठक आयोजित की जा सकती है। वित्त मन्त्री को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दल और वामपन्थी दलों के नेताओं के बीच बैठक आयोजित करनी चाहिए।

महोदय, मैं ग्रुप-7 की बैठक में जो कुछ हुआ उसको दोहराना नहीं चाहता। जब श्री गोर्वाचेव ग्रुप-7 की बैठक में शामिल हुए थे, ऋण लेने के बारे में भूल जाइए, उन्होंने कुछ उपायों का परामर्श दिया था। यादव जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि उन उपायों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से अभूतपूर्व विशेष सहायता भी शामिल हैं जो सोवियत संघ को विशेषज्ञ परामर्श भी देगा! वह उनका परामर्श और मार्गदर्शन ले रहा है। आप शर्तों की बात करते हैं। वे न केवल ऋण बल्कि परिवर्तनीय मुद्रा और बाजारोन्मुखी अर्थ-व्यवस्था बनाने के लिए परामर्श और मार्गनिर्देश भी ले रहे है। सोवियत संघ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से यह सहायता ले रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम केवल बार-बार उसे हौवा बना रहे है? हम कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हम पर हावी हो जाएगा। पिछले बीस सालों में हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो ऋण लिया है वह सबसे अधिक है।

**श्री श्रीकांत जेना** : श्री राजीव गांधी के समय में भी?

**श्री मुरली देवरा** : दुर्भाग्यवश श्री राजीव गांधी 20 वर्ष से प्रधानमन्त्री नहीं थे। श्री चन्द्र शेखर ने कहा है कि विश्व बैंक केवल अमरीकियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में रुचि लेता है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहां हैं ? श्री यादव भारत सरकार में इस्पात मन्त्री थे, हमने अमरीकी सुझाव का अनुसरण कहां किया था ? बल्कि, हमने कई बार उनसे विरोध किया था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण लेने में वे कब और कहां हमारे रास्ते में आये थे ? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि विश्व बैंक के पक्ष में बोलने का समय आ गया है। यदि उन्होंने हमारी सहायता की; तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि उनके द्वारा सुझाए गये उपायों से भी कुछ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है तो हम अवश्य उन्हें स्वीकार करें। यदि वे हमारे लिए ठीक नहीं हैं तो हम उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं।

**श्री श्रीकांत जेना** : किन्तु शर्तें क्या हैं ? वित्त मन्त्री जी ने उनके बारे में नहीं बताया है। आप हमें बताते क्यों नहीं ?

**सभापति महोदय** : आप हर वक्ता के भाषण में हस्तक्षेप करते हैं। कृपया उन्हें बोलने दें।

**श्री मुरली देवरा** : मैं आपको बताता हूं। विश्व बैंक सदा निगमित कर को कम करने का सुझाव देता है। दूसरी ओर, वित्त मन्त्री महोदय ने निगमित कर बढ़ा दिया है। क्या इस प्रकार हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सुझाव का अनुसरण कर रहे है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदा खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली राज्य सहायता को कम करना चाहती है। वित्त मन्त्री जी ने खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली राज्य सहायता को बढ़ा दिया है। ऐसा कहा गया है कि भारत सरकार के गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को कम कर दिया जाना चाहिए।

**एक माननीय सदस्य** : उर्वरकों पर दी जाने वाली राज्य सहायता से कमी किए जाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं।

**श्री मुरली देवरा** : मैं इस विषय पर बात करने वाला हूं। यह 400 करोड़ रुपए है नाकि 40 प्रतिशत।

मैं कहना चाहता हूं कि विश्व बैंक ने कई उपायों का सुझाव दिया है। वित्त मन्त्री ने उन सुझावों को कार्यान्वित किया है जो हमारे लिए ठीक है और जो ठीक नहीं है। वे उन्होंने लागू नहीं किये है। जो उपाय ठीक नहीं थे उन्हें वित्त मन्त्री ने लागू नहीं किया है। जिन उपायों को लागू किया गया है, यदि मन्त्री महोदय महसूस करें कि वे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे किसानों के लिए ठीक नही हैं तो उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। हमें विश्व बैंक से ऋण की आवश्यकता नहीं है।

मैं अखबारों में छपे लेखों का उद्धरण नहीं देना चाहता हूं। एक अर्थशास्त्री, श्री स्वामीनाथन अय्यर ने द टाइम्स आफ इण्डिया के सम्पादकीय में लिखा है कि "वित्त मन्त्री जी ने स्वयं कुछ सीखने के बजाए विश्व बैंक को सबक सिखाया है"। हर देश की अपनी समस्याएं हैं और हर देश के अपने समाधान है। भारत की एक विशेष समस्या है और मुझे खुशी है कि वित्त मन्त्री ने केवल उसी सुझाव को अपनाया है जो देश के हित में है और उस सुझाव को नहीं अपनाया जो देश के लिए अहितकर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने भाषण में कहा है, मैं वित्त मन्त्री के लिए इसे पढ़कर सुना रहा

हूं क्योंकि वे उस समय पर वहां उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा था कि विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण में से 12.5 बिलियन अमरीकी डालर का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम अभी भी विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं को 30 मिलियन डालर अनुबन्ध प्रभार के रूप में चुका रहे हैं। मैं नहीं जानता इस देरी का कारण क्या है।

मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब मैं बम्बई का मेयर था तो हमें विश्व बैंक से बम्बई जल आपूर्ति परियोजना के लिए ऋण मिल रहा था। उस समय बम्बई नगर पालिका निगम के हमारे मार्क्सवादी मित्र कहा करते थे कि यदि हम विश्व बैंक से ऋण लेंगे तो वे बम्बई शहर को ही ले लेंगे। इसे अब 14 वर्ष हो गए हैं। उस समय भी श्री इन्द्रजीत यादव इस्पात मन्त्री थे, और वे इस परियोजना के सिलसिले में बम्बई आए थे। यह परियोजना पूर्ण हो गई थी। यदि हमने ऋण न लिया होता…"।

**वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह)** : उन्होंने कलकत्ता के लिए भी ऋण लिया था।

**श्री मुरली देवरा** : हां, कलकत्ता मेट्रो का क्या हुआ ? **(व्यवधान)** आप कलकत्ता के लिए ऋण लेने के लिए तैयार है किन्तु आप पूरे भारत के लिए नहीं लेना चाहते। **(व्यवधान)** मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे ऋण के वितरण में देरी न करें। धन के वास्तविक वितरण में लगभग 5 से 6 वर्ष लग जाते है, पहले आपको परियोजना तैयार करनी है, इसे स्वीकृत कराना है और तब सर्वेक्षण कराए जाते है। इसलिए इन साढ़े बारह बिलियन डालरों का अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है।

वामपन्थी और अन्य मित्रों ने हाल ही में प्रस्तुत हमारे देश की औद्योगिक नीति के बारे में काफी कुछ कहा है। मैं श्री जे०आर०डी० टाटा का उद्धरण नहीं देना चाहता क्योंकि आज ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

मुझे याद है कि 10 वर्ष पहले, 1980 में सीमेंट बाजार में था और सीमेंट का बाजार मूल्य 60-62 रुपए प्रति बोरी था। सीमेंट का सरकारी मूल्य 16 रुपए था। उस समय श्री यादव बम्बई आया करते थे और वे जानते है कि बम्बई में सीमेंट की क्या स्थिति हो रही थी। सीमेंट का कुल उत्पादन 21 मिलियन टन था। किसी को भी सीमेंट का उत्पादन करने की अनुमति नहीं थी। एक मिलियन टन सीमेंट के उत्पादन पर 130 करोड़ का खर्च हो रहा था। श्रीमती गांधी ने सीमेंट के उत्पादन को लाइसेंस से विमुक्त कर दिया और सभी बड़े उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं को अनुमति दे दी कि…"

**श्री निर्मल कांति चटर्जी** : उन्हें सौंप दिया गया।

**श्री मुरली देवरा** : जी हां, उन्हें सौंप दिया गया। आप जो कहना चाहते है कह सकते है। उन्हें सीमेंट का उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई थी। आज, क्या हो रहा है ? वर्षों में हमने 47 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया है। आज, जो भी बाजार मूल्य है वही सरकारी मूल्य है और वास्तविक मूल्य कम्पनी के पास जाता है।

**श्री श्रीकांत जेना** : सरकारी मूल्य इतने अधिक क्यों है। **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री मुरली देवरा** : मैं जवाब दे रहा हूं आप सुन तो लें। पहले भी आफिशियल प्राइज ज्यादा

[श्री मुरली देवरा]

थी, कन्ट्रोल प्राइस कम थी, तो जो लोग सीमेंट बेचते थे वे किताब में 16 रुपए दिखाते थे और मार्केट में 60 रुपए में बेचते थे। अब बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट्स की कौन मदद कर रहा है, यह बात मुझे मालूम नहीं है। यह बात मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

बड़े उद्योगपति इसके अधिक उत्पादन से नहीं अपितु इसकी कमी से अधिक धन कमा रहे हैं मैं इफ्को और टाटा के बारे में बताऊंगा और यह सिद्ध करूंगा।

नौ वर्षों में सरकार ने सीमेंट बनाना आसान कर दिया, इसे लाइसेंस से विमुक्त कर दिया और इस पर मूल्य नियन्त्रण को समाप्त कर दिया। आज हम अपने देश में उससे दोगुनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे पास दो-तीन मिलियन टन सीमेंट फालतू पड़ा है। हम इसका निर्यात कर रहे हैं। यदि आज इसकी मात्रा 47 मिलियन टन न होती तो इसका मूल्य 300 रुपए प्रति बोरी होता। कृपया मुझ पर विश्वास करें।

हमें संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मन्त्री जी हमें उत्पाद शुल्क के रूप में 169 करोड़ रुपए मिलते थे, आज सरकार को 1085 करोड़ रुपए मिलते हैं जोकि राजस्व से 6 गुना है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने और इसे लाइसेंस विमुक्त करने के कारण ऐसा हुआ है। नौ वर्षों में आप सीमेंट का उत्पादन दोगुनी मात्रा में कर रहे है, छह गुनी अधिक राजस्व प्राप्त कर रहे हैं और कोई कमी नहीं है। इस्पात तथा अन्य कई उत्पादों की यही स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप नई औद्योगिक नीति और लागू किए गए सुझावों को ध्यान से समझे। यदि मैं आप से सच कहूं तो ऐसे कुछ उपाय हैं जिन पर अमल किया गया है मैं उनसे सन्तुष्ट नहीं हूं, कई उपाय है जिन्हें अभी अमल में लाया जाना है।

नई औद्योगिक नीति के पांच मुख्य प्वाईंट्स हैं : (1) औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त किया जाए। हम यहां पर लोगों को सीमेंट का उत्पादन करने की अनुमति क्यों नहीं देते? भारतीय उद्यमियों और उद्योगपतियों का समय अपनी फैक्टरियों और कार्यालयों में बीतने के स्थान पर दिल्ली में राजनीतिज्ञों और नौकरशाही अफसरों को मिलने में बीत रहा है। इससे नियन्त्रण और नियमों की वह सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी जिसका अनुसरण हमारा देश 34 वर्षों से कर रहा है।

वित्त मन्त्री ने अनुसूचित सूची में भेषजों और औषधों के बारे में क्यों लिखा है? मुझे इसमें कोई कारण दिखाई नहीं देता। आज आई० डी० पी० एल० सम्बन्धी एक प्रश्न संसद में था। इस बात का उल्लेख किया गया था कि यह लम्बे समय से बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में से एक है। मैं नहीं जानता कि वित्त मन्त्री ने इसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पूर्ण रूप से आरक्षित सूची में शामिल क्यों किया? यह इसमें नहीं होना चाहिए। इसका कोई कारण नहीं है। इसे हटा देना चाहिए। यह मेरा अभिप्राय है।

(2) जैसाकि मैंने पहले कहा, हमारे देश का कुल विदेशी ऋण लगभग 72 बिलियन डालर है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुल कितना निवेश होता है? यह 1.7 बिलियन डालर से कम है। क्योंकि निवेश 145 मिलियन डालर है। मैं इक्विटी निवेश की बात कर रहा हूं। यही वास्तविक निवेश है। यह सबसे कम है। थाईलैंड, इन्डोनेशिया, बैंकाक और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की वार्षिक निवेश हमारे बीस वर्षों की कुल निवेश से अधिक है। दुनिया के सभी देश अधिक से

अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि हमने इसे बन्द कर दिया है। इसे 40 से 51 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए मैं विदेश मन्त्री को बधाई देता हूं। मेरे विचार से यह 51 प्रतिशत से भी अधिक होना चाहिए। वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं? आपने कोई ऐसी कम्पनी देखी है जिसकी 90 प्रतिशत अंशधारिता है? मैं सीमेंस और कालगेट कम्पनी को जानता हूं। मुम्बई में कई उद्योग हैं। उन्होंने 95 से 100 प्रतिशत अंशधारिता दी है। उन्होंने हमारे लिए क्या किया है?

हमारे ऊपर सरकार के कई अन्य तरह के नियन्त्रण है जो राज्य तथा केन्द्र दोनों में लागू हैं। वे हमारे देश में अस्थिरता पैदा नहीं कर सकते, वे कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को अधिक विदेशी निवेश की अनुमति देनी चाहिए। केवल 51 प्रतिशत ही नहीं बल्कि 51 प्रतिशत से अधिक। नई औद्योगिक नीति की घोषणा से पूर्व ही देश में कई ऐसी कम्पनियां हैं जिसमें पहले से ही 51% से अधिक की अंशधारिता है। उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं? यदि आज वे दस प्रतिशत और पूंजी निवेश कर दें तो आपको और अधिक आय होगी।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : नियन्त्रण के कारण वे कुछ भी नहीं कर पाए अन्यथा, वे कुछ कर सकते थे।

**श्री मुरली देवरा** : वे अधिक उत्पादन करेंगे। जब किसी कम्पनी में समान विदेशी निवेश हो तो वे कम्पनी के ठीक तरह से कार्य करने पर ध्यान देते हैं। विदेशी बाजार खुल जाएंगे। नए तकनीक का आगमन होगा। यदि धन ऋण के तौर पर दिया जाता है तो उसमें उनकी रुचि नहीं। वे इसे ब्याज समेत वापस ले लेंगे।

नयी उद्योग नीति की तीसरी बात यह है उसमें तकनीकी समझौतों को सरल बनाया गया है। यह उपयुक्त समय पर किया गया है। इसके लिए सरकार को बधाई दी जानी चाहिए।

चौथी बात यह सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में है। ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में वित्त मन्त्री को बधाई देने जैसी कोई बात है क्योंकि उन्होंने निवेश की सीमा को घटा दिया है और कहा है कि सरकारी पारस्परिक बध पत्रों में केवल 20 प्रतिशत धन ही लगाया जा सकता है। यह ठीक नहीं है। वास्तव में उन्होंने ठीक नहीं किया है। उन्होंने केवल सीमा को कम किया है उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से सरकारी पारस्परिक कोष में पूंजी निवेश को परिवर्तित कर दिया है। यू. टी. आई, जी. आई. सी., एल. आई सी., आई सी. सी. आई., आई. डी. बी. आई. का यदि वह 20 प्रतिशत बेच देते तो यह वास्तव में गलत निवेश नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक निवेश तभी होगा जब टाटा, बिड़ला, सिंघानिया और अम्बानी जैसे लोगों को शेयर न दिया जाएं। यह छोटे शेयरधारियों को मिलना चाहिए।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या स्थिति है? भारत की सबसे बड़ी निजी कम्पनी टिस्को, (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) है। इसमें टाटा का कितना शेयर है? यह मात्र तीन प्रतिशत है। बाकी शेयर धारित वित्तीय संस्थाओं की है। आप जो भी चाहें आप किसी के शेयर को उससे अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें अब भी विश्वास है कि टिस्को और टाटा स्टील संयत्रों और इस्को जिसका अधिग्रहण किया गया था से भी बेहतर कार्य कर रहे हैं।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : और यही वे लोग हैं जो एल. आई. सी. और जी. आई. सी. पर नियन्त्रण करते हैं।

**श्री मुरली देवरा** : ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए माननीय वित्त मन्त्री को हमारा यह सुझाव है कि सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी पारस्परिक कोष के 20 प्रतिशत निवेश में से 10 प्रतिशत छोटे शेयर धारियों को दिया जाना है जिसकी कुछ अधिकतम शेयरधारिता सीमा होगी। यह 10 प्रतिशत या उससे कम भी हो सकती है। इसे आप जितना चाहें उतना कम कर सकते हैं परन्तु कम से कम दस प्रतिशत दिया जाना चाहिए। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में करीब दस लाख लोग पूंजी निवेश कर रहे हैं। उन्हें इसकी जानकारी नहीं भी हो सकती है कि उन्हें कितनी आय हो रही है। महानगर टेलीफोन लिमिटेड में लोग पूंजी निवेश कर रहे है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहां है। इन संगठनों की उत्पादकता और कार्यकरण पर आप नजर रख सकते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। वास्तविक सार्वजनिक क्षेत्र तभी होगा जब कुल इक्विटी का 10 प्रतिशत छोटे शेयरधारियों द्वारा सामान्य रूप से जनता को दे दिया जाए।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : तब प्रबन्धन में सौ प्रतिशत भागेदारी होगी।

**श्री मुरली देवरा** : नहीं, यह जरूरी नही है। प्रबन्धन को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं इसके विरुद्ध हूं।

मेरा पांचवां मुद्दा एम. आर. टी. पी. है। माननीय मन्त्री ने एम आर टी. पी. सीमा को समाप्त कर दिया है। कुछ वर्ष पहले यह 100 करोड़ रुपया थी। अब यह 22 से 23 प्रतिशत भी नहीं है। सीमेंट, दवाइयों, स्टील और अन्य वस्तुओं के उत्पादन कार्य को सीमित करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। यह अच्छी बात है कि सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत एम. आर. टी. पी. की सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। मुझे विश्वास है कि नई औद्योगिक नीति जिसे भारत की जनता को, संसद को प्रस्तुत किया गया है उसे जल्द ही लागू किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह श्री अजितसिंह औद्योगिक नीति जैसी नहीं होगी जिसके बारे मे हमने समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत कुछ सुना लेकिन उसे कभी लागू नहीं किया गया। यह संसद में दिया गया भाषण मात्र था। सरकार के एक संयुक्त सचिव को भी इसकी जानकारी थी। सरकार जो भी प्रचारित करती या जो भी घोषणा करती है उसे वास्तव में किसी अधिनियम विधायन अथवा कानून द्वारा अविलम्ब लागू किया जाना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा रोजगार के सम्बन्ध में है। हमारे देश में वर्ष 1980 से 2000 के बीच में 110 मिलियन श्रम शक्ति पैदा होगी जोकि 1960 से 1980 के बीच 69 मिलियन थी। निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि अवरुद्ध हो गई है करीब-करीब शून्य हो गई है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (मिदनापुर) : नहीं यह कम हो रहो है।

**श्री मुरली देवरा** : मैंने 'इकोनॉमिक सर्वे' में जो पढ़ा है, वह शून्य है। हो सकता है यह शून्य से कम हो रहा हो। लेकिन श्री इन्द्रजीत गुप्त, आप दो वर्ष प्रतीक्षा करें। हम इस नई औद्योगिक नीति को एक मौका दें। यदि यह सफल होती है तो अत्यधिक रोजगार पैदा होंगे। निजी क्षेत्र में अत्यधिक रोजगार पैदा होंगे।

कृषि में आधुनिकीकरण से परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। हमारी सबसे अधिक श्रम शक्ति हमेशा कृषि कार्य में लगी रहती थी। यदि हम विकसित देशों को देखें तो हम पाते हैं कि कुल रोजगार का 70 से 72 प्रतिशत लोग नौकरी-पेशा हैं जबकि यहां कुल रोजगार में केवल 20 से 22 प्रतिशत लोग ही नौकरी में हैं। नौकरी-पेशा एक अनौपचारिक उद्योग है जैसे—बढ़ई, मिस्त्री,

प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और परचून व्यापारी। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर अधिक ध्यान, अधिक अवसर और अधिक प्रोत्साहन दें।

एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आवास का। मुझे खेद है कि माननीय मन्त्री ने इस क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। अधिकतम उदारता की जो अपेक्षा लोग कर रहे थे उसमें आवास के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। आज संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार का 16 प्रतिशत रोजगार आवास में है। निर्माण के कार्यों में एक लाख रुपया लगाने पर 3100 कार्य दिवस अप्रशिक्षित कामगारों के लिए उपलब्ध होता है और निपुण कामगारों के लिए 1300 कार्य दिवस होते हैं। निर्माण की गतिविधियों में जो वास्तविक समस्या है वह है यू० एल० सी० कानून। आपने अपना भाषण श्री राजीव गांधी को समर्पित किया है। 1987 में जब श्री राजीव गांधी ने बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि सरकार अथवा भारत की जनता यू० एल० सी० के माध्यम से उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी जो वह चाहते थे। मेरा यह कहना नहीं है कि आप इसे रद्द कर दें लेकिन आप इसमें मात्र इतना संशोधन कर दें कि मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली पड़े भूमि का उपयोग हो सके। आज मकानों की कीमत इतनी अधिक हो गई है कि भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करीब 30 मिलियन आवासीय इकाईयों की आवश्यकता है।

आप आवास के लिए क्या कर रहे हैं? एक धारा 80 एच. सी. है जिसके माध्यम से उन लोगों को कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा था जिनका अपना मकान है। उसमें संशोधन की आवश्यकता है और अधिक प्रोत्साहन एवं अधिक लाभ देने की आवश्यकता है। तभी आप इस संबंध में कुछ सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री यह बताएं कि सरकार यू. एल. सी. के संबंध में क्या करने जा रही है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमे आप अधिक से अधिक रोजगार पैदा कर सकते हैं तथा अधिक से अधिक आवास उपलब्ध करा सकते हैं।

हमारी कुल जनसंख्या का एक चौथाई शहरी क्षेत्र में रहता है। एक समय था जब लोग यह कहते थे कि भारत ग्रामीणों का देश है। इस शताब्दी के अन्त तक हर तीन में से एक व्यक्ति शहरी क्षेत्र मे रहने वाला होगा। आज ऐसे 12 शहर हैं जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक है। शहरी गरीबों के लिए विगत 45 वर्षों मे सरकार ने एकमात्र कार्यक्रम स्व-रोजगार का दिया है। दुर्भाग्यवश इस कार्यक्रम के लाभार्थी जो मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रह रहे हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि कृपया वे शहरी गरीब के स्वरोजगार कार्यक्रम के कार्यकरण को सरल और कारगर बना दें ताकि वास्तविक लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें।

आयात निर्यात नीति जो वास्तव मे सी. सी. एस. को ही समाप्त कर देती है, उसका स्वागत है। परन्तु इसमें दो-तीन बातें हैं जिनकी ओर मैं वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आयात निर्यात नीति सम्बन्धी मुख्य मार्गनिर्देश, सिद्धान्त जिनकी अभी आपने घोषणा की है उन्हें अब स्वयं बैंकों के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए न कि जे. सी. सी. आई. एण्ड ई. के माध्यम से। यदि हमारे निर्यातक वास्तव में सहायता चाहते हैं, वे वस्तुत: कागजी कार्यवाही इत्यादि में कमी करने मे मदद चाहते हैं, वे बहुत सारे नियमों से छुटकारा पाने में मदद चाहते हैं। यदि ऐसा किया जाता है, हमारे निर्यात में वास्तव में बढ़ोतरी हो सकती है।

[श्री मुरली देवरा]

जब आप निर्यात करते हैं तो साख पत्र बैंक के माध्यम से आता है। जब बैंक द्वारा साख-पत्र भेज दिया जाता है तब ए. डी. आर. योजना के समान आपके खाते में विदेशी मुद्रा जमा कर दी जाती है। कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना का प्रस्ताव किया गया था। जो भी व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा था उसे लाइसेंस दे दिया गया। इस सारी प्रक्रिया में तीन अथवा चार माह का जो विलम्ब हो जाता है उस सबको समाप्त करके स्वयं बैंक के माध्यम से ही ये सारे कार्य किए जाने चाहिए। सिले-सिलाए वस्त्र तथा हीरे-जवाहरात वे दो ऐसे उद्योग हैं जो सबसे अधिक निर्यात अर्जन करने वाले उद्योग है। इस समय उनको कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। परन्तु उनकी मांग है कि निर्यात पूर्व निरीक्षण नीति में वास्तव में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि वस्त्रों तथा हीरों, जवाहरातों का ठीक तरीके से निर्यात किया जा सके। यदि उनको विदेशी क्रेता से साख-पत्र मिल जाता है तथा यदि उनका विदेशी क्रेता उनके उत्पाद से सन्तुष्ट है तो फिर सरकारी नामजद व्यक्ति को इसमें विलम्ब क्यों करना चाहिए? इससे पुनः बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिलेगा ... (व्यवधान)

मैं ब्याज की दर के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। ब्याज की दर इतनी अधिक अवश्य होनी चाहिए ताकि इसके प्रति बचत करने वाले व्यक्ति हो सकें परन्तु यह इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि निवेश करने में ही संकोच करने लगें। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि ब्याज की दर विशेष रूप से उत्पादनकारी क्षेत्र में बहुत कम रखी जाए... (व्यवधान) आपने बताया है कि निवेश भत्ते का उल्लेख पुस्तक में किया गया है। मैं उससे सहमत हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन कम्पनियों को कुछ विशेष सुरक्षा अथवा निवेश भत्ता दें जो देश में महत्वपूर्ण देशी सामान तथा उपकरण बनाती है ताकि पूंजी निवेश भत्ता उनके लिए भिन्न हो सके जो मुख्य महत्वपूर्ण उपकरणों का आयात कर रही है तथा उनके लिए भी जो यहां पर सामान बना रही हैं। निवेश भत्ते की राशि देश में ही निर्मित मुख्य महत्वपूर्ण सामान के लिए अधिक होनी चाहिए।

अब मैं आयात-निर्यात नीति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आपने पृष्ठ 6 पर उल्लेख किया है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों सहित सभी एककों की देखभाल बी. आई. एफ. आर. द्वारा की जाएगी — जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कल कहा था। मेरा यह मत है कि यदि विभाग को बन्द करने की अनुमति दे भी दी जाती है तब भी नई औद्योगिक नीति इतनी निरर्थक तथा कोरी शब्दाडम्बरपूर्ण हो गई है कि वे व्यक्ति जो उस विभाग में काम कर रहे हैं उन्हें दूसरे विभागों में खपाया जाना चाहिए तथा जब तक उन कर्मचारियों को उस दूसरी इकाई में लिया जाता है तब तक उस विभाग को बन्द करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। ऐसा कहना बेकार है कि कोई इकाई रुग्ण हो गई है। छः वर्ष पूर्व बम्बई की वस्त्र मिलों में क्या हुआ था। वर्ष 1983 में श्रीमती इन्दिरा गांधी मुम्बई आयी थीं तथा ग्यारह मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोई भी उन मिलों को वापस लेने के तैयार नहीं था। आज वही लोग अपनी मिलों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। छः वर्ष पहले जो लाभप्रद नही थी। आज वह उनके लिए लाभप्रद हो गई है। अतः आप यह नहीं कह सकते कि आज जो इकाईयां रुग्ण हैं वह स्थायी रूप से ही रुग्ण हो जायगी। मैं अपने उन मित्रों का समर्थन करता हूं जिन्होंने इससे पूर्व कहा है कि सरकार को इस आयात-निर्यात नीति के क्रियान्वयन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके कुछ बैंकों के चेयरमैन बम्बई में हर रोज ही आयात-निर्यात नीति के समर्थन

में वक्तव्य दे रहे हैं। यह सरकार की नीति नहीं है। उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप उन पर रोक लगाएं। कल ही "इकोनॉमिक टाइम्स" तथा "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में एक बैंक के चेयरमैन ने कहा है कि "स्थायी रूप से रूग्ण उद्योग जैसा कुछ नहीं है। उद्योग को ब्याज की रियायती दर पर ऋण दिया जाना चाहिए।" इस समय भारत में कपड़ा मिलें सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाले उद्योग हैं। छः वर्ष पूर्व किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा था। अतः यदि सरकार की नीतियों को ठीक तरह से लागू किया जाता है तो हम रूग्ण मिलों को फिर से चालू कर सकते हैं तथा यह देखना सरकार की जिम्मेवारी है कि लोग बेरोजगार न हो जाएं (व्यवधान)

मुम्बई में जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाएं हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकारी स्थान (बेदखली) अधिनियम नामक एक अधिनियम है। इस अधिनियम को वर्ष 1971 में संसद में पारित किया गया था। नाईक जी, आप भी बैठक में गए थे। इस अधिनियम का उद्देश्य संसद-सदस्यों तथा दफ्तरशाहों को उनकी कार्यावधि पूरी हो जाने के पश्चात् बेदखल करना था। मुम्बई तथा कलकत्ता में वे क्या कर रहे हैं? जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा बैंकों द्वारा सभी सरकारी तथा आवासीय भवनों में रह रहे उन निर्धन किरायेदारों को नोटिस दिए जा रहे हैं जबकि उनमें से कुछ तो पिछले पैंतीस वर्षों से एक कमरे के घर में रह रहे हैं। परन्तु अब उन्हें उसमें से निकलने के नोटिस दिए जा रहे हैं। जीवन बीमा निगम, देना बैंक तथा बैंक आफ महाराष्ट्र आदि ने नोटिस दिए हैं। उस संबंध में एक बहुत बड़ी सार्वजनिक बैठक बुलाई गई थी। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इन संस्थाओं को इन निर्धन व्यक्तियों को उन्हें निकलने के आदेश जारी नहीं करने के लिए निर्देश दें। सरकारी स्थान (बेदखली) अधिनियम, 1971 में संशोधन करें। जैसा कि तत्कालीन आवास मन्त्री श्री गुजराल ने इस सदन में कहा था यह अधिनियम मुम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के प्राधिकृत किरायेदारों के लिए नहीं है बल्कि यह केवल अनधिकृत संसद सदस्यों अथवा दफ्तरशाहों के लिए है जिनकी कार्यावधि समाप्त हो चुकी है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री कड़िया मुण्डा** (खूंटी) : सभापति महोदय, मैं इस बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि ट्राइबल सब प्लान के लिए जो पैसा दिया जाना चाहिए था, वह इस बजट में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 1990-91 के बजट में सारे देश में काफी बड़े इलाके के लिए 64716.80 है, परन्तु 1991-92 में है नहीं। ऐसा लगता है कि यह सरकार ट्राईबल क्षेत्र के विरुद्ध है। उसमें लिखा हुआ है कि मद में इस साल रुपये का फाईनल नहीं हुआ है। अभी अगस्त चल रहा है और इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र है, उसके लिए बजट में कोई आबंटन नहीं हुआ है। इसलिए मुझे इसका विरोध करना है। शायद इनको पता नहीं कि ट्राईबल सब प्लान कितना बड़ा क्षेत्र है, उसमें कितने लोग रहते हैं और इस क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी ही नहीं रहते हैं। उसके साथ बाकी सारे समाज के लोग भी रहते हैं। सरकार ने नियम बना रखा है कि जिस क्षेत्र में इनकी बाहुल्यता होगी, उनके विशेष विकास के लिए विशेष योजना चलाई जाए।

सभापति महोदय, आप विगत 1986 से 1990 तक की फिगर्स देखिये, इससे पता चलता है कि इस मद में अरबों रुपया खर्च किया गया है परन्तु विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यह स्पष्ट बात है। 1990-91 तक यह दिखाया गया है कि 10765 करोड़ रु० सारे देश में ट्राईबल सब प्लान

[श्री कड़िया मुण्डा]

में खर्च किया गया है। सभापति महोदय, मैं उस ट्राईबल इलाके से आता हूं जो बिहार का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। विकास की दृष्टि से अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ है परन्तु शायद केन्द्र को जितना पता लगना चाहिए, वह नहीं मालूम है। वैसे बड़े-बड़े कारखाने हैं, बड़ी-बड़ी खदानें हैं और चीजें भी हैं परन्तु यह ग्रामीण क्षेत्र, यदि आप देखेंगे तो विकास के दृष्टिकोण से उजड़ा हुआ पायेंगे।

सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी देखेंगे कि शिक्षा की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है। केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है, इस संबंध में उनको चिन्ता करनी चाहिए कि वहां 40 साल हो गए हैं, विद्यालय भवन नहीं हैं और बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : बच्चे ज्यादा हैं, आबादी बढ़ रही है। यहां तक कि बिहार के मुख्य-मन्त्री के नौ बच्चे हैं······ कैसे पढ़ेंगे ?

**श्री कड़िया मुण्डा** : हम ट्राईबल सब प्लान की बात कर रहे हैं, आबादी के बारे में बात नहीं हो रही हैं। आप भूगोल देख लीजिए और भूगोल पढ़ लीजिए तो आपको पता लग जायेगा। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि 40 साल में भी बच्चे आज पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। क्योंकि केन्द्र सरकार इतना पैसा देती है। पता नहीं यह पैसा कहां खर्च होता है ? कहीं स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो बच्चे नहीं हैं, कालेज नहीं हैं, ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं। गांवों के विकास के लिए सड़कों का निर्माण होना चाहिए, वहां सड़क आज नहीं है। बहुत से ऐसे प्रखंड हैं जहां 6 महीने तक प्रखंड के अधिकारी जा नहीं सकते। यदि वहां कोई महामारी हो गई, भुखमरी हो गई बरसात के दिनों में तो शायद वहां के लोगों को मरने के अलावा कोई दूसरा उपाय नही है। वहां न ट्रक जा सकता हैं, न बस जा सकती है और न वहां कोई रेलगाडी की व्यवस्था है। उनके सामाजिक विकास के लिए सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। इस ट्राइबल सब प्लांट इलाके में स्थिति बहुत ही खराब है।

बिजली का इन्होंने वर्णन किया है कि बिजली सब जगह दी जा रही है। मेरा कहना है कि ट्राइबल सब प्लांट इलाके में आप जायेंगे तो चार पांच साल से खूंटे गड़े हुए हैं, तार भी लगे हुए हैं पर बिजली नहीं आती है। तो यह विकास उनका हुआ है ? चार साल से विद्युतीकरण के नाम पर खूंटे गाड़े गए और सरकार ने कह दिया कि यहां-यहां इलाके मे विद्युतीकरण हो गया परन्तु आज तक तीन साल पहले जिन क्षेत्रों में बिजली की तारें खींची गई हैं, उन क्षेत्रों में आज तक बिजली की आपूर्ति नहीं हुई है। यह ट्राइबल सब प्लांट का इलाका है और बहुत जगह ऐसी हैं जहां तीन साल और चार साल से तार नहीं खींचे गए हैं और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा सरकार के यहां फंड में पैसा नहीं है। यह ट्राइबल सब प्लांट के उस क्षेत्र के आदिवासियों को मूर्ख बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। सरकार चाहती तो दिल्ली से पैसा देती। सरकार का यह काम होना चाहिए था कि हर दो-तीन साल के अन्दर वहां पर कितना पैसा खर्च करती है, भेजती है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। रुपया सरकार ने दिया, उसका ठीक से उपयोग हुआ या नहीं हुआ ? नही हुआ तो क्यों नहीं हुआ और यदि हुआ है तो कहां-कहां और किस ढंग से हुआ है और इससे उस क्षेत्र की जनता को कितना लाभ हो रहा है ? दोनों जगह हास्पिटल खुले हुए हैं मगर डाक्टर नहीं हैं। यह भी ट्राइबल सब प्लांट के क्षेत्र में होता है। डाक्टर नहीं है, दवा नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। रुपये दिल्ली से जा रहे हैं, सरकार रुपया भेज रही है, मकान बने हुए है, अस्पताल के साइन बोर्ड बने हुए हैं परन्तु डाक्टर नहीं हैं। कहीं नर्स नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बहुत से अस्पतालों में एक्सरे मशीन नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं कि टेक्नीशियन नहीं हैं। उनके तकनीकी आदमी नहीं हैं इसलिए

उनको चलाया नहीं जा सकता। उस ट्राइबल सब प्लांट के नाम पर कई स्कीमें चलाई गयीं। इस तरह सारे देश में जो काम चलाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल वहां के लोगों को धोखा देना है।

उसी तरह से एक जवाहर रोजगार योजना चली है। एन० आर० ई० पी० बहुत सी ऐसी चीजें हैं आई० सी० डी० पी० जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए बनी, सब प्लांट इलाके मे वह चलती हैं। जवाहर रोजगार योजना को हम कहते है कि जवाहर रोजगार योजना आपने बनाई, उससे जो गांव का विकास होना चाहिए, वहां मुखिया, बी० डी० ओ० जहां 20-30 हजार रुपये खर्च होना चाहिए, मिलकर के एक लाख खर्च दिखाते हैं। ये लोग जहां साइकिल पर और पैदल चलते थे, ऐसा मुखिया टी० वी० एस० और स्कूटर चलाने लगे है। गांव का पैसा गांव वालों को मिलना चाहिए। गांव वालों को लाभ मिलना चाहिए और विकास के लिए, गरीब लोगों के लिए यह पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई जांच नहीं है। उसकी कोई चिन्ता नही है।

उसी तरह से आई० सी० डी० पी० केन्द्र सरकार की योजना है। उस क्षेत्र में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बच्चों को हर दृष्टि से उपयुक्त आहार देकर उन्हें उन्नत करना चाहिए। सभापति जी, उसमें जितना घोटाला है, उसमें इतनी गड़बड़ी है, शायद किसी विभाग में नहीं है। कल्याण है, कल्याण करो गांव का या विकास अधिकारी का हो, कल्याण तो है ही। ऐसा कल्याण हो, कल्याण तो होगा ही। **(व्यवधान)**

**एक माननीय सदस्य :** एक कल्याण सिंह है। **(व्यवधान)**

**श्री कड़िया मण्डा :** मुलायम सिंह है वह। **(व्यवधान)** सभापति जी, उसमें यह है कि बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, ऐसी चीजें 6 महीने, 3 महीने में जाती है और वहां जो इसको देखने वाले अधिकारी हैं उनको पता नहीं है। उनके लिए कोई पैसा नहीं है। नतीजा यह है कि वह सारे का सारा पैसा जिन लोगों के लिए खर्च होना चाहिए, जिन लोगों को मिलना चाहिए, उस पैसे से जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ उन्हें न मिलकर सारा पैसा दूसरी तरफ चला जाता है। इस तरह से यह करप्शन का अड्डा बना हुआ है। सारा पैसा ट्राइबल विकास के लिए जो रखा जाता है, वह वेस्ट जाता है। शायद इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। अब हाल यह है कि पेड़ पौधे अगस्त के महीने में बांटे जा रहे हैं, 15 अगस्त को आप कुछ पेड़ बांटेंगे, अब पता नहीं जंगल विभाग वालों को जानकारी है या नहीं कि 15 अगस्त को यदि कोई पेड़ पौधा लगाया जाता है तो उसकी बढ़त कम होती है, और सितम्बर तक चलते चलते वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। जिस पेड़ को भी आप लगाएंगे, वह मर जाएगा। अब जितने पेड़ वहां लगाए गए हैं या लगाये जा रहे हैं वे सब मर जायेंगे। फिर कहा जायेगा कि वह बंजर जमीन है, बंजर जगह है। वहां जो जंगल थे, वे जंगल भी उजड़ गए। वहां फिर से जंगल लगाये जाने चाहिए। वहां ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनकी खेती नहीं हो सकती। मेरी मांग है कि ट्राइबल एरिया के विकास के लिए अनुकूल पौधे लगाकर वहां के पर्यावरण को शुद्ध करने की दिशा में सरकार को तुरन्त कदम उठाना चाहिये। यदि आप पिछले तीन साल के आंकड़े देखें, इंक्वायरी करायें तो देखेंगे कि जितने पेड़ लगाये गए थे, वे सब के सब मर गये।

मैं आपके सामने उदाहरण देकर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ट्राइबल विकास के लिए हर साल अरबों रुपये खर्च करती है ताकि सारे देश में

[श्री कड़िया मुण्डा]

आदिवासियों का विकास हो सके, ट्राइबल एरियाज को विकसित किया जा सके। विशेष सुविधायें देती है। इसके लिए अलग से योजना बनी है। परन्तु पता नहीं कितने राजनैतिक लोग इसमें शामिल हैं या वहां जो नौकरशाही है, वह दक्ष नहीं है, अनुभवी नहीं है या वे चाहते नहीं कि आदिवासी इलाके का विकास हो, आदिवासियों को लाभ मिले। शायद वे समझते हैं कि जब तक ये लोग ऐसे ही रहेंगे, हम उन्हें आसानी से गुलाम बनाये रख सकते हैं, जब तक वे भूखे रहेंगे, हम उन्हें गुलाम बनाये रख सकते हैं। यह भी सम्भव है कि कुछ राजनैतिक लोग या नौकरशाह ऐसा सोचते हों कि यह बहुत बड़ा इलाका है, अगर यहां के लोग पढ़-लिख जायेंगे, शिक्षित हो जायेंगे तो आज हम जिस तरह से खाते-पीते है, सरकारी धन को लूटते हैं, फिर वह लूटने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए दोनों मिलकर कोई योजना ऐसी बना लेते हैं ताकि यहां से पैसा तो मिलता रहे परन्तु आदिवासियों को उसमें कोई लाभ न मिलने पाए, उनका विकास न हो, वे अशिक्षित ही बने रहें, भूखे रहें ताकि हम अपनी मर्जी के अनुसार उनसे बेगार कराते रहें।

वैसे तो मेरे पास बोलने के लिए अनेक प्वाइंट्स हैं और जिस विषय पर मैं बोलना चाहता हूं, वह छोटा विषय है परन्तु दूसरी चीजों पर, देश विदेश की नीति, खाद और उद्योग की पौलिसी पर दूसरे माननीय सदस्य काफी बोल चुके हैं। मुझे खेद है कि मैं पिछली बार भी लोकसभा के लिए चुना गया और मैंने यहां सभी के भाषण सुने परन्तु किसी ने ट्राइबल डैवलपमेंट पर एक शब्द तक नहीं कहा और इस बार भी मैं बराबर सदन में होने वाली चर्चा सुन रहा हूं, एक भी माननीय सदस्य ने अपनी स्पीच में इस विषय को टच नहीं किया, चर्चा नहीं की। सरकार ट्राइबल विकास के लिए हर साल अरबों रुपया खर्च करती है परन्तु उसकी कोई चर्चा पार्लियामेंट में नहीं की जाती। बजट में भी उसका कहीं जिक्र नहीं है। वैसे राजीव फाउन्डेशन के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है लेकिन जिस मद में अरबों रुपया खर्च होता है, उस योजना का जिक्र न आपके बजट में है न और कहीं उसका जिक्र है। उसके लिए कुछ अंकित नहीं है कि 1991-92 में कितने करोड़ रुपए आप खर्च करने जा रहे है। इसलिए मुझे इस बजट का विरोध करते हुए दुख हो रहा है। जो नेशनल पौलिसी है, दूसरी पौलिसीज हैं, उन पर बाकी माननीय सदस्यों ने काफी कहा है। मैं इस संबध में आपके सामने दो-तीन सुझाव रखना चाहूंगा।

एक बार जब जनता दल की सरकार थी तो कम्युनिटीज की एक मीटिंग हुई थी। (व्यवधान) हां आपने शुद्ध कहा, विशुद्ध नहीं हां, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जब सत्ता में थी तो उस समय प्लानिंग कमीशन के साथ एक बैठक हुई थी। उस समय भी मैंने सजेशन दी थी कि ट्राइबल सब प्लान में जितना रुपया खर्च होता है, उसकी आप अलग ढंग से योजना बनाइये। उसका कारण यह है कि हमारे बिहार की स्थिति बड़ी विचित्र है। ट्राइबल सब-प्लान में रुपया हर साल मिलता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, गंगा के उत्तर में और गंगा के दक्षिण में, यदि बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ता है और यदि बारिश हो गई तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। परन्तु ट्राइबल सब-प्लान के पैसे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसलिए वहां कुछ लोग सूखे से मरते हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ से मरते हैं। मेरा निवेदन है कि उस इलाके के विशेष विकास के लिए रुपया खर्च करने की सरकार जो विशेष व्यवस्था करती है, उस पैसे को उसी क्षेत्र में खर्च किया जाए और हर हालत में वहीं खर्च किया जाए। पैसे को किसी भी हालत में डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो आफिसर्स ट्राइबल सबप्लान में बहाल किए जाते हैं, चाहे वे आई० ए० एस० हों, बी० डी० ओ० हों, उनसे दो तीन कमिटमैंट पहले लेने चाहिए। एक तो वहां जो सामाजिक व्यवस्था है, एक तो वहां की

सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल स्ट्रक्चर और दूसरे वहां की संस्कृति यानी कल्चरल एक्टिविटीज और तीसरे उनकी आदत और व्यवहार, इन तीनों चीजों से जो अफसर अवगत नहीं होगा, या ऐसे किसी आदमी को वहां उनके कल्याण के कामों के लिए भेजा जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गांव वाले उसको देखकर भाग जाएंगे जिसके कारण आपके इन कार्यों की उनको कोई जानकारी नहीं है और उनके कोई परिणाम उनके सामने और आपके सामने नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें सेवा-भावना से ही सब कुछ हो सकता है। बिना सेवा भावना के कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र मे विकास ठीक ढंग से नही हो रहा है। यही कारण है कि आपका जितना रुपया वहां विकास कार्यक्रमों पर खर्च हो रहा है वह सब पानी में जा रहा है। वहां जब ऐसे आफीसर जाएंगे, जिनको वहां के लोगों की संस्कृति, दैनिक जीवन के आचार-व्यवहार की जानकारी नहीं है, तो वहां पर विकास के काम नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर ऐसे आफीसर भेजे जाएं, जिनमें सेवा-भाव हो और वहां के लोगों की संस्कृति एव आदतों से उनकी जानकारी हो।

सभापति महोदय, दूसरी बात मुझे आपके माध्यम से यह कहनी है कि इस क्षेत्र में जो विकास के कामों के लिए रुपया खर्च हो, उसका हर साल मूल्यांकन होना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि आपने जो रुपया यहां से वहां भेजा और जिस काम के लिए भेजा, वह काम हुआ या नहीं और जिनके लिए यह काम करवाया था, उनको उससे कुछ लाभ हुआ या नहीं, क्योंकि जब तक यहां से रुपया जाता रहेगा, वहां पर खर्च होता रहेगा, लेकिन जिनके लिए आपने रुपया खर्च किया है, उनको कोई लाभ नहीं होगा। इसके बाद मुझे यह कहना है कि सरकार ने इस बजट में खाद का दाम बढ़ाया है यह बहुत ही कष्टकारक है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र ट्रायबल सबप्लान का है, वह सिर्फ बिहार मे ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश मे भी है, तो वहां बड़े किसान नहीं हैं, वहां छोटे किसान है, तो सबसिडी पर खाद मिलने के कारण पहले लोग खाद का इस्तेमाल अपनी खती मे कर लिया करते थे, किन्तु अब ऐसा लगता है, खाद के ऊपर सबसिडी कम करने से, खाद महंगा हो जाएगा और इसके कारण वे लोग अपनी खेती में अब खाद का व्यवहार कम करेंगे। बिहार मे तो दूरांचल में डिपो मे तीन-तीन महीने तक खाद पहुंचता ही नहीं है, पता नहीं वहां खाद का वितरण किस तरह से करते है, इस पर भी चोकसी होनी चाहिए। वहां जाने में बहुत समय लगता है इसलिए खाद बांटने में भी बहुत समय लगता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऐसे दूर-दराज के क्षेत्रों में खाद के वितरण के लिए तीन महीने का स्टाक होना चाहिए, ताकि जो खाद लेना चाहते है, वे ले सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि जो सबसिडी पहले किसानों को मिलती थी अब भी खाद पर वही सबसिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि उस इलाके में काफी गरीब लोग है।

सभापति महोदय, मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि जहां तक बिजली का सवाल है, हमारे बिहार में बिजली की बहुत कमी है। हमारे यहां बहुत से थर्मल पावर प्लाण्ट हैं, बरौनी में है, बोकारो मे है और भी कई जगह हैं तथा नए भी बन रहे हैं, लेकिन बिजली का उत्पादन लागत क्षमता का चौथाई भी नहीं होता है। यह बड़े दुख की बात है। हमारे बिहार के भाई कहते है कि हम शोषित हैं, पीड़ित हैं और हमें केन्द्र वाले लूट रहे हैं, लेकिन मैं, तो कहता हूं कि केन्द्र वालों के अलावा बिहार के लोग भी लूट रहे हैं यही कारण है कि वहां बिजली की इतनी कमी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन थर्मल प्लाण्टों में बिजली का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इसी प्रकार से हाइडल प्लाण्ट कोसी में, बालन में चल रहे हैं। एक प्लाण्ट हमारे यहां बहुत दिनों से चल रहा है जिसे 1978 में बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को दिया और केन्द्रीय सरकार ने उसे 1982 में लिया तथा एन०

[श्री कड़िया मुण्डा]

एच० पी० सी० के अन्तर्गत वह चला गया है, परन्तु इतने दिनों के बाद भी यह हाइडल प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। वैसे कल मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि सभी क्लीयरेंस हो गई हैं और एक-दो महीने में काम शुरू होगा। अगर यह प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो बिहार में बिजली की कमी को बहुत हद तक पूरा किया जा सकता है। यह जो प्रोजैक्ट है यह पीक पावर के लिए है और 710 मेगावाट है, इसको जल्द से जल्द उस क्षेत्र में निर्माण करके बिजली की जो कमी है उसको पूरा किया जाए।

रेल के संबंध में कई दिनों से बात चल रही है। रांची से लोहारडग्गा छोटी भी मीटरगेज लाइन है, रांची से लोहारडग्गा गाड़ी चलती है मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर होगा, 12 घंटे लगते हैं। कई बार कहा गया है कि रांची से लोहारडग्गा को बड़ी लाइन में बदल दीजिए क्योंकि बिहार का अधिकतर बोक्साइट उसी क्षेत्र में है। उस रेलगाड़ी को बड़ी लाइन में बदल दीजिए और उस लाइन को लोहारडग्गा से बाराडी तक बढ़ाया जाए। उससे दो लाभ होंगे—एक तो ट्राईबल बेल्ट है और दूसरे बोक्साइट का पूरा बैल्ट है, उसका अधिक विकास करने में सुविधा होगी। रांची से दिल्ली, चंडीगढ़ आने वालों को रांची से मूरी, बड़काना होते हुए आने में 7-8 घंटे एक्ट्रा लगते है, इसकी बचत हो जाएगी। इसलिए भी यह लाइन बननी चाहिए। इसके संबंध में कई सालों से धरना भी दिया गया परन्तु सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया। अगर आप उस क्षेत्र का विकास चाहते हैं, केन्द्र सरकार के खर्चे में उसे भी शेयर मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, तो रांची से लोहारडग्गा तक बड़ी लाइन और लोहारडग्गा से बाराडी तक एक और लाइन बनाकर इसको बड़ी लाइन से मिला दिया जाए।

मेरा कहना है कि हमारे यहां कुछ राष्ट्रीय पथ हैं परन्तु वे इतनी बुरी स्थिति में हैं कि रांची से खड़कपुर होते हुए कलकत्ता है, वहां बरसात में जाएंगे तो कमर टूट जाएगी। उसी तरह से रांची से पटना है, ग्रैंड रोड को छोड़ दीजिए वह तो इंटर-स्टेट रोड है। एक रोड और बन रही है जो रांची से गुमला होते हुए बाया बाराडी दस साल से बन रही है नैशनल हाईवे के नाम से। उसमें इतने खड्डे, पत्थर हैं कि गाड़ी चलने पर उलट जाए। इसलिए राष्ट्रीय रोड की केन्द्र सरकार को चिन्ता करनी चाहिए और उसको शीघ्र से शीघ्र बनाने का प्रयास करना चाहिए।

3.59 म० प०

[श्री मल्लिकारजनय्या पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज श्री राजीव गांधी हमारे बीच नहीं हैं। परन्तु भारत के भविष्य का उनका स्वप्न तथा कार्यक्रम जो उन्होंने देश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये तैयार किया था, उनका उल्लेख कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में है। चुनाव घोषणा-पत्र में जो भी बातें कही गई हैं वे पूरी तरह से इस बजट में देखी जा सकती हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमन्त्री श्री नरसिंह राव जो एक परिपक्व, अनुभवी तथा बुद्धिमान व्यक्ति है वह राजीव जी के स्वप्न तथा उनके कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप देंगे।

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

4.00 म० प०

महोदय देश की अर्थ-व्यवस्था आज एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। वित्त मंत्री जी इस संकट की पृष्ठभूमि के विपरीत अपना बजट लेकर आये हैं। पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान संकट इस सीमा तक बढ़ गया है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था रुग्ण हो गई है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व भी उसका एक एलोपैथिक चिकित्सक द्वारा इलाज किया गया था तथा उसकी दशा और खराब हो गई। तब उसका इलाज आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा किया गया था परन्तु इन चिकित्सकों द्वारा इलाज किए जाने के बाद रोगी का जीवन बचाने के लिए आपरेशन जरूरी हो गया था। हमारे वित्त मन्त्री जी वह आपरेशन कर रहे हैं। सभी छोटे अथवा बड़े आपरेशन कष्टप्रद होते हैं। थोड़ा सा रक्त भी बहता है। परन्तु रोगी की जान बचाने के लिए वह जरूरी है। इस बजट के माध्यम से वित्त मन्त्री जी ने रोगी अर्थात् देश की अर्थव्यवस्था का आपरेशन कर दिया है। वह हमारी अर्थव्यवस्था के आन्तरिक रहस्य भी जानते हैं। अतएव मैं आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था इस संकट का सामना करके इस पर विजय पा लेगी तथा अपनी आन्तरिक शक्ति को पुन: प्राप्त कर लेगा।

इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आम भय की जनता पर यह बजट भारी कर का बोझ डाल देगी, के बिल्कुल विपरीत यह बजट आम व्यक्ति पर कोई भारी, असहनीय कर नहीं लगा रहा है। बल्कि इसके विपरीत उन्होंने आम व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ वस्तुओं की कीमतें कम कर दी हैं। उन्होंने खाद्य तेल, इलैक्ट्रिक बल्बों तथा साइकिलों को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया है तथा घरेलू कामकाज के लिए प्रयोग किये जाने वाले मिट्टी के तेल के दाम घट दिए हैं। उन्होंने अप्रवासी भारतीयों द्वारा किये जाने वाले पूंजीनिवेश की प्रक्रिया को भी उदार तथा सरल बना दिया है। विदेशों में रह रहे भारतीय तथा भारत सरकार के बीच परस्पर और बेहतर सम्बन्ध बनाने के लिए आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव तथा इसके साथ ही उन्हें आवास तथा सम्पत्ति के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना जैसे कार्य सही दिशा में है तथा इस कदम से विदेशों में रह रहे केरल वासियों को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आबंटन की राशि 479 करोड़ रु० है जबकि पिछले वर्ष यह राशि 364 करोड़ रु० थी। पिछले वर्गों के कल्याण के लिए निगम की स्थानपा करने का प्रस्ताव भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने मण्डल के बारे में बहुत जोर शोर से प्रचार किया था परन्तु इसे क्रियान्वित करने के लिए व्यवहारिक रूप में कुछ नहीं किया। इसी वर्तमान सरकार ने ही पिछड़े वर्गों के जीवन-यापन की स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा निर्णायक कदम उठाया है।

मैं सफाई कर्मचारियों, जो अपने सिरे पर मैला ढोने का कार्य करते है, के पुनर्वास के लिए किए गए 25 करोड़ रुपये के प्रावधान का स्वागत करता हूं। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। फिर महोदय, राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में विपक्ष में बैठे हमारे साथियों द्वारा बहुत अधिक शोर मचाया गया है। साधारणत: वे केवल मात्र नफरत के शिकार हैं। उन्होंने इस फाउंडेशन के मूलभूत उद्देश्यों को समझने की कोशिश नहीं की है। इससे साक्षरता, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान, राष्ट्रीय एकता तथा पर्यावरण सुरक्षा आदि का विकास होगा। क्या किसी को सम्भवत: उद्देश्यों के लिए कोई आपत्ति हो सकती है? विपक्ष को इस मामले पर इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

अब मैं एक अहम मसले पर आता हूं। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय मेरी बात सुनें। कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जब सरकार किसानों के हितों के विरुद्ध कोई कदम उठाती है तो हम साधारणतः कहते हैं कि यह किसानों की कमर तोड़ देगा। उर्वरकों के मूल्यों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि एक अत्यन्त कठोर कदम है। यह किसानों के लिए कमर तोड़ ही नहीं है बल्कि यह तो उनके गले काटने जैसा है। मैं केरल और विशेषकर पालाक्कड जो केरल में सबसे अधिक चावल पैदा होता है, के किसानों की जबरदस्त भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। महोदय, केरल के किसान छोटे एवं सीमान्तर है तथा उन्हीं पर सबसे अधिक मार पड़ती है। वे इलायची, काली मिर्च जैसी नकद फसलों का उत्पादन करते हैं जिससे हमें मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वे ही इस मूल्य बढ़ोतरी के कारण अधिक प्रभावित होंगे। जब पहले ही उत्पादन लागत बहुत हो चुकी है, यह वृद्धि उसे और अधिक सीमा तक ले जायेगी। अतः मैं वित्त मन्त्री महोदय से इस पर पुनर्विचार करने तथा उर्वरकों में हुई मूल्य-वृद्धि को वापिस लेने का अनुरोध करूंगा।

इसी प्रकार चीनी की कीमत भी बढ़ गई है। इससे खुले बाजार में चीनी की कीमतें और बढ़ जायेंगी तथा वह आम-आदमी की पहुच से बाहर होगी। चीनी, खाद्यान्नों आदि की कीमतों में वृद्धि से सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अवश्य ही बढ़ जायेंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कौन से विशेष कदम उठाने जा रहे हैं।

महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने खाद्य तेलों, तांबा, अल्यूमीनियम, संसाधित खाद्य जैम, मक्खन पनीर आदि की कीमतें कम की हैं। लेकिन उन्होंने रेफ्रिजरेटर की कीमतें बढ़ाई हैं जो अब कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। ऐसे परिवारों में जहां पति और पत्नी दोनों काम करते हैं तथा फिर भी अपने सारे खर्चे नहीं चला पाते, रेफ्रिजरेटर एक अनिवार्यता बन गया है। वास्तव में तथ्य यह है कि निश्चित आय वाले ग्रुप तथा निम्न मध्यम वर्ग द्वारा इसका प्रयोग बढ़ रहा है। अतः इस वृद्धि पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। खाना पकाने वाली गैस का मामला भी इसी प्रकार का है। कुकिंग गैस की मूल्य-वृद्धि कदाचित न्यायोचित नहीं है तथा मैं चाहता हू कि इसे घटाया जाये।

महोदय, आय कर की छूट की सीमा में कम से कम 5,000/- रुपये की वृद्धि की जानी चाहिए। यह निश्चित आय ग्रुप वाले लोगों को कुछ राहत देगी। क्या आपने कोई गणना की है कि कितनी कर राजस्व का आपको नुकसान होगा? इसी प्रकार कर्मचारियों को दिए गए मंहगाई भत्ते पर भी अभी कर लगाया गया है। मंहगाई भत्ते से मूल्य वृद्धि से बहुत कम राहत मिलती है। अतः उस पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए। कुछ वर्ष पहले सरकार ने बताया था कि यह मामला विचाराधीन है। लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। वित्त मन्त्री महोदय, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक प्रयोग करने में नहीं हिचकिचाये, उन्हें यह छोटा सा कदम उठाने के लिए हिचकिचाने की जरूरत ही नहीं है। वह लाखों कर्मचारियों जो निश्चित आय ग्रुप से सम्बन्ध रखते हैं, के स्नेह एवं आदर के पात्र होंगे। अतः मेरा वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे महगाई भत्ते को कर से मुक्त कर दें।

महोदय, साधारण रूप में बजट के सम्बन्ध में इन सब बातों के कहने के पश्चात् अब मैं अपने राज्य, केरल, की कुछ समस्याओं पर आता हूं। सबसे गंभीर समस्या बेरोजगारी की है। कुछ वर्ष पहले वाम मोर्चा सत्ता में आया जिसने प्रति वर्ष 10 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था। जब इसने कार्यभार संभाला तब बेरोजगारों की संख्या 28 लाख थी। चार वर्षों के पश्चात् जब यह

सरकार से बाहर हुआ तो बेरोजगारों की यह संख्या 34 लाख तक पहुंच गई। हाल ही के खाड़ी संकट ने स्थिति को और भी विकट बना दिया है। सरकार की नई औद्योगिक नीति अच्छी है क्योंकि हम औद्योगिक विकास के लिए पूंजी के साथ नई तकनीक भी प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि रोजगार के अवसरों में भी क्या तद्नुरूप वृद्धि होगी। कुछ वर्ष पहले का एक आर्थिक सर्वेक्षण एक बड़ा मजेदार तथ्य बताता है कि उस विशेष वर्ष मे जबकि औद्योगिक उत्पादन तथा साथ ही औद्योगिक विकास भी प्रभावशाली था, रोजगार पैदा करने के अवसर पहले जैसे ही रहे। क्यों? यह एक विरोधाभास है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन मशीनीकरण को निश्चित् रूप से प्रोत्साहन देगा। लेकिन वह रोजगार के अवसरों को कम कर देगा अगर रोजगार पैदा करना गांवों में सड़कों के निर्माण कार्य तक सीमित है तो फिर शिक्षित बेरोजगार क्या करेंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसकी जबाबदेही आवश्यक हैं। शिक्षितों में फैली बेरोजगारी 'उल्फा' तथा पंजाब में उग्रवादियों आदि द्वारा उत्पन्न भयंकर स्थिति से भी ज्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अतः बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हमें कुछ प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए। इस संबंध मे मुझे यह कहना है कि केरल में औद्योगिक क्षेत्र मे काफी अर्से से केन्द्रीय निवेश घट रहा है। केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में बहुत कम उद्योग हैं। महोदय, केरल की अर्थव्यवस्था मूलत: मनी आर्डर की अर्थव्यवस्था है। अगर मनी आर्डर कम हो जायेंगे तो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जायेगी। अत: हमें जरूरत है उद्योगों की। केन्द्र को बहुत सी योजनायें भेजी गई परन्तु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पालाक्कड में जो मेरा जिला है, एक रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था। वहां एक पर्यवेक्षक दल भी आया और यहां तक कि स्थान की जांच भी की गई। राज्य सरकार ने सभी आधारभूत सुविधायें मुफ्त देने का आश्वासन दिया था। लेकिन अंततः वह फैक्टरी कपूरथला में स्थापित की गई। मैं यह मांग करता हूं कि कम से कम आठवीं पंचवर्षीय योजना में पालाक्कड में रेल के डिब्बे बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार पालाक्कड अविकसित गांव की स्थिति से निकलकर विकास की अवस्था की ओर बढ़ रहा है। वहां एक औद्योगिक विकास केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।

महोदय केरल में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। लेकिन टायर की सभी फैक्टरियां केरल से बाहर स्थित है। आप केरल में केन्द्रीय क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में एक रबर-आधारित उद्योग अथवा एक टायर फैक्टरी क्यों नहीं स्थापित करते? केन्द्रीय सरकार को केरल के उद्योगों का तीव्र विकास करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। केरल में बौद्धिक श्रम शक्ति सबसे अधिक है। केरल के लोग संसार के किसी भाग में देखे जा सकते हैं। कठिन परिश्रम तथा उद्यम की यह भावना राज्य की भलाई के लिए प्रयोग में लाई जानी चाहिए।

महोदय, अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध विकास के लिए बजट एक माध्यम है। इसमें सामाजिक असमानताओं को दूर करने के उपाय शामिल हैं। कांग्रेस सरकार लाखों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में समर्थ रही है। श्री नरसिंह राव की सरकार की गरीबी हटाने के महान "यज्ञ" में संलग्न है। यह बजट भी उस यज्ञ का एक हिस्सा है। मैं इस बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं।

**श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** (राजनंदगांव) : सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री दर्शन शास्त्र के डाक्टर हैं जबकि मैं केवल मैट्रिक पास हूं. वे एक गहरी सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं जबकि मैं केवल एक प्रशिक्षु मात्र हूं। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में कार्य का अनुभव प्राप्त है जबकि मैं केवल अपने चुनाव क्षेत्र की गलियों की जानकारी ही रखता हूं। वह एक अर्थ शास्त्री हैं तथा उन्होंने एक अर्थ शास्त्री की दृष्टि से ही यह बजट बनाया है। अब मेरी समझ में यह

[श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह]

बात आ गई है कि अर्थ शास्त्र को निराशापूर्ण विज्ञान क्यों कहा जाता है। अपने दल के प्रति मेरी निष्ठा उसे बजट का समर्थन करने को मजबूर करती है जबकि अपने मतदाताओं के प्रति मेरी चिन्ता उसे माननीय वित्त मन्त्री जी के सामने कुछ मुद्दे उठाने को मजबूर करती है।

उन्होंने इस बजट की शुरुआत में इस बजट को भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी को समर्पित किया है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में पहली बात यह कही गई थी कि पंचायती तथा नगर पालिका सम्बन्धी संविधान (संशोधन) विधेयक को पुन: प्रस्तुत करके पारित करवाया जाएगा। ताकि स्थानीय निकायों को अधिकारों का हस्तांतरण किया जा सके। वर्ष 1989 में यह इस सदन में प्रस्तुत किया गया था जिसमें कि उत्पाद शुल्क, निगम कर तथा आय कर से प्राप्त केन्द्रीय राजस्व का एक हिस्सा स्थानीय निकायों तथा पंचायतों को प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। अभी तक जवाहर रोजगार योजना को पचायतों द्वारा चलाया जा रहा है। परन्तु नेहरू रोजगार योजना, जिसका कार्यान्वयन नगर पालिकाओं तथा निगमों को सौंपा जाना था, उसके बारे में बजट भाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है। और श्री राजीव गांधी जानते थे कि आवश्यक कोटे को तीन भागों में बांटा जाये—एक हिस्सा केन्द्र के लिए, एक राज्य सरकार के लिए तथा एक हिस्सा पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के लिए। मुझे विश्वास है कि शायद इसका खयाल वित्त मन्त्री जी को नहीं रहा और वह इस सम्बन्ध में उचित संशोधन करेंगे अगर वे वास्तव में इस बजट को स्वर्गीय प्रधानमन्त्री को समर्पित करना चाहते हैं। खाद पर राज्य अनुदान के सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है क्योंकि इस सम्बन्ध में पक्ष तथा विपक्ष, दोनों तरफ के संसद सदस्यों के विचार एक जैसे ही हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : श्री मुरली देवड़ा को छोड़ कर।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : हां, इस सम्बन्ध में कुछ अपवाद जरूर हैं जो कि केवल शहरों के बारे में ही चिन्तित हैं।

जहां तक राजस्व प्राप्त करने का सम्बन्ध है तो इस बारे में जैसा कि और कई सदस्यों ने भी चर्चा की है, इसका सम्बन्ध औद्योगिक नीति से है।

पैट्रोलियम से संबंधित उत्पादों, चमड़ा, इलैक्ट्रानिक वस्तुओं, चीनी, एल्कोहल तथा मोटर कार जैसी कुछ वस्तुओं में से, चीनी को ही लाईसेंस से मुक्त नहीं किया गया है। क्योंकि चीनी उत्पादकों का संगठन राजनैतिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली है। शराब उत्पादन का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इस सम्बन्ध में क्या आपत्ति थी? सरकार इन वस्तुओं को लाईसेंस से मुक्त करने के विरुद्ध क्यों है? आप बड़ी संख्या में चीनी और शराब के कारखाने खुलने दीजिए। आप उन्हें क्यों रोकते हैं? इन क्षेत्रों में विदेशी सहयोग का स्वागत किया जाना चाहिए तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इन वस्तुओं के उत्पादन में निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। आप 200 या 300 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क ले सकते हैं। आप को कौन रोक रहा है? माननीय सदस्य श्री भक्त के चुनाव क्षेत्र में आप एक कैसीनो खुलवा दीजिए। आपको बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। मेरी समझ में नहीं आता, झिझक क्यों रहे हैं? अगर आप धन चाहते हैं, तो हम आपको इसके लिए कितने ही रास्ते दिखा सकते हैं।

करों के सम्बन्ध में बहुत से वक्ताओं ने यह कहा कि यह बजट किसानों के हितों के विपरीत है। परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि उन्होंने उन पर कोई कर नहीं लगाया है। परन्तु वकील,

डाक्टर तथा और बहुत से ऐसे पेशेवर लोग हैं जो अपनी व्यवसायिक आय 50,000 रुपये आय का 60,000 रुपये दिखाते हैं तथा कृषि से वार्षिक आय 5 लाख से 20 लाख रुपए तक दिखाते हैं। आप उनसे पूछिए कि आपको यह आय कहां से प्राप्त हुई तो वे बतायेंगे कि उन्हें ये आय गुलाब अथवा सब्जियां बेच कर प्राप्त हुई। जो लोग अपनी आय कर रिटर्न में ऐसी राशियां दिखाते हैं, उनकी ऐसी पूरी आय पर कर लगाया जाना चाहिए क्योंकि यही वे लोग हैं जो किसानों के नाम को बदनाम कर रहे हैं। वे हमेशा शहरी क्षेत्रों अथवा तथाकथित महानगरों में रहते है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे प्रशासक वर्ग तथा अन्य अधिकारी जो कि बजट बनाने से जुड़े हुए हैं, सभी का ध्यान इसी पहलू की ओर रहता है और फिर वे ऐसा कहते है कि देखो हमारे किसान कितनी अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। हमें उन पर कर लगाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हू कि आप इस पहलू पर गौर करें। मैं नहीं जानता कि विदेश मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दे रहे है अथवा नहीं।

एक और मुद्दा काले धन का है। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उचित ही कहा कि जब कोई अनिवासी भारतीय इस देश में आता है तो हमारे बहुत से मंत्री तथा भूतपूर्व मंत्री उसके गिर्द ऐसे मंडराते फिरते है, जैसे कि भगवान विष्णु स्वयं आए हों। ये वे सब लोग है जो कि इस देश को छोड़ चुके हैं तथा इसमें अब उनकी कोई रुचि नहीं है।

सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लिए एक योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत उन्हें विदेशी मुद्रा जमा करने की सुविधा दी गई है जिस पर कि उन्हें ब्याज दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको इसकी जानकारी होगी। आपकी योजना जो कि पिछले वर्ष अक्तूबर में संकट का सामना करते हुए समाप्त की गई थी, उसमें उस स्थिति में क्या हुआ था जबकि विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों से दूसरे बैंकों ने विदेशी मुद्रा मांगी थी? अगर कोई अनिवासी भारतीय किसी बैंक के अध्यक्ष अथवा उच्च अधिकारी को जानता है तो वह वहां से ऋण लेकर भारत में स्थित किसी बैंक ऑफ बड़ौदा अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया जैसे किसी बैंक में जमा करवा देगा; क्योंकि इंगलैंड की सरकार जमा किए गए धन पर अधिक ब्याज देती है तथा ऋण पर कम ब्याज लेती है। वे उस देश के नियमों से बंधे हुए हैं। जब वे अपना धन इस देश को स्थानांतरित कर देते हैं तो उन्हें इस पर ब्याज मिलता है, जिसके बाद यह पैसा उस बैंक से निकलवा कर किसी दूसरे बैंक में जमा करवा देते हैं। इस प्रकार भारतीय बैंक में कोई धन जमा नहीं रह जाता क्योंकि पैसा वापिस उसी बैंक चला जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जब भारत सरकार अथवा आर० बी० आई० को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो भारतीयों बैंकों में उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री महोदय इस वास्तविकता से वाकिफ है। क्या आप चाहेंगे कि अनिवासी भारतीय ऐसी प्रक्रिया जारी रखें? उन्होंने यहां क्या किया है? आप उनसे पूछिए। प्रत्येक प्रस्ताव के साथ अपनी मनचाही शर्तों का पुलिंदा वे लगा देते हैं। आप उनसे बातचीत करके देखिए। मैं आपसे इस बात पर सहमत हू कि जो व्यक्ति कुछ विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, वे यहां आकर भारत सरकार की सहायता कर सकते हैं, चाहे यह ओ० एन० जी० सी० के अन्तर्गत हो, अथवा रडार निर्माण के क्षेत्र में या वायुयान निर्माण के क्षेत्र में अथवा किसी और क्षेत्र में। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विशेषज्ञ कम्पनियों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा उदाहरणार्थ, ब्राजील में कई जर्मन कम्पनियों ने कार निर्माण आरम्भ किया है। वे एक दम से अपना सारा पैसा नहीं निकलवाते। उन्होंने वहां की सरकार को इस बात के लिए विश्वास में लिया है कि वे एक दम से अपना पैसा नहीं निकलवायेंगे। अगर आप इस दिशा में कदम उठायें तथा अपनी मोटर नीति, एल्कोहल नीति तथा दूसरी नीतियों को लाईसेंस से मुक्त कर दें तो बहुत सी विख्यात विदेशी कम्पनियां यहां आकर पूंजी निवेश करने के

[श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह]

लिए आकर्षित होगी। परन्तु भगवान के लिए इनकी तुलना अनिवासी भारतीयों से मत कीजिए, जो कि यहां आ कर अथाह धन कमाते हैं। वे जिस तरीके से धन कमाते हैं, उन्हें उस पर भी पूरक है। अगर आप एक अनिवासी भारतीय की तुलना किसी विख्यात कम्पनी से करेंगे तो कोई भी नामी कम्पनी इस देश में आकर पूंजी निवेश करने की बजाय हवाला व्यापार करना अधिक पसन्द करेगी।

काला धन निकलवाने के लिए जो राष्ट्रीय आवास बोर्ड की योजना आरम्भ की गई है, वह असफल सिद्ध होगी। जैसे कि कर्नाटक से माननीय मित्र ने उचित ही कहा कि खाद पर राज सहायता को वापिस लेने से कई और कृषि उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ा है। इसलिए यह केवल अनाज तक ही सीमित नहीं है। आप उन किसानों को अनुमति प्रदान क्यों नहीं करते है जो कि अनाज का निर्यात करना चाहते हैं ? इस क्षेत्र में भी पंजाब और हरियाणा काफी प्रगति कर सकते हैं। हम मध्य प्रदेश के लोग वित्त मन्त्री महोदय को इसके लिए आमन्त्रित करते है कि वे स्वयं आ कर देखें वहां का जनजातीय किसान कितना पैसा कमा रहा है और खाद की कीमतों में वृद्धि से उसकी हालत कैसी होने वाली है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को आमन्त्रित करता हूं कि वे स्वयं आ कर वहां लोगों से मिलें। उन्हें भी एक बार उस सच्चाई का सामना करना चहिए जिसका सामना हम प्रतिदिन करते हैं।

पश्चिमी महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब अथवा उत्तर प्रदेश के गांगेय क्षेत्रों के किसानों की तुलना करना आसान है। परन्तु मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किसान काफी गरीब हैं। आज वे ऋण सुविधा का भी लाभ नहीं उठा रहे हैं। पुरानी दर पर उन्हें 2000 रु० का ऋण खाद के लिए दिया जाता है। अब बढ़ी हुई खाद की कीमतों से उन्हें क्या मिलेगा ? उसे विश्वास है कि उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में इस पहलू को मद्देनजर नहीं रखा गया है जहां पर कि जनजातीय, हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोग रहते है। आज खाद ले जाने का भी सामर्थ्य उनके पास नहीं है।

मैं आपसे सहमत हूं कि देश इस समय संकट की घड़ी से गुजर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक अथवा अपने रूसी मित्रों, कुवैती मित्रों, ईराकी मित्रों अथवा दूसरे किसी मित्र से ऋण लेने में कोई हानि नहीं और हमें इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। परन्तु आपने राज सहायता के बारे में जो बजट में कहा है, उसे वापिस ले लीजिए। अगर आप वास्तव में इस देश का कल्याण तथा प्रगति चाहते हैं तो एल्कोहल, चीनी तथा मोटर कार उद्योग को लाईसेंस से मुक्त कर दीजिए।

**वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह)** : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने मेरे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के अनुभव की चर्चा की है। मैं जानता हू कि एक दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। मैंने दूसरे सदन में भी कल स्पष्ट शब्दों में कहा था और यहां भी उसी बात को दोहराता हूं कि मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक का कभी भी कर्मचारी नहीं रहा और मैं किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से पेंशन नहीं ले रहा हूं।

**श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : मैंने यह कहीं नहीं कहा कि आप कुछ ले रहे हैं। मैंने तो केवल इतना ही कहा है कि आपको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की जानकारी है।

**श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान निकोबार)** : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ हैं।

**श्री मनमोहन सिंह** : अगर यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है तो यह एक आधारहीन आरोप हैं।

**श्री एम० बी० बी० एस० मूर्ति (विशाखा पटनम)** : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के प्रति अपनी अस्वीकृति प्रकट करने के लिए यहां सदन में खड़ा हुआ हूं। उन्होंने अपने नीतिगत वक्तव्य में यहां कहा है कि विदेशी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में सुधार होगा। परन्तु वास्तविकता यह है कि इसमें भारतीय उद्योग की प्रगति में रुकावट आयेगी क्योंकि आप जानते ही हैं कि वर्तमान में भारतीय उद्योग में कैसी तकनीक को अपनाया जा रहा है। अगर हर क्षेत्र में इसकी अन्धा धुन्ध अनुमति दी गई तो इससे भारतीय उद्योग का मूल ढांचा ही बिगड़ जायेगा। इसलिए भारतीय उद्योग में इसकी अनुमति बड़ी सावधानी से सोच समझ कर दी जानी चाहिए।

सभा में घोषित औद्योगिक नीति के बारे में अनेक मित्रों ने कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ भारी उद्योगों, जहां से हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं जैसे मोटर कार, स्पिरिट और चीनी उद्योग में विदेशी निवेश किया जा सकता है। मैं नहीं समझ पाया कि इन उद्योगों में लाइसेंस की नीति अभी भी क्यों जारी रखी जाएगी।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्तमान बजट मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियों को रोकेगा। लेकिन मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि यह एक भिन्न बजट है जो आने वाले महीनों में मुद्रा स्फीति को और बढ़ा देगा। जैसा कि हम देख रहे है कि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। मैं नहीं जानता कि आने वाले साठ दिनों में कीमतें कैसे कम हो पाएंगी क्योंकि पहले यह कहा गया था कि सौ दिन के भीतर कीमतें कम कर दी जाएगी। माननीय वित्त मन्त्री को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा।

सभा के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है कि बजट में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। किसानों की स्थिति के बारे में सोचे बिना उर्वरक पर राजसहायता कम कर दी गई है। साथ-साथ माननीय वित्त मन्त्री ने कहीं भी यह नहीं कहा कि तदनुसार अधिप्राप्ति मूल्य भी बढ़ाए जायेंगे। यदि उन्होंने यह कहा होता कि अधिप्राप्ति मूल्य भी साथ-साथ बढ़ाए जायेंगे तब किसानों को कुछ हद तक यह तसल्ली होती कि उनका भी ध्यान रखा गया है। उर्वरक की कीमत बढ़ाने से किसानों को बहुत परेशानी होगी। अतः माननीय वित्त मन्त्री को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यों के लिए राशि 3,115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 508 करोड़ रुपए कर दी गई है। आज अनेक सदस्यों ने कहा है कि रुपये का मूल्य 22 पैसे हैं। क्या इसे हम यह समझ सकते है कि ग्रामीण विकास और गरीबों के उत्थान के लिए यह वृद्धि पर्याप्त है। यदि वह गरीबी हटाना चाहते है तब इस पर दुबारा विचार करना होगा।

आवास के बारे में बजट में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि गरीब लोगों के लिए आवास बनाए जायेंगे। आज हम देखते है कि देश के अनेक भागों में आवासीय योजनाओं की उपेक्षा की गई है और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में पिछले दो वर्षों से आवासीय योजनाओं की उपेक्षा की गई है।

आम आदमी के लिए बजट में चीनी और खाना पकाने की गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि आज रेफ्रिजरेटर अमीर व्यक्ति के उपयोग की ही वस्तु नहीं रह गई है। आम व्यक्ति बचा हुआ खाना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं लेकिन यहां खाना बचाने के स्थान पर हम

[श्री एम वी०वी०एस० मूर्ति]

इस प्रकार की वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर उसे खराब कर रहे हैं। यह उन मदों में से एक है जिनके मूल्य बढ़ा दिए गए हैं। माननीय वित्त मन्त्री को इन पहलुओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

अनेक व्यक्ति यह सोचते हैं कि डीजल ऐसा पेट्रोलियम उत्पाद है जिसकी कीमत कम की जानी चाहिए। लेकिन मोटर स्पिरिट के दाम बढ़ने से आम आदमी के परिवहन में और कठिनाइयां बढ़ गई हैं। आजकल ज्यादातर लोग कारों की अपेक्षा दुपहिया और तिपहिया स्कूटरों में सवारी करते हैं। मोटर स्पिरिट और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाकर ऐसे लोगों की समस्यायें और बढ़ा दी गई हैं। इन वस्तुओं के दामों में वृद्धि ने अन्य वस्तुओं के दामों को जो प्रभावित किया है। अतः माननीय वित्त मन्त्री को इस बात पर विचार करना चाहिए कि पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में वृद्धि से अन्य वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि होगी। मैं नहीं जानता कि इस बारे में आम आदमी का किस प्रकार ख्याल रखा जाएगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से बहुत सा धन लिया जा रहा है और जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि वह सफेद हाथी बनते जा रहे हैं। वित्त मन्त्री जी ने यह नहीं बताया कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्नवीकरण करने के लिए कौन से उपाय करेंगे। इन उपक्रमों को पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। यदि उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा तब वह अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाएंगे। यदि बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी ही स्थिति चलती रही तब बजट में जो कुछ अतिरिक्त राशि दिखाई गई है वह इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लग जाएगी यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी की अनुमति दे दी जाए जैसी कि गैर-सरकारी क्षेत्र में दी गई है और उसका भली प्रकार से उपयोग किया जाए तब हमारे देश का भला हो सकता है। यदि वर्तमान सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विदेशी प्रौद्योगिकी और निवेश उधार ले सकें तब हम आने वाले वर्षों में अतिरिक्त उत्पादन कर पाएंगे।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम केवल कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन हम छोटे किसानों पर कर लगा रहे हैं। यदि ऐसा है तब आने वाले समय में किसान अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे बल्कि हतोत्साहित होंगे। यदि अतिरिक्त उत्पादन करना है और निर्यात के लिए वस्तुएं उत्पादित करनी हैं तब वित्त मन्त्री महोदय को अन्य सभी क्षेत्रों की भांति कृषि क्षेत्र का भी आधुनिकीकरण करने की ओर ध्यान देना होगा। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि अनेक सदस्यों ने कहा है कि कृषकों पर ही आज सबसे अधिक कर लगाए गए हैं। माननीय मन्त्री महोदय को इस पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

हमें विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है। कतिपय ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे हमारे देश में विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जा सकती है। एक ऐसा क्षेत्र समुद्री उत्पादों का है जहां हम उनसे संबंधित कार्यों में सहायता देकर संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। आज समुद्री उत्पादों से आय बढ़ रही है। हम इस मद की ओर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए। मछुआरे जिन नावों और मत्स्य नौकाओं का उपयोग करते हैं उनके लिए वह सरकार को अपनी बकाया राशि नहीं दे पाते हैं। वह प्रतियोगी कीमतों पर पेट्रोलियम उत्पादन भी नहीं खरीद पाते हैं। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर पेट्रोलियम उत्पाद दिए जाने चाहिए ताकि समुद्री उत्पाद निर्यात करके दुगुनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

मैं यह भी सुझाव देता हूं कि मेरे निर्वाचन स्थल, विजाग में एक निर्यात संवर्धन क्षेत्र होना चाहिए। यह कार्य पिछले तीन वर्षों से किया जा रहा है इसके लिए भूमि और अन्य सामान प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन यहां अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। यदि यहां कार्य आरम्भ हो जाता

है तब यह भी एक ऐसा क्षेत्र हो जाएगा जहां से कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में इस ओर ध्यान दिया जाएगा ताकि हम और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें।

इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश में खनिज अयस्क और बाक्साइट के बहुत भंडार हैं। यदि हम बड़ा उद्योग लगाएं तब इसमें निर्यात की भी सम्भावनाएं होंगी। पिछले 10 सालों से हम वहां बाक्साइट अयस्क का पता लगाने और एक अल्युमीनियम संयंत्र लगाने की बात कर रहे हैं। यदि हम इस ओर ध्यान दें तब इस क्षेत्र में भी निर्यात की अनेक सम्भावनायें है।

मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मन्त्री और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए इन कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की ओर ध्यान देंगे। यदि हम भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार नहीं करते तो आने वाले वर्षों में बहुत गम्भीर स्थिति पैदा हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री जी मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

**श्री याइमा सिंह युमनाम** (आंतरिक मणिपुर) सभापति महोदय, मैं बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इस सभा में बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मन्त्री ने लोगों से देश को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बनाए रखने हेतु आवश्यक बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि जनता वित्त मन्त्री जी की पुकार सुनने के लिए तैयार होती है। परन्तु मुझे इस बारे में सन्देह है। वे किसान जिन्हें उर्वरक के लिए और अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा क्या वे प्रसन्न होंगे? क्या उन निर्धन उपभोक्ताओं को प्रसन्नता होगी जब उन्हें आवश्यक वस्तुओं की और अधिक कीमत देनी पड़ेगी क्योंकि समर्थन मूल्य बढ़ने के कारण खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी तो अवश्य ही बढ़ेंगे?

महोदय, जनता केवल उन नेताओं की बात मानती है जो उनके बलिदानों को पहचानते हैं, जो उनके लिए संघर्ष करने को तैयार रहते है, जो उनकी कठिनाइयों को समझते है तथा जो उनकी शिकायतें सुनते हैं। बहुत ही कम व्यक्ति प्रसन्न होंगे। केवल वे व्यक्ति जिनकी सरकार में पहुंच है वे ही प्रसन्न होंगे परन्तु वे ऐसे व्यक्ति हैं जो बलिदान नहीं करेंगे क्योंकि उनका हित केवल गरीब लोगों का शोषण करने तथा और अधिक धन अर्जित करने में ही रहता है। अतएव वित्त मन्त्री जी का लोगों से आवश्यक बलिदान करने के लिए तैयार रहने का आह्वान निरर्थक हो जाएगा।

महोदय, मैं सरकार से दो अथवा तीन मामलों में कुछ मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहली तो यह है कि उनमे जनता की सेवा करने की भावना होनी चाहिए तथा न केवल जनता की ही बल्कि सम्पूण मानव जाति की सेवा की भावना होनी चाहिए क्योंकि चिरकाल से इस देश की भावना इंसानियत से जुड़ी रही है। अत: अब आने वाले समय मे भी इस देश को फिर उसी भावना के साथ कार्य करना है।

सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। मैं भी उन माननीय सदस्य से सहमत हूं जो अभी अभी बोल रहे थे तथा मैं यह कहना चाहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए यह सख्ती (कठोरता) एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। मैं यह कहूंगा कि इस समय यह एक अनिवार्य कदम है।

मेरी सरकार से दूसरी मांग यह है कि इसे उन उच्च आदर्शों तथा सिद्धान्तों का त्याग नहीं करना चाहिए जिन्हें इस देश में हमारे सम्माननीय राष्ट्रपिता, हमारे प्रथम प्रधानमन्त्री श्री नेहरू तथा

[श्री याइमा सिंह युमनाम]

श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा कायम रखा गया है। उन्होंने इन उच्च आदर्शों तथा सिद्धान्तों को देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनाया था तथा देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा इन प्रस्तावों के कुछेक मदों पर पुनर्विचार करने के अच्छे परामर्श को स्वीकार करे। मैं यह भी कहूंगा कि सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष अपने हाथ में भिक्षापात्र लेकर घुटने नहीं टेक देने चाहिए। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने पर आपत्ति उठा रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि सरकार को भिक्षुओं के सदृश ऋण नहीं लेना चाहिए।

मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। स्वतन्त्रता के कुछ ही वर्षों के पश्चात् हमारे देश में भारी अकाल पड़ा था जिसका असर देश के दक्षिण में स्थित बड़े भागों में काफी हुआ था। उस समय नेहरू जी प्रधानमन्त्री थे तथा देश गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों की वकालत कर रहा था। अमरीका के पास प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न था, उस समय सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने अमरीका से भुगतान पर न कि अनुदान के रूप में खाद्यान्न की सप्लाई करने का अनुरोध किया था।

परन्तु देश में व्याप्त अस्थिर स्थिति का लाभ उठाने के उद्देश्य से अमरीका भारत को खाद्यान्न की सप्लाई के बदले में कुछेक शर्तें रखना चाहता था जो कि भारत पर कुछ राजनैतिक दबाव डालने वाली युक्तियों के अन्तर्गत थी परन्तु श्री जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें मानने से इंकार कर दिया। वह अमरीका की इस मांग के खिलाफ हो गए। अमरीका से मांगने तथा गुट निरपेक्षता के उच्च सिद्धान्तों के सामने आत्म-समर्पण करने के स्थान पर वह जनता के पास गए तथा उससे बड़े बलिदान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कुछेक अवधि तक हम रोज केवल एक समय ही भोजन करें। जनता ने इसका जोरदार स्वागत किया। इस प्रकार जितने धन की बचत हुई उसे जरूरतमन्द व्यक्तियों तथा परिवारों को भेज दिया गया। जनता ने यहां तक कि देश के सुदूर क्षेत्र में स्थित मणिपुर की जनता ने भी श्री जवाहर लाल नेहरू के आह्वान का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया।

अमरीका की जनता ने भारत की जनता तथा उसकी भावनाओं को पहचाना तथा उन्होंने अमरीका की तत्कालीन सरकार से भारत सरकार के अनुरोध को मानने तथा बिना किन्हीं राजनैतिक शर्तों को लगाए भारत को खाद्यान्न की सप्लाई करने के लिए दबाव डाला। शर्त यह थी कि इसकी सप्लाई पी० एल० 480 के अन्तर्गत की जाएगी। श्री जवाहर लाल नेहरू इतने संकट की घड़ी तथा स्थिति में भी इस शर्त के आगे नहीं झुके।

जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत के प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू को दूसरे देशों से हथियार खरीदने के लिए सोने की आवश्यकता पड़ी। उस समय भी पश्चिम के देशों ने भारत पर उनकी शर्तों को मानने के लिए दबाव डाला था ताकि वे भारत के पक्ष में लड़ाई करें परन्तु श्री जवाहर लाल नेहरू शर्तों से बंधने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होने पुन: जनता से उन स्वर्ण आभूषणों को दान करने के लिए कहा जो जनता के पास थे। जनता ने इस आह्वान का भी जोरदार स्वागत किया। यहां तक कि देश के सुदूर कोने अर्थात् मणिपुर की जनता ने भी काफी बड़ी मात्रा में स्वर्ण-आभूषणों का दान किया था। मैं स्वयं भी दिल्ली आया था तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री के माध्यम से मणिपुर की जनता की तरफ से आभूषणों का दान किया था। परन्तु वर्तमान सरकार में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसकी पहचान ऐसे नेता के रूप में की जा सके।

इसी प्रकार से शास्त्री जी ने भी जनता से अपील की थी तथा इसका भी जनता ने जोरदार स्वागत किया था।

केवल वे नेता जो जनता के बलिदानों का मूल्य समझते हैं तथा उसकी कठिनाइयों को समझते हैं, उनमें सहभागी बनते हैं वे नेता ही जनता से बलिदान करने का आह्वान कर सकते हैं तथा जनता उनके आह्वान का प्रत्युत्तर देगी जैसा कि अतीत में जनता द्वारा किया गया था।

मैं निम्नलिखित आधार पर बजट के प्रस्तावों का विरोध करता हूं :

मैं उर्वरक के मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस मामले में इस सदन में काफी कुछ कहा गया है तथा इस पर चर्चा की गई है। अतः मुझे उन्हें पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। खैर, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे मणिपुर राज्य की एक खासियत है। मणिपुर में जमींदारी प्रथा जैसी कोई पद्धति नहीं है।

मणिपुर में किसानों के पास जमीन है परन्तु केवल दो अथवा पांच एकड़ अथवा इससे थोड़ी अधिक जमीन उनके पास होती है। अतएव वित्त मन्त्री जी का यह आश्वासन कि उर्वरकों के मूल्य में हुई बढ़ोत्तरी की क्षतिपूर्ति खरीद-मूल्य में वृद्धि करके की जाएगी, यह आश्वासन मणिपुर के कृषकों के लिए लागू नहीं होता क्योंकि वे कोई बचत नहीं करते हैं। उनके पास बचत करने की कोई गुन्जायश नहीं है अतः मुझे उस पर आपत्ति है।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने देश की अखंडता को बढ़ाने तथा उसके लिए योजनायें बनाने के बारे में उल्लेख किया है। निःसन्देह यह एक अच्छी योजना है। परन्तु केवल कुछ सम्मेलन, बैठकें, आयोजित करने युवाओं को एकत्रित करने, कुछ नृत्य, मेलों अथवा उद्घाटन सम्बन्धी समारोहों का आयोजन करने मे ही कुछ नहीं होगा। हमे इस पर अधिक राशि खर्च नहीं करनी चाहिए। हमें जनता को प्रेरणा देने के लिए कुछ करना है। हमे विकास कार्यों के माध्यम से भावनात्मक अखंडता को लाना है तथा यही अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मणिपुर में उग्रवादियों अथवा भूमिगत लोगों ने भारत बर्मा मुक्ति मोर्चा संघ जैसे संगठन बना लिए हैं। वे मणिपुर, नागालैंड तथा असम को अलग करने की मांग कर रहे हैं। समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ था कि यदि सरकार इस समय भी मूक बनी रहती है तो एक दिन देश का यह भाग भी हमारे हाथ से निकल जाएगा तथा वहां पर भी पंजाब अथवा कश्मीर जैसा संकट उत्पन्न हो जाएगा। मैं यह बता रहा हूं कि यह राष्ट्रीय अखंडता अथवा साधारण भावनात्मक अखंडता से भी हल नहीं निकलेगा। हमें इसके लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए तथा जनता के लिए कुछ करना चाहिए। यदि आप इस समय ऐसा नहीं करेंगे यदि ईमानदारी से विकास सम्बन्धी समस्याओं पर विचार नहीं करेंगे बल्कि यदि आप केवल युवाओं को आन्दोलन के लिए ही प्रबोधित करेंगे तो उससे हल नहीं निकलेगा।

अन्त में मैं पर्यटन के बारे में लाए गए प्रस्ताव के बारे में कुछ कहूंगा। स्थिति यह है कि कई विदेशी पर्यटक मणिपुर आना चाहते हैं क्योंकि वे वहां की चित्रात्मक सुन्दरता से आकर्षित हैं। परन्तु उन्हें मणिपुर में दो अथवा तीन दिनों से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह सब क्या है?

जापानी लोग मणिपुर को एक तीर्थस्थल समझते हैं क्योंकि पिछले युद्ध में उनके अनेक बौद्ध पुजारी मणिपुर तथा नागालैंड में मारे गए थे। अतः बड़ी संख्या में जापानी लोग मणिपुर आए थे।

[श्री याइमा सिंह युमनाम]

परन्तु उन्हें दो अथवा तीन दिनों से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि उनकी उड़ान रद्द हो जाती और उन्हें रुकना पड़ जाए तो इसके लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है तथा उन्हें घुसपैठिया समझकर जेल में बन्द कर दिया जाता है। अतः यह सबसे अधिक खतरनाक स्थिति है। आन्तरिक रेखा को पार करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी प्रणाली की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। अन्यथा विदेशी मुद्रा का अर्जन भी समाप्त हो जायेगा।

ब्रिटेन से भी कई पर्यटक आये थे। वे भी वहां पर रुकना चाहते थे परन्तु प्रतिबन्धों के कारण वे नहीं आ सके। इस प्रकार कई व्यक्ति वहां आना चाहते हैं तथा वहां पर दस या पन्द्रह दिन तक रुकना चाहते हैं। परन्तु उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाती। ऐसा क्यों होता है। क्या मणिपुर देश का एक भाग नहीं है? यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है? यदि इस हटा दिया जाए तो हम भी देश के लिए काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। इन प्रतिबन्धों के हटने से राज्य को राजस्व का भी अर्जन होगा तथा यह बहुत लाभप्रद होगा।

अन्त में, अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं यह कहूंगा कि मुझे इस राजीव गांधी फाउंडेशन न्यास पर भी आपत्ति है। मैं नहीं चाहता कि इस पर सरकार का इतना भारा धन व्यय किया जाए। राजीव का नाम ऐसे विवादास्पद मामलों में नहीं लाया जाना चाहिए। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**कुमारी शैलजा** (सिरसा) : मैं इस बजट का समर्थन करती हूं क्योंकि मौजूदा विपरीत आर्थिक स्थिति में माननीय वित्त मन्त्री के पास आर्थिक संकट का सामना करने हेतु सख्त कदम उठाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था और इसके लिए उन्हें सभी देशभक्त लोगों के समर्थन की आवश्यकता है।

हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी ने हत्या से केवल दस मिनट पहले न्यूयार्क टाइम्स के रिपोर्टर के साथ साक्षात्कार में कहा था कि वह बालिकाओं की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि यह व्यवस्था बदली जाए, जिसमें बालिका की तुलना में एक बालक को शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में अधिक महत्व दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि आप एक बार एक महिला, एक माँ को शिक्षित कर दें, तो समाज में अपने आप ही बेहतर बदलाव आ जायेगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह ऐसे कार्यक्रमों पर जोर दें और उन्हें अधिक धन-राशि प्रदान करें।

ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का नाम श्री राजीव गांधी के नाम पर ठीक ही रखा गया है, क्योंकि वह उच्च प्रौद्योगिकी के पक्षधर थे और प्रौद्योगिकी मिशन के प्रति उनकी वचनबद्धता सबको ज्ञात है और हर किसी ने इसे सराहा है।

मैं कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उर्वरकों में 40 प्रतिशत वृद्धि और इस पर राजसहायता में कमी किसानों के प्रति बहुत सख्त कदम है और इससे उनमें घबड़ाहट पैदा हो गयी है।

4.59 म० प०

[श्रीमति मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुयीं]

किसान हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद हैं। हरित क्रान्ति ने सारे देश की सहायता की है। लेकिन किसान ही सबसे अधिक हतोत्साहित हैं। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में पुनर्विचार किया जाए। खाद्यान्न के वसूली मूल्य में वृद्धि की जा रही है लेकिन मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री छोटे किसानों को उचित सुरक्षा प्रदान करेंगे।

योजना संसाधनों का 50 प्रतिशत कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र पर निवेश किया जाता है तो अब जरूरत है कि कृषि उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पादों के बीच कुछ समानता हो। कृषि क्षेत्र की बजाय औद्योगिक क्षेत्र मे निवेश से अधिक लाभ मिलता है। इन दोनों में कुछ समानता होनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना सही दिशा में कार्यवाही है। सम्भवत: यह बेहतर होगा यदि हम किसानों की सहकारिता के लिए एक योजना बनाए, ताकि किसानों को इन उद्योगों से सीधे लाभ मिल सके।

5.00 म० प०

मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि वित्त मन्त्री ने बजट में मुद्रास्फीतीय कारणों पर उचित ध्यान दिया है, इसके बावजूद मूल्यों की स्थिति विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए कालाबाजारियों तथा जमाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के भी प्रयास किए जाने चाहिए।

मैं राष्ट्रीय आवास बैंक में जमा होने वाली विशेष योजना के तहत काले धन के उपयोग की योजना का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह कारगर सिद्ध होगी।

मैं मिट्टी के तेल के मूल्य में लगभग 10 प्रतिशत की कमी करने पर वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि रसोई गैस के मूल्य कम करने पर भी विचार करें, इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

बजट पर एक नजर डालने के बाद मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए इतना जरूर कहूंगा कि यह एक काफी सन्तुलित बजट है, जिसके लिए वित्त मन्त्री की सराहना की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** (हैदराबाद) : सभापति महोदया, मुझे कब बोलने दिया जाएगा। पहले कहा गया कि मोहतरमा के बाद आपको बोलने देंगे लेकिन अभी भी बोलने नहीं दिया जा रहा है।

**सभापति महोदय** : आप जरा बैठिए, आपको बुलएंगे।

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बजट के विरोध में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया। यह बजट तो प्रारम्भ किया गया है कि वित्त मंत्री महोदय के नाते श्री राजीव गांधी की स्मृति में समर्पित है लेकिन बजट पढ़ने से लगता है कि यह राजीव जी की स्मृति में नहीं देशी और विदेशी धन्नासेठों की सेवा में समर्पित बजट है। यह जनता के विरोध में इस देश और विदेश के पूंजीपतियों की साजिश का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि शुरू से इस देश की जो स्वीकृत नीतियां थीं वह केवल जवाहर लाल जी

[श्री मोहन सिंह]

की नीतियां नहीं थीं, न इन्दिरा जी की नीतियां थीं, कुछ नीतियां इस देश में सामान्य सहमति से पूरे देश की नीतियां हो गई जैसे धर्मनिरपेक्षता की नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति, उसी तरह स्वदेशी और स्वावलम्बन की नीति। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि इस देश की सरकार नए सिरे से उन सभी परम्पराओं को तोड़ना चाहती है जो परम्पराएं और नीतियां पिछले 40 वर्षों के अथक प्रयास के बाद इस देश के राष्ट्रीय नेताओं ने इस देश की समस्याओं को समझते हुए स्वीकार किया था। जब हम लोग विद्यार्थी थे उस जमाने में स्वतन्त्र पार्टी नाम की एक संस्था और राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी जो मुक्त व्यापार, स्वतन्त्र सारी चीजें और विदेशी पूंजी के लिए सम्पूर्ण रूप से इस देश के दरवाजे को खोलने की वकालत किया करती थी। हम लोगों को पता था कि वह पार्टी 1974 में समाप्त हो गई लेकिन नए प्रधानमन्त्री और नए वित्त मन्त्री बनने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का नया पुर्नजन्म हुआ है और यह पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि स्वतन्त्र पार्टी का नया अवतार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो विदेशी पूंजी है उसके लिए इस तरह खुला दरवाजा खोल देना हिन्दुस्तान की सम्पूर्ण व्यवस्था के साथ इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता है।

आज के समाचार पत्रों में एक बात छपी है और उसमें लिखा है कि इस देश के जो विद्युत संयंत्र नए बनाए जाएंगे उसमें सौ फीसदी पूंजी निवेश विदेशी होगी, उसको खुली छूट दी जाएगी। उसी तरह दवाओं के मामले में जो नये उद्योग लगेंगे, या विदेशी कम्पनियां यहां आयेंगी तो उनको बिना लाइसेंस के एटोमैटिक लाइसेंसिंग सिस्टम ऐसा उन्होंने कहा है, उसको कर देंगे। हम कहां जा रहे हैं और इस देश को कहां ले जा रहे हैं ? इसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। अभी बहुत जोर-शोर से (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : विदेशियों को सत्ता देने का यही तरीका है।

[हिन्दी]

**श्री मोहन सिंह** : ठीक बात है। आज प्रातःकाल इसी आदरणीय सदन में प्रश्न पैदा हुआ कि जो बी० सी० सी० आई० है, उस बैंक के जरिए इस देश में विदेशी शक्तियां हमारे अन्दरूनी मामलों में दखलअंदाजी करती हैं। यदि इस तरह की खुली छूट मल्टी-नेशनल कम्पनियों को हमारे देश में दी जाएगी तो हमारे देश की अन्दरूनी व्यवस्था के साथ किस तरह की दखलअंदाजी हो सकती है, उसको हम एक बैंक की शाखा खोल कर इस देश में देख सकते हैं। बहुत जोर-जोर से वकालत की गई कि इस देश में जो निजी क्षेत्र है, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में चूंकि पिछले 40 वर्षों में निजी क्षेत्र को हतोत्साहित किया गया इसलिए इस देश का त्वरित औद्योगिक विकास होने में बहुत बड़ी बाधायें पैदा हुई, यदि यह बात सही है तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 6 वर्षों से डालमिया नगर के सारे औद्योगिक समूह क्यों बंद हैं ? यदि इस देश का निजी क्षेत्र इतना कुशल है तो इससे बड़ी अकुशलता का और क्या प्रमाण हो सकता है कि डालमिया नगर के सारे औद्योगिक समूह पिछले 4-5 वर्षों से बन्द है और कोई निजी क्षेत्र उसको लेने और उसको संचालित करने में सक्षम नहीं है। क्या हुआ जो सारी टेक्सटाइल मिलें बम्बई की संचालित करने में निजी क्षेत्र विफल हो गया और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का क्या हुआ ? जब वह मिलें सिक होने लगीं तो उनको शासन के अधीन निजी क्षेत्र छोड़ कर भाग गया। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि जब तक निजी क्षेत्र लूट और

शोषण का माध्यम रहा तब तक निजी क्षेत्र उसको अपने हाथ में लेकर हिन्दुस्तान का पूंजीपति अपनी पीठ ठोंकता है कि निजी क्षेत्र में ही कुशलता है और जब वे बीमार हो जाती हैं तो लांछन और उलाहना देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उन सारे उद्योगों को दे दिया जाता है। इस बजट में अन्दर इस बात का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें न ही यह दिखाई पड़ता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता है और जो निजी क्षेत्र की लूट है उसको तोड़कर इस देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो समन्वित नीति थी उसको चलाने के लिए हमारे देश की सरकार क्या करने जा रही है।

मैडम, बहुत जोर से एक दिन हमारे कृषि मंत्री ने यहां अपनी पीठ ठोकी कि हमारे देश में पैदा हुआ खाद्यान्न हमारे देश में सरप्लस है। यह जो अतिरिक्त खाद्यान्न का भंडार है, उसको देने वाला कौन है, इस देश का किसान है, हमारे देश में हरित क्रांति होने से पहले 1968 और 1979 से पहले इस देश में करोड़ों और अरबों रुपयों का गेहूं कनाडा और अमरीका से हमारे देश की जनता को, उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाता था लेकिन एक कठिन परिस्थिति में इस देश के किसान ने मेहनत करके हिन्दुस्तान को खाद्यान्न के मामले में एक अतिरिक्त स्टाक जमा करके, देश को आत्म निर्भर बनाने का काम किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत की वित्तीय संस्थाओं का, भारत की कृषि की तरक्की में कितना बड़ा योगदान है? आज भी बैंकों को कहा गया कि भारत का जो सामाजिक उद्देश्य है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य है, उसमें हमारे देश के बैंकों की भागीदारी होगी लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब से कांग्रेस पार्टी ने 'कर्जा मेला' लगाना शुरू किया तब से हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों की साजिश से, इस देश की सरकार और इस देश के बड़े नौकरशाह जो थे, उन्होंने कुछ नई संस्थाओं का वित्तीय संस्थाओं का इजाद इस देश में किया। मैं वित्तमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यू० टी० आई० (यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया) एल० आई० सी०, इन्डिरा विकास बैंक, जिसके जरिए अरबों रुपया हिन्दुस्तान में गरीब आदमियों ने पोस्ट आफिस में जमा करने का काम किया, उसकी कितनी पूंजी, हिन्दुस्तान की तरक्की में सबसे अधिक योगदान करने वाला जो कृषि क्षेत्र है, इन वित्तीय संस्थाओं में लगी हुई है। भारत के वित्तमंत्री को यह बताना पड़ेगा लेकिन दुख की बात यह है कि जब किसानों का कर्जा माफ किया जाता है तो इनके पेट में थोड़ा दर्द होने लगता है। आखिर किसानों की कर्ज माफी से आपको दर्द क्यों होता है? माडवेट प्रणाली आपने फिर चालू कर दी। इसी सदन के अन्दर आप ही की पार्टी और आपके वित्तमंत्री जब एन० डी० तिवारी साहब थे तो उन्होंने मोडवेट प्रणाली को खत्म किया था। क्यों खत्म किया था, उनका कहना था कि साढ़े छः अरब रुपया मोडवेट प्रणाली के जरिए हिन्दुस्तान के बड़े औद्योगिक घरानों में चला जाता है। खास तौर से नाम लिया गया था कैम्पाकोला कम्पनी का। वह कैम्पाकोला कम्पनी क्या करती है, गंगाजल मिलाया, उसमें कन्सेण्ट्रेट लगाया, कह दिया यह चार रुपये का कैम्पाकोला है, दाम लगाया 4 रुपया और साढ़े छः सौ करोड़ रुपया मोडवेट प्रणाली के जरिए आप ऐसे घरानों को देने का काम करते थे। आप ही की पार्टी और आप की सरकार ने ही उसको तोड़ा था लेकिन फिर से आप शीतल पेय के ऊपर उस मोडवेट प्रणाली को चालू करने जा रहे हैं। जिस चीज को आप ही की पार्टी और आप की सरकार ने यह कह कर खत्म किया था कि हिन्दुस्तान के कुछ बड़े औद्योगिक घराने इस प्रणाली का पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं, आप उनको वह रुपया फिर से देकर लाभ पहुंचाना चाहते हैं।

किसानों को थोड़ी सी छूट दे दी गई तो हिन्दुस्तान के वित्त मन्त्री बार-बार कह रहे हैं कि इस देश का सारा आर्थिक संतुलन इसलिए गड़बड़ हो गया कि पिछली सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के लिए कुछ अरब रुपया दे दिया।

[श्री मोहन सिंह]

850 करोड़ रुपया आप जो एक्सपोर्ट है, उसमें थोड़ी सी छूट देकर आप छूट देने जा रहे हैं, पर इस तरह की छूट, जिसका कि लाभ बड़े घरानों, बड़े लोगों, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बड़े लोगों को मिलने वाला है, वह छूट देने में आपको एक मिनट की देरी नहीं लगती है और जब किसान को छूट देने का सवाल आता है तो आप परेशान होते हैं, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश को एक-एक पैसा जुटाने में इस समय समस्या पैदा हो रही है लेकिन अभी 100 करोड़ रुपया इन्होंने राजीव जी के नाम पर संस्थान के लिए दे दिया। वह संस्थान क्या करेगा ? वह संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ काम करने जा रहा है यह तर्क दिया गया। लेकिन है क्या, यह जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, जो पिछले 40 वर्षों से काम कर रहा है, उसके मद में अनुदान संख्या 70 और 71 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो पैसे का प्रावधान किया गया है, वह कितना है, इस वर्ष के बजट में पूरे के पूरे विभाग का, जिसका ढांचा 40 वर्षों से काम कर रहा है, उस विभाग को तो आपने पैसा दिया है, 271 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर। अनुदानों की मांगों के आयोजना के मद में उसको 118 करोड़ रुपया यानि पूरे के पूरा विभाग, जिसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुधार के लिए 40 वर्षों से इस देश में काम कर रहा है वह इस पूरे वर्ष के अन्दर अपनी सारी योजनाओं के ऊपर 118 करोड़ रुपया खर्च करेगा, इसके लिए आप वित्तीय प्रावधान कर रहे हैं। और एक ऐसी संस्था जिसकी कोई रूपरेखा इस देश के सामने नहीं है, उसने कोई अपना ढांचा इस सदन के सामने नहीं रखा है, उसकी कोई जवाबदेही इस सदन के सामने नहीं है और उसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरक्की के बहाने आप दे रहे हैं 100 करोड़ रुपया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं है। (व्यवधान) 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, पांच वर्ष में सौ करोड़ यह तो आप कहते हैं ? लेकिन जब एक बार यह तरीका खोल दिया जाएगा तो इस देश की हार्ड अर्न मनी को, जिस एक-एक पैसे के लिए हिन्दुस्तान की सरकार देश की गरीब जनता से कहती है कि आप नये करभार का मुकाबला करने के लिए, उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार करिए, उसी देश की सरकार इस देश के इस पैसे के साथ कितना बड़ा मजाक कर रही है, यह इसका नमूना है।

इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि मेरा समय कम हो गया है, मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार किसी भी कीमत पर जो फर्टिलाइजर के ऊपर, खाद के ऊपर बढ़ा-हुआ दाम है, उसको तत्काल वापस ले और उसी के साथ-साथ जो यह 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउण्डेशन के नाम पर दिया जा रहा है, इसको समाप्त करे। यह कहना कि इस देश में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा जरूरी चीजों के दाम रूकेंगे, यह खोखला नारा है, दिखावा है, भारत के वित्त मंत्री ने हिन्दुस्तान की जनता की लूट को, हिन्दुस्तान के बड़े व्यापारियों, हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों के सामने अपनी सरकार की सारी नीतियों को समर्पित किया है, उनके सामने घुटने टेके हैं और इस देश की गरीब जनता की पीठ पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है।

**श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी** : सभापति महोदय, जो बजट पेश किया गया है, उसको देखने के बाद और फिर बजट के पहले दो मर्तबा मिकी की कीमत गिरा दी गई, फिर रेलवे का बजट, इन तमाम चीजों ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। कीमत 15 से 20 फीसदी तक बढ़ गई है। 15 से 20 फीसदी तक कीमतें बढ़ गई हैं, पहले ही गरीब बहुत परेशान था और आज इन कीमतों के बढ़ने का नतीजा यह हुआ है कि गरीब की कुव्वत-ए-खरीद अब खत्म हो चुकी है। वह वाक्या मुझे याद आता है, जब दिल्ली के नादिरशाह ने कब्जा किया, तो तलवार खींच ली

सुनहरी मस्जिद पर और कहा कि कत्ले-ए-आम होना चाहिए। दिल्ली के लोग कत्ल होते चले गए। उसके बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उनके पास गए, उन्होंने यह फार्सी शेर पढ़ा, जिसका मतलब यह था कि जितने इन्सान थे सब कत्ल हो गए। अगर तुझे और कत्ल करना है तो मुर्दों को जिन्दा करके कत्ल कर। आज यही हाल है, गरीब तो फाकों से मर रहा है और हम कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इस बजट में उन गरीबों को सहारा देने के लिए कोई बात नहीं कही गई है।

एक तरफ यह नारा लगाया गया और यहां तक हम आगे बढ़े कि हमने अपने काउन्स्टीचूशन के अन्दर भी सोशलिज्म की बात की है. लेकिन आज सोशलिज्म कहां है ? जब कांग्रेस के लोगों की तकरीरें सुनते हैं पहले भी सुनता था और अब भी सुनता हूं, तो अजीबो-गरीब (व्यवधान) यकीनन सुनूंगा। मुझे वह वाक्या कहने दीजिए। जब बादशाह के दस्तर-ख्वान के ऊपर बैंगन आया, तो बादशाह ने बड़ी तारीफ की तो उसके जितने मुसाहिब थे, वे कहने लगे-सरकार, इसीलिए अल्लाह ने बैंगन के सिर पर ताज रख रखा है। बादशाह रोजाना बैंगन खाने लगा और जब जिस्म ज्यादा खुजाने लगा तो बादशाह ने कहा कि तुमने कहा था। वे कहने लगे-सरकार, इसीलिए अल्लाह ने बैंगन के पेंदे में कांटा दिया है, जिस्म खुजाना पड़ता है। बादशाह ने कहा-कल ताज कहा और आज कांटा कह रहे हो। उन लोगों ने कहा—सरकार, हम आपके वफादार हैं, बैंगन के भी वफादार रहेंगे। बहरहाल अजीबो-गरीब कल तक सोशलिज्म की तकरीरें और आज सरमाएदारी की तकरीरें। कहा कि आखिर आप कहां जाकर टिकेंगे। आपका आखिर सोशलिज्म क्या है, सरमाएदारी क्या है ? आपकी वजह से कहां-कहां आप नुकस न पहुंचाते चले जा रहे हैं। आज मुल्क का क्या हाल हो रहा है। आज गरीबों की यह हालत हो चुकी है कि वे यह कहते हैं कि हमको यहां रोटी नहीं मिलती है तो जेल में रोटी मिलेगी। आप बताइए—आखिर क्या करें ? यहां का गरीब कहां जाएगा कहां वह देखेगा ? कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन आप ने इनकम टैक्स की हद को नहीं बढ़ाया है। आखिर जिनकी मुख्तसर आमदनी है, वे आखिर क्या करेंगे, कैसे जीयेंगे ? अगर आप यह कहना चाहते हैं कि खर्च बहुत हो चुका है, पैसा नहीं है और अगर वाकयी आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सौ रुपये और पांच सौ रुपए के नोटों को खत्म कीजिए। यह जो ब्लैक मनी, काली रकम रखी हुई है और प्रचार भी करिए पूरी करंसी करिए। जब छोटा सा मुल्क कुवैत कर सकता है और आज जबकि ब्लैक की दौलत बनी हुई है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप क्यों नहीं उसमें मासूम करते हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि कितने हिन्दुस्तान के अन्दर सरमाएदार बैठे हुए हैं। हम लोगों को तबाह और फिरकावारियत बढ़ा रहे हैं। इनका यह सब चलने वाला नहीं है। लेकिन हम ऐसे इकमादात करना नहीं चाहते हैं, हम उन सरमाएदारों के हाथ में खिलौना बनना चाहते हैं और आज आप मुल्क को चाहते हैं कि ऊपर उठायें, तो बतायें कि किस तरीके से उठा सकते हैं। चालीस वर्षों से आप ही ने पालिसी अख्तियार की थी, कभी सोशलिज्म और कभी कुछ, आखिर आपकी पालिसी क्या है, जिसके ऊपर आप मुल्क को ले जाना चाह रहे हैं ? हमारे सामने कोई वाज्ये तफसील नहीं आती है। अगर आप चाहते हैं तो आपको सियासी एतमात भी करने पड़ेंगे। आज हम देखते हैं कि मिनिस्टरों की फौज भरी हुई है, एक-एक सूबे में 70-70 मिनिस्टर हैं, तो क्या इसके ऊपर अखराजात नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई कमी नहीं लगाई जा सकती है। आज जितने मिनिस्टर बेरूनी दौरों पर जाते हैं उनके लिए कमी की जाए और जो शहरी जायदाद है उसकी हद मुकर्रर की जाय और उनके ऊपर सीलिंग मुकर्रर की जाए।

आज हिन्दुस्तान में 40 साल के बाद भी आवाम लाखों की तादाद में फुटपाथ पर सोते हैं। आप गौर कीजिए कि आप उनके लिए कोई मकानात नहीं बनाते। आपने शहरी आराजी के ऊपर

[श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी]

पाबन्दी लगाई लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आपने कितनी जमीन हासिल की ? आपने जमीन हासिल नहीं की, हमारे पचास फीसदी क्वानीन ऐसे हैं जो सिर्फ रिश्वत खाने के लिए बनाए जाते है। उसका नतीजा यह है कि आज उस जमीन के ऊपर बेहुगम किस्म की आवाम बसती आ रही है। उनके लिए कोई स्हूलियत नहीं है, कोई आपके पास प्लान नजर नहीं आता। इसी तरीके से मैं आपके सामने एक बात और कहूंगा कि आपने जहां बहुत से कसबात के लिए, पसमांदा तबकात के लिए कारपोरेशन बनाया, यहां हिन्दुस्तान के तालिमी हसियत से, जब कि खुद वजीरे तालीम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने पार्लियामेंट में एजूकेशन रिपोर्ट पेश की, तो उसमें यह बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तालिमी पसमांदगी हैं और गुरबत के अन्दर मुबतला मुसलमान हैं। तो आप उनके लिए भी कारपोरेशन बनाइए। आज सरकारी मुलाजमतों में उनका दो फीसदी हिस्सा बाकी रह गया है, आप क्यों नहीं उनके लिए कार्पोरेशन बना कर उनकी तरक्की का सामान करते, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आता। आप चाहते हैं कि फसादात होने के बाद उन लोगों को इमदाद दें, तो आप मुकर्रर कीजिए कि हर मरने वाले को तीन लाख देंगे और जिस खानदान के लोग मर रहे हैं उस खानदान के आदमी को मुलाजिमतें दी जाएंगी। जब तक कि आप वाजिब तौर पर तमाम चीजें नहीं लाते, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज हो सकती है, मैं आपसे यह कहूंगा कि इसी तरीके से हमारे आन्ध्र प्रदेश के अन्दर हैदराबाद शहर है, जो कभी अपने तारीख और तमद्दुन के लिहाज से एक मुकाम रखता था लेकिन आज वह उजड़ता चला जा रहा है। हर शहर को, आपने बड़े शहर को इमदाद दी, लेकिन हैदराबाद शहर को उसकी तरक्की, उसके डेवेलपमेंट के लिए कुछ नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि इसके लिए भी कुछ मदद की जाए और इसी तरीके से यहां के बसने वालों के लिए आज यहां जो चीजें हो रही है, उनकी तरक्की का कोई सामान किया जाए।

मैं आपका मशकूर हूं कि दोबारा आप ने घंटी के बजाने से परेशानी होती है, घंटियां कितनी बजती रहती हैं हमारे लिए, लेकिन बहरहाल अगर आप चाहते हैं तो मैं यही आप लोगों के तवल्लुक से पहले भी कह चुका हूं कि हम आपके नहीं, बैंगन के वफादार नहीं। तो बहरहाल मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मैं इतना ही कहूंगा कि जो गरीब तबके हैं उनके लिए आप राहत का सामान पैदा कीजिए।

**श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** (शिमला) : मैडम चेयरमैन, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं जो-जो चीजें यहां पर विपक्ष के लोगों ने कही है उसमें कोई सदाकत नहीं है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे पहले प्रवक्ता ने कही है। मैं क्या चाहता हू, इस बजट में क्या देखता हूं कि यह जो बजट है इसकी मैं पहले तो प्रशंसा करता हूं। दूसरी, इसके बारे में जसवंत सिंह जी ने जो बात कही है कि मैं इसकी प्रशंसा करूंगा और आलोचना भी करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लोगों को सावधान करूंगा। ये तीन बातें कहीं और आई० एम० एफ० लोन के बारे में काफी चर्चाएं यहां पर की गई हैं : मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये बजट 154 पैराग्राफ में बना है, इसका एक-एक शब्द पढ़ कर अगर उन्होंने देखा होगा तो सारे राष्ट्र की हालत के बारे में उनको जानकारी मिल गई होगी। यहां राजनीतिक तौर पर कई बातें ऐसी कही गई है जो राजनीति से प्रेरित है।

इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि देश ने 40 साल के कांग्रेस शासन में कितनी तरक्की की है। जो लोग इस तरक्की को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि राष्ट्र में कुछ नहीं हुआ है, मैं समझता हूं कि उनकी आंखों में कुछ कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि उनको अपनी आंखे खोल

कर देखना चाहिए। यह बड़े अफसोस की बात है कि यहां पर कोई बैंगन की बात करता है और कोई कहता है कि भेड़िये के आगे श्री मनमोहन सिंह जी को डाल दिया गया है। श्री मनमोहन सिंह जी अर्थ-शास्त्र के इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन यह भी कहा गया कि वे राजनीति नहीं समझते हैं। मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर ये राजनीति नहीं जानते हैं तो आपने इनको राजनीति के बारे में सीखा दिया है कि राजनीति किस तरह से चलाते हैं।

सभापति महोदय, मैं इनको राजनीति के बारे में बताना चाहता हू। यहां पर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, उसमें कौन-कौन से घटक थे। उनमें "जय श्री राम" वाले भी थे और आप भी थे। आपने 11 महीने शासन किया इस देश के अन्दर और उसमें एक ने मन्दिर का काम शुरू कर दिया और एक ने मण्डल का काम शुरू कर दिया। (व्यवधान)

आपको जब समय मिले तो उस समय में आप बोलिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। (व्यवधान)

रथ-यात्रा निकाली गई और कितना खून-खराबा हुआ, उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हू कि 14000 करोड़ रुपए नही बल्कि कई हजार करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए, इन्होने 10000 रुपया लोन उन लोगों का माफ किया जिन्होंने कभी-दो आने भी लोन के वापिस नहीं किए। इन्होंने वादा किया था कि श्री मधु दण्डवते जी अब यहां पर नहीं हैं, उन्होंने वादा किया था कि सबके 10000 रुपए के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे।

सभापति महोदय, बी. जे. पी. के लोगों ने जनता से यह वादा किया था कि 1.50 रुपए किलो आटा, 2 रुपए किलो चावल और 4 आने किलो नमक दिया जाएगा, लेकिन इन्होने सिर्फ देश को तबाह करने का काम किया है। देश की आर्थिक स्थिति को इन्होंने कमजोर किया है, राम के नाम पर पैसा इकट्ठा किया है, उसका ऑडिट आज तक नहीं कराया गया है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं देश के पूंजीपतियों के बारे में कहना चाहता हूं, अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों का साथ देना बन्द कर दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर में जो मुलाजिम हैं, उनको दीजिए प्राइवेट सेक्टर में किसी को मत दीजिए। जहां तक बकाया टैक्स का सवाल है, बड़े सरमायदारों और बड़ी कम्पनियों के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाइए और उस बकाया टैक्स को वसूल करिए। अगर इस तरह से नहीं किया जाएगा तो राष्ट्र कमजोर होगा और देश का कमजोर आदमी पिसता चला जाएगा मुलाजिम पिसता चला जाएगा।

इसी तरह से एक बात की ओर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि प्राइवेट कंपनियों मे मजदूरों का बहुत शोषण होता है, गरीब लोगों का शोषण होता है और सरकारी फैक्ट्रियो में ब्यूरोक्रेटस की वजह से फायदा नही हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स अपने आपको फैक्ट्री का मालिक समझते हैं। उसके परिवार के लोग उस फैक्ट्री में नौकरियां करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों को बन्द किया जाए और प्राइवेट लोगों को जो तरजीह दी जाती है, वह भी बन्द हो। सरकारी कारखानों का ज्यादा फैलाव किया जाना चाहिए और हर क्षेत्र में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जो गरीब लोग हैं, हरिजन-आदिवासी हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई खास योजना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उनका

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

विशेष ध्यान रखा जाए और सारी योजनाएं इन लोगों के हितों को ध्यान में रख कर बनाई जाएं। उनके लिए ज्यादा मदद दी जानी चाहिए। आज हम देखते हैं कि जो बैकलॉग है हरिजनों का, आदिवासियों का नौकरियों में, कवेश्चेन के समय बताया जाता है कि 15 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत उनको मिलता है, वह भी पूरा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इसको पूरा करना है तो जिस तरह से राजीव जी ने इस मुल्क के हरिजन और आदिवासियों के लिए फाईनल डिसीजन लिया कि इनका बैकलॉग इतनी तारीख तक पूरा होना चाहिए, वह उन्होंने किया। मैं ठीक यह समझता हूं कि जो माइनोरिटी के लोग हैं, उनकी भी मदद होनी चाहिए। जो पिछड़े लोग हैं, उनकी भी मदद होनी चाहिए। हमारी सरकार ने कहा है कि उनके लिए एक बोर्ड बनेगा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध होगा।

यहां जो बातें होती हैं, जो हम फजूल में आपस में क्रीटीसाइज करते हैं, जिसका हमें बुनियादी आधार पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, यह नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी एक राय होनी चाहिए और राष्ट्र को जो मार्गदर्शन देना है, इन्द्रजीत गुप्त और चटर्जी साहब ने अच्छी बातें कहीं, मगर कहीं-कहीं उन्होंने पालिटीकल रंग भी दिया। ऐसा होता है, हर आदमी देता है, लेकिन जहां तक हमारी बी. जे. पी. के भाई हैं मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को हम पर रहम करना चाहिए। आपने मन्दिर और मस्जिद का जो विवाद खड़ा किया है और आज उसी के आधार पर यहां बैठे हैं, लोग आपको जानते हैं कि आप मन्दिर और मस्जिद से क्या साबित करना चाहते हैं। जो आपने किया है उसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं कि कितने परसेंट वोट आपको हिमाचल में मिले, कितने राजस्थान में मिले और कितने मध्य प्रदेश में मिले। इसका अन्दाजा आप लगा लें। हरियाणा में जो आपके पंछी आए थे, जिनको आपने नेता बनाया था, वे भी उड़ गए। मेरा कहना है, हमें खुशी है कि आपके यहां बड़े अपोजीशन के लीडर बैठे हुए हैं, उनको आपने किनारे कर दिया और आप अपोजीशन लीडर बन गए, अपोजीशन आपके हाथ में चली गयी, वामो-रामो जो हैं उनको अलग कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश को संभालने के लिए सारे लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए, चाहे वह रामो हो, वामो हो या भाजपा हो। इन सबको इस बात को सोचना है कि हमें देश की शक्ति को बढ़ाना है। अगर आप मनमोहन सिंह जी के खिलाफ यह कहेंगे कि इनको राजनीति नहीं आती है, ये राजनीति नहीं जानते हैं, राजनीति हमें आती है, तो बेईमानी की राजनीति आपने काफी की है। (**व्यवधान**)

पिछले 40 सालों में जितना काम हुआ उसका क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। आपकी 11 महीने और ढाई साल की सरकार रही, आपकी सरकार पूरे पांच वर्ष कभी नहीं चली, बंगाल की तरह सरकार नहीं चली, वह तो खत्म हो गयी। मैं समझता हूं कि किस तरह से आपकी राज्य सरकारें चल रही हैं, यहीं हाउस में यह कहा जाएगा कि इनको तोड़ो। आप लोग दुःखी हो जाएंगे इनकी सरकारों से, चाहे यू० पी० की सरकार को, राजस्थान की हो, चाहे हिमाचल या मध्य प्रदेश की हो। मैं कहता हूं इनको खबरदार करता हूं कि पैसे का दुरुपयोग न करें, दुरुपयोग करने वाली बातें जो आपकी सरकारों में हुई और सरमायदारों से जो आपका गठ-बन्धन हुआ उससे बचने के लिए इस राष्ट्र को बचाने के लिए मैं सबसे यह प्रार्थना करूंगा कि इन आदमियों से, जो खतरनाक आदमी हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, इनसे बचे। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री द्वारकानाथ दास (करीमगंज)** : सभापति महोदय, इस पुनीत सभा में सामान्य बजट 1991-92 पर मुझे अपना प्रथम भाषण देने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बजट पर चर्चा करते हुए मैं अपनी कुछ मांगें भी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मुझे इस चर्चा से ही संबंधित है।

मैं किसी प्रकार की आंकड़ेबाजी में जाने की बजाय ही सरल तरीके से संक्षिप्त प्रस्तावना के साथ तीन मदों—उद्योग, कृषि और जल-भूतल परिवहन तक ही सीमित रहूंगा।

जहां तक उद्योग का संबंध है, हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें सरकारी तथा निजी क्षेत्र की अपनी-अपनी भूमिकाएं हैं, और हमारी औद्योगिक नीति अत्यधिक संकुचित तथा केन्द्रीयकरण और अफसरशाही से प्रभावित है। आजादी के बाद, चार दशक समाप्त होने पर भी परिणाम स्वागत योग्य नहीं है।

माननीय वित्त मन्त्री स्वयं भी यह मानते है कि सरकारी क्षेत्र को काफी निवेश योग्य अतिरिक्त राशि उत्पन्न करने के लिए उचित तरीके से नहीं चलाया गया है और इसके कारण आय तथा सम्पत्ति में असमानता बढ़ गई है तथा इस प्रकार हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है।

महोदया, हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे है। हमारा विदेशी मुद्रा कोष खतरनाक स्थिति तक कम है और हमें अपना आरक्षित सोना तक गिरवी रखना पड़ा है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर लालायित हो रहे हैं। हमारी भुगतान सन्तुलन की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है और हमारे वित्त मन्त्री ने आर्थिक मजबूती के रूप मे बृहत् आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए बृहत-आर्थिक समायोजन का प्रस्ताव रखा है और यह प्रक्रिया निरन्तर तीन वर्षों तक लागू रहेगी। इस दौरान हमें कुछ कष्ट सहते हुए त्याग करना होगा। मौजूदा संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें ऋण लेना होगा अथवा बिना किसी एवज में नए करेन्सी नोट छापने पड़ेंगे जिससे और अधिक मुद्रास्फीति बढ़ेगी तथा यह प्रक्रिया आने वाले वर्षों में जारी रहेगी जैसा कि विगत में हुआ है।

जैसा कि वित्त मन्त्री ने कहा है कि विकास के प्रति हमारा दृष्टिकोण गम्भीर नहीं है। स्वतःस्फूर्ति अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारी केवल उद्देश्य के प्रति निष्ठा ही सहायक हो सकती है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के सन्तुलित विकास को देखते हुए मध्यम आकार के छोटे उद्योग स्थापित करके औद्योगिक क्षेत्र मे विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

इस संबंध में हमारा असम पिछड़ा हुआ है और मैं केन्द्र का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि हमारा असम भी भारत के अन्य विकसित राज्यों के बराबर आ सके। असम का चाय उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित करने का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन उचित प्रबन्ध के अभाव में चाय बागानों की स्थिति, विशेषकर बरक घाटी की स्थिति धीरे-धीरे खराब होती जा रही है। करीमगंज जिले में सीमावर्ती क्षेत्र बंगलादेश से आए घुसपैठियों के छुपने का सुरक्षित स्थान है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन बागानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक विस्तृत जांच की जाए। सरकार को, पूर्व चाय-बागान कामगारों तथा मौजूदा चाय-बागान कामगारों के सभी क्षेत्रो में कल्याण के लिए एक उदार योजना प्रारम्भ करनी चाहिए।

[श्री द्वारिकानाथ दास]

महोदया, योजना संसाधनों का 50 प्रतिशत कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित होता है। क्योंकि हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या परोक्ष रूप में कृषि पर आधारित है, इसलिए यह प्रतिशत 10 प्रतिशत और बढ़ाया जाए अर्थात् इसे 60 प्रतिशत कर दिया जाए जैसा कि पूर्व सरकार ने किया था। महत्वपूर्ण उर्वरकों के मूल्यों में 40 प्रतिशत वृद्धि गरीब किसानों के लिए बहुत ही कष्टदायी है। कृषि उत्पादों के खरीद मूल्य में वृद्धि करने से सीमांत किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा करने से मध्यम वर्गीय किसानों को लाभ मिलेगा।

महोदया, खेती का सिंचाई और बाढ़ दोनों से ही गहरा संबंध है, एक उत्पादन के लिए है जबकि दूसरा विनाश के लिए है। शुष्क मौसम में असम के ग्रामीण मजबूरी में अपनी आय की कीमत पर छुट्टी का आनन्द लेते हैं और बराक घाट भी कोई अपवाद नहीं है क्योंकि वहां सिंचाई सुविधा का अभाव है। असम में बाढ़ आते रहते हैं और कृषि पर उसका विनाशकारी प्रभाव होता है, विशेषकर, बराक घाटी में मानसून का प्रभाव लोगों के लिए एक दुःस्वप्न के जैसा होता है। बाढ़ पर नियन्त्रण पाने के लिए सिंगला और बराक नदियों के तल की सफाई और लोंगाई तथा कटखल नदियों की विभीषिका को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करके असम के उपजाऊ क्षेत्र को बचाया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं बहुप्रतीक्षित बहुउद्देश्यीय "बराक नहर" के तुरन्त निर्माण की आवश्यकता का उल्लेख करना चाहता हूं। अत्यधिक कृषकीय बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें तेजी से विकेन्द्रित औद्योगीकरण पर निर्भर करना होगा क्योंकि खेती और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे सैकड़ों युवकों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए करीमगंज जिला में एक कृषि महा-विद्यालय खोलने की अत्यन्त आवश्यकता है।

महोदया, हमारी अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन का अत्यधिक महत्व है। प्रायः कहा जाता है कि संचार सभ्यता का द्योतक है और असम की बराक घाटी में विशेषकर करीमगंज और हैलाकंडी जिलों में इसकी स्थिति बहुत ही बुरी है। (व्यवधान)

**सभापति महोदय :** आपसे अपनी बात समाप्त करने का निवेदन करता हूं।

**श्री द्वारकानाथ दास :** मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। करीमगंज जिला के (1) करीमगंज-कनरपुर रोड; (2) करीमगंज-रंगमती रोड तथा हैलाकांडी जिला के (3) पंचग्राम रामनाथपुर रोड— ये सभी मिजोरम की सीमा तक जाती है, और इन दो जिलों के ग्रामीणों के लिए ये सड़कें मानों जीवन रेखा है। मेरा यह प्रस्ताव है कि सड़कों में सुधार करके जल्द से जल्द उन्हें राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दे दिया जाए। इसके अतिरिक्त दूर-दराज के गांवों को जिला सदर से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाना चाहिए ताकि हमारी सैकड़ों और हजारों आम जनता के निर्वाह योग्य आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिल सके। माननीय वित्त मन्त्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षित पेयजल और सड़कों जैसी स्वागतयोग्य अच्छी सामाजिक सेवा उपलब्ध कराने संबंधी उल्लेख किया है। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि और उद्योग का साथ-साथ विकास करने के लिए हमें भरसक प्रयास करने चाहिए और इसके साथ ही भूतल संचार का नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए ताकि एक आत्मनिर्भर वित्तीय व्यवस्था को विकसित किया जा सके।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान 1991-92 के बजट से मैं सहमत नहीं हूं। बल्कि मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह विकासोन्मुखी नहीं है। यह समझौता आधारित है

जिसमें अर्थशास्त्र की अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा नेहरु की समाजवादी विचारधारा से अलग हटने का संकेत दिया गया है। बजट में पिछली बातों को ही दुहराया गया है जिसमें कोई सार नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह, देश के महान अर्थशास्त्रियों में एक है। वे अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं। वह एक अच्छे सिद्धांतवादी है परन्तु उनका सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। चूंकि डा० मनमोहन सिंह ने इसी सिद्धांत पर इस बजट को तैयार किया है इसलिए मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

इस बजट से यह एकदम साफ है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से प्रभावित है। यह निजीकरण, अनिवासी भारतीयों के धन तथा अप्रत्यक्ष करों पर आधारित है। उच्च तकनीक के नाम पर इस बजट का उद्देश्य इस देश में पंचतारा संस्कृति को विकसित करने का है। इस बजट में ऐशो-आराम के लिए ऋण लेने की ओर भी संकेत दिया गया है। यह बजट उस नई औद्योगिक नीति पर आधारित है जिसके अन्तर्गत रोजगार के अवसर तो पैदा नहीं होंगे बल्कि यह मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, कालाधन को बढ़ावा देगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र को अलविदा कह देगी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण को लेने के लिए सरकार ने दुनिया की महत्वपूर्ण मुद्राओं की तुलना में रुपये का 20 प्रतिशत अवमूल्यन करने का निर्णय किया। इस अवमूल्यन का क्या कारण बताया गया है ? यह कहा गया है और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि यह देश के व्यापार सन्तुलन में सुधार लाएगा। लेकिन वास्तव में ये बातें इतनी साधारण नहीं होती। यह कोई साधारण बात नहीं है।

न्यून अवमूल्यन और वास्तविक मूल्य ह्रास में अन्तर है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री हमसे सहमत होंगे और देश मे व्याप्त वर्तमान तुलनात्मक मूल्य पर वे ध्यान देंगे। सरकार केवल उच्च-विनिमय की न्यून दर को प्रभावित कर सकती है न कि वास्तविक विनिमय दर को। सरकार के लिए वास्तविक विनिमय नीति को नियन्त्रित करना इतना आसान नही है। मुद्रास्फीति अधिक है या कम उस पर दर निर्भर करती है। यदि मुद्रास्फीति अधिक होगी तो सभी के मूल्य कम होंगे और इस बजट में वे सभी प्रस्ताव जिनका उल्लेख किया गया है उनका मूल्य कम होगा।

यह बजट, इस देश के करोड़ों बेरोजगार युवकों के मन में कोई भी आशा की किरण पैदा नहीं करता। आप अच्छी तरह जानते है कि हमारे देश में युवक और युवतियां अपनी आजीविका के लिए रक्तकोषों को अपना खून बेचते है। हमारे देश के युवाओं की यह स्थिति है। आपने यह देखा है ? स्वतन्त्रता के 44 वर्ष बाद भी देश के युवक-युवतियों की यह स्थिति है। लेकिन देश के इन युवाओं के लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। आपने यही किया कि श्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी फाउन्डेशन ट्रस्ट के लिए एक सौ करोड़ रुपए दे दिए। हमारे देश के लिए श्री राजीव गांधी ने महान बलिदान दिया है। लेकिन आप इस ट्रस्ट को यह पैसा क्यों दे रहे हैं। देश में 31,000 गांव ऐसे हैं जहां पेय जल की अत्यधिक कमी है। यह धन, राजीव गांधी के नाम पर पेय जल योजना के तहत इन गांवों पर खर्च किया जा सकता था। यह धन बेरोजगारी दूर करने के लिए राजीव रोजगार योजना के नाम पर लगाया जा सकता था। सीधे तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अनैतिक नीति है। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को बजट से निकाल दिया जाए।

यह बजट उन ग्रामीण गरीबों की समस्या पर अधिक कुछ भी नहीं कहता जो अर्धभुखमरी की स्थिति में है, फटेहाल तथा बेघर है और जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है। आपने निःशुल्क और

[श्री अमर राय प्रधान]

आवश्यक प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ किया है, आपने कुछ भी नहीं किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि यह इस शताब्दी में संभव नहीं है और यह अगले शताब्दी में संभव हो सकेगा। लेकिन संविधान क्या कहता है? हम सभी ने संविधान के नाम पर शपथ ली है। संविधान में यह कहा गया है कि 1960 तक सभी के लिए नि:शुल्क और आवश्यक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी परन्तु उसके 30 वर्ष पश्चात् भी कुछ नहीं किया गया है। पटसन, तम्बाकू, गन्ना, चावल और गेहूं जैसे उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने के संबंध में यह बजट चुप्पी साधे हुए है। महोदया, आपको पता है कि जहां तक पटसन का संबंध है कच्चा पटसन बाजार में आ गया है विशेषकर उत्तर बंगाल के बाजार में, परन्तु भारतीय पटसन निगम बाजार नहीं खरीद रहा क्योंकि कच्चे पटसन के खरीद मूल्य की घोषणा नहीं की गई है। आपने चावल और गेहूं के खरीद मूल्य की घोषणा कर दी है परन्तु कच्चे पटसन के मूल्य की घोषणा नहीं की है। यह भी पता चला है कि आप भारतीय पटसन निगम को बन्द करने जा रहे हैं।

भूमि सुधार के संबंध में बजट में कोई जिक्र नहीं है। बजट के—उस संतरे के रंगवाली पुस्तक में—आपने कहा है कि 25.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हू कि इस भूमि सुधार के संबंध में उन्होंने क्या प्रगति की है। इसके लिए आपने इतनी कम राशि क्यों आवंटित की है? आप महाराष्ट्र समिति के रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। अब आप इसके बारे में भूल गए।

स्वतन्त्रता से पूर्व कांग्रेस का उद्देश्य था कि भूमि खेत जोतने वाले को दी जाए। उसके बाद 1960 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भी आपने घोषणा की थी कि जमीन खेत जोतने वाले को दी जाए। लेकिन अब आप उससे पीछे हट रहे हैं, ऐसा क्यों? महालनबीस समिति की रिपोर्ट के अनुसार करीब 63 मिलियन एकड़ जमीन फालतू होगी। लेकिन हाल के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7.64 मिलियन एकड़ जमीन फालतू घोषित की गई हैं। उसमें 5.97 मिलियन एकड़ जमीन अधिगृहीत की गयी है और उसमें 4.41 मिलियन एकड़ जमीन वितरित की गयी है जिसका एक तिहाई केवल पश्चिम बंगाल में वितरित किया गया है। यही स्थिति है।

माननीय सदस्य श्री देवगौडा ने कहा है कि भूमि सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। मुझे पता है कि दोनों ही पक्षों में ऐसे कई सदस्य हैं जो इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है।

हम जानते हैं कि इस देश में कई समस्याएं है जैसे ग्रामीण आर्थिक समस्या, जातीय समस्या और ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या। हम चाहते हैं कि इन समस्याओं का हल हो। यदि आप जातिवाद की समस्या को दूर करना चाहते हैं और जिन समस्याओं का सामना हमारे देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कर रहे हैं उन्हें समाप्त करने के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए भूमि सुधार अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन इसके लिए आप बहुत ही कम धन आवंटित कर रहे हैं। इस बार आपने भूमि सुधार के लिए केवल 25.64 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस दर से क्या आप कोई प्रगति कर सकते है?

अलगाववादी और विघटनकारी शक्तियां पूरे देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र-उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार और सिक्किम में अपना जाल बिछा रही हैं। माननीय मन्त्री को यह बात तो माननी

ही पड़ेगी कि ये हमारे देश के पिछड़े क्षेत्र हैं—और यहां मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। लेकिन आपने पिछले 44 वर्षों में इन क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है।

यदि माननीय मन्त्री रिकार्ड देखें तो वह मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि पूरे देश में 94 उद्योगविहीन जिले हैं – और इनमें से अधिकांश लगभग 80 जिले पूर्वोत्तर क्षेत्र-उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार और सिक्किम में हैं। यह तो केन्द्र सरकार का रवैया है। आप तो हमसे ऐसा व्यवहार करते है जैसे कि हम इस देश के द्वितीय दर्जे के नागरिक है। आप तो कहते हैं कि काश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक देश एक है, यह हमारी भूमि है और हमारा भारत है। लेकिन वस्तुत: आप हमारी अवहेलना कर रहे हैं। आप कम से कम ऐसे प्रत्येक उद्योग विहीन जिलों में अपने बजट के तहत पर्याप्त धन आवंटित कर एक एक उद्योग तो स्थापित कर सकते हैं लेकिन बजट में ऐसा नहीं किया गया है। आप केवल उत्तर प्रदेश के बारे में ही सोचते हैं और अब आप दक्षिण के बारे में सोच रहे है जैसे कि केवल यही भारत है। आपको पूरे भारत के बारे में सोचने की कोशिश करनी चाहिए।

अन्तत: मैं कहना चाहूंगा कि उत्तरी बंगाल की कैसे अवहेलना की गई है—। जहां तक तीस्ता सिंचाई परियोजना की बात है —यदि माननीय मन्त्री अपनी गुलाबी पुस्तक (ओरेंज बुक) को देखें तो पायेंगे कि उन्होंने इस परियोजना के लिए एक पैसा भी नहीं रखा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु ने कहा है कि यह उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा है। लेकिन इन वर्षों में आपने क्या किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी थोड़ी सी आय में से इस प्रयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन केन्द्र सरकार ने केवल 10 करोड़ रुपये खर्च किए है और वह भी श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। उसके बाद इस परियोजना के लिए एक पैसा भी आपने उपलब्ध नहीं किया है। ऐसा क्यों? यदि यह परियोजना पूरी हो जाती है तो यह एशिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी जिससे 13 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक फिर इन क्षेत्रों से 63 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का उत्पादन हो सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिम बंगाल खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर हो जायेगा। लेकिन यदि यह सिंचाई परियोजना पूर्ण नहीं हुई है तो इसे कैसे पूरा किया जाएगा? इस समय मैं पुन: यह अनुरोध करूंगा कि यदि आप एक रहना चाहते है, यदि आप चाहते हैं कि उत्तरी बंगाल के लोग द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की तरह न रहें तो कृपया इस परियोजना के लिए कुछ पैसा आबंटित करें। अत: इन परिस्थितियों में मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

**डा० जयन्त रंगपी** (स्वशासी जिला) : सभापति महोदय, मैं यहां इस बजट पर अपने मूलभूत मतभेद व्यक्त करूंगा। मैंने पिछले दो या तीन दिनों में कतिपय मुद्दों पर गौर किया है ताकि मैं कम से कम इस बजट की आलोचना करते हुए अपने संतुलित विचार पेश कर सकूं। लेकिन मेरी सारी कोशिशों के बावजूद मुझे एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिल सका जिससे मैं इस बजट का समर्थन कर सकूं। यदि आप पूर्ण बजट को औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, अवमूल्यन और बजट में अन्य एक मुश्त सुधारों के संदर्भ में देखे तो आपको पता चलेगा कि यह पूरी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक प्रेरित बजट है। मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के निर्देश भारत के लिए ठीक उतरें जहां कि अधिकांश लोग गरीबी की रेखा के नीचे हों, जहां इतने अधिक लोग अभी तक निरक्षर हों। ऐसी स्थिति में मुझे विश्वास है कि विश्व बैंक के निर्देश हमारे देश के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है। मुझे इस बात से

[डा० असम्त रंगपी]

आश्चर्य है कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री न केवल विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बताये रास्ते पर चल रहे हैं बल्कि इन सुधारों को कैसे लाया जाए, इन सुधारों को कैसे लागू किया जाए आदि मुद्दों पर वह विश्व बैंक के निर्देशों का भी अनुसरण कर रहे है।

मेरे पास "वर्ल्ड डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट 1991" तथाकथित चैलेंज आफ डेवलेपमेंट है। यह विश्व बैंक का एक दस्तावेज है। इस पुस्तक के पृष्ठ 117 पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्हें राष्ट्र को इन सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के वास्ते क्रान्तिकारी कदम उठाने चाहिए। यदि आप मुझे इन तीन पंक्तियों को पढ़ने दें तो मैं पृष्ठ 117 को उद्धृत करूंगा :

"क्रान्तिकारी कदम से तात्पर्य है कि ये सुधार तेजी से केवल दो वर्ष के सीमित समय में कार्यान्वित किये जाने चाहिए"।

"यदि सरकार की विश्वसनीयता कम हो जाती है तो विशेष रूप से साहसिक परिवर्तनों की आवश्यकता है।"

"संकट की घड़ी में ही समायोजन करने पड़ते है। तथा सरकारें ऐसे संकट के वक्त सुधार कार्यक्रमों को आगे लाकर इन सुधारों की आड़ में थोड़े समय के लिए प्रभावपूर्ण जनादेश लेकर फायदा उठाती है।"

अतः, ऐसी संकट की स्थिति जानबूझ कर पैदा की गयी और इस संकट का फायदा उठाकर सरकार ऐसे सब सुधारों को थोप रही है—जिन्हें हमारे देश मे लागू करने में कुछ आधारभूत कठिनाईयां हैं। मैं समझता हूं कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए जो निर्देश निर्धारित किए हैं वे ठीक नहीं है क्योंकि स्वयं अपने देश में वे इन निर्देशों और इन उपायों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम अमरीका और भारत के आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि भारत सरकार सभी क्षेत्रों में यहां तक कि उद्योगों होटलों और कई अन्य क्षेत्रों में दखल दे रही है जो कि सरकार को नहीं करना चाहिए। यदि हम आंकड़ों की तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि अमरीका कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 23 प्रतिशत खर्च करता है—जबकि भारत केवल 17.7 प्रतिशत खर्च करता है।

6.00 म० प०

इसी तरह कर ढांचे के मामले में भी वे कहते है कि भारत को प्रत्यक्ष करों को कम करना चाहिए और अप्रत्यक्ष करों का बढ़ाना चाहिए। अमरीका में तो कुल करों में से 52.5 प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से आता है और केवल 3.2 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों में से आता है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि हमारे कुल कर का लगभग 85 प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष करों में से आता है और केवल 15 प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से आता है और कृषि आय पर कर लगाने की पूरी गुंजाइश है। मैं नहीं समझ पाया हूं कि उत्तरोतर सरकारें कृषि आय पर कर लगाने में क्यों असफल रही हैं। ऐसा क्यों है? यदि सरकार राजस्व को बढ़ाना चाहती है तो वह कृषि आय पर कर लगाये बिना ऐसा नहीं कर सकती है। अधिकांश कृषि भूमि पर कुलकों या जमींदारों का नियंत्रण है।

सभापति महोदय, चूंकि समय बहुत थोड़ा है अत: मैं बजट के विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह वित्त मन्त्री की घोषणा के विपरीत है। इस बजट से मुद्रा

स्फीति बढ़ेगी। पहले ही चीनी, पेट्रोल उत्पादों के मूल्य बढ़ चुके है। उर्वरक राज सहायता कम कर दी गयी है। और रेल माल भाड़े में तथा उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गयी है। इन सबसे ऐसी स्थिति आएगी कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। विकास पूर्व और सार्थक कार्यक्रमों की पूरी तरह से बजट में कमी है। यहां हम देख सकते हैं कि सरकार ने कतिपय न्यासों, न्यास निधियों और आयोगों को सार्थक कल्याणकारी और विकास परियोजनाओं तथा योजनाओं की कीमत पर आगे बढ़ाया है। मैं विशेष रूप से इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं पूर्वोत्तर के एक पिछड़े क्षेत्र से हूं और इस पूर्वोत्तर में मैं असम के एक पहाड़ी जिले का हूं जो कि अभी तक एक पिछड़ा क्षेत्र है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार देश के क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में जानती है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के बारे में कोई जोर नहीं डाला गया है। जहां तक असम की बात है—वहां हर वर्ष बाढ़ आती है। और ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के कार्यकरण के लिए पर्याप्त धन नहीं रखा गया है और यह अनुरोध किया गया था कि ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की जीवन रेखा गुवाहाटी तिनसुखिया रेल लाईन को बड़ी लाईन में बदला जाए। यह काफी समय से लम्बित मांग है। इसके लिए भी रेल बजट में कहा गया है कि कोई पैसा नहीं है। इसी तरह पूर्वोत्तर परिषद और किसी भी विकास परियोजना के लिए पर्याप्त धन नहीं रखा गया है।

6.02 म० प०

[श्री एम० मल्लिकारजुनय्या पीठासीन हुए]

इस प्रकार यहां क्षेत्रीय असंतुलन है। यह क्षेत्रीय असंतुलन इस बजट से खत्म नहीं होगा अपितु बढ़ेगा ही।

मैं दो या तीन मुद्दों पर जो देना चाहता हूं। भारत में अनिवासी भारतीयों के प्रवेश को बढ़ा दिया गया है। मैं यहां इस बात से सावधान कर देना चाहता हूं कि कई अनिवासी भारतीय जो कुछ संदिग्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए कार्य करते है वे जब भारत आयेंगे तो वे लाभ अर्जित करेंगे तथा भारत की सम्पत्ति को लूटेंगे और हमारे देश के श्रमिकों तथा कामगार वर्ग का शोषण करेंगे। अतः अनिवासी भारतीयों को स्वतन्त्र रूप से प्रवेश की इजाजत देने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पर्याप्त एहतियाती कदम उठा लिये गये हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ये संदिग्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अनिवासी भारतीयों की आड़ में भारत में प्रवेश न करें ताकि वे हमारी सम्पत्ति को न लूट सकें।

हमारे देश की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिये बजट के माध्यम से सरकार ने जो उपाय किए है। मुझे आशंका है कि वे सफल नहीं होंगे। चिकित्सा के पेशे से संबद्ध होने की वजह से मैंने डाक्टरों का कहते हुए सुना है कि नैदानिक रूप से यह आपरेशन सफल रहा है। लेकिन मरीज मर जाता है। इसी तरह यह आर्थिक आपरेशन भी नैदानिक रूप से सफल रहा है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगी, आम आदमी मर जाएगा, भारत के स्वदेशी उद्योगपति खत्म हो जायेंगे तथा वहां भी अन्ततः यही कहा जायेगा कि आपरेशन तो सफल रहा लेकिन मरीज मर गया।

इन शब्दों के साथ, मैं इस बजट के प्रति अपने मूल मतभेद व्यक्त करता हूं और इसका विरोध करता हूं।

**श्री नुरूल इस्लाम** (धूबरी) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। समय के आबटन में न्याय नहीं किया जाता, ऐसा मैंने इस सदन में देखा है। जबकि अन्य बहुत से

[श्री नुरूल इस्लाम]

सदस्यों को दस या पन्द्रह मिनट तक बोलने की अनुमति दी जाती है, और यहां तक कि कभी-कभी तो एक घंटा भी दिया जाता है लेकिन जब हमारी बारी आती है तो पांच मिनट की समय सीमा बांध दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को इस महान सभा के सम्मुख वर्ष 1991-92 का यह ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं जिसमें देश की आर्थिक, वित्तीय तथा औद्योगिक नीति सम्बन्धी क्रान्तिकारी सुधार किये गये हैं। महोदय, तेजी से बदलती विश्व अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये सुधार अति आवश्यक है। माननीय वित्त मन्त्री महोदय बदलती हुई अर्थव्यवस्था के साथ तारतम्यता रखने के लिए ही ये सुधार लाए हैं।

महोदय, मैं बजट पर और अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि पहले ही इस पर काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि इस बजट में कुछ ऐसी बात सम्मिलित नहीं हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हू।

महोदय, मैं एक बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य, असम से आता हूं। यह राज्य बड़े लबे समय से अपनी आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सघर्ष कर रहा है। भारत सरकार कुछ योजनाओं जैसे गैस क्रेकर यूनिट, असम में तेल शोधक कारखाने की स्थापना, भारतीय तकनीकी संस्थान की असम में स्थापना तथा इसी प्रकार असम में एक केन्द्रीय 'विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजी हो गई है। परन्तु अब हमने अनुभव किया कि ये वायदे केवल वायदे ही हैं ये सरकार द्वारा पूरे नहीं किये जायेंगे।

हाल ही में डिगबोई तेल शोधक कारखाने, जो विश्व में सबसे पुराना तेल शोधक है, के आधुनिकीकरण की परियोजना थी। परन्तु कुछ कार्य पूरा होने के पश्चात् यह परियोजना कुछ अज्ञात कारणों की वजह से रोक दी गई। मुझे डर है कहीं निर्धारित धनराशि भी किसी अन्य प्रयोजन के लिए खर्च न कर दी जाए।

महोदय, वर्ष 1984 में इस महान सभा में मैंने गैस, जो कि सबसे अधिक कीमती राष्ट्रीय संपदा है, के जलाए जाने के बारे में बड़ा ही तीखा भाषण दिया था। हमारे राज्य में 10 से 12 करोड़ रुपये की प्राकृतिक गैस प्रतिदिन जलाई जाती है। इस गैस को उपयोग में लाने के लिए सरकार ने एक गैस क्रेकर यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके साथ-साथ सरकार यह जानती है कि राज्य की कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण निजी पूंजी का बड़ी मात्रा में आना संभव नहीं है। अतः इस गैस क्रेकर यूनिट की स्थापना के लिए हम प्रायोजक के रूप में आयल इण्डिया की सहभागिता चाहते हैं। लेकिन सरकार शायद इसकी सहभागिता नहीं चाहती इसका कारण यह हो सकता है कि वे इस क्षेत्र में क्रेकर यूनिट गैस को नहीं लाना चाहते।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, असम, हमारे देश के अन्न भंडारों में से एक हो सकता है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है तथा मुख्यतः यह ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर है। बाढ़ तथा ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव की समस्याओं से सरकार अवगत है परन्तु 45 वर्षों के बाद भी सरकार भूमि कटाव को रोकने या बाढ़ नियन्त्रण के लिए कोई परियोजना शुरू करने हेतु जानबूझ कर प्रयत्न नहीं कर रही है। महोदय, असम सरकार द्वारा बाढ़ नियन्त्रण तथा भूमि कटाव को रोकने के लिए बहुत सी परियोजनायें भेजी गई हैं परन्तु वे अभी तक लागू नहीं की गई हैं। उन्हें अज्ञात कारणों से लम्बित रखा गया है।

मैं पिछड़े असम राज्य के बहुत पिछड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो लोअर असम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत से जिले जैसे धूबरी गोलपाड़ा, बारोपाटा, बोंगाईगांव, कोकराझार आदि सम्मिलित हैं। भारत सरकार इस क्षेत्र को जानबूझ कर आर्थिक रूप से पिछड़ा रखना चाहती है। ये अपने शहर धूबरी की वाणिज्यिक महत्ता है लेकिन विभाजन के पश्चात् हमने यह महसूस किया कि भारत सरकार ने धूबरी से कलकत्ता और धूबरी से गुवाहाटी की सीधी रेल व्यवस्था को समाप्त कर वाणिज्यिक महत्व वाले इस शहर से सम्पूर्ण सम्पर्क व्यवस्था ही खत्म कर दी है और इस प्रकार से इस शहर को वाणिज्यिक रूप से महत्वहीन बना दिया है।

महोदय, सरकार हमारे इस क्षेत्र पर अन्य बहुत से अन्याय कर रही है। उदाहरण के लिए धूबरी शहर में एक छोटा सा बन्दरगाह यथा जल-संचार सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। विभाजन के पश्चात् भारत सरकार ने विभिन्न तर्कों के आधार पर इन सुविधाओं को वापिस ले लिया। अब, मेरी यह मांग है कि भारत सरकार को इस नगर को एक बन्दरगाह, अगर बन्दरगाह नहीं तो छोटे बन्दरगाह में परिवर्तित करने के लिए एक समग्र योजना प्रस्तुत करनी चाहिए तथा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए रेल संचार सुविधा तथा जल संचार सुविधाओं को पुनः स्थापित करना चाहिए।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस क्षेत्र में है परन्तु पिछले 45 वर्षों मे विभिन्न तर्कों के आधार पर इस क्षेत्र को हवाई विमान सेवा प्रदान करने के लिए उस हवाई अड्डे का प्रयोग नहीं किया गया है। राज्य पहले से ही जल रहा है, मुझे डर है तथा जैसा कि लोग जल्दी ही अपनी सभी समस्याओं का निराकरण करने की मांग करने के लिए आगे आ रहे हैं, सरकार को इस क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी योजना बनानी चाहिए।

इस क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था भी है परन्तु इसने कभी काम नहीं किया। अगर आप इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखेंगे तो उत्तर किसी माध्यम से मिलेगा। कोई विशेष और ठीक उत्तर नहीं आएगा।

रोजगार सृजन के सम्बन्ध में बजट में कोई संकेत नहीं दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं देश के शिक्षित बेरोजगार बहुत अधिक असन्तुष्ट है। अगर सरकार देश में रोजगार सृजन के लिए व्यापक कार्यक्रम नहीं चलाती, तो मुझे डर है कि सारा देश फिर जलना शुरू हो जाएगा। अतः सरकार को, चाहे कोई भी वित्तीय बाधा हो, किसी भी कीमत पर बेरोजगारी की समस्या के निवारण हेतु रोजगार के साधन सृजित करने चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय प्रधानमन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक केन्द्रीय सरकार के उद्यमों केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा केन्द्रीय सचिवालयों में नियुक्तियों का सम्बन्ध है, इस बारे में सकारात्मक नीति अपनायी जानी चाहिए। महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें इन कार्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति, यदि जनसंख्या के आधार पर नहीं तो कम से कम देश के राज्य व्यवस्था के आधार पर किए जाने का सकेत हो। यह जानकर आश्चर्य होगा कि केन्द्रीय सचिवालय में एक भी व्यक्ति उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का उपलब्ध नहीं है। वे वहां क्यों नहीं हैं? सरकार को एक ऐसी विस्तृत नीति बनानी चाहिए जिसमें केन्द्रीय उद्यमों कार्यालयों तथा केन्द्रीय सचिवालयों में नियुक्तियों का आधार राज्य व्यवस्था हो।

अन्त में, मैं अपने वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस क्षेत्र के जनसंख्या पैटन की ओर दिलाना चाहता हूं जहां के पैंसठ प्रतिशत लोग धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबधित है और जिनके उत्थान के लिए सरकार ने आज से नहीं, बल्कि मेरा विचार है सन् 1984 से 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया

[श्री नुरुल इस्लाम]

हुआ है। परन्तु आज तक देश में कहीं भी उस कार्यक्रम को लागू नहीं किया गया है। यह जानकर भारी आश्चर्य होगा कि गृह मन्त्रालय से मानव संसाधन विकास मन्त्रालय तक पहुंचने में इस कार्यक्रम को 6 वर्ष लगे। लोगों तक पहुंचने में इ कितना वक्त लगेगा।

अत: माननीय वित्त मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित मेडिकल कालेज तथा धूबरी या गोलपारा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुछ वित्तीय प्रावधान करें, क्योंकि हमारी राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के साथ इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। कृपया सभी पिछड़े हुए राज्यों को ऐसे अत्यधिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक नीति-निर्देशिका भेजे तथा आठवीं योजना में ऐसे प्रस्तावों में प्रगति मार्गों के रूप में शामिल करने के लिए भेजें।

आप पहले ही घंटी बजा चुके हैं। मैं हृदय-रोगी हू और मुझे डर है कि अगर आप इसे दोबारा बजायेंगे तो फिर मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा तथा अब इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री भाग्ये गोवर्धन** (मयूरभंज) : चेयरमैन सर, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

बजट की जो बीमारियां हैं, उन पर बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा लेकिन कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात कही है, जहां एक्सपेंडीचर को घटाने की बात है, लेकिन उस मामले में उन्होंने सिर्फ एक्सपेंडीचर को घटाने की बात यहीं तक कही है, जहां तक फाइनेंशियल एक्सपेंडीचर कण्ट्रोल किया जा सकता है लेकिन यह काफी नहीं है जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से भी ठीक उसी तरह एक स्ट्रीम लाइन न किया जाय तो कण्ट्रोल कैसे हो सकता है।

हमारे देश में जो वेस्टेज हो रहा है, विभिन्न जगहों में एडमिनिस्ट्रेशन मे जैसे डिले इन टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं इनके कारण देश को कितनी क्षति हो रही है, उसका अंदाजा आप एक दो बातों से लगा सकते हैं। जैसे आज सेण्ट्रल गवर्नमेंट के ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको हम लोग मेगा प्रोजेक्टस कहते हैं, करीब 20-25 मेगा प्रोजेक्ट्स है, जिनका दाम प्रत्येक का 1000 करोड़ से ऊपर का है। चूंकि इन सबके एग्जीक्यूशन में ठीक समय में डिसीजंस नहीं लिए गए इसलिए उनका दाम करीब-करीब 25 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। इसका मतलब 10 हजार करोड़ रुपया आपका ऊपर लगाना पड़ेगा।

ठीक उसी प्रकार करीब 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, जिनको हम लोग मेजर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जिनकी प्रत्येक की एस्टीमेटेड कास्ट 100 करोड़ से 1000 करोड़ के भीतर है। यहां भी ठीक वही हालत है। यहां पर भी करीब-करीब 8-9 हजार करोड़ रुपया ज्यादा लगेगा, एस्टीमेटेड कास्ट के ऊपर। कारण यह है, जो टाइम कास्ट ओवर रन होता है, समय ज्यादा लगता है, डिफरेण्ट जगह पर डिसीजंस लेने में कास्ट ओवर रन हो जाता है। इस एक बात पर, इस विषय में फाइनेंस मिनिस्टर को दो तीन शब्द कहने चाहिए।

इसके बाद और कुछ बातें हैं, जो पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में कही जा सकती हैं। मैं आनरेबल इन्द्रजीत गुप्त की एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि पब्लिक सेक्टर का डी-ब्यूरोक्रेटाइजेशन

करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप जानते हैं, आज बड़े से बड़ा जो पब्लिक सेक्टर है, वहां के सी० एम० डी० को एक ब्यूरोक्रेट अपनी उंगलियों पर नचाता है। अगर यही होगा तो पब्लिक सेक्टर का भविष्य क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में जो सिक यूनिट्स हैं, जिनके बारे में इण्डस्ट्रियल पालिसी में बहुत कुछ चर्चा की गई है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा क्रिटीसिज्म भी किया गया है, उन्हें बहुत जल्दी बनाया जाए मैं तो कहना नहीं चाहता था लेकिन जो बजट पेश किया गया है, उसके साथ में इण्डस्ट्रियल और ट्रेड पालिसी को साथ में व्याख्या नहीं करें तो चर्चा पूर्ण नहीं हो सकती। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा, यह जो सिक यूनिट्स हैं, यह सिक क्यों हुयीं, कब तक चलती रहेंगी या उनको बजटरी सपोर्ट देकर जो पैसा दूसरी जगह लगा सकते है, उनको चलाया कैसे जाएगा··· या उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ दूसरा ही उपाय किया जाएगा। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ करूंगा उन्हें दाद दूंगा, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि जो लोग सिक इन्डस्ट्रीज से छूट जायेंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनके लिए भी व्यवस्था है।

इसके बाद मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनमें किस तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, उनके विषय में कहीं पर भी थोड़ा इशारा नहीं है। इसलिए इस बारे में मेरा एक सुझाव है। मान लीजिए—रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट, जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। यह कहा जाता है कि अगर बैकवर्ड एरिया में रेलवे लाइन बनाया जाएगा तो अच्छी आमदनी नहीं हो सकती है. इसलिए कि इकोनोमिक रिटर्न ठीक नहीं होगी। इसलिए नई रेलवे लाइन नहीं बनानी चाहिए या छोटी लाइन को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। यह गलत नीति है। जो अंडरडेवलप्ड एरियास हैं, जब तक आप उनको ओपन-अप नहीं करेंगे और उनके लिए ऐसा सामान इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में वहां नहीं देंगे और सिर्फ आमदनी का ही ख्याल करेंगे तो बैकवर्ड एरियाज कभी भी बढ़ नहीं सकते है।

अब मैं एक शब्द ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कहना चाहता हूं। इसका जिक्र दो-तीन पैराग्राफ में किया गया है और ह्यूमन रिसोर्स को सबसे बड़ा रिसोर्स कहा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सबसे बड़ा रिसोर्स है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए जितने फण्ड्स की जरूरत है वह फण्ड उस अनुपात में नहीं दी गई है। वहीं पर एक बात और कही गई है, क्वालिटी प्राइमरी एजूकेशन के बारे में। जिसके बारे में मैं पहले भी एक प्रश्न के रूप में कह चुका हूं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में गांवों में कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं है, जहां क्वालिटी प्राइमरी एजूकेशन दी जाती हो। इसलिए मैं तो यह अर्ज करूंगा, जब आप सब्सिडी के बारे में इतना कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि सब्सिडी इसीलिए दी जाती है कि हम लोग अपनी इन-एफिशियेंसी को कवर करना चाहते हैं। आज तक हमारे जितने फर्टिलाइजर बनाने के कारखाने लगाये जायें अगर उनकी टैक्नोलोजी आउटडेटिड है। टैक्नोलोजी ठीक होती तो सस्ते दर पर हमारे देश को फर्टिलाइजर मिल सकता था लेकिन वह नहीं हुआ। हमने अपडेटेड टैक्नालजी पर ठीक से ध्यान नहीं किया, इसलिए हमको सब्सिडाइज करना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इधर-उधर कहीं पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एडजेस्टमेंट की है तो वह ठीक है और जब नई-नई कोई चीज की जाती है, तो उस एडजेस्टमेंट से जो दर्द होता है, हम लोग उसको जरूर रजिस्ट करते है। उस दर्द को तो सहना ही पड़ेगा।

मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। विशेष आदिवासियों और हरिजनों का नाम बहुत लिया जाता है। उनके नाम पर बड़े-बड़े हथकंडे लिए जाते हैं, लेकिन उनको कितना दिया जाता है,

[श्री भाग्ये गोबर्धन]

उनकी कितनी उन्नति होती है, उस दिशा में आज तक किसी ने नहीं सोचा है। आप जानते हैं कि हाल ही में इंडियन काउंसिल आफ एप्लाइड एकनामिक रिसर्च का एक पब्लिकेशन निकला है। उसमें मेरे स्टेट के बारे में कहा गया है। मैं एक ट्राइबल हूं। मेरे स्टेट में मध्य प्रदेश के बाद ट्राइबलों की संख्या उड़ीसा में बहुत ज्यादा है। उसमें कहा गया है अब भी जो ट्राइबल्स पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उनकी संख्या 70 प्रतिशत से ज्यादा है और उड़ीसा में शेड्यूल्ड कास्ट 67 प्रतिशत से भी ज्यादा है जो गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। लेकिन सारे देश के अन्दर, सारे भारत में औसतन 1989-90 तक करीब 28 प्रतिशत लोग रह जाने चाहिये, जो गरीबी की रेखा से नीचे होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दिशा में रुपया जिस तरह से खर्च किया जाता है, यदि उसका कन्करन्ट इवेल्यूएशन नहीं करेंगे, तो आप कभी नहीं जान पायेंगे कि यह सब रुपया किस तरह से खर्च हो रहा है। इसी प्रकार एम्पलायमेंट के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपको सबसे ज्यादा एम्पलायमेंट दे सकता है, फौरेस्ट्री भी ज्यादा एम्पलायमेंट दे सकती है, माइन्स सबसे भी ज्यादा एम्पलायमेंट दे सकती है। उसके बारे में बजट में कुछ ज्यादा इशारा नहीं किया। इसलिए मैं यह कहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जब अपना जवाब देंगे उस वक्त इन सब बातों के ऊपर भी जरा कुछ चर्चा करेंगे, इशारा देंगे कि इन सब के बारे में क्या करना चाहते हैं। शेष एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ते वक्त गांधी जी ने नमक के लिए सत्याग्रह किया था। नमक हर घर में खाया जाता है, बिना नमक के कोई नहीं रह सकता है।

इसलिए मैं तो यह अर्ज करूंगा कि नमक का दाम जो कहा गया है, 1990 के जुलाई के लेवल में रोल बेक किया जाए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से अर्ज करूंगा कि कुछ ऐसा तरीका निकालें कि नमक का प्राइस रोल बेक किया जा सके।

**श्री भगवान शंकर रावत** (आगरा) : श्रीमान, आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय वित्त मन्त्री द्वारा जो प्रस्तुत बजट है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं सोचता था कि इस बजट से कुछ नयी आशाएं इस देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी, लेकिन मैं बहुत मायूस हुआ हूं, उनके बजट भाषण को सुनकर। उसके कुछ कारण हैं—पहला कारण यह है कि जो बजट उन्होने दिया है वह हायली इनफ्लेशनरी है. महंगाई उससे बहुत बढ़ेगी। उससे 24 प्रतिशत उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे, फेमिली के बजट में वृद्धि हो जाएगी खर्चे की। रुपए का अवमूल्यन जिस प्रकार से हुआ है उससे सामान्य आदमी का जीना दूभर हो गया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने पेट्रोल और रसोई गैस के मूल्यों को बढ़ाकर लोगों के साथ बहुत बडा अनर्थ किया है, आम उपभोक्ता की जेब में खुलेआम सरकारी अधिकार के माध्यम से डकैती डाली है। विश्व के बाजार में पेट्रोल और रसोई गैस के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर वे दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट किसान विरोधी बजट है, समूचे ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था को चरमराने वाला बजट है। खाद से छूट समाप्त करके, 40 प्रतिशत मूल्य वृद्धि करके खेती की लागत को बहुत ही महंगा कर दिया है, जिससे आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ेगी। मैंने चर्चा की थी तो एक मान्यवर मन्त्री ने कहा कि हम भरपाई करने की कोशिश कर रहे है किसान को, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक बार इनपुट्स मंहगा करके, कृषि के साधन महंगे करके, खेती की लागत बढ़ाकर, उसके बाद खरीद का मूल्य बढ़ाकर आप उसको अगर कम्पनसेट करने की बात कहते हैं तो हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग

जो मेहनत और मजदूरी करते हैं उन गरीबों का क्या होगा जिनको महंगा गल्ला खरीदने के लिए विवश होना पड़ेगा।

अकेले उत्तर प्रदेश के अन्दर 33 फीसदी से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं, गांवों और शहरों में भी ऐसे लोग रहते हैं। उन खेतिहर व अन्य मजदूरों का क्या बनेगा जो खून और पसीना एक करके, अपने खून को पसीने में ढाल करके, मेहनत करके अपने पेट का जीवनयापन करते हैं, पेट की आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें सर्वांगीण दृष्टिकोण से सोचना होगा और मैं पुरजोर आग्रह करना चाहूंगा कि खाद में जो छूट समाप्त की गई है इससे खेती की लागत की चीजें भी महंगी होंगी। फिर कृषि उत्पाद महंगे होंगे जिसके परिणामस्वरूप सर्वांगीण महंगाई बढ़ेगी। इसका असर किसान पर सीधा पड़ेगा। उसे भी अन्य वस्तुएं महंगी खरीदनी पड़ेंगी। इसलिए सरकार अपने किसान विरोधी रवैये को समाप्त करके खाद की छूट को पुनः बहाल करे।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि किसान तो नाराज हैं, नौजवान भी नाराज हो रहे हैं। राजीव गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार देकर हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। जनता दल के मेरे मित्र जो उधर बैठे हैं उन्होंने भी इस बात के लिए कहा था, लेकिन आज का नौजवान हताश है। आज से एक साल पहले नौजवान दिल्ली की सड़कों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने के लिए विवश हुआ था उस समय समूची मानवता कराह उठी थी। आज फिर से ऐसी मंहगाई के बजट में उन नौजवानों के लिए कोई आशा का संकेत नहीं हैं। शिक्षित और अशिक्षित नौजवान जो आज मेहनत करना चाहते हैं उनको जितना काम उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, काम के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए थे, उनको इस बजट में काम के अवसर प्रदान करने की गुंजाइश नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश का नौजवान बेजार है। वह नौजवान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किताबों और स्कूलों से पढ़ा है, जिसने सरकार द्वारा आयोजित इम्तहानों को पास किया है और उसके बाद जब वह नौकरी लेने के लिए जाता है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारी पढ़ाई बेकार है, तुम इस लायक नहीं हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक बेरोज-गार नौजवान को नौकरी उपलब्ध नहीं कराई जाती, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए।

इसी तरह से सभापति महोदय, आयकर की सीमा के बारे में कहना चाहता हूं। आयकर की सीमा में कोई वृद्धि न करके हमको छला गया है। एक तरफ मंहगाई, रुपए का अवमूल्यन, रुपए की क्रय शक्ति में लगभग 24 प्रतिशत की कमी और दूसरी तरफ आयकर की न्यूनतम सीमा नहीं बढ़ाई गई। प्रवासी भारतीयों एवं विदेशी निवेश कर्ताओं के लिए हम पलक पांवड़े बिछा कर खड़े हैं, भीख का कटोरा लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं कि कैसे हमारे पास विदेशी मुद्रा आए। जब रुपए का अवमू-ल्यन हो गया, उनकी क्रय शक्ति कम हो गई तो आयकर की सीमा में वृद्धि अवश्य की जानी चाहिए थी। इसके बिना आज नौकरी पेशा लोगों, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, उद्योग धन्धा करने वालों, व्यवसायिक लोगों, सब का जीना दूभर हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आयकर की सीमा में उसी अनुपात से वृद्धि की जानी चाहिए, जिस अनुपात से पिछले 3 सालों में मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि आयकर की न्यूनतम सीमा 48000 रुपए अवश्य की जानी चाहिए।

[श्री भगवान शंकर रावत]

इसके साथ-साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को जितने भी भत्ते प्राप्त होते हैं, चाहे मंहगाई भत्ता हो, आवास भत्ता हो, इन भत्तों को इनकम टैक्स एक्ट के अन्तर्गत आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए। इन्कम टैक्स में आमदनी के निर्धारण के अन्तर्गत इन भत्तों को मुक्त किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट के माध्यम से जिस आर्थिक नीति का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। हर गांव और शहर के ही मोहल्ले में पीने के पानी की उपलब्धता का संकल्प जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था, प्रत्येक गांव और शहर के हर मोहल्ले तक बिजली पहुंचाने की बात, गांव और शहर तक पक्के मार्ग उपलब्ध कराने की बात, इन उद्देश्यों की पूर्ति का कोई संकेत इस बजट से नहीं मिलता है। इस दिशा में बजट में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश, जहां से मैं चुन कर आता हूं, श्री नरसिंह राव जी यहां पर नहीं हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज तक आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश के लोगों को भूखों रहने पर मजबूर किया गया, उनसे कहा गया कि आपको प्रधान मन्त्री का पद दे दिया है, अपने पेट पर पट्टी बांध लो। आज प्रधान मन्त्री का पद आंध्र प्रदेश को चला गया है और उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बात के लिए जाग गया है कि आप प्रधान मन्त्री का पद ले लो, लेकिन आज हम भूखों मरने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिनसे उत्तर प्रदेश की विपन्नता का पता चलता है। 1977-78 में गरीबी की रेखा के मामले में हम 8 राज्यों से नीचे थे 87-88 में ऊपर थे, लेकिन आज हम कई राज्यों से नीचे हो गए हैं। चार राज्य उत्तर प्रदेश के ऊपर थे अब छह हो गये हैं। जहां सारे देश की पर-केपीटा इनकम में वृद्धि हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश की पर केपीटा इनकम में कमी आई है। 1960-61 से लेकर 1984-85 तक 89 परसेंट की वृद्धि देश के स्तर पर पर-केपीटा इनकम में हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पर-केपीटा इनकम की वृद्धि दर में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की औसत 8 2 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है आज उत्तर प्रदेश के नौजवान का भविष्य धूमिल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के घरेलू उत्पादन में भी कमी आई है, इस क्षेत्र में भी हम पिछड़ रहे हैं। सन् 1986-87, 87-88, 88-89, 89-90, में उत्तर प्रदेश में क्रमशः 2201, 2382, 2744, 3072 का औसत है जबकि अखिल भारतीय घरेलू उत्पादन का औसत उन्हीं वर्षों में क्रमशः 2954, 3286, 3854, व 4252 है। बिहार व उड़ीसा जैसे पिछड़े प्रदेशों में भी 1960-6 से 84-85 तक प्रति व्यक्ति औसत आय में क्रमशः 8.5 व 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय के मामले में भी हम पिछड़े हुए हैं। राष्ट्रीय आय 1960-61 में 306 रुपए प्रति व्यक्ति थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 244 रुपए थी 1970-71 में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 613 रुपए थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 493 थी। 1974-75 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 1004 थी, जबकि उत्तर प्रदेश की 740 थी। 1980-81 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1557 थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 1212 थी। 1984-85 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 2143 रुपए थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 1508 रुपए थी।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि हम हर तरह से पिछड़ रहे हैं। आतंकवाद उत्तर प्रदेश में सिर उठा रहा है। 1990 में उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने केन्द्रीय गृह विभाग से एंटी बम स्क्वेड स्थापित करने की स्वीकृति की मांग थी। लेकिन हिन्दुस्तान के गृह मंत्री को इस बात की

फुरसत नही है कि उत्तर प्रदेश सरकार को आतंकवादियों का सामना करने के लिए, वहां की बहन-बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, निरीह लोगों की हत्याओं को रोकने के लिए वहां पर एंटी बम स्क्वेड बनाने की अनुमति प्रदान कर सकें। यह और कह दिया गया कि उपद्रवों को दबाने के लिए जब फौज मांगी जायेगी तो सेना भेजने के लिए पैसा लेंगे। संवैधानिक मान्यताओं, औचित्य को भी ध्यान में नहीं रखा गया कि जब सदन चल रहा है तो सदन में इस बात की घोषणा की जाए। सदन को घोषणा के लिए उचित स्थल नहीं समझा गया। उन्होंने घोषणा भी की तो वहां की किसी सभा में जा कर तालियां बजवा कर की। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को आतंकवाद से बचाने के लिए एन्टी बम स्कवैड बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमति व सहायता दी जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश सूखे से सूख रहा है, बिजली की कमी है। इसकी आर्थिक सहायता तक पिछली आपूर्ति की मात्रा बढ़ायी जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की अनेक योजनाएं भारत सरकार के दफ्तरों में लम्बित पड़ी हैं। उनको बिना विलम्ब किए अनुमति नहीं दी जाती है। इन योजनाओं पर स्वीकृति अविलम्ब दी जानी चाहिए आज भी लम्बित पड़ी हैं। सस्ता सुलभ न्याय लोगों को मिले इसके लिए हिन्दुस्तान का संविधान कहता है, लेकिन भारत सरकार जसवन्त सिंह आयोग की 1986 से लम्बित सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। सरकार टालमटोल कर रही है। केन्द्र सरकार कहती है कि प्रदेश सरकार ने अपना मत नहीं भेजा जबकि प्रदेश सरकार एक साल पहले विधान सभा में घोषणा कर चुकी है कि उसने आयोग की सिफारिशों पर अपना मत भेज दिया है। केन्द्र सरकार के एक मंत्री श्री राजेश पायलट तीसरे प्रकार की भाषा बोलते हैं। इसमें आज भी उत्तर प्रदेश में भारी रोष है। आगरा के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है।

[अनुवाद]

**श्री मोरेश्वर सावे** (औरंगाबाद) : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

**सभापति महोदय** : गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई जाये। चूंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है, अतः सभा कल ग्यारह बजे तक स्थगित होती है।

6.44 बजे

**तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 2 अगस्त 1991/11 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

———

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006